राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 13

शुक्रवार,

15 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

अलवर जिले के मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

284. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत जिला अलवर में वर्ष 2009 से फरवरी, 2013 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रत्येक विभाग अनुसार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत जिला अलवर में वर्ष 2009 से फरवरी, 2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी को नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो नियुक्ति से शेष रहे प्रत्येक आवेदनकर्ता को नियुक्ति नहीं दिए जाने का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियुक्ति से शेष रहे आवेदनकर्ताओं को शीघ्र नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) (कार्मिक मंत्री के स्थान पर) : (1) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत जिला अलवर में राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों में कुल 603 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों की विभागवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट- 'क')

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(2) जी हां। शेष रहे 197 आवेदनकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने के कारण सूची में संलग्न हैं। (परिशिष्ट- 'क')

(3) जी हां। जो भी आवेदनकर्ता अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र है, उन्हें निर्धारित परीक्षण एवं प्रक्रिया के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति दी जा सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो 197 की सूची दी है, उसमें विद्युत विभाग के 57 में से 22 पद ऐसे हैं, अनुकम्पा नियुक्ति के, जो सहायक सचिव, जयपुर के यहां पर लम्बित हैं; जिला कलक्टर, अलवर के यहां पर 19 में से 7 पद हैं; पुलिस में 57 में से 23 पद ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं पुलिस मुख्यालय, जयपुर के यहां पर; पी.एच.ई.डी. के भी पद मुख्य अभियंता, जयपुर के यहां पर विचाराधीन हैं; जेल पुलिस के लिए भी पात्र आश्रितों ने आवेदन किया था, जिनमें चार डी.जी.पी. जेल पुलिस, जयपुर के यहां पर विचाराधीन है। शिक्षा में 81 में से 23 पद निदेशक, शिक्षा के यहां पर विचाराधीन हैं; चिकित्सा में 26 में से 12 पद निदेशक, चिकित्सा के यहां पर विचाराधीन हैं; इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2009 में आवेदन किया था। तो यह विचाराधीन होने का क्या कोई समय सरकार ने तय कर रखा है कि इनका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? एक।

दूसरा, शिक्षा के मामले में आपने अपने जवाब में बताया है, 78 में से 63 जो अभ्यर्थी हैं, जो विचाराधीन हैं, उनके लिए लिखा है कि टैट पास नहीं हैं, पद रिक्त नहीं हैं और निदेशालय में विचाराधीन हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि टैट की परीक्षा कब से तय की गई? और टैट से पूर्व के भी यदि कोई आवेदन हैं तो वे किस कारण से रोके गए हैं? इसमें एक 2009 के लिए लिखा है। कुछ आवेदक ऐसे हैं इसी सूची में जिन्होंने 2011 में आवेदन किया और सितम्बर, 2011 से, उन्होंने टैट की परीक्षा भी पास कर रखी है। प्रारम्भिक शिक्षा की जो सूची है, उसमें 52 नम्बर पर लिखा है, 'मनीषा', और तारीख है 29.9.2011, 'टैट पास नहीं हैं, जबकि उन्होंने अपने आवेदन में भी टैट पास होने की अपनी मार्क शीट इसमें लगा रखी है। तो यह अब तक क्यों लम्बित है? इसमें यह लिखा है कि 'टैट परीक्षा पास नहीं', क्या यह सूचना सही नहीं है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि नियुक्ति के पात्र व्यक्ति को जब भी जगह खाली होती है उस विभाग में, अगर उस विभाग में नहीं होती है तो दूसरे विभाग में खाली होती है तो वहां पर उसको भेज दिया जाता है।

जैसा मैंने निवेदन किया, आपको विस्तार से बताता हूं कि अलवर जिले में कुल आवेदन प्राप्त हुए, 2009 से लेकर फरवरी, 2013 तक 603 और उसमें से नियुक्तियां दे दी गईं, 406 अर्थात् जिन लोगों को नियुक्तियां नहीं दी गईं, उनकी संख्या आई 197 तो उस 197 में 33 व्यक्ति वे थे जो कि टैट उत्तीर्ण नहीं थे लेकिन अध्यापक के पद पर लगना चाहते थे। अब कुल मिलाकर लम्बित रह गई 164 । तो 164 में भी कार्मिक विभाग में जो लम्बित आवेदन थे, वे सिर्फ 4 थे जिनमें से 2 की अन्य विभागों को नियुक्ति हेतु प्रेषित कर दिया गया और 2 प्रक्रियाधीन हैं।

अब सवाल यह आता है, आपने यह पूछा, विद्युत वितरण विभाग में जो 16 नियुक्तियां पेंडिंग थीं, उनमें से 10 को नियुक्तियां दे दी गईं, एक अयोग्य था, पेंडिंग 5 हैं।

दूसरा आपने पुलिस विभाग का पूछा है, इसमें 23 नियुक्तियां दे दी गईं; एक नाबालिग था; बाकी जो शेष 9 रह गईं, वे रह गईं, जो कि पेंडिंग हैं।

ठीक इसी तरह से शिक्षा विभाग के बारे में आपने पूछा कि टैट पास हो गया, टैट पास हो गया लेकिन जगह नहीं थी। अब जैसे-जैसे जगह खाली होती जा रही हैं, नए नियमों के तहत जो भर्ती होती जा रही हैं, उनको एडजस्ट किया जा रहा है। (व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर पूछ लीजिए। मैं फिर दूंगा जवाब।

रिक्त पद नहीं थे, इस वजह से वे नहीं हो पाए लेकिन अब रिक्त पद हो रहे हैं। इसलिए जो पात्रता रखते हैं उनको नौकरी दे दी जाएगी।

ठीक इसी तरह से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बारे में आपने पूछा तो कुल मिलाकर 10 जगह खाली थीं, 10 आवेदन थे, अपूर्ण दो थे, एक को नियुक्ति दे दी गई, दो नाबालिग थे।

इसी तरह से चिकित्सा विभाग में 10 का था, 10 में भी जो लम्बित हैं, उन पर भी फैसला शीघ्र ही होने वाला है।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने यह पूछा कि वर्ष

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

2009 से 2013 तक क्या हुआ, दस हजार से ज्यादा नियुक्तियां इस सरकार ने दी हैं, 2009 से लेकर 2013 तक; दस हजार।

दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार ने विधवा को भी एलिजिबल माना है, जिसका बेटा और बेटी नौकरी में थे, उनको पहले नौकरियां नहीं दी जाती थीं लेकिन नियम बदलकर मुख्य मंत्रीजी ने विधवा को भी पात्र माना है, अगर उसका लड़का और लड़की नौकरी में हैं।

इसी के साथ-साथ पहले यह था, अगर मान लीजिए, किसी को अनुकम्पा नौकरी दे दी गई और उसने जोइन नहीं किया तो उसको निरस्त कर दिया जाता था, अब निरस्तीकरण का प्रोविजन हटा दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा। अब उसका निरस्त होगा ही नहीं, वह आवेदन पैंडिंग पड़ा रहेगा। जब भी वह चाहे, तो आकर जोइन कर सकती है। ठीक इसी तरह से, बी.जे.पी. के समय में भी जोइन नहीं किया ... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्टिकुलर नाम 'मनीषा' बताया है जो लिस्ट में 52 नम्बर पर है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आपकी सब बातों का जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): नहीं, आप इसका जवाब दीजिए न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): काहे का जवाब मांग रहे हैं आप?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मैंने प्रार्थी 'मनीषा' का नाम लिया है। एलीमेंटरी में जो आपने सूची दी है, उसमें 52 नम्बर पर ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह प्रकरण आज आप मेरी जानकारी में लाए हैं, इसका जवाब मैं आपके पास भिजवा दूंगा, 'मनीषा' का। (व्यवधान) आपने इस सवाल में 'मनीषा' का नाम नहीं लिया, वरना मैं आपको उसका भी जवाब देता।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप मेरी बात को सुनिए। 29.9.2011 को उसने एप्लाई किया, टैट परीक्षा उसने पास कर रखी थी उस समय; यह तारीख है, 28.8.2011 को जो पहला टैट था, उस टैट को पास किया था। इसमें मार्कशीट भी मेरे पास है जिसमें 51.33 परसेंट इसके मार्क्स आए थे और उसको उस समय से, जब टैट पास है, पूरी योग्यता है और उसमें किसी

(श्री रामहेत सिंह)

तरह से नहीं, आप कहते हो कि वैकेंसी नहीं है। आप सदन को गुमराह कर रहे हो। क्या उस दिन वैकेंसी नहीं थी? पूरे जिले में हजारों लोग थे। वैकेंसी नहीं थी तो अब आपने कैसे लगा दिए +++? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ज्यों-ज्यों जगह खाली हो रही है, निश्चित रूप से इनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): लाख-लाख रुपये लेकर के नियुक्तियां दी जा रही हैं और उसके प्रकरण को जबरदस्ती लम्बित कर दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने पर्टिकुलर किसी 'मनीषा' के लिए कहा है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): लिस्ट के जवाब में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कृपया उस केस को भी एग्जामिन करके डिस्पोज करवाएं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है आपका कहना, पर मैं आपसे यह निवेदन करूं कि कुल मिलाकर 603 आवेदन प्राप्त हुए हैं, अगर यह उसमें 'मनीषा' का नाम भी लिख देते तो उसका भी जवाब यहीं पर दे देता।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपने यह सूची दी है, उसमें कहा है कि टैट पास नहीं है। आपने गलत जवाब दिया है सदन को।... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है, वह प्रश्न के उत्तर में ही दी है, हमने नई नहीं बनाई और इस सूची में ही जो आपने बताया, उसमें आपने यह जो लिखा है, केवल शिक्षा विभाग का ही बता रहा हूं अभी तो, बाकी और विभाग भी हैं, कलक्टर के, बाकी भी, इसमें रमेश चन्द्र मीणा है, सरोज मीणा, इसने एप्लाई किया था 2009 में, यह निदेशालय में विचाराधीन है। तो टीचर का क्या 2009 से लेकर अब तक पद रिक्त नहीं है, इसलिए विचाराधीन है? या कोई अन्य कारण है, जिसके कारण विचाराधीन है? 2009 से लेकर 2013 तक।

एक सेकण्ड आप इस विषय को गम्भीरता से लें। गलती विभाग की, आपकी, मेरी, सबकी होगी, लेकिन वह बालक सफर करता है। उसके परिवार में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कोई गुजर जाता है और परिवार को चलाने के लिये सरकार ने एक नियम बना रखा है कि किसी न किसी एलिजिबल व्यक्ति को नौकरी मिलती है, तो उस परिवार का काम चल जाता है। 2009 से, मैं आपका बता रहा हूं, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा की सूची नम्बर 9 पर रमेश चन्द मीणा, इसमें आपने जवाब दिया, 'नहीं दिये जाने का कारण, निदेशालय में विचाराधीन। उसके बाद, 'श्यामलाल' निदेशालय में विचाराधीन'; फिर उसके बाद आप नम्बर 11 पर लिख रहे हो, 'पद रिक्त नहीं हैं। क्या शिक्षा विभाग में वर्ष 2009 से अब तक पद रिक्त नहीं होने के कारण से रहा है।

आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ, यह मानवीय दृष्टि से हमारी ड्यूटी बनती है। हम उस एप्लिकेंट को, जो वास्तव में अपना हक मांग रहा है और हमारी सारी फोर्मेलिटी को पूरी करता है, उसके बाद भी विभाग की लापरवाही के कारण से या जब तक वह वहां जाकर हाथा-जोड़ी नहीं करे, जब तक वहां चक्कर नहीं लगाये, तब तक उस बेचारे की फाइल क्लीयर नहीं होती है। यह कर प्रशासन को, आपको, मुझको इस बात का दर्द नहीं होता है? यह जो विषय है, यह आपके सामने उठाया ही इसीलिये है।

श्री अध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नेता महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस विषय को आप एक टैस्ट केस बना लो और इस टैस्ट केस के आधार पर आपके इस डिपार्टमेंट के इन सब लोगों की खिंचाई करो कि आखिर 2009 से लेकर 2013 तक, यही केस और दूसरा मत देखो आप, और किसी जिले का मैं नहीं कह रहा हूं, इसके आधार पर इनसे पूछो कि इसका जिम्मेदार कौन है? इतने समय तक यह पेंडिंग क्यों है? और शिक्षा विभाग में कोई यह कहे, मंत्री महोदय पद रिक्त नहीं था, यह शायद मैं कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग में तो हर वर्ष 10 हजार पद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें, आगे भी लेना है। इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे प्रार्थना इसलिये कर रहा हूं कि इनमें कई गरीब और भले आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने मुख्य मंत्रीजी को निवेदन कर दिया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह केवल अलवर का ही नहीं है, राजस्थान के ऐसे कई हजारों परिवार होंगे, जो ऐसी सब योग्यता रखते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुए भी दर-दर की ठोकरें खाकर, इस सचिवालय के चक्कर काट-काटकर अपना दम तोड़ रहे हैं। वह कमी मेरे समय में भी रही होगी, मेरे से मेरे विभाग में भी रही होगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी, जिस प्रकार की सैलेरी लेते हैं, ये इस फाइल को दफन करके डाल दें; जब तक ग्राहक नहीं आवे, तब तक वह फाइल धूल में से उठे ही नहीं। यह कब तक चलेगा?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, पिछली सरकार के वक्त में भी जब पूरी तरह नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध कर रखा था, तब भी मृतक आश्रितों के लिये हमने पूरी तरह छूट दे रखी थी और 90 दिन के अन्दर-अन्दर एप्लाई करने की जो शर्त है, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, उस वक्त में जितनी भी शिथिलता की जरूरत थी, वह सब हमने उस वक्त में भी दी। इस बार भी अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि 10 हजार के करीब नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उसके मायने यही हैं कि इतने केसेज, चाहे किसी तरह की शिथिलता के हों, मेरे स्तर पर हम मना करते नहीं हैं। इसीलिये हम 10 हजार के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं।

अब जो आपने बात कही है, अगर कोई आपको शिकायत मिलती है, या मुझे शिकायत मिलती है, या किसी भी माननीय सदस्य को मिले, तो आप निश्चित मानकर चलें, टॉप प्रायोरिटी पर उस केस को देखा जायेगा, उसको हल किया जायेगा। हमारी टॉप प्रायोरिटी में, मृतक के आश्रितों को नियुक्ति देने में कोई कमी नहीं रहेगी, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती बसन्ती देवी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे प्रार्थना यही कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि शिकायत भी आ गयी और शिकायत के सारे डाक्यूमेंट्स भी आ गये...

श्री अध्यक्ष: अब अगला प्रश्न पुकार चुका हूं, श्रीमती बसन्ती देवी। अब कितना खींचें? 15 मिनट एक प्रश्न ने ले लिया। आप लम्बा नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सेकण्ड। मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा हूं कि अलवर का यह एक टैस्ट केस आपके सामने आ गया, सारे विभागों की सूची आपके सामने आ गयी, डिले का कारण इसमें लिखा हुआ आ गया, कृपा करके इस सारी सूची का कोई न कोई, जो भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारी आप ठीक समझते हों, उसको लगाकर ये कागज कहां पड़े रहे, क्यों पड़े रहे, क्यों इनका निस्तारण नहीं हुआ, कौन इसके लिये जिम्मेदार है, अगर इतना भी काम कर लोगे तो भविष्य में कम से कम कोई भी दर-दर की ठोकर नहीं खायेगा।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी ने सदन को आश्वस्त कर दिया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको जवाब दे दूं। जहां तक सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार के द्वारा शिथिलताएं दी गयीं, नहीं दी गयीं, मैं आपको फिगर्स देना चाहता हूं कि विलम्ब से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उनमें से करीब-करीब 1259 व्यक्तियों को शिथिलता दी गयी। (व्यवधान) मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, ज्यादा लम्बा नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी बात तसल्ली से सुन लें, मैंने भी आपको तसल्ली से सुना है।

दूसरी बात है, न्यूनतम आयु में भी छूट देने की बात थी, तो 441 व्यक्तियों को छूट इस सरकार के द्वारा दी गयी है। अधिकतम आयु में छूट देने की बात थी, तो वह भी 7 आदमियों को छूट दी गयी है। आपने जो सवाल उठाया है, उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि टैट पास ही अध्यापक लग सकता है, जिसने टैट पास नहीं की वह नहीं लग सकता था।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 2009 में टैट नहीं लगती थी, टैट 2011 में शुरू हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मास्टर रहा हूं। आप अपना रिकार्ड उठाकर देख लो ...(व्यवधान) एक सेकण्ड, कृपा करो मेरे पर...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब आप टीचर थे, तब टैट नहीं लगता था। आपको टैट के बारे में जानकारी है कि नहीं, मुझे पता नहीं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 2009 में टैट नहीं था। टैट का पहला टैस्ट 2011 में हुआ है और उसके पहले की एप्लिकेशन पर पैसे लेकर करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कृपा करो, कृपा करो। मुझे मालूम नहीं; मेरी जानकारी आप बढ़ा दो, आपका विभाग बढ़ा दे। यह टैट परीक्षा...(व्यवधान) केवल टैट परीक्षा की अनिवार्यता कब हुई है? यह 2009 वाला, क्या टैट उससे पहले अनिवार्य हो चुका था? आप विभाग से स्लिप मंगवा लो, अभी खुल जायेगा आपका।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह कह रहा हूं, उसने टैट पास नहीं किया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): टैट 2011 में आया था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, 2011 में आया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो 2009 की एप्लिकेशन है। 2009 की एप्लिकेशन आप टैट कैसे लगाओगे? 2009 की एप्लिकेशन पर आप टैट कैसे लगाओगे, मुझे समझाओ आप। एक आया 2011 में, 2011 के बाद जो दरख्वास्त लगायेगा, उसके लिये तो टैट परीक्षा पास करना अनिवार्य है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह पेंडिंग पड़ा रहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों पड़ा रहा? यही सवाल है कि क्यों पड़ा रहा? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पैसे खाकर नियुक्ति दी जाती है। मृतक के आश्रितों से पैसे लिये जाते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो साल तक क्यों पेंडिंग पड़ा रहा, इसका कारण बताऊं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों जिद्द करते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती बसन्ती देवी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, बैठिये, अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

उदयपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

285. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

उनमें कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों के निरीक्षण हेतु कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त पद हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री) महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर) : (1) जिला उदयपुर में 2770 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 370 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के विरुद्ध 2,744 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 350 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनमें 2615 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 320 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 2,634 सहायिकाएं कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 126, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 35 एवं सहायिका के 121 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त केन्द्रों के निरीक्षण हेतु स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारी, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): ये पद कब तक भरे जायेंगे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन पदों को भरने के लिये डी ओ पी को और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिये हैं। सी डी पी ओ और ए सी डी पी ओ के पद आर पी एस सी के माध्यम से भरे जायेंगे। उनके लिये भी वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिये हैं, वहां से प्रस्ताव सैंक्शन होकर आयेंगे।

उसके बाद, आपकी प्रार्थना हमने भेज दी। ये जो सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन पदों को तो ग्राम पंचायतों द्वारा भरे जाते हैं। कार्यकर्ता, सहायिका के अभी वहां प्रशासन-गांवों-के-संग-अभियान में काफी पदों को अभी भरा गया है। और पद के लिये भी हम पंचायती राज मंत्री महोदय को शीघ्र कहेंगे, कि वे इन पदों को जल्दी से जल्दी भरें।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

प्रशिक्षित विधवा/परित्यक्ता अध्यापिकाओं को नियमित वेतनमान के लम्बित प्रकरण

286. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अप्रशिक्षित विधवा/परित्यक्ताओं को तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करने की शर्त पर प्रशिक्षु अध्यापिकाओं के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी कितनी अध्यापिकाएं कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त नियमित वेतन श्रृंखला के आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितनी अध्यापिकाओं के व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त में से जिन विधवा/परित्यक्ता अध्यापिकाओं ने राज्य से बाहर प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, उनकी योग्यता सत्यापन के कितने प्रकरण कब से रुके हुए हैं? सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों को कब तक सत्यापित करवा लिया जायेगा?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार रोके गये प्रकरणों के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। 1,623 अप्रशिक्षित विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओं को प्रशिक्षु अध्यापिकाओं के रूप में ट्रेनी पद पर नियुक्तियां प्रदत्त की गईं। वर्तमान में 410 अप्रशिक्षित तथा 09 प्रशिक्षित प्रशिक्षु अध्यापिकाएं ट्रेनी पद पर कार्यरत हैं।

(2) जी हां। विभाग द्वारा 1,204 प्रशिक्षु अध्यापिकाएं जो ट्रेनी पद पर कार्यरत थीं, को प्रशिक्षण उपरान्त नियमित वेतन श्रृंखला के आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 09 प्रशिक्षु अध्यापिकाओं को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उनके प्रकरण जिला स्थापना समिति में अनुमोदन के अभाव, डिग्री सत्यापन के अभाव में तथा विभिन्न कारणों से, नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी जा सकी, जिस हेतु निदेशालय द्वारा अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को अपने स्तर पर अविलम्ब वांछित कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(3) 03 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें राज्य से बाहर की डिग्री सत्यापन के अभाव में नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है। उक्त प्रकरणों पर भी सरकार द्वारा शीघ्र सत्यापन की कार्यवाही करवा ली जावेगी।

(4) जी नहीं। उक्त प्रकरणों में सम्बन्धित कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत डिग्रियों की सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विधवा और परित्यक्ता बहुत परेशान हैं, इसलिए सरकार ने नीति लागू की। इसमें मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 'अनुमोदन के अभाव में, डिग्री सत्यापन के अभाव में तथा विभिन्न कारणों से नियमित वेतन शृंखला नहीं दी जा सकी,' ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, वह सच्चाई सामने आये, जिससे उन कारणों का और सच्चाई का समाधान करने का, कौन तो समस्या का समाधान करेगा और कौन-कौन से कारण हैं।

'अपने स्तर पर अविलम्ब वांछित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है,' वे कौन लोग हैं जिनको आपने निर्देशित किया है?

एक मेरा अनुरोध है, डिग्री सत्यापन के अभाव में यदि वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है, यह जवाब है कि 'उक्त प्रकरणों पर भी सरकार द्वारा शीघ्र सत्यापन की कार्यवाही करवा ली जायेगी,' सत्यापन किससे करवाया जायेगा? और कब तक करवा लिया जायेगा?

लास्ट में, आपने चौथे का जवाब दिया है कि 'उक्त प्रकरणों में सम्बन्धित कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत डिग्रियों के सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है', क्या हम इसमें कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दे रहे हैं? जिससे यह काम पूरा हो सके?

अध्यक्षजी, आपकी अनुमति हो तो चौथा प्रश्न और पूछ लूं स्टेट के हित में?

श्री अध्यक्ष: आप कितने प्रश्न पूछेंगे?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक और पूछ लूं? या फिर इनके उत्तर के बाद पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: इतने याद ही नहीं रहेंगे। विराजें आप, जवाब आने दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 09 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें समस्या रही है। इनमें 06 के बारे में मैंने इनको बताया

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

कि बाहर की डिग्रियों की वजह से अटकी हुई हैं- सीकर की पार्वती चौधरी, एस टी सी, 16.02.2013 को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सत्यापन रिपोर्ट अभी आयी नहीं है, यह अपर्याप्त प्राप्त हुई है इसलिए काम रुका हुआ है; नम्बर 2, अलवर की श्रीमती विनीता यादव, बी एड, 15.12.2008 से, प्रशिक्षु अधिकारी द्वारा ट्रेनिंग पद पर कार्य करने के कारण पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, प्रकरण में 07.02.2013 से जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, नम्बर 3, सरिता गुप्ता, एन टी टी, एस टी सी, एक वर्ष में दो योग्यताएं अर्जित करने के कारण जांच विचाराधीन है; नम्बर 4, श्रीमती मीना जैन, एस टी सी, 12.12.2012 को अध्ययन अवकाश स्वीकृत हेतु प्रकरण ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति नैनवां को प्रस्तुत किया गया था एवं बी ई ई ओ द्वारा दिनांक 26.12.2012 को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया तथा कार्मिक का प्रकरण 21.02.2013 से जांच के तहत विचाराधीन है; नम्बर 5, सीता साल्वी, एस टी सी 01.08.2012, जिला स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन के अभाव में है; नम्बर 6, मंजू रैगर, एस टी सी, 09.08.2012, जिला स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन के अभाव में है, नम्बर 7, ...

श्री अध्यक्ष: यह सब बातें नहीं पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दे दो आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): वही दिया है मैंने। जो आपने पूछा था, उसी का जवाब दिया है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, मैं इतना लम्बा नहीं चाहता। मेरा निवेदन है कि यह प्रक्रिया जो लम्बी चल रही है, आप इसमें अपने अधिकारियों को डायरेक्शन देना कि वे जल्दी से जल्दी इन मामलों का सत्यापन करवायें जिससे गवर्नमेंट की मंशा पूर्ण हो।

मैं तो इतना सा कह रहा हूं कि आपने, इसमें बार-बार जो अधिकारियों ने लिखा है कि प्रक्रियाधीन है, निर्देशित किया जा चुका है, लगातार दो-तीन बार जवाब में ऐसा कहा गया है; मेरा इतना सा निवेदन है कि विधान सभा में अगर कोई बात हो तो उसके जरिये यह जाए कि अब इतने दिन में टाइम बाउण्ड प्रोग्राम, मैं आदेश दे दूंगा और इसको जल्दी करवा दूंगा। मैं इतना सा ही सुनना चाहता हूं।

मैं एक और पूछना चाहता हूं, विधवा और परित्यक्ताओं को मात्र 3,500 रुपये, जो कि न्यूनतम वेतन से भी कम मिल रहा है, क्या, शिक्षा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मंत्रीजी, यह बताने का श्रम करेंगे कि हमारी ऐसी कोई पालिसी है या हमने कुछ ऐसा तय किया है कि इनका मानदेय हम बढ़ाना चाहते हैं? यदि बढ़ाया है तो वह सदन को बतायें। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूछो आप, साथ ही निपटाओ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करूंगा, जो कि स्टेट के हित में है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार से बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आर टी ई आया उससे बहुत लाभ मिला स्टेट को।

श्री अध्यक्ष: इसका सम्बन्ध है क्या प्रश्न से?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इससे जुड़ा हुआ ही है, इसी विभाग का है।

श्री अध्यक्ष: इससे जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वैसे ये जवाब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई नाराजी नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, इस बारे में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक महीने में या शीघ्रातिशीघ्र इसको कर देंगे।

नम्बर 2, जो बात इन्होंने मानदेय बढ़ाने की कही है, यह सही है कि 3,500 रुपये जो दिये जा रहे हैं वह मिनिमम वेजज से भी कम हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हम इन 410 को जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, इन महिलाओं को विद्यार्थी मित्र में जो थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, उनका वेतनमान उनको दिला दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिड़ला।

राजस्थान अरबन स्ट्रीट एक्ट के तहत व्यापारियों के पंजीकरण हेतु गठित समितियां

287. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अरबन स्ट्रीट एक्ट लागू कर दिया गया? यदि हां, तो एक्ट के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(2) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अन्तर्गत शहरों में नो वेंडर्स जोन व वेंडर्स जोन घोषित किए जाने थे? यदि हां, तो घोषित किये गये उक्त वेंडर्स जोन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अन्तर्गत वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो रजिस्टर्ड व्यवसायियों की शहरवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के लिए कोई समिति का गठन किया जाना था? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस स्तर की समितियों का गठन किया गया? निकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2011 दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील किया गया है। एक्ट के अन्तर्गत नियम अभी नहीं बने हैं, प्रारूप बना है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। व्यवसायियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(4) जी हां। अभी समितियों का गठन नहीं किया गया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह बिल इसलिए लायी थी कि दिल्ली में गेंदा राम बनाम दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जिसकी चेयरपर्सन यू पी ए अध्यक्षा हैं, उनकी अध्यक्षता में...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। उनकी अध्यक्षता में, हर्षवर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने कहा कि पूरे देश के अन्दर 30 जून, 2011 तक इस बिल को लाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से राज्य के पूरे पांच लाख फुटपाथ व्यवसायी जो सड़कों पर...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, प्रश्न क्या है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: भूमिका की आवश्यकता नहीं है, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): भूमिका तो बांधनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में पहले भूमिका बांधी जाती है।

श्री अध्यक्ष: भूमिका नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उन पांच लाख फुटपाथ व्यवसायियों के लिए यह बिल लाया गया था। राज्य सरकार ने बिल के उद्देश्य में कहा था कि हम ऐसे नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल पूरक प्रश्न के लिए आपको अनुरोध कर रहा हूं, भूमिका और भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताये, 01 अप्रैल, 2012 से यह बिल लागू होने के बाद आपने कोई कानून नहीं बनाया, नियम नहीं बनाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर वही बात। मैं कह रहा हूं कि पूरक प्रश्न पूछिए, फिर आप चालू हो गये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 01 अप्रैल, 2013 को कानून लागू होने के बाद क्या सरकार द्वारा नियम बनाने की सीमा तय की गई थी? अगर नियम सीमा तय की गयी थी तो इसके नियम क्यों नहीं बनाये गये? इस बिल के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को अभी तक सरकार ने क्यों लागू नहीं किया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिए। सारे सवाल महत्वपूर्ण होते हैं, हर सवाल महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) वे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कह रहे हैं, ओम शांति।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, जो माननीय सदस्य द्वारा सवाल पूछा गया, यह मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: आप चलिये, चलिये। यह मैच फिक्सिंग का मामला है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को जरा पूरा सुनियेगा, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है और जो कमियां थीं वे भी मैंने आपको जवाब में साफ-साफ बतायी हैं, और भी बताऊंगा।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

भारत सरकार ने 2004 में फुटपाथ पर और फेरी व्यवसायियों के लिए एक नीति तैयार की और वह नीति तैयार करके तत्कालीन राजस्थान की सरकार के पास भेजी। तत्कालीन राजस्थान की सरकार ने 'फेरी वालों का संसार' नाम की एक नीति बनायी। इसमें ज्यादातर वह नीति अडाप्ट की गयी जो भारत सरकार द्वारा 2004 में भेजी गयी थी। उसमें क्या था, जो राजस्थान की सरकार ने 2007 में नीति बनायी, वह नीति उन्होंने नगर निकायों को भेज दी और नगर निकायों के पास, आपके यहां पर एक तो राज्य स्तरीय पर तो अलग और निकाय के स्तर पर अलग, तो निकाय के स्तर पर उन्होंने कहा कि हाकर्स कल्याण समिति बनाई जावें, यार्ड कल्याण समिति बनाई जावें, स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण किया जावें, वेंडिंग जोन बनाये जावें, नो-वेंडिंग जोन बनाये जावें। इसी के साथ फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण के लिए, पंजीयन के लिए, पहचान पत्र जारी करने के लिए, स्थल पर अपेक्षित सुविधाओं के बाबत भी कई घोषणाएं की गयीं। परन्तु समितियों का गठन नहीं किया गया और कमेटियों पर यह पाबंदी लगा दी गयी कि वेंडिंग जोन कमेटी जो है, यही जाकर नियम बना पायेगी, और कोई दूसरा नियम नहीं बना पायेगा। तो 2007 से लेकर के और जब तक तत्कालीन सरकार रही, तब तक कोई कार्य इस विषय पर नहीं किया गया। एक बात।

अब क्या होता है कि 2009 में भारत सरकार ने, जैसा आपने अभी कहा कि 2009 में यू.पी.ए. चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उन्होंने यह फैसला लिया कि 3 जून, 2011 तक सारे बिल बना दिये जावें पूरे प्रदेशों में, यूनिफाइड एक्ट बना दिये जावें सब जगह। राजस्थान की सरकार ने, जब 2009 में भारत सरकार के द्वारा माडल स्ट्रीट वेंडर्स बिल, 2009 का जो प्रारूप राजस्थान सरकार को भेजा गया, उसी प्रारूप के आधार पर राजस्थान की सरकार ने फुटकर विक्रेताओं के लिए 2011 में एक बिल बनाया, जो कि 1.4.2000 से प्रभावशील हुआ।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस बिल की धारा चार में एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाये जाने का प्रावधान था। (व्यवधान) आप विराज जाओ, नहीं तो मैं बैठ जाऊं, आप कहो तो।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उस अधिनियम, 2011 में भी सेक्शन चार में यह प्रोविजन था कि टाउन वेंडिंग

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कमेटी बनायी जायेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी में कौन होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा; पालिका प्लानिंग ऑथोरिटी होगी; लोकल पुलिस होगी; ट्रैफिक पुलिस होगी; स्टेट वेंडर एसोसिएशन, मार्केट के एसोसिएशन के मेम्बर होंगे, ट्रेडर्स एसोसिएशन के होंगे; वेलफेयर एसोसिएशन के होंगे; नेशनल बैंकर्स होंगे; और इसी के साथ-साथ चालीस सदस्य वे होंगे जो कि स्ट्रीट वेंडर होंगे और उनमें भी एक-बटा-तीन महिलाएं होंगी और नि:शक्तजन भी होंगे। यह लम्बी-चौड़ी कमेटी थी जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पाया। अब यह क्यों नहीं हो पाया, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इस एक्ट के, 2011 के सेक्शन 24 में वेंडिंग कमेटी के तहत ही नियम बनाये जा सकते थे, राज्य सरकार सीधी के सीधी नियम नहीं बना सकती थी। तो नियमों का प्रारूप तो तैयार कर लिया गया लेकिन वह सिर्फ नियमों का प्रारूप ही तैयार रहा। असंगठित स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन की वजह से मार्केट एसोसिएशन की वजह से, ट्रेडर्स की वजह से, इसमें इतनी व्यावहारिक कठिनाइयां आयीं कि यह काम हो ही नहीं सका, सम्पन्न ही नहीं हो सका।

निकायों में इस तरीके के एसोसिएशन बनाने के लिए हमने कलक्टर्स को 21.9.2012 को, 4.12.2012 को, 22.1.2013 को, 8.3.2013 को और 11.3.2013 को पत्र लिखे लेकिन किसी भी कलक्टर ने इस तरीके की वेंडिंग कमेटीज के गठन के लिए असमर्थता व्यक्त की, कि, साहब, इनका कोई अता-पता नहीं है; वेंडर्स का कहीं पर भी कोई एसोसिएशन नहीं है जिससे कि हम बात कर के उनमें यह फैसला कर पावें; एक-बटा-तीन महिलाएं नहीं मिल रही हैं; नि:शक्तजन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की कमेटी नहीं बनायी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, अब क्या होता है कि भारत सरकार ने जब 2009 में एक्ट भेजा था जिसको कि राजस्थान सरकार ने 2011 में बनाया, उसी के प्रारूप को देखकर के, अब भारत सरकार ने 2012 में लोक सभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया और इंट्रोड्यूस करके यह कहा कि अब इस बिल के तहत में आप कार्यवाही करें और इस बिल को लोक सभा में तो कर दिया गया लेकिन वह अभी तक एक्ट का रूप नहीं ले पाया।

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह यूनिफाइड एक्ट बने, सब प्रदेश चाहते हैं कि हर जगह, जहां पर भी बने, वह एक साथ

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बिल बने क्योंकि आपने पांच लाख बताया, मैं उसको आठ लाख बताता हूं कि आठ लाख वेंडर्स हैं, कम नहीं हैं राजस्थान भर में। तो किसी भी ठेले वाले को अगर आज हम डिस्प्लेस करते हैं तो एक तो वह बेरोजगार होगा; दूसरी बात यह है कि आप चाहे दो रोज के लिए हटा दो, तीन रोज के लिए हटा दो, वह आखिरी में वहीं जाकर के खड़ा होगा जहां उसका बिजनेस चलेगा। अगर उसका बिजनेस कहीं ऐसी जगह आपने रख दिया जहां उसका बिजनेस नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता तो निश्चित तौर पर वह जगह बदलेगा और बदल करके वापस उसी जगह पर आयेगा। तो ये व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2007 में जो आपने नीति बनायी थी ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अब आपने भाषण दे लिया, मंत्रीजी, अब हमें बोलने दो। आपने भाषण दे लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि नियम बना दिये हैं, वे नियम टेबल कर दें। अगर आप इस कानून को लागू नहीं कर सकते हैं तो क्यों विधान सभा में एक्ट लाये थे? विधान सभा में एक्ट लाने के बाद कहते हैं, हमारे कलक्टर नहीं सुनते। आज गरीब व्यक्ति जो संवेदनशील है, जो बेचारा फुटपाथ पर बैठा है, उसकी कोई लाबिइंग करने वाला नहीं है, इसलिए नहीं चुनते हैं और जो भू-माफियाओं के होते, बड़े लोगों के होते तो 15 दिन में नियम भी बनते, कानून भी बनते हैं।

मेरा आरोप है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार उन फुटपाथियों के नियम नहीं बनाना चाहती, कानून नहीं बनाना चाहती। इनकी यू.पी.ए. की अध्यक्षा के कहने के बाद भी इस देश के अन्दर वह फुटपाथी और राजस्थान का फुटपाथी आज भी पुलिस के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार केवल भू-माफियाओं को संरक्षण देती है, गरीबों को मदद नहीं करती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरक प्रश्न तो पूछने दें।

श्री अध्यक्ष: बस हो गया; अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आ गया। चलिये, छोड़िये। खनिज मंत्रीजी। (व्यवधान) दोनों तरफ भाषण चालू हो गये।

जन-प्रतिनिधियों के पत्रों के उत्तर के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की खनिज अधिकारियों द्वारा पालना

288. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव ने समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं कि जन-प्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर उन्हें दिया जावे? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में जिला बीकानेर के किन-किन खनिज अधिकारी को क्षेत्रीय विधायक, कोलायत द्वारा कब-कब पत्र लिखे गये और उन पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई तथा उत्तर पत्र कब भेजे गये? प्राप्त पत्र की प्रति, उत्तर के पत्र की प्रति एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अधिकारियों द्वारा पत्र का उत्तर नहीं देने के क्या कारण रहे? क्या सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जावेगा?

खान मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां। मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2004 व 12.09.2005 की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध हैं।

(2) विगत दो वर्षों में खान विभाग के जिला बीकानेर के किसी भी अधिकारी को माननीय विधायक कोलायत द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया। अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) चूंकि खण्ड दो के उत्तर में अंकितानुसार माननीय विधायक, कोलायत द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया है, अत: इसमें कोई दोषी नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: आपने पत्र ही नहीं लिखे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जी, दो साल में नहीं लिखे, यह बात सही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का मन्तव्य यह था कि समय-समय पर मुख्य मंत्रियों ने एक संवेदनशीलता बतायी कि जन-प्रतिनिधि कोई पत्र लिखता है तो उसका उत्तर तुरन्त दिया जाय...

श्री अध्यक्ष: लिखा ही नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं यही बता रहा हूं, निकल रहे हैं, अभी आ रहे हैं।

और उसकी पालना होनी चाहिए, यह अपेक्षा की जाती है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपके द्वारा परिपत्र जारी होने के बाद भी इसकी पालना नहीं होती है। सिर्फ पत्र का उत्तर देना है। एक पावती ही तो आती है, आपके कार्यालय से आती है, प्रधान मंत्री के कार्यालय से आती है। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को जब पत्र लिखते हैं, पावती तक नहीं आती।

एक तो मेरे पहले प्रश्न में जो अधूरा जवाब दिया हुआ है, परिपत्र तीन जारी हुए हुए हैं यह 2004 और 2005 के अलावा 2009 में भी सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा भी जारी हुआ है। अधूरा जवाब दिया है, इसके लिए मैं अलग से प्रस्ताव दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि हम जो मंशा रखते हैं, उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय ने अपने इस कार्यकाल में मुफ्त दवा योजना, बी पी एल के लिए आवास, अलग-अलग योजनाएं, खूब जोरदार योजनाएं लागू कीं। हमें, जनता को यह तकलीफ होती है कि उसकी समय पर क्रियान्विति नहीं होती, इसलिए आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, एक-दो उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि पत्र नहीं मिले, यह बात ठीक है कि जिले में नहीं मिले। यह खान (ग्रुप-2) का जवाब आया मेरे पास कल, क्योंकि यह करंट है, विधान सभा में प्रश्न लग गया, इसलिए कल मेरे पास जवाब आया है। कल ये दो मेरे पास पत्र आए हैं जो खान (ग्रुप-2) से ही हैं। अब इन्होंने लिखा है कि आपका 25.9.2012 को पत्र मिला है और उत्तर दिया है 14 मार्च को। इसमें लिखा है कि आपने 4.10.2012 व 7.12.2012, इसकी ओर भी देखिए, 14 मार्च को।

हम यह कुछ नहीं चाहते, कोई कत्लेआम नहीं क्योंकि ये पंचायतें जो हैं ना, ये सांपों की पंचायतें हैं, इसमें सिर्फ जीभों की लपलपाहट होती है; न कोई किसी को काटता है, न मारता है। इसलिए मेरी मंशा यही है, मुख्य मंत्री जी, करंट निकालिए। आपके प्रशासन में, निर्देश में वह करंट हो। आखिर इकबाल होना चाहिए राज का, वह नहीं होता। बाकी पत्र आएं तो क्या है आपके यहां से?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): प्रश्न बहुत बड़ा है। कोई इसकी क्रियान्विति और दिशा दे दो, बाकी, मंत्रीजी आपके और हमारे पास हकीकत में कोई सामान नहीं है, वरना इंडिविज्युअली तो हम करंट निकाल लेते हैं। बाकी यह जिस प्रकार से सरकार के आदेशों की पालना नहीं होती, जन-प्रतिनिधियों के जवाब इस प्रकार मिलते हैं कि साल-साल, दो-दो साल, मेरे अलग जो दूसरे प्रश्न थे वे तो समय पर नहीं लगे, दसवें, पन्द्रहवें नम्बर पर सचिवालय ने लगाये, लाटरी से निकलते हैं लेकिन ऐसे मैं दो विभाग बताऊं जिनका आज तक चार साल में कभी उत्तर नहीं मिला, पावती नहीं मिली। इसलिए वह करंट निकालिए।

जब कोई आपकी बी पी एल आवास योजना, जब कोई दवाई की प्रतिभूति, जो आप फल चाहते हैं, नहीं तो मजा करो महाराज, आज थ्हांकी पांचों घी में हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

पाली जिले की निगम बस सुविधा-रहित ग्राम पंचायतें

289. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी? यदि हां, तो जिला पाली में कितनी ग्राम पंचायतों को सुविधा दी जा चुकी है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली की ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जो अभी तक निगम की बस सेवा से वंचित हैं? क्या सरकार इन्हें उक्त सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सिरीयारी से जयपुर तथा पाली से उदयपुर वाया बांता, खैरवा के बीच निगम बस सेवा बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त निगम बस सेवा को बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) जी हां। इस घोषणा के क्रम में जिला पाली में प्रश्नगत सेवा अभी प्रारम्भ नहीं हुई है।

(2) पाली जिले में 211 ग्राम पंचायतें निगम बस सेवा से वंचित हैं (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)। इन वंचित ग्राम पंचायतों को राजस्थान

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत निविदा प्रस्ताव (पी पी पी मोड) दिनांक 14.2.2013 को आमंत्रित किये गये हैं, जिनकी अन्तिम तिथि 30.4.2013 है। प्रस्ताव प्राप्त होने तथा प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् इन वंचित ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जा सकेगा।

(3) जी हां। मार्गवार वस्तुस्थिति का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। लागत एवं आय प्रति कि.मी./यात्री भार को दृष्टिगत रखते हुए इन मार्गों पर पुन: बस सेवा संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने खण्ड-1 में कहा है, क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने की घोषणा की थी, तो इन्होंने कहा जी हां, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि पाली जिले की 211 पंचायतों को आपने अभी तक, एक भी पंचायत को इस घोषणा के बाद बस सेवा से नहीं जोड़ा। आपने घोषणा कर दी मगर एक भी पंचायत को जोड़ा हो तो बता दें।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यह जो सूची दी है, इसमें इक्कीस पंचायतें ऐसी हैं जिनमें रोडवेज या प्राइवेट, एक भी बस का संचालन नहीं होता है। क्या ऐसी पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर बस सेवा से जोड़ेंगे?

ऐसी पंचायतें भी हैं जो इस सूची में दर्शायी नहीं हैं, मगर रूट में होते हुए भी गांवों में बस नहीं जाती है जैसे वीटोडा कलां, एक भी बस उस गांव में आज दिन तक नहीं जाती है। रूट में होगा आपके लेकिन आपने इसमें दर्शाया नहीं। क्या यह सही है कि ऐसी कई पंचायतें हैं जिनमें बस सेवा नहीं जाती है मगर रूट में जुडे हुए हैं? तो उन रूट वालों को आप पाबंद करेंगे कि नहीं? उनको पाबंद करके उन गांवों में बस चलायेंगे कि नहीं?

तीसरा, आपने यात्री भार प्रतिशत में दिया है, उसमें आपने बताया है, 55 परसेंट से 57 परसेंट तक; उस सिरीयारी जो बस चलती थी जयपुर से, उसका यात्री प्रभार 57 परसेंट और 52 परसेंट तक भी रहा है। तो क्या ऐसे रूट भी हैं राजस्थान में, जहां इससे कम प्रतिशत का यात्री भार होते हुए भी आप बसें चला रहे हैं? और एक पर्यटक स्थल पर आप इतना यात्री भार होते हुए भी बस सेवा नहीं चालू कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सिरीयारी को आप बस सेवा से जोड़ेगे, वापस चालू करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से इस विषय को उठाया कि 211 ग्राम पंचायतें वर्तमान में नहीं जुड़ी हुई हैं, यह सही है।

मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात को जानते और मानते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 182 में यह घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पी पी पी माडल पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और अगले वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी और पी पी पी माडल पर जो प्रस्ताव आमंत्रित किये गये, उसके क्रम में उदयपुर, करौली, दौसा, अलवर, तिजारा, अजमेर और डूंगरपुर, यहां पर ये बस सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री महोदय की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र के आम जन को यातायात का सुगम साधन उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में जो निगम को वित्तीय भार पड़ रहा था जो परेशानियां आ रहीं थीं, उनको देखते हुए बजट में प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई भी अगर वायबिलिटी गैप है तो उसको मिटाने के लिए एक फण्ड क्रियेट किया जाए। जिस क्रम में जो अभी हमारा यह सत्र चल रहा है, इसमें दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और अभी जो बजट घोषणा की गयी, इसमें सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ राज्य के हर विधान सभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत तक मिले, पूरे सदन की जो मंशा है, इस मंशा की पूर्ति करने के क्रम में, रोडवेज का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने के क्रम में जहां 215 करोड़ की अंश पूंजी प्रदान की गयी, 500 करोड़ के बाण्ड जारी करने के लिए राज्य सरकार से गारंटी दी गयी, वहीं इस वर्ष में सौ करोड़ का वी जी एफ का प्रावधान करने के साथ-साथ सौ करोड़ रुपये की अंश पूंजी प्रदान की गयी और डेढ़ सौ करोड़ रुपये के बाण्ड जारी करने हेतु गारंटी दी गयी।

मैं यह कह सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह अभी प्रक्रियाधीन है, वर्ष 2014 के मार्च तक पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाना है। पी पी पी माडल के ऊपर जो प्रस्ताव आमंत्रित किये गये, उसके आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि 30.4.2013 है। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में प्रस्ताव आमंत्रित होने के साथ-साथ, सदन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

की भावना के अनुरूप, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के आम जन को यातायात का सुगम साधन उपलब्ध करवाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सरकार की नीयत तो ठीक है और आपका विचार भी सुन्दर है, जनता के हित में है पर यह ध्यान रखना आपकी योजना को कहीं एम डी, रोडवेज फेल नहीं कर दे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से और सदन से समझना चाहता हूं। प्रश्न यह है जो मैं पढ़ रहा हूं, ''क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी?'' आपने कहा, ''जी हां।... राजस्थान रोडवेज से सारी बसों को कवर करने के लिए किया है' इस घोषणा के क्रम में जिला पाली में प्रश्नगत सेवा अभी प्रारम्भ नहीं की गयी।'' दो टुकड़े हो गये। अभी आपकी आलरैडी यह जो आपने बताया है, दो सौ समथिंग ग्राम पंचायतें, ये तो राजस्थान रोड़वेज से पहले से ही जुडी हुई हैं; यह प्रश्न है, इस बात को बताते ही, 'जी हां', कहते ही, इसका मतलब पाली जिले की प्रत्येक पंचायत को रोडवेज से जोड़ा हुआ है। जो प्रश्न का भाव है, उससे तो यह है। आप बता रहे हो, इनमें से 211 पंचायतें हैं, पूरा जिला नहीं है। प्रश्न के दूसरे पार्ट का जो आप उत्तर दे रहे हो या तो आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो इसको निकाल दीजिये, इसका सेकण्ड पार्ट है फिर उसको देखिये, ''यदि हां, तो पाली जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को सुविधा दी जा चुकी है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।'' दूसरे पार्ट का जो उत्तर आप दे रहे हैं, ''घोषणा के क्रम में जिला पाली में प्रश्नगत सेवा अभी प्रारम्भ नहीं हुई है।'' या तो इसमें कंफ्यूजन कर रहे हो, आप नीचे से प्रश्न को ऊपर के प्रश्न के साथ जोड़कर जवाब दे रहे हो। जो प्रश्न ऊपर का है उसका तो जो भाव है, वह तो यह है कि आपने राजस्थान रोडवेज से पाली जिले की प्रत्येक पंचायत को जोड़ दिया? ''जी हां।'' जबकि ऐसा नहीं है, और उसके सेकण्ड पार्ट में आप बता रहे हो कि योजना लागू ही नहीं की पाली जिले में। तो यह आपका प्रश्न के अनुसार जो उत्तर चाहिये, वह प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर यहां नहीं बन पा रहा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

''क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी?'' मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रस्ताव के बारे में बात की गयी, जो घोषणा की गयी, माननीय सदस्य की मंशा के अनुरूप इस बात को जानते और मानते हुए कि परिवहन विभाग के माध्यम से पी पी पी माडल पर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाकर इस सेवा को प्रारम्भ कराया जाना है, यह उनकी भावना है और यह मकसद है, इस मकसद को देखते हुए और भावना को जानते हुए इसका उत्तर देने के साथ-साथ इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में घोषणा के अनुरूप जिला पाली में ये सेवाएं नहीं ली जा रही हैं, जिनको निकट भविष्य में दिया जाना प्रस्तावित है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता का समय है, पहले मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान) अध्यक्षजी ने दिया है...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी... (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी यह कहा कि हम प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ेंगे और पी पी पी माडल पर राजस्थान में रोडवेज का विस्तार करेंगे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब 1998 में आपकी कृपा से मैं मंत्री था तो भी 4,500 बसें थीं और आज 12-13 साल बाद भी 4,500 बसें हैं।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो अंशदान राजस्थान की सरकार दे रही है, उसमें करीब 2 हजार बसें खराब हो गयीं, इन्होंने कहा, इनको रिप्लेस करेंगे। तो बसों की संख्या तो बढ़ायी ही नहीं, तो ये बढ़ ही नहीं रही हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। वह की वह संख्या 4,500 रह गयी।

तीसरा यह निवेदन है, पंचायत हैडक्वार्टर को ये जोड़ेंगे कैसे, यह हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको प्राइवेट सेक्टर में जिसकी ये बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको समय नहीं दिया है मैंने...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मेरा सवाल शामिल कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, इस तरह से नहीं चलता सदन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने खण्ड-एक के उत्तर में यह कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को राजस्थान परिवहन निगम की सेवाओं से जोड़ेंगे, घोषणा आपने की 2011-12 में और आपने यह भी कह दिया कि अगले वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जायेगा, यानी आपका कमिटमेंट था कि आप अगले वर्ष तक सारी ग्राम पंचायतों को, राजस्थान की 9,600 ग्राम पंचायतों को सड़क सेवा से जोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2 वर्ष निकलने के बाद अब तक आपकी घोषणा के अनुरूप राजस्थान में 9,600 ग्राम पंचायतों में से कितनी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा है? बतायें।

श्री अध्यक्ष: यह वैसे खाली पाली जिले से सम्बन्धित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, खण्ड एक देखें।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, उसके जवाब में इन्होंने दिया है कि हम बस सेवा चालू कर देंगे, मगर इन्होंने खुद ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि पाली-उदयपुर-वाया बांता-खैरवा-देसूरी होकर माह जून, 2000 में एक रोडवेज बस सेवा चालू की गयी थी और इसमें बताया कि यात्री प्रभार नहीं था इसलिये उसको बन्द कर दिया। तो फिर चालू करेंगे, अब ये सारी पंचायतों को जोड़ेंगे और उसमें यात्री प्रभार कम होगा तो क्या दो दिन बाद बन्द करके इतिश्री कर देंगे?

मेरा सबसे ज्यादा और अच्छा रूट है तो पाली से भीलवाड़ा है और उस रूट पर बस चल रही है, वह खटारा बस है, जो कालीघाटी के अन्दर रास्ते में ही खड़ी रहती है। पैसेंजर परेशान होते हैं। ऐसी रोड़वेज की बस की व्यवस्था है।

उदयपुर के लिये जो बसें चलानी हैं, जोधपुर से उदयपुर, जो इस तरह रूट से चलेंगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कालीघाटी होते हुए चलाएं तो 20 किलोमीटर का रास्ता कम होता है। मगर ये रूट ऐसा बनाते हैं जिससे वह घाटे में रहता है और दो दिन बाद में ही बस बन्द कर देते हैं।

सिरीयारी पर्यटक स्थल है उसका तो जवाब दें कि जयपुर से सिरीयारी...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल भी शामिल कर लें इसमें।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय पूर्व यातायात मंत्री महोदय ने महकमे को जिन स्थितियों में छोड़ते हुए हमारे ऊपर जो वर्तमान स्थितियां पैदा कीं, उसके बारे में प्रश्न किया है...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 80 करोड़ के मुनाफे में था। यह खटारा...(व्यवधान) यह 1 हजार करोड़ के घाटे में आप ले गये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): खटारा बसों की बात आ रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चरणबद्ध तरीके से खटारा बसों को बदले जाने का कार्यक्रम चल रहा है, नयी बसों की खरीद की जा रही है। नये रूट जो...(व्यवधान) प्राप्त हुए...(व्यवधान)

साथ ही प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उनके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, 426 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना वर्तमान समय में प्रस्तावित था और साथ ही साथ रोडवेज को...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे टाइम में राजस्थान में इतिहास बनाया है; 80 करोड़ के मुनाफे में था, आप 1 हजार करोड़ के घाटे में ले गये, 1 हजार करोड़ के। इसीलिये गुड एफिशिएंसी का भारत सरकार ने मुझे 5 साल लगातार प्रोत्साहन तक दिया। आप तो इसको 1 हजार करोड़ के घाटे में ले गये, मैं 80 करोड़ के मुनाफे में छोड़कर गया था। (व्यवधान) आपने कभी सोचा भी? 80 करोड़ के मुनाफे में छोड़कर गया था और कागज निकाल कर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्पष्टीकरण मत दीजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अपने पद से इस्तीफा दूंगा, अगर मैं

(श्री रोहिताश कुमार)

घाटे में गया हूं तो। इनके टाइम में 1 हजार करोड़ का घाटा, रोडवेज को डुबो देंगे ये। (व्यवधान)

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, अब...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): बांसवाड़ा से जो गरीब रथ जयपुर के लिये आती है, मेरा बार-बार सवाल आपसे है कि जो रास्ते में बस खराब हो जाती है, खटारा बसें, क्या आप इसको बदलकर नयी बस देंगे क्या? अभी तो नयी बसें ही नहीं खरीदीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): शीघ्र ही दे देंगे। शीघ्र ही दे देंगे। माननीय सदस्या, शीघ्र दे देंगे और शीघ्र में, आज ही आ जायेगी ना। (व्यवधान)

जहां तक आपने ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने की बात उठायी, मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिला...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस घोषणा के बाद कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें रोडवेज की बसें जा रही थीं, कितनी ग्राम पंचायतें बसों से जुड़ी हुई थीं, जिनमें आपने सेवाएं बन्द कर दी थीं?

आप यह भी बतायें कि इस राजस्थान रोडवेज में छठी फेल आदमी एम ए पास का भी निर्णय करता है, आज तक? क्या आप पंचायतों को जोड़ेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह इनकी वजह से नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या?

श्री अध्यक्ष: वह इनकी वजह से नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): छठी फेल है, छठी फेल एम ए पास का निर्णय करता है। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी से यह तो पूछ लो कि आपकी बात एम डी मानता है या नहीं मानता है? आपकी घोषणा करने से आपका...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आपकी मेहरबानी से है। वह आपकी मेहरबानी से है, इनकी वजह से नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): छठी फेल बैठा रखा है...(व्यवधान) छठी फेल आदमी एम ए पास का निर्णय करता है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर में ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अब मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं, एम डी मानता है कि नहीं मानता है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): वर्तमान में ...(व्यवधान) 2010-11 में...(व्यवधान) अजमेर में 43, उदयपुर में 52...(व्यवधान) 157...(व्यवधान) दी जा रही हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): छठी फेल चीफ मैनेजर रखा है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): प्रस्ताव आमंत्रित होने के साथ पी पी पी माडल पर बस सेवा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। पूरे प्रदेश में यह घोषणा की थी कि राजस्थान रोडवेज की बसें पूरे प्रदेश में चालू कर देंगे...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं समझता हूं कि राजस्थान रोडवेज की सेवाएं देश के अन्य राज्यों में दी जाने वाली सेवाओं की बनिस्पत ज्यादा बेहतर हैं और यहां पर वर्तमान समय में..(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, ये थोथी घोषणाएं कर रहे हैं। (व्यवधान) मंत्री की बात एम डी, रोडवेज भी नहीं मानता, वह इतना...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): के रूप में ...(व्यवधान) किया जायेगा और ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी पक्षपात करते हैं...(व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरे प्रश्न के जवाब को टाल रहे हैं। मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): उगाही करने का काम...(व्यवधान) जो व्यक्ति अनपढ़ रहा है...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): छठी फेल एम डी आपका रोडवेज में संचालन कर रहा है...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आर ए एस का चयन राजस्थान में होता है और रोडवेज के कंडक्टर, ड्राइवर का दिल्ली में चयन होता है। यह तो इनकी परफोर्मेंस है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का चयन राजस्थान में होता है और राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर का चयन और इंटरव्यू दिल्ली में होता है, यह इनकी परफोर्मेंस है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह छठी फेल एम.डी. आपके रोडवेज का किस प्रकार से संचालन कर रहा है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्रीजी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मेरे प्रश्न का आपने जवाब दिया ही नहीं कि सिरीयारी वाली बस चालू करेंगे कि नहीं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): रोडवेज कैसे मुनाफे में आ सकती है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राजस्थान की सभी पंचायतों को कब तक जोड़ देंगे? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि राजस्थान की सभी पंचायतों को कब तक जोड़ देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। आसन पांवों पर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री ने हाउस को गुमराह किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थिति के लिए अनुमति। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। बहुत हो गयी चर्चा, बहुत हो गयी चर्चा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बहुत हो गयी चर्चा लेकिन एक्शन नहीं हुआ। छठी फेल आदमी एम.ए. पास का फैसला करता रहे तो रोडवेज का क्या हाल होगा राजस्थान में? चर्चा तो बहुत हो गयी, छठी फेल, उसका निर्णय नहीं हुआ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर छठी फेल एम.डी., रोडवेज का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का कसूर नहीं है उसमें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ): चर्चा खूब हो गयी लेकिन निर्णय नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उसमें मंत्रीजी का कसूर नहीं है, एम.डी. की मेहरबानी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ): मंत्रीजी का ही है, और किसका होगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में सारी बात है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ): मंत्रीजी का नहीं है तो चीफ मिनिस्टर का है। (व्यवधान) मंत्री का नहीं है तो फिर चीफ मिनिस्टर का दोष है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): छठी फेल आदमी, टर्मिनेटेड आदमी ... (व्यवधान) आपकी नालेज में है, आपकी जानकारी में है। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): एम.डी. जब तक रहेंगे, तब तक इस विभाग का कोई सुधार हो ही नहीं सकता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप तो मंत्रीजी से यह पूछ लो ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, जब ट्रांसफरों पर बैन लगे रहते हैं...

श्री अध्यक्ष: हैं?

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): जब ट्रांसफरों पर बैन लगे रहते हैं, तब अगर कोई मंत्री या एम एल ए कोई बात कहता है तो वहां बैन लगे रहते हैं लेकिन एम.डी. साहब ट्रांसफर करते हैं, तब कोई बैन ही नहीं लगता। तब तक इस डिपार्टमेंट का सुधार ही नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर।

अनुपस्थिति अनुमति

महिपाल मदेरणा, श्री, सदस्य को 21 फरवरी, 2013 से सत्रांत तक

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री महिपाल मदेरणा, सदस्य, विधान सभा ने न्यायिक अभिरक्षा में होने के फलस्वरूप दिनांक 21 फरवरी, 2013 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से...

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या हो गया? क्या नो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बुलाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे को पूछने तो दो, पहले ही।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हमारी रिक्वेस्ट है कि यहां बुलाओ उनको।

श्री अध्यक्ष: शांति तो रखो, माननीय सदस्य।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय? जो पक्ष में हों...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): We want division, अध्यक्ष महोदय, We want division...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर काहे का डिविजन?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम चाहते हैं कि वे सदन में आयें।

श्री अध्यक्ष: इस पर काहे का डिविजन?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम चाहते हैं कि वे सदन में आयें।

श्री अध्यक्ष: इसमें डिविजन काहे का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने 'हां', 'ना' में पूछा है; आपने 'हां', 'ना' में पूछा है।

श्री अध्यक्ष: इसमें काहे का डिविजन है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनको बुलाओ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि उनको सदन में बुलाया जाये।

श्री अध्यक्ष: इसमें भी कोई डिविजन होता है क्या? कोई नई परम्पराएं आप डालना चाहते हो तो मर्जी की बात है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सदन की अनुमति है।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य नहीं आ पाता है, परमिशन चाहता है, उसमें भी आप बाध्य करो। नयी परम्परा...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तो वह न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते। (व्यवधान) देखिये, नयी परम्पराएं मत डालिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उन्होंने एप्लिकेशन लगायी थी कि मैं सदन में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता पक्ष की भी मांग यही है, सत्ता पक्ष भी चाहता है कि महिपाल मदेरणा सदन में आयें और भाग लें। आपने 'हां', 'ना' में सवाल किया है, जब आप वोट के लिए कोई बात रखते हो तो हमारा अधिकार है कि हम वोट 'हां' में दें या 'ना' में दें।

श्री अध्यक्ष: इस तरह की नई परम्पराएं मत क्रीएट करिये। कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित रहना चाहता है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उन्होंने न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि मैं विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं लिखा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वे आना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, आसन पांवों पर है। उन्होंने लिखा है कि मैं आने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे छुट्टी दी जावे। एप्लिकेशन उनकी स्वयं की है, किसी तीसरे की नहीं है। इसलिए इसको इस तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति प्रदान की गयी। दिनांक 15 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं उपस्थित होना चाहता हूं ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अर्जी दी है, इसलिए सदन में उनको लाया जाये। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: आपको ध्यान है आसन पांवों पर है। बहुत सीनियर हैं आप तो।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी, कोटा के नगर निगम वार्ड 5 के ग्राम रोजड़ी, नया गांव, आवली, रथकांकरा, बन्धा, धर्मपुरा, आदि की वन भूमि पर बसी बस्तियों को हटाने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राजाखेड़ा एवं धौलपुर की चम्बल नदी पर बैराज बनाकर लिफ्ट कैनाल द्वारा उक्त दोनों तहसीलों के गांवों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से पाली के विधि महाविद्यालय को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
4. श्री बहादुर सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर क्षेत्रान्तर्गत कैला देवी माता झील का बाड़ा मंदिर के चारों ओर 2,000 बीघा जंगल की चारदीवारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर के ऐतिहासिक किले के चारों ओर बनी सुजान गंगा नहर की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से केकड़ी के सावर कस्बे में गलत ढंग से आबंटित खान को बचाने के लिए वर्तमान रास्ते को बंद कर नयी सड़क बनाने के विरोध में जनता द्वारा की जा रही भूख हड़ताल एवं धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से आदिवासी अंचल में स्थित मानगढ़ धाम के शहीदों के 235 आदिवासी परिवारों को बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की बेवजह वी.सी.आर. भर किसानों को बेइज्जत कर जुर्माना वसूलने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से सहमति से यौन सम्बन्धों की आयु सीमा घटाकर 16 वर्ष करने से राज्य की जनता में भारी रोष के सम्बन्ध में।

10. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में बिजली उपभोक्ताओं पर सिविल लाइबिलिटी के नाम पर दो हजार रुपये शास्ति के दस हजार रुपये वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

11. श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी कानून बनाने की मांग को लेकर हो रहे अनशन एवं आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री रामहेत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी, जिला अलवर में विज्ञान संकाय खोलने तथा प्रिंसिपल एवं वाइस-प्रिंसिपल के पद पर पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्रीमती अनीता सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में पाले व ओलावृष्टि से फसल के 40 प्रतिशत खराबा होने के बावजूद उप तहसील जनूथर के किसानों के कृषि कनेक्शनों के बिल पहले से 5,000/- रुपये अधिक आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से राजकीय सेवारत आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपेथिक चिकित्साधिकारियों को भी एलोपेथिक चिकित्साधिकारियों के समान डी.ए.सी.पी. प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री रामहेत सिंह यादव, श्रीमती अनीता सिंह एवं श्री कैलाश चन्द भंसाली को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
2. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में यू.आई.टी. द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने के सम्बन्ध में।
4. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से राज्य में कीर जाति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
5. श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से उप-खण्ड मुख्यालय, कुम्भलगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।
6. श्री हेमसिंह भड़ाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की कतिपय सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में।
7. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से मकराना में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
8. श्री महावीर प्रसाद जीनगर, सदस्य की ओर से शाहपुरा-बनेड़ा में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
9. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
10. श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) के बिगोद कस्बे की वर्षों पुरानी पेयजल योजना का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री अर्जुनलाल, सदस्य की ओर से भील नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उपरांत भी तहसील बिलाड़ा के स्थानीय प्रशासन द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति का नहीं मानने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर के पब्लिक पार्क स्थित कीर्ति स्तम्भ एवं वार मेमोरियल का पुरा धरोहर संरक्षण अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सुधार करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, यह एम.डी. है या खुदा है?

श्री अध्यक्ष: हैं?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एम.डी. रोडवेज अधिकारी है या खुदा है? इतनी भावना आ रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रकरण को समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सरकार आखिर बताये तो सही कि छठी पास ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उनके ऊपर लगाम लगायी जाये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): रोडवेज का संचालन कर रहा है छठी फेल एम.डी.। यह सदन की ओर से सूचना ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह सब सदस्यों की भावना है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इस बात का नोटिस नहीं लेना ... (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एम.डी. की इतनी हठधर्मिता है ... (व्यवधान) उनके ऊपर लगाम लगायी जाये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): छठी फेल एम.डी. ...(व्यवधान)

(12.10 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

शराबबंदी कानून को लेकर चल रहा अनशन व आंदोलन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाह रहा हूं कि वास्तव में अगर भारत को भारत बनाना है तो नशे के जो विभिन्न प्रकार हैं, उन पर जितना नियंत्रण कसना हो, उतना जरूर कसना चाहिये; उसको पैसों से जोड़ कर जनजीवन की खुशहाली की ओर मोड़ने का जो तरीका है उस पर गहनता से विचार करना चाहिए। वैसे तो नशे के कई प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता पर मैं सरकार को इतना जरूर इंगित करना चाहता हूं कि शराब-बन्दी के लिए, इस देश में हमेशा से ही यह विषय जन-भावना का विषय बना हुआ है। सरकार आर्थिक नाप-तौल से नापती है कि इसका कितना नफा और नुकसान होता है, यह अपनी जगह होगा; सरकार आपकी हो या सरकार मेरी हो या और किसी तीसरे की बने, अगर केवल मात्र मापदण्ड यह हो कि इससे हमें क्या आमदनी होती है, इसके कारण से इसको चालू रखना, यह, मैं सोचता हूं, आने वाले संतति के लिए ठीक नहीं होगा। इस समस्या का समाधान आज दिन करो या 50 साल बाद करो लेकिन हमें निश्चित रूप से इस ओर कदम बढ़ाना चाहिये।

यह जन-भावना केवल मेरी नहीं, जिस पार्टी को बनाने और देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए जिस महात्मा गांधी ने अपने जीवन का क्षण-क्षण और कण-कण इस देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्न किया, उस व्यक्ति के भाव, जो भाव उस समय था, उनको मैं उद्धृत कर रहा हूं, ''मैं भारत का कंगाल हो जाना पसन्द करूंगा...'', यह विचार महात्मा गांधी के हैं, ''मैं भारत को कंगाल हो जाना पसन्द करूंगा लेकिन यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराब-बन्दी जारी करने के लिये लोगों को शिक्षा देना बन्द करना पड़े तो भी परवाह नहीं; मैं यह कीमत चुका कर भी शराबखोरी बन्द करूंगा।''

इसके पीछे जो उनका भाव था, वह यह था कि इस बुराई के कारण से समाज में जिस प्रकार की दुर्दशा खड़ी होती है और विशेषकर एज ए पूर्व गृह मंत्री मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में जितने अपराध हैं, उन अपराधों को आप बाइफर्केट करके अगर विश्लेषण करेंगे तो जितने संगीन अपराध हैं, उन अपराधों के पीछे अगर कोई कारण रहा है तो शराब उसका एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैन कारण रहा है; जितने एक्सिडेंट अपने राजस्थान में होते हैं अगर उन एक्सिडेंट का विश्लेषण आप करेंगे तो आपको यह निश्चित रूप से उससे यह साबित हो जाएगा कि एक्सिडेंट का सबसे बड़ा कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है।

सबसे ज्यादा अगर कोई दु:खी हैं तो मेरी माताएं-बहनें हैं। चाहे वह गरीबी के कारण है, चाहे वह मजबूरी के कारण है, चाहे उसकी आदत पड़ गई, इस कारण से, अगर हमारे यहां गरीब को और गरीब कोई बना रहा है तो एक मात्र शराब है। अगर उस शराब से मुक्ति, मान लो, उसके पिता को नहीं मिलती; कोई बात नहीं, वह दस साल बाद, पन्द्रह साल बाद भगवान के यहां चला जायेगा पर अगली पीढ़ी कम से कम उससे वंचित हो जाये, तब भी हम एक बहुत बड़ा काम कर देंगे।

हमें इस विषय पर थोड़े ठण्डे दिमाग से और केवल अर्थ के आधार पर, नाप-तौल के आधार पर नहीं, मंत्री महोदय, मैं जानता हूं कि आपकी अपनी मजबूरी होगी, मेरी भी सरकार होगी तो मेरी अपनी मजबूरी होगी लेकिन जहां-जहां, जिस-जिस ने इसका प्रयोग किया, उसका परिणाम आया। आज भी आप लोग कहते होंगे, गुजरात। गुजरात में शराब-बन्दी है, यह बात जरूर है कि इल्लीगल शराब जाती है, इल्लीगल शराब पीते हैं, केसेज भी बनते हैं और घटनाएं भी पकड़ी जाती हैं लेकिन गुजरात की तरक्की का एक बहुत बड़ा कारण, आज इन 50 सालों में आपने अनुभव किया होगा कि कम से कम अगली संतति को शराब से मुक्ति मिली है। राजस्थान में गोकुल भाई भट्ट ने भी, विनोबा भावे ने भी, जब हमारी सरकार बनी थी 1977 में, हमने उसको मानकर, मोरारजी देसाई का तो इस बारे में एक तरह से आग्रह था कि इस आर्थिक नुकसान को भी बरदाश्त करो लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी को किसी तरह से इससे बचा लो।

इसी बात को लेकर मैं जिस विषय पर आ रहा हूं, यह जो आपके राजस्थान सम्पूर्ण शराब-बन्दी मंच है, इस मंच पर हमारे एक साथी, जो मेरे साथ विधायक रहे थे 1977 में, गुरुचरणजी छाबड़ा, पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। वह केवल इसी बात के लिए कि राज्य सरकार कम से कम इस गम्भीरतम विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर इस बारे में कोई सोच बनाये। उस व्यक्ति से, हम में से और माननीय सदस्यों से भी, उसका व्यक्तिगत इससे कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि वह तो शराब पीता नहीं है लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सम्पूर्ण समाज की और सम्पूर्ण राजस्थान की जो एक ज्वलंत समस्या है और विशेषकर गरीब परिवारों की और मां-बहनों की जो समस्या है, आपने और हमने ऐसे परिवारों को देखा होगा कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा, जिन्होंने शराब की लत के कारण से अपनी दुर्दशा अपनी आंखों के सामने देखी है और जिसने भी शराब पर या अन्य किसी व्यसन पर कण्ट्रोल किया है, वह गरीबी से जरूर निकला होगा, कहीं न कहीं उसने अच्छा रास्ता पकड़ लिया है। मेरे आदिवासी क्षेत्र में मामा बालेश्वर दयाल का सबसे बड़ा योगदान है। उसके जितने अनुयायी थे उन अनुयायियों को उन्होंने शराब से मुक्ति दिलायी। उसके कारण से मामा बालेश्वर का झण्डा जिस घर पर लगा हुआ है, सफेद झण्डा, उस घर का, परिवार का नक्शा देखिये और उसके बाजू में जो दूसरे घर हैं, उनकी हालत आप देखिये, पीढ़ियों की; आपको समझ में आ जायेगा कि यह बड़ा अन्तर किस कारण से हुआ।

इससे कैसे मुक्ति मिले और कम से कम कदम-कदम बढ़ाते हम उस रास्ते पर जायें, यह, मंत्रीजी, मेरा आपसे आग्रह है।

मैं चाहूंगा कि हमारे एक मित्र, जो हमारी विधान सभा के सदस्य रहे हैं, एक बहुत ईमानदार, नेक इन्सान और गरीबों के लिये हमेशा जुझारूपन से लड़ने वाला मेरा साथी, 1977 में मेरे साथ एम एल ए था। मैं आज भी यह कह सकता हूं कि भगवान्, पता नहीं, क्या इस लोकतंत्र का खेल कुछ ऐसा ही है, अच्छे लोग ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते हैं इस राजनीति के इस झमेले में। उसने जिस दिन से, 11 तारीख से अनशन पर बैठा है, स्टेच्यू सर्किल पर बैठा है। मंत्री महोदय, आप उन्हें संदेशा कहलायें, उनके प्रतिनिधि आकर मिलें और मिलकर हम कुछ एम एल ए भी आग्रह करके कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे उनके जीवन से खेलने से हम बचा सकें। मैं जानता हूं कि यह समस्या उनके मरने से हल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं जानता लेकिन कम से कम उसने एक संदेश देने का प्रयास किया, राजस्थान को ठीक करने के लिये। आप आज विचार नहीं करेंगे, दस साल बाद विचार करना पड़ेगा, नशे से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। पूरा का पूरा आपका कोटा ड्रग की पुडियों से बरबाद होता जा रहा है, घर बरबाद होते जा रहे हैं, सारे परिवार तबाह होते जा रहे हैं।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी तरफ से कोई संदेश कहलवाकर उन्हें और उनके प्रतिनिधियों को यहां बुलायें और बुलाकर बैठकर बात करके कोई रास्ता निकालें। अनशन का आज पांचवां दिन है, 65-66 साल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का व्यक्ति है, कितना स्टेमिना होगा, कितनी नहीं होगा, कोई भी घटना-दुर्घटना घट गई तो अलग रंग ले लेगी।

तो मैं प्रार्थना यह कर रहा हूं और माननीय सदस्यों से भी मेरी प्रार्थना है कि सरकार आपकी हो या मेरी हो, कौन कब बन्द करेगा, कौन कब बन्द नहीं करेगा लेकिन हमें इस सही दिशा में कदम बढ़ाने का मन बनाना चाहिये और जितना पैसा आप कमाते हो, उससे ज्यादा तो लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने में खर्च होता है। मेरी गारण्टी है कि अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो कानून की हालत जिस प्रकार से घटित हो रही है, उसमें हमारा और हमारी सरकार और हमारे विभाग का जो पैसा लग रहा है वह सीधी बचत होगी।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, यदि आपकी इच्छा हो तो संदेशा भिजवाइये, यहां उन्हें और उनके साथियों को आकर आपसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे बात करके हल निकालें, उनका अनशन तुड़वाइये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव। (व्यवधान) श्री रामहेत सिंह।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो मुद्दा रखा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंहजी। और किसी का अंकित न हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंह। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को ठीक कीजिये, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, केवल आपका अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा। श्री रामहेत सिंह यादव। (व्यवधान) आपके सदस्य हैं, आप डिप्टी चीफ व्हिप हो, आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया कम्पेल नहीं करें। आप विराजें। (व्यवधान) केवल श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि एक हमारा पूर्व विधायक 5 दिन के आमरण अनशन पर बैठा है, कोई संदेश कहला करके उनके या उनके जो भी प्रतिनिधि हों, आकर बैठें, बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें, उनका अनशन तुड़वाने का प्रयत्न करें। वरना तो ठीक है, व्यक्ति तो आएगा, अगर वह जिद पर अड़ा रहेगा तो भगवान का प्यारा हो जाएगा लेकिन कम से कम हमारा साथी है और सही बात को लेकर बैठा है तो क्या हम समझाइश करके उसको नहीं समझा सकते? या नहीं मना सकते? मैं भी आपका उसमें सहयोग करूंगा लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विषय उनका सही है, कौनसी सरकार पालन करती है, कौनसी नहीं कर पाती है, यह विषय अलग हो सकता है लेकिन इसका कोई निस्तारण निश्चित रूप से, आज पांचवां दिन है, निस्तारण होना चाहिए और मेरी प्रार्थना है कि समय पर कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। (व्यवधान) आप बोलिए, मंत्रीजी। केवल मंत्रीजी। आपको कोई बात बतानी हो तो बता दीजिए। केवल मंत्रीजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने एक बहुत ही गम्भीर बात कही और उनकी पीड़ा का अहसास मुझे भी है। इस सदन के पूर्व सदस्य हैं, कारण ऐसा लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं और 5 दिन हो गये हैं तो निश्चित रूप से चिंता है लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब भी इस तरह का प्रयोग किया गया है, जैसा नेता, प्रतिपक्ष फरमा रहे हैं, जब-जब भी इस तरह का प्रयोग किया गया, 1967 में भी आंशिक रूप से कुछ जिलों में शराबबंदी की गई, 1969 में भी की गई, 1977 में भी की गई और उन सब बातों का जो रिजल्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निकलकर आया, जब-जब भी इस तरह की शराबबंदी हुई, तत्काल कुछ ऐसे लोग माफिया ग्रुप में प्रकट हुए, इल्लीगत शराब इम्पोर्ट होने लगी, बाहर के राज्यों से, यहां स्टेट में भी इल्लिसिट लिकर बनने लगी और उसकी वजह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि 20-20, 30-30, 35-35 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

1981 में जब इन सारी घटनाओं को देखा, तब यह निश्चित किया गया कि शराबबंदी तो हम लागू नहीं कर सकते लेकिन इसमें हम एक मद्य संयम नीति लागू करें जिससे शराब को प्रोत्साहन नहीं मिले; शराब के लिए जितना हम डिस्करेज कर सकते हैं, जितना हम पब्लिक को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट करें। हमने होर्डिंग्स पर भी पाबंदियां लगा दीं, हमने यह भी बराबर अखबारों के माध्यम से और टीवी पर यह देना शुरू कर दिया कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब की बोतलों पर भी हमने यह अंकित करना शुरू कर दिया कि शराब पीना हानिकारक है।

लेकिन सबसे बड़ी समस्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जैसा फरमा रहे हैं कि रेवेन्यू जो है, वह आ रही है। रेवेन्यू की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, रेवेन्यू बड़ा स्रोत है, मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक मात्र रेवेन्यू नहीं है, इस रेवेन्यू के साथ-साथ जो एक माफिया और गैंगस्टर जो पनपते हैं, वे राज्य सरकार के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं।

आपने ऐसा फरमाया कि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी कर दी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की सीमाओं में और राजस्थान की सीमाओं में फर्क है। राज्य की सीमाओं से लगते हुए जो स्टेट हैं, वहां मद्य संयम नीति नहीं है। वहां की नीति हमारे स्टेट के लिए घातक सिद्ध हो रही है। वहां की नीति की वजह से आए दिन शराब का इम्पोर्ट हमारे राज्य में होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम कई बार जोइंट कैम्पेन चलाते हैं, कई बार हम लगातार उन जिलों में, खास तौर से झुंझुनूं, सीकर, आसपास के जिले, चूरू, जहां बाहर के राज्यों से निर्यात होता है, हमारी पूरी कोशिश हम करते हैं, इसके बावजूद भी लगातार बाहर से शराब का इम्पोर्ट यहां पर होता है। हमारी रेवेन्यू का नुकसान भी होता है और गैंगस्टर के रूप में जब कोई उनको एकाध मौका मिल जाता है, वे यहां पर अपना शराब का जाल बिछा कर चले जाते हैं।

गुजरात जाने वाली पूरी सीमा हमारी स्टेट से होकर गुजरती है, गुजरात को हम प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी मद्य संयम नीति का प्रभाव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पड़ रहा है कि अधिकतर शराब जो गुजरात जाने वाली होती है, हम उसको अपने स्टेट में रोकने की कोशिश करते हैं और इसके बावजूद भी वे निकल जाते हैं। गुजरात में कहने मात्र को पूर्ण शराबबंदी है लेकिन गुजरात में जितना चलन है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शायद राजस्थान में भी नहीं होगा, भयंकर रूप से वहां पर प्रचलन है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यहां सवाल गुजरात का नहीं है, सवाल है सीधा-सीधा मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ कि हमारे सदन के पूर्व सदस्य, वे आज इस बात के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो। मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि सीधे-सीधे यह कहना कि हम शराबबंदी कर देंगे, यह मैं समझता हूं कि व्यावहारिक नहीं है और सदन में एकाएक खड़े होकर यह कहना मुनासिब भी नहीं होता। हमको जो कोशिश करनी थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब को डिस्करेज करने के लिए हमने शराब की जो दुकानें थीं, उनकी संख्या में कमी की;...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हमने जो आवर्स थे, सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक के, जो आवर्स थे, उसमें कमी करके ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे यह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं है ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप स्टेटमेंट चाहते हो क्या? माननीय आहूजाजी, मैं उन्हें कहूं, विराजें, आप यह चाहते हो क्या? स्टेटमेंट आ रहा है गवर्नमेंट का, बीच में नहीं, आप तो बहुत समझदार सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अभी उनसे कहा गया कि आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ तो हैं लेकिन मूछों से वरिष्ठ हैं ये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन आप ही को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): निश्चित रूप से आपकी चिंता वाजिब है। हम अचानक कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्वयं और सदन के 1-2 माननीय विधायकों को मैं भी आग्रह करूंगा, वे आपके साथ चले जाएंगे, आप उनके प्रतिनिधि जो भी हैं, वे आकर के मेरे से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मिलें, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनके सम्मुख रखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरह की जिद नहीं करें...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): क्योंकि जिद करने से इसका समाधान नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष जब भी मुनासिब समझें, आप फरमा दें, मेरे एकाध साथी, सदस्यों को आपके साथ भिजवा दूंगा। आप उनको बुलाकर, प्रतिनिधियों को आप लाएं और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे इस तरह की जिद छोड़ें और सरकार की जो कठिनाइयां हैं, व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनको समझें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामहेत सिंह यादव। केवल रामहेत सिंह यादव। कोई डिस्कसन नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी (अलवर) में विज्ञान संकाय खोला जाना एवं प्रिंसिपल/उप-प्रिंसिपल का पदस्थापन

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैंरोंसिंहजी ने बालिका शिक्षा पर जोर दिया और उसी का परिणाम था, बीबीरानी में जब एक किसान सभा को सम्बोधित कर रहे थे तो किसानों के हाथ उठवाये कि ऐसे कौन-कौन से गांव के किसान हैं जो बालिकाओं को कालेज में पढ़ने अलवर भेजते हैं, सिर्फ 5 हाथ उठे थे और किसानों ने, सब ने हाथ उठाकर कहा कि भैरोंसिंहजी, आप बहुत लोकप्रिय हैं, किसानों के नेता हैं और किसानों की बेटी तब पढ़ेगी जब गांवों में आप कालेज खोलोगे ओर उसी दिन माननीय भैरोंसिंहजी ने बीबीरानी में कालेज खोला। 1995 के अन्दर कालेज खोलने के बाद, उसमें 3 खसरा नम्बर जो पालपुर के थे, खसरा नम्बर 1198, खसरा नम्बर 1217 और खसरा नम्बर 962, ये 3 खसरा नम्बर कालेज को अलाटमेंट के लिए भेजे और उसमें 98 के अन्दर यह 21 बीघा और 15 बिस्वा भूमि तो अलाट हो गई लेकिन खसरा नम्बर 962 है, 15 बीघा 1 बिस्वा में से 7 बीघा और 15 बिस्वा जमीन कालेज को देवस्थान में दर्ज होने के कारण अलाट नहीं हुई, उसके लिए देवस्थान से उसमें एन ओ सी नहीं आई। जो भवन बना है, वह जन सहयोग से, जिसमें 3 कमरे बने हैं 25x40 के, एक हाल बना है 40x80 का, यह भी सब जन सहयोग से या माननीय प्रतिनिधियों में, जो विधायक और सांसदों के कोष से बना है। जिला कलक्टर महोदय,

(श्री रामहेत सिंह)

अलवर के यहां पर यह प्रकरण लम्बित है और आज तक उसका अलाटमेंट नहीं हुआ। जो कालेज 1996 से चालू हो गया, जिस समय भवन बन गया, उस भूमि का अलाटमेंट उस कालेज के नाम 2013 तक नहीं हो, यह हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है। प्रश्न के माध्यम से भी माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर चुके, माननीय मुख्य मंत्रीजी से लोग मिल लिये कि न तो हमारे इस बीबीरानी कालेज को यू जी सी से ग्रांट मिलती है, न स्टेट ग्रांट मिलती है, न सरकार से कोई पैसा मिलता है।

जिला कलक्टर, अलवर यह पत्र लिखता है, 2008 में नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में जो कमेटी है, उससे अनापत्ति पत्र लाओ, 2010 में लिखा है, जब कि नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, एन ओ सी देने वाली, उसका तो 2009 में, वह सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके निरस्त कर दी गई। 7.12.2009 को एस डी एम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें एस डी एम, तहसीलदार, आर एस ई बी के ए.ईएन., पी एच ई डी के ए.ईएन., एस एच ओ और देवस्थान का एक प्रतिनिधि उसमें है, उसने एन ओ सी जारी कर दी। अब जिला कलक्टर महोदय का पत्र वापस जाता है कि कृपया तहसीलदार कोटकासिम यह बताएं, इस भूमि पर जो भवन बना है, कालेज का, यह क्यों बना, किसने बनाया, किसकी गलती रही और आज यह अलाटमेंट के काबिल नहीं है।

अगर कलक्टर आज इस बात को कहता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय नवलकिशोरजी सांसद थे, उन्होंने तीन लाख इसमें दिये; माननीय डा. जसवंत यादव सांसद थे तो उनकी राशि लगी; माननीय श्रीमती महेन्द्र कुमारीजी सांसद थीं तब उनके पांच लाख रुपये लगे; माननीय मदन मोहनजी एम एल ए थे उन्होंने दो लाख दिये; चन्द्रशेखरजी ने तीन लाख रुपये दिये; माननीय ओमप्रकाशजी माथुर ने एक हाल के लिए 13 लाख 50 हजार रुपये उस कालेज में दिये। अगर किसी गरीब की झोंपड़ी भी बनती है तो उसका पट्टा देखते हैं, कानून देखते हैं कि उसमें बन सकता है या नहीं बन सकता, सब चीज देखते हैं लेकिन कालेज में इतना बड़ा भवन बन गया....

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा छोटा करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इतना बड़ा भवन बन गया और आज हालत यह है कि न तो यू जी सी से कोई ग्रांट मिलती है और न सरकार से, वहां की विकास समिति मंत्री के यहां चक्कर लगाती है।

(श्री रामहेत सिंह)

पिछले दिनों माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब स्वयं कालेज में गये और कहा कि मैं साइंस फैकल्टी खोल दूंगा। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि पी.जी. में इन्होंने ज्योग्राफी को खोला और आश्वस्त भी किया था कि इसका पट्टा भी आपको मिल जाएगा, इसमें साइंस फैकल्टी भी खुल जाएगी। आज उस कालेज में न तो प्रिंसिपल है, न वाइस-प्रिंसिपल है, लेक्चरर्स की 10 पोस्टें खाली हैं और पट्टा का जो विषय है, मंत्री महोदय सदन में हैं, मैं फिर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि किस अधिकारी की गलती के कारण आज तक उस कालेज का जो भवन बना है, उसका पट्टा नहीं दिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। सरकारी कालेज है क्या?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जवाब दें कि किस डेट तक और जो दोषी अधिकारी है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामहेत सिंहजी, सरकारी कालेज है? विराजिये, विराजिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्रीजी से जवाब दिलवायें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। मंत्रीजी यदि बोलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मंत्रीजी, बोलना चाहते हैं आप?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्रीजी तो बात करने में लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। आप विराजिये, मान्यवर। बहस नहीं करोगे, स्पष्टीकरण नहीं मांगोगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन का क्या विवाद है, देवस्थान की जमीन पर भी बिल्डिंग बन गई है या क्या हुआ है, आज मेरे सामने यह मसला लाये हैं तो इसकी मैं जानकारी करूंगा। देवस्थान विभाग से अगर हमें जमीन मिल सकती है तो उसको लेने की कार्यवाही कर देंगे।

प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल की पोस्टें दोनों खाली हैं....

श्री उपाध्यक्ष: रामहेत सिंहजी, विराजिये आप।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): हमारे वर्तमान में विभागीय पदोन्नति की डी.पी.सी. चल रही है, जैसे ही डी.पी.सी. हो जाएगी तो हम दोनों पदों को भर देंगे। लेक्चरर्स की 10 पोस्टें खाली होने की आप बात कह रहे हैं तो 10 पोस्टें खाली नहीं हैं, केवल तीन पोस्टें खाली हैं और बाकी सब भरी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट तो विराजिये।

माननीय मंत्रीजी, सरकारी कालेज है और देवस्थान की जमीन है, कृपा कर देवस्थान विभाग के अधिकारियों से बात कर कैसे उनको दूसरी जगह दी जाए नहीं दी जाए, उसको आप दिखा लीजिये। (व्यवधान)

अब विराजिये आप। आपका सलूशन मंत्रीजी से बात करके कर लीजिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 27.8.2012 को एन ओ सी दे दी गई है, जो कमेटी बनी है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनीता सिंहजी।

खराबे के पश्चात् भी कृषि कनेक्शन के अधिक बिल

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय आपके सामने रखना चाहती हूं। इस विधान सभा में आने वाले हम सब लोग किसान वर्ग से चुनकर आते हैं और ज्यादातर सबका यह मानना रहता है कि किसानों के लिए यहां विधान सभा में बैठकर कुछ अच्छा काम हम सब लोगों को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बिजली की दरों को बिलकुल नहीं बढ़ायेंगे, पांच साल में एक बार भी नहीं बढ़ायेंगे लेकिन मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है, वैसे तो मेरी जानकारी में आया है कि पूरे प्रदेश में जो कृषि कनेक्शंस के बिल आये हैं वे इस बार बढ़कर आये हैं लेकिन मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात रखना चाहती हूं....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, ओलावृष्टि का है केवल।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आप पढ़ तो लो, उपाध्यक्ष महोदय, पूरा पढ़ो आप, बिजली का है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने पूरा पढ़ लिया और उसके बाद में अनुरोध कर रहा हूं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आप पढ़ो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: पढ़कर सुनाऊं आपको?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आप पढ़ लीजिये न सर।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत खराबा हुआ है उप तहसील के गांवों...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बोल रही हूं, मैं भी पढ़ी-लिखी हूं, समझदार हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप थोड़ा शार्ट कर देना।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पहले तो पाला पड़ा और पाला पड़ने के बाद कई पंचायतों में, सीकरी, जलालपुर खोड़ी, रेलवाड़ा, यहां पर नुकसान हुआ। उसके बाद फिर ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि में सेमली, सातपुरी, भटपुरा, रायपुर, लादियाका, सेमला, जालूकी, कैंचकीबास, ताजपुरी, लोधाहेरी, गहनकर और मोराका, इन 12 पंचायतों में पहली ओलावृष्टि में नुकसान हुआ। उसके बाद दुबारा फिर ओलावृष्टि आई तो वहां जनूथर, जाटोली और आस-पास का क्षेत्र था, यहां पर भी नुकसान हुआ। सरकार की यह घोषणा हुई कि उन्हीं विधान सभा क्षेत्रों में या उन्हीं तहसीलों में जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा होगा, वहीं पर बिजली के बिल माफ होंगे और वहीं पर मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 से 50 प्रतिशत के बीच में हुआ, 40-45 हुआ, जो सर्वे हुआ उस रिपोर्ट में 50 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ पर फिर भी 40-45 प्रतिशत वहां पर खराबा हुआ है, किसान की फसल को पाले से, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ।

उसके बाद मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र में उप-तहसील जनूथर है, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, उन गांवों में जितने किसानों के बिजली के कनेक्शन हैं उन कृषि कनेक्शंस के ऊपर हर जगह 5-5 हजार रुपये बिल में ज्यादा जुडकर आये। मैं इस बात में यह भी कहना चाहती हूं कि किसी का यूनिट्स का थोड़ा-बहुत तो आगे-पीछे होना चाहिए, यूनिट्स वे ही हैं जो पहले उनके खर्च हुए थे, वे ही यूनिट्स उनके अब खर्च हुए लेकिन उसके बावजूद सब जगह 5 हजार रुपये का उन्होंने बिल बना दिया। किसी का अगर 6 हजार था तो उसमें 5 हजार जोड़ दिया, जिसका 4 हजार था उसमें भी 5 हजार जोड़ दिये। इस तरीके से जितने कृषि कनेक्शंस थे उन सब में 5-5 हजार रुपये जोड़कर उनको ज्यादा करके दिया।

(श्रीमती अनीता सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे वक्त में जब किसान का पाले और ओलावृष्टि से बहुत खराबा हुआ है तो ऐसे वक्त में किसानों के जो ज्यादा बिल आ रहे हैं और यूनिट्स उतने ही हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। जीवारामजी, आप बाद में, अभी इनका सब्जेक्ट है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है, मेरी बात को आप भी ध्यान से सुनें, मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र में सारे किसानों के बिजली के बिल ज्यादा आये हैं और एक रकम उन्होंने फिक्स कर दी, कि किसी का चार हजार तो पांच हजार जोड़ दिये। ऐसा करके एक पांच हजार की राशि सब जगह ज्यादा बढ़कर आई है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्री महोदय से कहें कि इस प्रकार यूनिट्स बराबर होने के बाद भी बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। जहां किसानों की फसल की खराबी हुई है....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उनके बिलों को माफ करें और माफ नहीं करें तो जो ज्यादा बढ़े हुए हैं, उनको घटाने की तो कम से कम घोषणा मेरे सामने कर दें तो, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कहा है कि नगर में बिजली के बिल एक्सेस आ गये हैं, अगर इस तरह की कोई इर्रेग्यूलेरिटी या किसी वजह से लैप्स है तो मैं अधिकारियों को निर्देश देकर और व्यक्तिश: अगर आपके पास अवेलेबल हो कि किन-किन किसानों के बिल आये हैं तो वह मुझे अवेलेबल करा दें और अधिकारी कलेक्ट कर लेंगे और निश्चित रूप से इस तरह की कोई इर्रेग्यूलेरिटी है और...

श्री उपाध्यक्ष: यहां बहस नहीं, आप अलग से बताइये। यह राजस्थान का मामला है, इसको स्टेट लेवल पर ले लें, मंत्रीजी, इर्रेग्यूलेरिटी को। विराजो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): स्टेट लेवल पर जहां-जहां, जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, इनके लिए मैं निर्देश दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्दजी भंसाली। (व्यवधान) केवल माननीय कैलाश चन्दजी भंसाली।

आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपेथिक चिकित्सकों को ऐलोपेथिक चिकित्सकों के समान अप्रदत्त डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्षजी, मैं स्थगन प्रस्ताव के रूप में उस डाइनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन की बात करने जा रहा हूं जिसमें छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। मेरा यह मानना है कि वे लोग इतनी सेवा करते हैं जैसे हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, हमेशा उनके यहां क्यू लगी रहती है; लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी हड्डी टूट गई, इसको ठीक करिये, थोड़ा बहुत दर्द आ जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है। इस तरह ये सब छोटे-छोटे प्रोफेशनल लोग बहुत सेवा करते हैं। राज्य सरकार में इसीलिए उनका चयन हुआ। वो अच्छे उस कैरियर को जानने वाले हैं, बात को समझने वाले हैं। ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिला; कुछ बेरियर्स हो गये हैं तो वह भी पूरा मिलना चाहिए, ताकि उनके साथ न्याय हो सके। वो जितनी सेवा करते हैं, मानव की सेवा करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का उनके साथ, अधिकारियों से उनका गिला नहीं है, उनकी गिला है कि जो सरकार की नीति है, उसमें उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं थोड़ी तकलीफ दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपके नेता बोल रहे हैं। आपके नेता का आदर आप करेंगे या नहीं, यह आप सोच लीजिये। हर पाइंट पर आपका बोलना जरूरी नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो विषय है वह यह है कि मेडिकल को छठा वेतन आयोग का जो भी लाभ मिला, वह मिल गया पर आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपेथिक जो डाक्टर हैं, हमेशा से, आज दिन तक यह परिपाटी रही, जब कभी भी पांचवां वेतन आयोग लगा तो उसी सेम डे सभी को जो लाभ मिलना है, वह मिल जाता है। अबकी बार पता नहीं, कहां गलती हुई या क्या चूक हुई कि केवल मेडिकल लाइन के जितने भी डाक्टर हैं, उनको छठे वेतन आयोग का लाभ तो मिल गया पर यूनानी, होम्योपेथिक और आयुर्वेद के जो लोग हैं उनको इससे वंचित रख दिया। अब यह भूलवश है या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई योजनाबद्ध है, मैं सोचता हूं, अगर है तो इसको ठीक करना चाहिए। जैसा हमेशा होता आया है, वैसा...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, अनीता सिंहजी, सीट पर बैठिये, ऐसे नहीं। (व्यवधान)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तगर्त प्राप्त सूचनाएं। श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

(अनुपस्थित)

आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में। श्री हनुमान बेनीवाल। (अनुपस्थित)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में यू आई टी द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने के सम्बन्ध में। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भीलवाड़ा शहर में यू आई टी की मनमानी कार्यवाही पर रोक

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में हो रही लगातार तोड़-फोड़ के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले छह माह से भीलवाड़ा शहर में मास्टर प्लान, जो कि अभी तक पास नहीं हुआ है, के नाम पर लगातार तोड़-फोड़ करके लोगों को बेघर किया जा रहा है। नेहरू रोड, काशीपुरी, कुम्भा सर्किल पर स्थित दुकानों को और मकानों को तोड़ा जा चुका है। कुम्भा सर्किल, पुराने प्राइवेट बस स्टैण्ड पर स्थित दुकानों का किराया नगर परिषद, भीलवाड़ा वसूल करती थी। बिना नगर परिषद की सहमति के इन स्थानों पर तोड़-फोड़ की गई। इसके अलावा भी कई कच्ची बस्तियों जैसे चपरासी कालोनी,

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

मारुति नगर में भी तोड़-फोड़ करने की जिद यू आई टी द्वारा जारी है। गरीब लोगों के हजारों मकानों को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है जबकि कई क्षेत्र नगर परिषद के अधिकार में हैं।

मैंने कई बार जिला कलक्टर को मौखिक एवं लिखित रूप में अवगत कराया और जिला कलक्टर ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि अब जन-प्रतिनिधि, नगर परिषद, पी डब्ल्यू डी, यू आई टी एवं प्रशासन के साथ में बैठकर ही निर्णय लिया जायेगा कि किन जगह वास्तव में सड़क चौड़ी की जानी आवश्यक हैं; जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकता है, वहां पर बिना तोड़-फोड़ के मार्ग लिया जायेगा; जहां जनता की सहमति नहीं होगी, वहां तोड़-फोड़ नहीं की जायेगी।

नेहरू रोड को तोड़े हुए लगभग छह माह व्यतीत हो गये हैं, आज तक भी पीड़ितों को मुआवजा नहीं दे पाये हैं, न वहां रोड बना पाये हैं। सारी जनता पीड़ित है, फिर भी यू आई टी मनमानी पर उतारू है। इसका एक मात्र कारण है कि इस भीलवाड़ा शहर के चारों तरफ भू-माफियाओं ने जमीनें खरीद ली हैं एवं कई प्रभावशाली लोगों की बड़ी-बड़ी जमीनें जहां पर भी हैं, उन्हीं लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाने की नीयत से यह जिद की जा रही है। प्रशासन पूर्णतया पंगु है।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि यू आई टी, भीलवाड़ा को तत्काल पाबंद किया जाये कि बिना विधायक, नगर परिषद, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों की सामूहिक मीटिंगों में सहमति बनाये भविष्य में कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाये। इस कारण हजारों व्यक्तियों में जो भय व आक्रोश व्याप्त हो गया है, उससे मुक्ति मिले अन्यथा कभी भी बहुत बड़ा आन्दोलन जनता द्वारा किया जा सकता है। यू आई टी में सरकार द्वारा मनोनीत चेयरमैन होता है जबकि नगर परिषद एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों को जनता चुनकर भेजती है। उनकी उपेक्षा लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि सरकार यू आई टी द्वारा की जा रही मनमानी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायेगी एवं जिन लोगों के मकान-दुकानें कई माह पहले तोड़े जा चुके हैं, उन्हें भी मुआवजा तत्काल देकर राहत प्रदान करेगी एवं जहां पर रोड तोड़ दी गयी हैं, उन्हें जल्दी पुन: निर्माण करायेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जगसीराम रेवदर।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: वह अभी नहीं, 295 के बाद में। अभी नहीं, अभी नहीं, बीच में नहीं।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सुन लीजिये आप एक मिनट। जब यहां मात्र शोरगुल हो और आपको किसी का नाम पुकारना हो तो शोरगुल में आप नाम नहीं पुकारें ताकि अच्छे ढंग से वह सुनाई दे दे। कभी-कभी सुनाई नहीं देता है।

कीर जाति के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कार्यवाही

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। राजस्थान के 20 जिलों में निवास करने वाली कीर जाति की जनसंख्या लगभग 11 लाख है। इस जाति को राज्य के अलग-अलग भागों में कीर कंवर, हरिवंशी कीर, बनवालिया कीर, बनास्या कीर, आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस जाति का प्रारम्भ से ही पुश्तैनी धंधा नदी-नालों, बांध व तालाबों की पेटाकाश्त भूमि पर अस्थायी काश्त करना रहा है। इसके अन्तर्गत इस जाति के लोग सिंघाड़े, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, टमाटर तथा अन्य सब्जियों की काश्त करके जीवनयापन करते आये हैं। सदियों से कीर जाति के लोग उन गांवों में ही बसे हुए हैं, जो गांव नदी, बांध या तालाब के पास स्थित हैं। जिन क्षेत्रों में नदी या बांध नहीं हैं, वहां पर कीर जाति का एक भी गांव या परिवार नहीं है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, आदि जिलों में कीर समाज का एक भी गांव या घर नहीं है। घुमक्कड़ व बनवासी प्रकृति होने से कीर जाति के लोगों के पास स्थायी जमीन नगण्य है।

अब्दुल रहमान प्रकरण, 2004 की वजह से नदी, नाले, बांध व तालाबों की पेटाकाश्त भूमि का अस्थायी आबंटन सरकार द्वारा काश्त के लिए नहीं करने से कीर जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो रही है। कीर जाति के लोग पेटाकाश्त भूमि पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करते हैं और न ही नदी, नालों के प्राकृतिक बहाव में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। वे सिर्फ चार महीनों के लिए बीजारोपण व पौध लगाकर काश्त करते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। कीर जाति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को इस जाति के विभिन्न संगठनों ने अनेक बार ज्ञापन दिये हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है।

(श्री जगसीराम)

वर्तमान में कीर जाति के लोग जिन गम्भीर हालातों का सामना कर रहे हैं, उसका सही-सही आकलन करने के लिए एक सक्षम आयोग अथवा समिति का शीघ्र गठन किया जाये। साथ ही उस आयोग या समिति की सिफारिशों के आधार पर इस जाति के उत्थान के लिए सरकार त्वरित कदम उठाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गणेशसिंह परमार (कुम्भलगढ़)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आज सिंचाई और पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस है। ये 295 के प्रस्ताव अगर पढ़े हुए मान लिये जायें तो कोई एतराज नहीं है, समय बच जायेगा। (व्यवधान) बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पानी का मामला है, सभी लोग बोलेंगे।

कुम्भलगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के उप-खण्ड मुख्यालय कुम्भलगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि:-

(1) यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहसील, उप-खण्ड मुख्यालय अथवा तहसील क्षेत्र में कहीं पर भी वर्तमान में महाविद्यालय नहीं चल रहा है।

(2) यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुम्भलगढ़ तहसील के आसपास का क्षेत्र आदिवासी बहुल होकर पहाड़ी क्षेत्र है तथा तहसील मुख्यालय से 75 किलोमीटर की परिधि में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यदि पंचायत क्षेत्रों से दूरी देखी जाये तो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भी कोई महाविद्यालय नहीं है। इस क्षेत्र में किसान, मजदूर व गरीब व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वे अपने छात्र-छात्राओं को बाहर भेजकर शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण सैकड़ों बच्चे ग्रामीण इलाके के शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए गौर फरमाकर तहसील कुम्भलगढ़ के मुख्यालय पर राजकीय

(श्री गणेश सिंह परमार)

महाविद्यालय खोला जाये ताकि गरीब, किसान, मजदूर अपने बच्चों को कालेज शिक्षा दिला सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हेमसिंहजी भड़ाना।

थानागाजी की सड़कों की मरम्मत

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है। राजगढ़ तहसील की 10 ग्राम पंचायतें, टहला से राजगढ़ वाया तालाब होते हुए घाटी चढ़ाई पड़ती है, पहाड़ पर करीब 10-12 घुमाव आते हैं तथा सारे मार्बल खानों के ट्रक खदान से इसी मार्ग पर जाते हैं व इसी मार्ग पर जान-माल की हानि तथा दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना से बचाव हेतु तथा कम समय में टहला से राजगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय जाने हेतु पहाड़ से इस घाट पर सुरंग बनाई जाये।

दूसरी सड़क जो कि टहला से लेकर गढ़राजौर पंचायत मुख्यालय को जोड़ती है, उसमें भी चढ़ाई करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई पर है और इस चढ़ाई में करीब 20 घुमाव आते हैं। सड़क की हालत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस सड़क की मरम्मत करवाई जाये।

खो-दरीबा से दौसा सीमा तक 10 किलोमीटर की सड़क बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालत में है, उसकी भी मरम्मत करवाई जाये। राजगढ़ से थाना राजाजी होते हुए धमरेड़ तक सड़क भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त है एवं टूटी हुई है। इस सड़क का मरम्मत कार्य करवाया जाये। सकट-नारायणपुर से बसवा रोड तक हालत भी बहुत ही खराब है।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग व राज्य सड़क निर्माण विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इस कार्य की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की हुई है। अत: थानागाजी विधान सभा क्षेत्र की उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शीघ्र करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना)।

मकराना में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किया जाना

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि मकराना शहर अल्पसंख्यक बहुल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व घनी आबादी वाला शहर है। यहां छात्र-छात्राएं कक्षा बारह के बाद विद्यालय

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यहां किसी प्रकार का राजकीय महाविद्यालय नहीं है। अत: निम्न कारणों को ध्यान में रखते हुए मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करावें:-

1. मकराना शहर अन्तरराष्ट्रीय स्तर की मार्बल नगरी है।
2. मकराना शहर से राजकीय महाविद्यालय, नागौर की दूरी 120 किलोमीटर है, राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना की दूरी 85 किलोमीटर व राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता की दूरी 105 किलोमीटर है जिससे कि अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के गरीब तबके के छात्र-छात्राएं अन्य क्षेत्र में जाने में कठिनाई महसूस करते हैं।
3. वर्तमान में लगभग 3,000 छात्र-छात्राएं बारहवीं में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों व गैर-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (मान्यता प्राप्त) में अध्ययनरत हैं।
4. राजकीय महाविद्यालय को अस्थायी रूप से चलाया जा सकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मकराना में पर्याप्त क्षेत्रफल में भवन उपलब्ध है।
5. मकराना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 14 तथा गैर-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22, कुल 36 उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं जिनमें 3,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। उनमें से लगभग 300-400 छात्र ही अन्य कालेजों में दाखिला लेते हैं तथा छात्राएं बाहर कालेजों में प्रवेश लेने में असमर्थ होकर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं।

कई वर्षों से बारम्बार निवेदन किया जा रहा है कि मकराना क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जावे। अत: आपसे निवेदन है कि बजट सत्र 2013-14 में चालू बजट में घोषणानुसार 15 महाविद्यालयों में से एक राजकीय महाविद्यालय मकराना में स्वीकृत करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा)।

शाहपुरा-बनेड़ा में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया जाना

श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। वर्तमान में शाहपुरा में एक ही महाविद्यालय संचालित है जिसमें लगभग 2,200

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें करीब 900 से भी ज्यादा छात्राएं हैं। अधिकांश बारहवीं कक्षा की छात्राएं तो शाहपुरा में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से अग्रिम अध्ययन हेतु महाविद्यालय में प्रवेश ही नहीं लेती हैं तथा उन्हें स्वयंपाठी के रूप में शिक्षा लेने को मजबूर होना पड़ता है। शाहपुरा के 50 किलोमीटर की परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं है। ऐसे में एक ही महाविद्यालय पर सारा भार है।

अत: श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि इस समस्या के निराकरण हेतु कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति दी जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर)

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालयों व महाविद्यालयों का खोलना/क्रमोन्नयन किया जाना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्षजी, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि राजस्थान महिला शिक्षा में पिछड़ा राज्य है, जहां पुरुष/महिला साक्षरता का अंतर देश भर में सर्वाधिक 28 प्रतिशत होते हुए भी चार वर्ष में एक भी बालिका शिक्षा के विद्यालय एवं महाविद्यालय क्रमोन्नत एवं स्थापित नहीं किये गये। महिला शिक्षा दो पीढ़ी को तारणहार व्यवस्था है।

राजस्थान में पिछले चार वर्ष में 183 माडल स्कूल बनने थे, केवल 70 का कार्य चल रहा है। 183 विकास खण्डों में गरीब बालिकाओं के लिये छात्रावास बनने थे परन्तु कार्य चला 70 छात्रावासों का। इस शिथिलता के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?

केन्द्र की सर्व शिक्षा अभियान योजना में 70 प्रतिशत वित्तपोषण होते हुए भी अभी तक 7,000 से भी ज्यादा 500-1000 की आबादी के गांव हैं जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने से 10 वर्ष की आयु की बालिकाएं पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सरकार को 500 से ज्यादा की आबादी वाले सभी गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा करनी चाहिए। इस घोषणा से सरकार पर केवल 30 प्रतिशत वित्तीय भार ही पड़ेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद में आबंटित बजट के व्यय की दृष्टि से तीन वर्ष की स्थिति चिन्ताजनक है। कार्य प्रगति के अभाव में 2012-13 में केन्द्र ने बजट देना बंद कर दिया है।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

वर्तमान सरकार को पूर्व सरकारों के विशेष एवं क्षेत्रीय संतुलन के लिए किये गये प्रयासों से शिक्षा लेकर 1978 के अनुरूप 3,000 की आबादी वाले गांवों में सैकण्डरी, 5,000 की आबादी वाले गांवों में सीनियर सेकण्डरी, 1994-96 की भांति प्रत्येक पंचायत में मिडल स्कूल खोलने तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 5,000 की आबादी वाले गांवों में अलग बालिका सैकण्डरी स्कूल, 5,000 की आबादी वाले गांवों में सह शिक्षा का सीनियर सैकण्डरी स्कूल तथा 500 की आबादी से बड़े गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 2,000 की आबादी पर अलग बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना चाहिए। इससे केन्द्र से वित्तपोषण भी ज्यादा होगा तथा शिक्षा का क्षेत्रीय असंतुलन भी संतुलित हो जायेगा। पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा एस सी/एस टी की आबादी वाले प्रत्येक उप-खण्ड में सरकारी कन्या महाविद्यालय खोले जावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंहजी (मांडलगढ़)।

बिगोद कस्बे की पुरानी पेयजल योजना का नवीनीकरण

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित बिगोद ग्राम पंचायत मुख्यालय की जनसंख्या दस हजार से अधिक है लेकिन वहां पेयजल आपूर्ति हेतु 45 वर्ष पूर्व जो पाइप लाइनें डाली गई थीं, जिन टंकियों का निर्माण हुआ था आज वे अपर्याप्त हैं। कई नई आबादियां बस गईं, जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई है, नये मोहल्लों में लोग बस गये हैं। बिगोद एक औद्योगिक कस्बा है जहां तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो रहा है, नई इकाइयां स्थापित हो रही हैं, मजदूरों का भार इस कस्बे पर दिन-रात बढ़ रहा है।

महोदय, यह कस्बा ऊंचे-नीचे स्थानों पर बसा हुआ है। पाइपलाइनें छोटी होने तथा टंकियों की क्षमता कम होने से इन ऊंचे मोहल्लों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। गांव की बसावट संकरी गलियों में होने के कारण हैण्ड पम्प खोदने की मशीनें भी नहीं पहुंच पाती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिगोद कस्बा बनास नदी के किनारे बसा

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

हुआ है। इससे वहां पानी की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है किन्तु साधन-संसाधनों की कमी होने, पाइप लाइनें छोटी होने तथा नई बसावटों में पाइप लाइन नहीं होने से बिगोद का नागरिक आज पेयजल आपूर्ति की कमी की मार झेल रहा है।

अत: मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि बिगोद कस्बे की वर्षों पुरानी पेयजल योजना का नवीनीकरण कराया जावे जिससे वहां के लोगों को आसानी से तथा नियमित शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)। माननीय श्री अर्जुन लालजी।

भील नायक जाति को बिलाड़ा प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख बाबत निवेदन है कि जोधपुर जिले की लगभग सभी तहसीलों में नायक भील निवास करते आ रहे हैं, भूमि बंदोबस्त के समय सभी तहसीलों में सरकारी रिकार्ड में जाति भील दर्ज की गई। नायक भील जाति का पर्यायवाची शब्द है, न कि जाति। जैसा कि भील शब्द अनेक आदिवासी जातियों के साथ जुड़ा है, भील मीणा, भील गरासिया, भील ढोली, भील डूंगरी, भील रावला, इस प्रकार स्थानीय लोग तहसील बिलाड़ा, भोपालगढ़ में इन भीलों को भील नायक नाम से जानते हैं। पहले तो इन लोगों को भील जाति का और अनुसूचित जनजाति, एस.टी. का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था जिससे दोनों तहसीलों के लगभग 50 सदस्य सरकारी सेवा में निम्न स्तर की नौकरी करते हैं, यद्यपि इनमें एक भी राजपत्रित अधिकारी स्तर का सदस्य नहीं है।

पिछले कुछ अरसों से दोनों तहसीलों में नायक जाति का और वह भी अनुसूचित जाति, एस.सी. का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज के साथ घोर अन्याय है। जोधपुर जिले की ओसियां, फलौदी, लूणी, आदि तहसीलों के भील जो अनुसूचित जनजाति के हैं, इनकी बहन-बेटियों का रिश्ता बिलाड़ा, भोपालगढ़ में है। इस प्रकार एक ही जिले में अलग-अलग स्थानों पर एक ही जाति के लोगों को अलग-अलग जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

(श्री अर्जुन लाल)

प्रशासन द्वारा जान-बूझकर एक जाति, एक समाज को दो भागों में बांटकर मनमर्जी से कभी अनुसूचित जाति, तो कहीं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के आदेश के अनुसार दिनांक 28.01.2010 को सम्पूर्ण नायक जाति को जनजाति वर्ग में मान लिया गया तथा समाज कल्याण विभाग के 29 जुलाई, 1977 के गजट नोटिफिकेशन में क्रम संख्या 02 पर भी तथा 10, भील नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। फिर भी स्थानीय प्रशासन इन्हें अनुसूचित जनजाति का मानने के लिए तैयार नहीं है।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर के कीर्ति स्तम्भ व वार मैमोरियल का संरक्षण

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विषय की सूचना। महोदय, निवेदन है, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बीकानेर पब्लिक पार्क में दो ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं, एक का नाम कीर्ति स्तम्भ है और दूसरे का वार मेमोरियल। कीर्ति स्तम्भ का निर्माण सन् 1912 ई. में बीकानेर के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को अंकित करवाने के लिए हुआ था जबकि वार मेमोरियल का निर्माण तीन साल बाद सन 1915 ई. में कर बीकानेर के शहर सैनिकों के नाम अंकित करवा दिये गये। इन दोनों स्मारकों को सन् 2008 ई. में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग इस त्रुटि से सन् 2004 से भली- भांति परिचित था परन्तु उन्होंने त्रुटि को सुधारा नहीं।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित समझता हूं कि यह कीर्ति स्तम्भ सन् 1912 में जनता तथा उक्त समय के महाराजा श्री गंगासिंहजी द्वारा बनाया गया। इसके लोकार्पण के समय उस समय के वायसराय ने कहा था कि इस कीर्ति स्तम्भ पर बीकानेर राज्य जब से स्थापित हुआ है, इस पर तब की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख होना चाहिए व वार मेमोरियल जो इसके चारों ओर है, उस पर बीकानेर के शहीदों के नाम लिखने चाहिए। अत: उसी मूल भावना के अनुसार कीर्ति स्तम्भ पर बीकानेर का इतिहास व मुख्य घटनाएं, स्थापना के समय से, लिखनी चाहिए।

(डा. गोपाल जोशी)

पुरा धरोहर संरक्षण अधिनियम, 1961 में सुधार का प्रावधान होते हुए भी निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान पिछले 10-12 वर्षों से सुधार करने के लिए नहीं मान रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उच्च स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा जांच व परिस्थिति का अवलोकन करके कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अब्दुल सगीर खां।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

धौलपुर सिंचाई जलोत्थान परियोजना का क्रियान्वयन

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया बोलने का उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

धौलपुर चम्बल लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट, महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी यशस्वी नेता वसुंधरा राजे को जिन्होंने 2006 में यह योजना बनाकर केन्द्र में प्रेषित की और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने 2008 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया कि वे धौलपुर चंबल लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेंगे।

महोदय, मैं आपकी तवज्जोह इस ओर केन्द्रित करना चाहूंगा कि जब मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस चुनावी घोषणा पत्र में वादा भी किया गया है और इस तरह की योजना पेंडिंग है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने छठे सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या-946 जल संसाधन, 7 अप्रैल, 2012, मैंने उसमें प्रश्न किये और उन प्रश्नों का जो मुझे उत्तर मिला, वह मैं यहां कोट कर रहा हूं। ''धौलपुर चम्बल लिफ्ट इर्रिगेशन परियोजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। इस परियोजना को वन विभाग से स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम अक्टूबर, 2005 में प्रेषित किया गया। वन विभाग के चाहे अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाकर अगस्त, 2008 में वन विभाग को प्रेषित की गई, जिस पर वन विभाग, राज्य सरकार द्वारा टिप्पणी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को अक्टूबर, 2008 में प्रेषित की गई। धौलपुर चंबल लिफ्ट इर्रिगेशन परियोजना हेतु नेशनल बोर्ड आफ वाइल्डलाइफ (NBWL) की 18वीं बैठक दिनांक 12.4.2010 द्वारा चंबल नदी से प्रस्तावित उक्त परियोजना हेतु वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून ने नेचुरल हिस्टरी सोसायटी

(श्री अब्दुल सगीर खां)

एवं वर्ल्डवाइल्ड फण्ड, इण्डिया द्वारा संयुक्त रूप से जलीय जीवन का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो पाएगी।'' विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, वन विभाग द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भी लिखे गये।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद अतारांकित प्रश्न संख्या 4459, जल संसाधन, 16 मई, 2012; धौलपुर चम्बल लिफ्ट इर्रिगेशन के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को 4 अप्रैल, 2006 में प्रस्तुत किये गये। ये प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को 31.10.2008 को भिजवाये गये। परन्तु 25.4.2011 को नेशनल बोर्ड आफ वाइल्डलाइफ की स्टैण्डिंग कमेटी की 22वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में चम्बल नदी से जल लेने की कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की जाएगी।

फिर मेरे प्रश्न में, उसके बाद में, उसी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से चंबल नदी से घना को पानी दिया जा रहा है।

धौलपुर चंबल लिफ्ट इर्रिगेशन योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 15.4.2000 को केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी, वही सेम जवाब आया।

उसके बाद तारांकित प्रश्न संख्या-542, जल संसाधन, दिनांक 11.10.2012 को किया गया और उसके उत्तर इस प्रकार थे, 'केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं वन्य जीव खण्ड, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक, वन्य जीव द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की स्टैण्डिंग कमेटी की 22वीं मीटिंग में राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल सैंक्चुरी क्षेत्र की 0.3 हैक्टेयर वन भूमि को धौलपुर चम्बल लिफ्ट स्कीम को डाइवर्जन हेतु दिनांक 5.6.2012 को सिफारिश की गई, जिसकी क्लीयरेंस के लिए विभाग द्वारा सी ई सी के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र क्रमश: दिनांक 26.7.2012 एवं 13.9.2012 को प्रस्तुत किये जा चुके, जो विचाराधीन हैं।'

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके सामने यह विनती और सब्मिशन है कि एक योजना 2006 से केन्द्र के सामने प्रेषित है। एक जवाब आता है कि अब कोई भी परियोजना चंबल नदी से नहीं दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर को पाइप लाइन से पानी दिया जा रहा है, घना के नाम पर पूरे भरतपुर सम्भाग को पानी दिया जा रहा है। धौलपुर की यह परियोजना जो 2004 से प्रेषित है...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): यह तो जब डिमाण्ड होगी आज, तो उसी पर चर्चा कर लेंगे।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप तशरीफ रखें। आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप बैठ जाइए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, रीटाजी, अध्यक्षजी इजाजत देकर के गए हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 2006 से यह मांग चल रही है, मुख्य मंत्रीजी चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा करते हैं, धौलपुर के अन्दर कांग्रेस के नेता जयकारे लगाते हैं कि हम धौलपुर चम्बल लिफ्ट इर्रिगेशन को लेकर आएंगे।

मैं एक तो सवाल यह करना चाहता हूं कि इलेक्शन मेनिफेस्टो जो कि एक बाइबल है, सैक्रेड डाक्युमेंट है जिसके आधार पर सरकार चलाने का निर्णय लिया जाता है, जनता के साथ में एक मुलायजा किया जाता है, वादा किया जाता है, कान्ट्रेक्ट किया जाता है। आज यह सरकार सोई हुई है और धौलपुर की जनता आंदोलित है। जून के अन्दर धौलपुर और राजाखेड़ा के किसानों ने हज़ारों की तादाद में धौलपुर के कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, प्रदर्शन किया और वहां पर लाठीचार्ज हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों किसान घायल हुए। धौलपुर आंदोलित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: आगे जल पर डिमाण्ड है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं डिमाण्ड पर नहीं बोल रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से दरख्वास्त है कि जन-प्रतिनिधि के नाते तीन बार, कितनी बार प्रश्न डाले, मंत्रीजी की तवज्जोह इस ओर आकर्षित की। मुख्य मंत्रीजी धौलपुर भी गये, वहां पर भी लोगों ने उनसे गुहार लगाई। आप किसानों के मसीहा हैं। किसान सपना देख रहे हैं, एक रोजगार है मात्र कृषि का।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सगीरखांजी, आप मंत्री, मुख्य मंत्री तक सीमित मत रहिये, थोड़ा और आगे बढ़िये। अब समाप्त करिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि किसानों को सपना दिखाकर कि आप पंजाब जैसी इर्रिगेशन करेंगे, योजना बनायेंगे आपके कृषि बढ़िया होगी आज किसान वह सपना संजोये हुए बैठा हुआ है और उम्मीद कर रहा है। यह कांग्रेस जो वादा करती है, वह वादाखिलाफी कर रही है, कोई कार्यवाही नहीं की गई।

तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 2008 से 2012 तक, आज क्या वस्तुस्थिति है? कम से कम जनता के सामने तो हम रखें कि वास्तव में यह योजना अभी जीवित है या मर चुकी है या इसको आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है। क्यों वहां इस तरह के वादे करके और फिर जनता को गुमराह करके उनके वोट लेना चाहते हो? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने धौलपुर की लिफ्ट इर्रिगेशन योजना का क्रियान्वयन नहीं करवाया तो धौलपुर के किसान आपको ...(व्यवधान) घुसने नहीं देंगे। तो मैं चाहूंगा, मंत्रीजी, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, धन्यवाद। श्री रविन्द्र सिंह जी बोहरा (राजाखेड़ा)।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्षजी, पर्ची में पहली बार मेरा नम्बर आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बधाई हो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपसे बधाई चाहता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वह आसन के ध्यान में है, भूमिका मत बनाओ।

राजाखेड़ा की पेयजल व्यवस्था में प्रदूषण

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, इस पर्ची के द्वारा मैं आपका ध्यान राजाखेड़ा कस्बे में निरन्तर दो माह से बदबूदार पानी सप्लाई होने की ओर दिलाना चाहता हूं। लोग परेशान और बीमार हो रहे हैं। पाइप लाइनें पुरानी हो गईं, सड़कें टूटी पड़ी हैं जिनकी वजह से पानी का पोल्यूशन हो रहा है। निरन्तर पी एच ई डी के प्रयासों के बावजूद भी यह गन्दा पानी किस प्रकार आ रहा है, इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, तत्काल कार्यवाही कराना चाहता हूं, राजाखेड़ा कस्बे की पेयजल व्यवस्था का कुप्रबंधन से सुप्रबंधन करें।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

दुःख की बात यह है कि नगरपालिका बनाते समय, पन्द्रह गांवों को इकट्ठा करके नगरपालिका को बनाया गया, उन पन्द्रह गांवों को न तो आज तक कोई सड़क मिली, पन्द्रह में से करीब दस में कोई सड़क नहीं है और न पीने का साधन हुआ और न वे आज तक बिजली से और पानी से जुड़ पाये।

आज आपके माध्यम से मैं अम्बरपुर, गोपालपुरा, चौधरी का बाग़, गंगोड़ियापुरा, दूलय्या का गेर, चिन्तामन की गढ़ी, नया गांव, करीलकी, लाखन की मढ़ेया, बल्लू की मढ़ेया, सिसोदियों की मढ़ेया, खारपुरा, भीलपुरा, सोमनाथ का मंदिर और बाबा की गढ़ी इन गांवों में रहने वाले हजारों लोग, जिस तरह जीवनयापन वे कर रहे हैं, उनकी ओर विधान सभा का, माननीय मंत्रीजी का, सभी सदस्य साहेबान का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजाखेड़ा पूर्वी राजस्थान का सबसे दूरस्थ कस्बा है और यहां पर सरकार की नजर बड़ी देर में पड़ती है। इसलिए कई सालों से इसका कोई विकास नहीं हुआ। इसके ऊपर तो मैं जाना नहीं चाहता लेकिन पीड़ा जरूर कहना चाहता हूं कि जब छोटे-छोटे शहरों को ही आपने साधन दे दिये पढ़ाई के, लिखाई के, बिजली के लेकिन राजाखेड़ा को ये आज तक मुहैया नहीं हुए हैं। यह सात-आठ किलोमीटर दूर चम्बल नदी बह रही है, वहां से पीने का पानी नहीं मिला, जबकि राजस्थान सरकार 35 से लेकर 186 किलोमीटर तक के क़स्बों को पानी पिलाने की इच्छा रखती है। यह बजट के आधार पर मैं कह रहा हूं। इस तरह का राजनीतिक विद्वेष इस राजाखेड़ा के साथ हो, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी परेशानी की बात है, शर्म की बात है।

इसके अलावा, हमारी चिर-परिचित, बहुत वर्षों से मांग थी, जो अभी सगीर साहब ने भी कही और सुखरामजी भी कहेंगे और सबसे ज्यादा उसका भुगतभोगी मैं हूं, कि चम्बल से सिंचाई का पानी, पीने का पानी और चम्बल से रेता जब तक आप इस धौलपुर जिले में नहीं देंगे, राजाखेड़ा वालों को, धौलपुर वालों को ...(व्यवधान) हमारे यहां पच्चीस हजार परिवार पल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, जवाब दें, कब दे पायेंगे... (व्यवधान) धौलपुर वाले तरस रहे हैं पानी के लिए, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अशोकजी डोगरा। केवल अशोकजी डोगरा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया हाउस को आर्डर में लायें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय अशोकजी डोगरा। अब आप विराजिये, वे खड़े हो गये। अशोकजी, एक मिनट, थोड़ा मंत्रीजी का जवाब आ जाए।

धौलपुर सिंचाई जलोत्थान परियोजना का क्रियान्वयन

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर सिंचाई परियोजना चम्बल नदी पर धौलपुर शहर से तीन किलोमीटर दूर सागरपाड़ा में बनाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में 7.5 मीटर की जलोत्थान लिफ्ट द्वारा धौलपुर एवं राजाखेड़ा तहसीलों के 176 गांवों में 34,485 हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र प्रस्तावित है।

इस परियोजना को वन विभाग से स्वीकृति हेतु अक्टूबर, 2005 में भिजवाया गया जिसमें राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र 0.30 हैक्टेयर एवं फीडर नहर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र 7.2 हैक्टेयर की स्वीकृति चाही गई थी।

प्रधान वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.14/2005 पसू/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/67181/82 दिनांक 24.2.2010 के अनुसार 7.2 हैक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र के प्रस्तावों को बंद कर दिया गया।

एन बी डब्ल्यू एल स्टैंडिंग कमेटी की 22वीं बैठक में, जो कि दिनांक 25-4-2011 को दिल्ली में आहूत की गई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि चम्बल नदी से पानी लिफ्ट करके कोई भी नयी परियोजना स्वीकृत नहीं की जाए।

पुन: राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड की रिव्यू बैठक दिनांक 5.6.2012 के द्वारा राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र की 0.3 हैक्टेयर भूमि धौलपुर जलोत्थान परियोजना के लिए स्वीकृति हेतु अभिशंसा की गई है परन्तु आरक्षित वन क्षेत्र के 7.2 हैक्टेयर की स्वीकृति परियोजना हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

इसके उपरान्त, दिनांक 6.7.2012 को राज्य सरकार की ओर से

(श्री हेमाराम चौधरी)

अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री मनीष सिंघवी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष 0.3 हैक्टेयर राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य भूमि की फाइनल स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी में विचाराधीन है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 24.2.2010 के अनुसार 7.2 हैक्टेयर के आरक्षित वन क्षेत्र के प्रस्तावों को बंद किया था, को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को पुन: प्रकरण को रिओपन करने हेतु निवेदन किया जा चुका है।

प्रकरण प्रक्रियाधीन है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से घड़ियाल सैंक्चुअरी व आरक्षित वन क्षेत्र की स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं पी एच ई डी मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वहां दो महीने से गंदा पानी पी रहे हैं इसके ऊपर कुछ न कुछ विवेचना करें। वहां लोग परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं। सरकार गंदा पानी पिला रही है और आप गंदा पानी नहीं पिलाना चाहोगे।

राजाखेड़ा की पेयजल व्यवस्था में प्रदूषण

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गंदे पानी के विषय में जो चिंता प्रकट की, मैं आपको बताना चाहूंगा राजाखेड़ा कस्बे में रामखिलाड़ी चौराहे के पास मुख्य बाजार में 5 फरवरी, 2013 को गंदा पानी आने की शिकायत प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गंदे पानी की शिकायत के निराकरण के लिए प्रयास प्रारम्भ हुए और इसमें विभाग की मुख्य वितरण पाइप लाइन में कोई लीकेज नहीं पाया गया। उपभोक्ताओं के जल सम्बन्ध लीक होने के कारण नलों में गंदा पानी पाया गया। इस प्रकार, समस्या समाधान हेतु उसको आइडेंटिफाई कर 10 दिन में, 15 फरवरी, 2013 को इसको नार्मल कर दिया गया। वर्ममान में राजाखेडा कस्बे में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

राजाखेड़ा कस्बे में पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार हेतु नवीन पाइप लाइन जोड़ने व बिछाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जहां सड़क क्षतिग्रस्त हैं वहां टैस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जो करीब मार्च तक पूरा हो जाएगा।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, फिर भी, इसके अलावा भी, कोई इस तरह की पैथोलोजिकल ...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, यह पूरे धौलपुर जिले की समस्या है। पूरे धौलपुर को गंदा पानी मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमारी आपसे पुरजोर विनती है, आपसे गुजारिश है ...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): ...(व्यवधान) कहीं इस तरह से गंदे पानी की समस्या है, आप अवगत कराएं (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): पूरे धौलपुर शहर की है, पूरे धौलपुर शहर की है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ...(व्यवधान) विभाग आपको गलत सूचनाएं देता है, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अशोकजी डोगरा (बूंदी)

बूंदी वन क्षेत्र का डायवर्जन

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के एक बहुत ही लोक महत्व का मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक नोटिफिकेशन 20 मार्च, 1982 के तहत बूंदी जो कि जिला हैडक्वार्टर भी है, इसका 70 प्रतिशत हिस्सा फोरेस्ट में आ गया और इसका किसी को पता नहीं लगा। इतने साल तक खूब सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंगें बनती रही। वहां एस बी बी जे का मेन बैंक बन गया, आर टी डी सी की होटल बन गई, भूमि विकास बैंक बन गया, मुख्य डाकघर बन गया, सरकारी आई टी आई बन गई; और तो और, थाइलैण्ड मार्केट और डी एफ ओ का आफिस भी बन गया।

फिर 7.7.2011 को एक आदेश आता है जिसके तहत वन सचिव के यहां से लिख देते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में निजी भूमि के उत्तराधिकार व वसीयत हस्तांतरण के अतिरिक्त विक्रय पत्र अथवा दान पत्र के हस्तांतरण पर प्रतिबंध किया गया है। उसके बाद सब-रजिस्ट्रार और बैंकों को चिट्ठी लिख देते हैं कि कोई किसी की रजिस्ट्री नहीं करायेगा; बैंक कोई लोन नहीं देगा, कोई प्रोपर्टी मोरगेज नहीं होगी और कोई निर्माण कार्य नहीं होगा; पी डब्ल्यू डी, पी एच ई डी,

(श्री अशोक डोगरा)

नगरपालिका को आदेश दे दिया कि बिना फोरेस्ट की अनुमति के कोई निर्माण नहीं होगा।

पिछले बजट सत्र में 29.3.2012 को मैंने यहां पर यह मामला उठाया था, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके तहत वहां 5,526 मकान, 1,496 दुकानें, 32 सरकारी कार्यालय, 101 धार्मिक स्थल और 70 हजार की पापुलेशन प्रभावित हो गई। वहां जितनी विकास की योजनाएं आईं, आर यू आई डी पी की 27 करोड़ की पेयजल की योजना थी, इस एरिये में तीन टंकिया थीं उनका काम आज तक अधूरा पडा है; आर यू आई डी पी से 8 करोड़ की सड़कों के निर्माण के लिए पैसा आया है, फोरेस्ट ने एन ओ सी दे दी, वह पैसा वापस चला गया; ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ढाई करोड़ रुपया आया, वह वापस चला गया। एम एल ए, एम पी फंड के पैसे से न सड़क बनने देते हैं, न ट्यूबवेल लगने देते हैं, न हैण्डपम्प लगने देते हैं।

पिछली बार जब इस मामले को यहां पर उठाया तो उस दिन मंत्रीजी नहीं थे, उन्होंने अगले दिन मुझे और माननीय प्रभुलालजी सैनी, दोनों को चैम्बर में बुलाया। वहां सी सी एफ थे, बूंदी के डी एफ ओ थे, वहां उन्होंने यह कहा कि यह 2,817 बीघा जमीन आ रही है, इसके डाइवर्जन के प्रस्ताव हम बना कर, इतनी जमीन को चिह्नित करके हम दूसरी जगह दे देंगे। कुछ कोर्ट केस थे, वे भी खतम हो गये; कोर्ट केस भी दो महीने में खतम हो गये। 2,817 बीघा जमीन चिह्नित भी कर दी लेकिन वहां से प्रस्ताव आज तक यहां नहीं आए, एक साल हो गया।

दो बार तो बूंदी बंद हो गया, लोग धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रोपर्टी न कोई बेच सकता है, न कोई खरीद सकता है, न उस पर कोई निर्माण करवा सकता है। फोरेस्ट वाले कई जगह घरों के आगे खाइयां खोद कर वहां दीवारें बना रहे हैं, आने-जाने से रोक रहे हैं। बूंदी की 70 प्रतिशत जनता इससे प्रभावित है, जीना मुश्किल हो रहा है। जब एक साल पहले यह मामला उठ गया, प्रशासन को यह कह दिया कि प्रस्ताव बनाकर दे दो, तो वह प्रस्ताव एक साल में भी यहां नहीं आए तो वे कब आएंगे?

इतना गम्भीर मामला है कि पूरे जिला हैडक्वार्टर के सभी लोग चिंतित हैं। लोग सोच रहे हैं कि नेशनल हाई-वे जाम करें, रेलगाड़ी रोकें, क्या करें? कोई सुनने वाला नहीं है।

(श्री अशोक डोगरा)

मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ही लोक महत्व का मुद्दा है, इसमें सरकार से जवाब दिलवा दें, समय सीमा तय करवा दें कि कितने दिन में इस जगह को फोरेस्ट से निकाल देंगे। और जब तक नहीं निकले तब तक वहां रजिस्ट्रियां चालू करवा दें। कम से कम विकास के काम तो होने दें। इस पर जवाब दिलवा दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, प्रेमीजी। क्या डी एफ ओ ने प्रस्ताव नहीं भेजे?

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): प्रस्ताव बूंदी से कोटा चले गए, कोटा से आज तक यहां नहीं आए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप बूंदी के रहने वाले हो ...

श्री उपाध्यक्ष: यह सबका नहीं है। आपका नाम तो इसमें नहीं है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): इसमें माननीय अशोक जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह वास्तव में यह बहुत सेंसिटिव मामला है। पूरा बूंदी डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो रहा है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आपसे निवेदन है कि आप इस सेंसिटिव मैटर को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रेमीजी। मैंने प्रेमीजी को इजाजत दी है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, कतई अंकित नहीं होगा, आप विराजिए। बिना इजाजत के जो बोलेगा, अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): साहब, आप जवाब की व्यवस्था दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिए, प्रभुलालजी सैनी। आप विराजिए, मालिक। देखिए, यह सब्जेक्ट सदन का नहीं है, माननीय सदस्य ने पर्ची से उठाया है। (व्यवधान) आप समझिए, यह सबका नहीं है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सेंसिटिव मैटर है, बूंदी जिले के लिए बहुत सेंसिटिव मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष: इस मामले को डाइल्यूट मत कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, इन्हीं के लिए सिफारिश कर रहे हैं कि इसमें व्यवस्था दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष: किसकी सिफारिश कर रहे हैं ?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अशोक डोगराजी की बात का। हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि बहुत गम्भीर मामला है, इसमें आप व्यवस्था दिलवा दो।

श्री उपाध्यक्ष: सदन में जो मैटर आ गया, पूरे की सिफारिश है।

माननीय प्रभुलालजी। प्रभुलालजी, थोड़ा शोर्ट में, नहीं तो फिर वही बात आएगी, रात की तरह।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बिलकुल शार्ट में। आपसे जुड़ा हुआ विषय भी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि पांच बजे तक का समय है, सारा बिजनेस निपटाना है पांच बजे तक।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बूंदी से आने वाले माननीय विधायकजी ने, जिस प्रकार प्रक्रिया का उल्लंघन फोरेस्ट विभाग द्वारा किया गया, उसमें मेरा यह निवेदन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का गठन 1982 में किया गया और 2011 तक वन विभाग के द्वारा उस अभयारण्य के बनाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी दौरान पूरे बूंदी शहर में 5,526 मकान बने, 1,496 दुकानें बनीं...

श्री उपाध्यक्ष: वह तो कह दिया उन्होंने। प्रभुलालजी, पर्ची का मामला है, जो माननीय सदस्य ने बोल दिया, कृपया उसको रिपीट न करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा निवेदन इतना सा है, माननीय वन मंत्रीजी के यहां उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई ...

श्री उपाध्यक्ष: वह तो बता दिया उन्होंने।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हम लोग भी वहां गये थे और सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि हम दो महीने में डाइवर्जन के प्रस्ताव बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जो बाडी बनी हुई है, उसको भेजेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार के द्वारा इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया गया। आज दिन तक भी डाइवर्जन के प्रस्ताव बनकर राज्य सरकार को नहीं आए। अत: हमारा आपसे निवेदन है कि आज इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिलावें कि कब तक डाइवर्जन के प्रस्ताव बनाकर भेज दिए जाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप बोलो, उसके पहले एक मिनट। यह मसला राजस्थान में बहुत से शहरों में है, इसलिए माननीय सदस्य उद्वेलित हैं। (व्यवधान) बोलने से नहीं होगा, पूरे स्टेट के लेवल पर आप इसको दिखवा लें। बूंदी का स्पेशल आया है, इसलिए इसके बारे में आप बता दीजिए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चिंता जाहिर की है, उनकी बात बिलकुल अपनी जगह ठीक है। 1982 में इसकी सीमाओं का निर्धारण हुआ था, इसको घोषित किया था। उसमें सीमाओं का, बूंदी-नैनवां रोड, जयपुर सड़क तक, बूंदी-जयपुर रोड, फूल सागर मोड़ तक। इसका जो डिमार्केशन हुआ, इसकी सीमाएं, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह जल्दबाजी में हो गया।

नगरपालिका का प्रस्ताव या नगर परिषद का प्रस्ताव, ये सब चीजें अगर आ गई होंगी, विभाग को कहूंगा, एक महीने के अन्दर-अन्दर इसके डाइवर्जन के प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट में भेजें। यहां से कोई प्रस्ताव नहीं आए, तो एक महीने में यहां से सारी कार्यवाही करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव कौन भेजेगा, मंत्रीजी?

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना...

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनिट विराजिए। माननीय मंत्रीजी, भारत सरकार का भी आर्डर है, राजस्थान सरकार का भी आर्डर है, इस तरह से जमीन में किसान को लोन लेने से नहीं रोका जा सकता। बैन नहीं, केवल खण्डन करते हुए आर्डर निकाला, इसलिए वह सारी बात दिखवायें। जब तक आप डाइवर्जन के प्रस्ताव नहीं देंगे तब तक भी उनको अधिकार है, उनकी प्रोपर्टी का अधिकार है। यह उसको खंडित करते हुए आर्डर क्यों निकाल दिया?

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, 4.11.2011 को नगरपालिका का प्रस्ताव आ चुका है यहां पर। 4.11.2011 को नगरपालिका ने प्रस्ताव भेज दिया है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी जिला राजसमंद...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा का ऐसा जैसलमेर क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इनकी सुन लें, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए/(3) के अनुसार राज्य सरकार सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की सिफारिश के उपरान्त ही कर सकती है। यूजर एजेंसी, बूंदी नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की अभिशंसा प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ही आगामी कार्यवाही सम्भव है।

(श्री परसादीलाल)

जो देरी हुई, मैं विभाग को कहूंगा कि एक महीने में इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी। अब बात आ गई, आप मिल लेना। माननीय किरण माहेश्वरीजी (राजसमन्द)

राजसमन्द तहसील के पटवार मण्डलों का बंटवारा

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि राजसमन्द तहसील है, उस तहसील में 40 पटवार मण्डल हैं। सामान्यतया..., माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर हो तो ज्यादा ठीक होगा; राजस्व मंत्रीजी का ध्यान...

श्री उपाध्यक्ष: सुन रहे हैं, आप बोलिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं यह जानकारी देना चाह रही हूं कि राजसमन्द तहसील में 40 पटवार मण्डल हैं। सामान्यतया एक तहसील के लिए 20 से 22 पटवार मण्डल होते हैं, इस राजसमन्द तहसील के अन्दर 40 पटवार हैं। उसकी वजह से काम करने में बहुत परेशानी आ रही है।

एक उप-तहसील बनी है, कुआरिया उप-तहसील, उस कुआरिया उप-तहसील में जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को अगर लिया जाए तो कुआरिया में फिवावड़ी, कुआवरी मां सतियों की बावड़ी, बिनोल, खटामला, बड़ाई, भावा, पीपली आचारी, मोही, राजावास और ऐमड़ी, ये सारी पंचायतें उस उप-तहसील में हैं। यह सारा का सारा काश्तकारी क्षेत्र है, किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि यह कुआरिया तहसील नहीं होने की वजह से उन्हें राजसमन्द मुख्यालय पर जाना होता है और लगभग 18 से 20 किलोमीटर उन्हें चलकर तहसील पर पहुंचना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि और भी जो हमारी तहसीलें बनी हुई हैं राजसमन्द जिले में, वहां पर करीब 19-20 ही पटवार हैं। एक उदाहरण के रूप में आमेट तहसील को लूंगी जहां पर मात्र 20 पटवार हैं, जबकि राजसमन्द तहसील में 40 पटवार हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना है कि कुआरिया जो उप-तहसील है, उसे तहसील में किया जाए। उसके लिए यह जानना जरूरी हैं कि जो कुआरिया थाना है उस थाने में रेलमगरा तहसील की कुछ पंचायतें हैं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उनका थाना कुआरिया लगता है। उदाहरण के तौर पर पीपली हिरान, गोगाथोला, 15 किलोमीटर दूर है उनके लिए रेलमगरा, जो आज रेलमगरा तहसील में हैं लेकिन अगर उन्हें कुआरिया तहसील बनाकर कुआरिया के साथ जोड़ दिया जाए तो मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इसी तरह से, लापसिया जो कुआरिया के 8 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन रेलमगरा जाएंगे तो उन्हें 14 किलोमीटर जाना होगा, रेलमगरा के लिए। मैं यह कहूंगी कि यह पीपली हिरान, गोगाथोला, झूमदा, लापसिया, ये वे पंचायतें हैं रेलमगरा तहसील की जिन्हें अगर कुआरिया तहसील बनाकर उसमें जोड़ दिया जाए तो इनका डिस्टेंस बहुत कम होगा। सारी चीजों के आसानी से काम हो सकेंगे, क्योंकि रेवेन्यू का जो डिस्पोजल होना है, जिस तरह से नामान्तरण के प्रकरण, सीमा जानकारी के, भूमि बंटवारे के, नकलें, आन-लाइन जो सारा कम्प्यूटराइजेशन होना चाहिए, वे सारी चीजें हो सकेंगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगी कि कुआरिया को जो उप-तहसील है, काफी वर्षों से उप-तहसील बनी हुई है, उसे तहसील में कन्वर्ट करें तो उस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा और साथ-साथ सरकार को भी रेवेन्यू पाइंट आफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको भी तरीके से, वे सुविधाएं आसानी से लोगों को दे सकेंगे।

यही कहते हुए, आप अगर इसका आश्वासन सदन में देंगे तो हम यह मानेंगे कि वास्तव में यहां बोलने का कुछ अर्थ निकला। यह जो उप-तहसील बनी है उसे तहसील बनाना है। कहना चाहिए, तर्क जितने भी हैं, वे इसको फेवर करते हैं क्योंकि 40 पटवार मण्डल राजसमन्द तहसील में हैं और अगर बंटवारा होगा तो बहुत आसानी से, काम इजी होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय किरणजी, विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिए इसे तहसील बनाने की घोषणा माननीय मंत्रीजी करें तो बहुत उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजस्व मंत्रीजी यहां...

श्री उपाध्यक्ष: मैं रोक नहीं रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, आप रोक तो नहीं रहे हैं। इसमें डिमांड पर भी हम बोलना चाहते थे लेकिन डिमांड, यहां चर्चा ही नहीं हुई राजस्व की। इसलिए अगर यहां कुछ आश्वासन भी दे दें तो...

श्री उपाध्यक्ष: राजस्व पर चर्चा तो हुई थी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें आया था सब्जेक्ट।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): चर्चा ही नहीं हुई, कोई जवाब भी नहीं दिया था मंत्रीजी ने और ऐसे ही एडजोर्न हो गया था।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तहसील के लिए, आपको पता है, सामान्य क्षेत्र में 30 पटवार मण्डल होने चाहिए, तो इसमें अगर 60 पटवार मण्डल होते...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 30 नहीं 20 ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सुनिये आप, बात को सुनिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सामान्य क्षेत्र में; यह टी एस पी में नहीं है आपका राजसमन्द, सामान्य क्षेत्र है। तो सामान्य क्षेत्र में एक तहसील के लिए 30 पटवार मण्डल होने आवश्यक हैं। अगर दो तहसील बनती हैं तो 60 होने चाहिए। 60 होते तो यह दूसरी तहसील बनने के क्राइटेरिया में आ जाती, नोर्म्स में आ जाती। अब यह किसी भी हालत में नोर्म्स में तो आ नहीं रही है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, नोर्म्स में आ जाएगी, माननीय मंत्रीजी, अगर आपने इसमें से कुछ तोड़कर और कुछ रेलमगरा के भी लेकर, जो मैंने पंचायतों के नाम लिए, तो एक नई तहसील बन सकती है, क्योंकि थाना बना हुआ है कुआरिया।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): और दूसरी तहसीलों के पटवार मण्डल शामिल करके जैसा कि आप कह रही हो, 40 इसमें हैं, 40 नहीं 41 हैं, 41 ये हैं और अगर दूसरी तहसीलों के पटवार मण्डल इसमें मिलाने से 60 हैं, 60 से अगर दो-चार, चार-पांच कम हों तो भी रिलक्सेशन उसको...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): भौगोलिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है। आप कह रहे हो कि दूसरे पटवार मण्डल, तो आप मुझे लिखकर दे दें कि किस तरह से कैसा; उसके हिसाब से मैं उसकी रिपोर्ट मंगवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): रिपोर्ट मंगवा लूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री पेमाराम, सदस्य, विधान सभा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने पर ग्राम पंचायत को उसके हिस्से की राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री पेमारामजी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृषि भूमि के अकृषि भूमि में परिवर्तन पर ग्राम पंचायत को उसके हिस्से की राशि का भुगतान

श्री पेमाराम (धोद): मैं राजस्व मंत्रीजी का ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने पर जो ग्राम पंचायतों को उनके हिस्से की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उसके सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि से अकृषि भूमि में संपरिवर्तन के नियम, 1992 के तहत पूर्व में संपरिवर्तन किया जाता था और बाद में नियमों में संशोधन करके 2007 के नये नियम बना दिये गए और 1992 के नियम निरस्त कर दिए गए। इसके बारे में, राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 1992 विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 द्वारा नये राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 2007 बनने से निरस्त हो गए। 2007 से पूर्व 1992 के नियमों के तहत कार्यवाही, खातेदारी कृषि भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक विनिर्माण प्रयोजन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु तहसीलदार से लेकर राज्य सरकार स्तर तक उक्त कार्यों के लिए संपरिवर्तन शुल्क प्राप्त कर भूमि का रूपान्तरण किया जाता रहा है।

राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का विभिन्न अकृषि प्रयोजनों के लिए

(श्री हेमाराम चौधरी)

रूपान्तरण नियम, 1992 दिनांक 27.04.1992 से लागू किये गये थे। इन नियमों के नियम 18 में यह प्रावधान था कि इन नियमों के अधीन जमा कराये गये प्रीमियम का आधा भाग प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, लेकिन इस आय को पंचायतों को देने की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया जा सका था। फिर राजस्व विभाग ने 07.03.1998 का यह परिपत्र जारी करके प्रक्रिया निर्धारित कर दी और उस प्रक्रिया के अनुसार ½ हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। इस प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विभिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण से प्राप्त होने वाली आय की ½ राशि आय बजट मद 0029 में जमा करा दी जाए एवं शेष ½ राशि ग्राम पंचायत के सम्बन्धित पंचायत समिति के पी.डी. खाते में जमा करा दी जाएगी। पंचायत समिति द्वारा उक्त पी.डी. खाते में उक्त जमा राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को लौटाया जायेगा। इस प्रकार जमा कराई गई दोनों चालानों की प्रति को सम्यक् रूप से देखने के पश्चात् सम्बन्धित प्राधिकारी यथा तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर, सम्भागीय आयुक्त अथवा राज्य सरकार नियमों के अनुसार भूमि रूपान्तरण के आदेश जारी करने की कार्यवाही करेंगे। पंचायत समिति द्वारा ही पी.डी. खाते में उक्त जमा राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को लौटाई जाएगी।

जिला कलक्टर, सीकर के अनुसार सीकर जिले में 1992 के नियमों के नियम 18 के तहत ग्राम पंचायतों को संपरिवर्तन प्रभारों की...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप थोड़ा माइक के पास में बोलें।

श्री उपाध्यक्ष: आवाज तो आ रही है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): देय ½ राशि सम्बन्धित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में तहसीलदारों के द्वारा जमा करा दी गई है तथा किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इसमें उल्लंघन की बात नहीं है। ग्राम पंचायतों को यह राशि देने का दायित्व सम्बन्धित पंचायत समिति का है।

1992 के नियमों द्वारा जारी अधिसूचना, 02.04.2007 से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ, 2007 के नियम 20 को निरस्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। फिर 2007 के नियम 18 द्वारा ही जमा रूपान्तरण प्रभारों की ½ राशि राज्य सरकार द्वारा वित वर्ष के अंत में

(श्री हेमाराम चौधरी)

तहसीलदारों के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दिये जाने का प्रावधान किया गया। राजस्व मण्डल, अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार कुछ जिलों में पूर्व प्रक्रियानुसार रूपान्तरण प्रभार की आधी-आधी राशि पृथक-पृथक चालान द्वारा, मद भू-राजस्व एवं सम्बन्धित पंचायत के पी.डी. खाते में जमा कराई जाती रही है।

इसके पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 16.01.2012 द्वारा नियम 18 को प्रतिस्थापित करते हुए नियमों के अधीन निक्षिप्त कराये गये संपरिवर्तन प्रभार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को संदत्त किये जा सकेंगे, यह परिपत्र जारी कर दिया।

इसके बाद में राज्य सरकार ने 07.03.1998 के अधिलंघन में दूसरा एक परिपत्र 28.02.2012 जारी किया। इसके तहत 16.01.2012 से ही राज्य सरकार की समेकित निधि (कंसोलिडेट फण्ड) में जमा होना आवश्यक होने से इन नियमों के अन्दर संपरिवर्तन प्रभारों की शत-प्रतिशत राशि विभागीय राजस्व मद 0029 में जरिये चालान जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गये। पहले आधी राशि पंचायतों को संपरिवर्तन की दी जाती थी और इसके बाद में शत-प्रतिशत संपरिवर्तन राशि जो है, वह पंचायतों को दिये जाने का निर्णय लिया गया। भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में संपरिवर्तन प्रभार से आय का पंचायतवार मासिक लेखा संधारित करेंगे तथा उक्त आय के आंकड़े प्रत्येक त्रैमासिक समाप्ति पर 10 तारीख तक राजस्व मण्डल अजमेर, सम्बन्धित जिला परिषद एवं पंचायत राज विभाग को प्रेषित करेंगे, कलक्टर साहबान, यह प्रक्रिया निर्धारित की। फिर पंचायती राज विभाग मानिटरिंग करके राजस्व मण्डल एवं जिला परिषदों से प्राप्त आय के ग्राम पंचायत और आंकड़ों का मिलान करके वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ग्राम पंचायत को सम्बन्धित जिला परिषद के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु ग्राम-पंचायतवार स्वीकृति जारी करेंगे। पंचायत राज विभाग द्वारा जारी उक्त स्वीकृति प्राप्त होने पर वित्त विभाग सम्बन्धित जिला परिषद के पी.डी. खाते में राशि जमा कराने की स्वीकृति जारी करेगा।

राजस्व मण्डल द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर को 11-12 की सूचना जिला कलक्टरों से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा चुकी है। भिजवाई गई सूचना में, 18 जिला कलक्टर्स की सूचना में पंचायत राज विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित जिला

(श्री हेमाराम चौधरी)

कलक्टर को मण्डल स्तर से ही सीधे पंचायत राज विभाग को प्रश्न हेतु निर्देशित किया गया है।

इस प्रकार, पहले आधी राशि थी, अब संपरिवर्तन की पूरी राशि पंचायतों को देने का सरकार ने निर्णय लिया है। अब यह राशि 0029, राजस्व मद में जमा होगी; उसके बाद में अकाउण्ट्स, जिला परिषदों को भेजेंगे, उसका हिसाब-किताब; फिर जिला परिषद ग्रामीण विकास, वह पंचायती राज विभाग है, उसको लिखेंगे; ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, फिर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके पंचायतों को, यह राशि पंचायत समितियों के पी.डी.एस. खाते में जमा होगी। यह प्रक्रिया है। परन्तु इस प्रक्रिया के तहत राशि पंचायतों को सब जगह मिली नहीं है, यह बात सही है। इसमें जरूर ढिलाई रही है। मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि यह सारा मामला, जो सीकर जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान के 33 जिलों के इस बारे में...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): यह राजस्थान का है। मैंने पूरे राजस्थान का ही लगाया है, स्टेट का लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, बात तो आप आने दें। आप ही के पक्ष की बात है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इस प्रकार संपरिवर्तन की जो भी राशि मिली है, नियमानुसार पूर्व में आधी राशि थी और अब यह 16.01.2012 से पूरी राशि पंचायतों को जब देने का निर्णय ले लिया है तो वह पूरी राशि पंचायतों को मिल जाए, इसके लिये सभी कलक्टर्स को निर्देशित कर देंगे, पाबन्द कर देंगे कि वे इसके तहत जो भी, आज से पूर्व जितनी भी पंचायतों की राशि बनती है संपरिवर्तन के रूप में, वह उनको दे दी जाए; इसमें कोई किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए; एक महीने के अन्दर-अन्दर यह सारी कार्यवाही पूरी करके उनको राशि भिजवा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय पेमाराम जी, कोई स्पष्टीकरण, कोई खास हो तो, बहुत कुछ कह दिया है।

श्री पेमाराम (धोद): खास है। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा में कानून बना है।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो कह दिया ना, गलती रही है, त्रुटि रही है।

श्री पेमाराम (धोद): मैंने यह सब्जेक्ट लगा दिया, कोई गुनाह कर दिया क्या?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपने तो सही किया। वह जवाब आ गया ना। (व्यवधान) आपने तो पूरे राजस्थान का भला कर दिया, सरपंचों का।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी तो निवेदन सुन लें। 15 बरस पहले राजस्थान में कानून बना। यह सदन भी कानून और नियमों से चलता है, सरकार भी कानून और नियमों से चलती है। यह कानून बना परन्तु यह ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। एक तरफ, चूंकि मैं स्पेसिफिक उस सन् पर ही आ रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं देता, पर 15 बरस पहले, सरकार 5 साल इससे पहले गहलोत साहब की भी रही...

श्री उपाध्यक्ष: इसको छोडिये आप। छोड़िये, छोड़िये।

श्री पेमाराम (धोद): 5 साल इधर भी रही, फिर साढ़े चार साल उधर रही, साढ़े 14 बरस।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो स्पष्टीकरण कोई मांग लो।

श्री पेमाराम (धोद): इस नियम में मेरा कहना यह है कि कन्वर्शन चार्ज जो लिया जा रहा है, इस नियम के तहत कन्वर्शन चार्ज लिया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लम्बा-चौड़ा पूरे राजस्थान का तो पता नहीं, मेरे सीकर जिले में मात्र दो साल का, मैं 1998 की बात नहीं कर रहा, वर्ष 2010-11 और 2011-12, एक करोड़ 53 लाख 79 हजार 274 रुपया, यदि टोटल जोड़ेंगे तो अरबों रुपया है। यह जवाब विधान सभा में ही दिया है। यह जोड़ मेरा नहीं है, मैं मेरा जोड़ कुछ करके भी नहीं लाया हूं। यह विधान सभा में क्वेश्चन लगाये और क्वेश्चंस के आधार पर मेरे पास जो जवाब आया है, वही बोल रहा हूं, दो ही बरस का।

इसमें एक तरफ सरकार यह कहती है कि ग्राम पंचायतों को हम मजबूत करेंगे, 15 साल तक, 15 वर्ष तक ग्राम पंचायतों का हिस्सा पड़ा रहा और, मंत्रीजी, आप कह रहे हैं कि कोई कर्मचारी, अधिकारी दोषी नहीं है। तो क्या पेमाराम दोषी है? कोई भी दोषी नहीं है तो 15 साल तक लगातार अरबों रुपया अकेले सीकर जिले का, पूरे राजस्थान में यह गांवों में जाता, उपाध्यक्ष महोदय, नाली बनती, और कुछ बनता। इसलिये कौन जिम्मेदार है? 15 साल तक इस पैसे को रोकने वाला, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कोई, वरना जिस कानून के तहत आप कन्वर्शन चार्ज ले रहे हो, उस कानून के नियम नम्बर 18 में यह लिखा हुआ है कि इस नियम की पालना करने के लिये तहसीलदार के द्वारा पंचायत को हर वित्तीय वर्ष के आखिर तक, 31 मार्च तक भुगतान दिया जाएगा। 1992 से लेकर आज तक

(श्री पेमाराम)

एक नया पैसा हमारे जिले में, मुझे राजस्थान का पता नहीं, सीकर जिले में फूटी कौड़ी भी किसी ग्राम पंचायत को नहीं दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ ही पूछ लूं जिससे कि एक साथ ही ये जवाब दे दें। मेरी पहली बात तो यह है कि साढ़े चौदह साल तक जो पैसा नहीं दिया गया है, जो उन्होंने रोक कर रखा है, उनके खिलाफ मंत्रीजी क्या कार्यवाही करना चाह रहे हैं? पहली चीज। क्योंकि चार कामों में आना था, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, जिसमें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो भी है। हां, अब दूसरा क्वेश्चन।

श्री पेमाराम (धोद): करोड़ों रुपयों का मामला है ग्राम पंचायतों का। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्रधान और प्रमुख इस सदन में आए हैं, तो ग्राम पंचायतों के हक का पैसा कहां पर दबा हुआ पड़ा है? उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, साहब, उसमें और क्या स्रोत होगा? 15 साल तक कोई आया ही नहीं, कोई इन्होंने चेता ही नहीं और अब ये कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार ही नहीं है।

मेरे अकेले सीकर जिले में फतेहपुर में 35 पंचायतें हैं और 35 पंचायतों में अकेले फतेहपुर में 42 आवासीय नामांतरण तस्दीक हुए जिनमें रकम जो ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए, वह है 4,25,473/- रुपये। मैं आपको दो ही वर्षों का आकड़ा बता रहा हूं। लम्बा-चौड़ा आंकड़ा तो अब ये निकालेंगे और ये ही दिलवाएंगे। लक्ष्मणगढ़ में 37 ग्राम पंचायतें हैं, हमारे जिले में, 146 कन्वर्शन के पैसे जमा हो गये, 13,95,229/- रुपये। सीकर में पिपराली और धोद, दो पंचायत समितियों की 79 ग्राम पंचायतें हैं, 2,93,617/- रुपये; नीमकाथाना में 16 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 52,931/- रुपये; दांतारामगढ़ में 45 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 37 कन्वर्शन चार्ज हुआ जिसमें 53,81,854 रुपये। वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12, अकेले दो साल में 76,94,637/- रुपये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो स्पष्टीकरण पूछें।

श्री पेमाराम (धोद): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि आज तक रोकने वाले जो अधिकारी हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को जो जवाब दिया है, 2007 में हमने कानून बना दिया और लौटाने का नियम नहीं बनाया। सरकार ने वर्ष 2007 में कानून तो बना दिया लेकिन पैसे को लौटाने का नियम नहीं बनाया। कोई न कोई तो दोषी है। दोषी के खिलाफ कार्यवाही क्या करना चाह रहे हैं? पहली बात तो मैं यह पूछना चाह रहा हूं।

(श्री पेमाराम)

दूसरा, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि यह पूरे राजस्थान में जहां पर भी ग्राम पंचायतों के हिस्से का पैसा है, हर ग्राम पंचायत में करीबन दस-दस लाख रुपया आएगा, राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में दस लाख से कम नहीं आएगा, रोके बैठे हैं। तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

मेरा यह भी निवेदन है कि यह हर वित्तीय वर्ष के बजाए हर महीने, आगे से हर महीने उस ग्राम पंचायत का जो कन्वर्शन होता है, उसका पैसा लौटाने की व्यवस्था करें। मैं यह चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद, आप विराजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य को मैंने बता दिया कि यूं तो नियम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदस्य बहुत मेहरबान हैं, इन्होंने तो ब्याज नहीं मांगा। ब्याज मांग लेते तो वह भी जवाब देना पड़ता। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो असल ही दे दो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वैसे भूमि रूपांतरण के नियम 1992 में बने थे, 1992 से 1998 तक कोई रूपांतरण...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप पहले जवाब सुन लीजिए न।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पंचायतों को देने की कोई प्रक्रिया तय नहीं हुई थी। फिर 7.3.1998 को प्रक्रिया तय हुई और उस प्रक्रिया के तहत उसके बाद में आधा पैसा पंचायतों को देने का तय हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो ऐसा चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को ऐसा कर दो कि आइंदा से कोई दिक्कत ही नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने माननीय सदस्य को कह दिया, यह मेरी जानकारी में आया कि जो पैसा पंचायतों को संपरिवर्तन का मिलना चाहिए, वह पैसा पंचायतों को समय पर मिला नहीं...

श्री पेमाराम (धोद): साढ़े चौदह साल हो गए, साहब। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं सभी कलक्टर्स को यहां से निर्देश जारी कर दूंगा कि जो पंचायतों का संपरिवर्तन के रूप में उनका हिस्सा बनता है, पहले तो आधा हिस्सा ही था जिसको 16.1.2012 से पूरी राशि पंचायतों को देने का फैसला किया है, यह भी तो हमारा ही फैसला है; पहले आधा पैसा ही देते थे, अब हम पूरा देने जा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): फैसला ही फैसला किया है, रुपया तो एक दिया नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी, गिनने में भी समय लगता है, आप विराजिए। गिनने में भी समय लगता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): साढ़े चौदह साल के बाद में बोल रहे हैं हम तो।

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप पूरा जवाब तो सुन लो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, आप तो यह बता दो कि उसका फायदा ग्राम पंचायतों को कब तक मिल जाएगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, आपस में नहीं। जवाब तो आने दो, पूरा जवाब आने दो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पंचायती राज विभाग को इसकी सूचना देंगे कि आपकी किस-किस ग्राम पंचायत का संपरिवर्तन का कितना-कितना पैसा बनता है। यह सूचना हम ग्रामीण विकास विभाग को देंगे। ग्रामीण विकास विभाग फिर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगा और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही यह पैसा पंचायतों को मिल पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए, माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस नियम के तहत आप कन्वर्शन चार्ज ले रहे हो, तो फिर वित्त विभाग का अडंगा लगाकर, ... (व्यवधान) 15 साल तक एक नया पैसा नहीं दिया आपने।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभी कलक्टर्स को निर्देश जारी कर देंगे कि एक महीने के अन्दर-अन्दर पूरा अकाउंट जो भी है, वह ग्रामीण विकास विभाग को दे दें और ग्रामीण विकास विभाग...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप में से कौन बोलेगा पहले? एक प्रश्न पूछ लें। आप तो विराजें।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों से सरकार चलती है, नियमों से ही सारा सिस्टम चलता है, नियमों के आधार पर ही इन्होंने कृषि जमीन का अकृषि कार्यों के लिए संपरिवर्तन का शुल्क ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह तो आ गई बात।

श्री पेमाराम (धोद): वह नियम तो मानते हैं? (व्यवधान) जो पंचायतों को देने वाला है, उसमें कभी 'इफ' और कभी 'बट', अब कह रहे हैं कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है, इसके लिए तो आपको धन्यवाद कि जितना पैसा आज तक जो पंचायतों को 50 प्रतिशत और 2012 से 100 प्रतिशत, उनका आज तक का है, उनको एक महीने में आप सबको दिला देंगे, इसके लिए तो धन्यवाद...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आगे से पूरी ग्राम पंचायत की कृषि भूमि का संपरिवर्तन का पूरा पैसा जब उस ग्राम पंचायत को ही देना है, तो जिस ग्राम पंचायत की हो रही है, आप उसकी रिपोर्ट देंगे ग्रामीण विकास विभाग को, फिर वे वित्त विभाग से स्वीकृति लेंगे। मैंने यह प्रश्न पहले भी बार-बार लगाया है, वित सचिव से, आपके रेवेन्यू सचिव से लेकिन वह 250 करोड़ रुपया आज तक राजस्थान का...। इसलिए मैं तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सीधा आपकी तहसील में, तहसील और कलक्टर के यहां पर संपरिवर्तन होता है, बड़ा होता है तो ऊपर भी होता है, जिस ग्राम पंचायत का जितना पैसा है, वह उस ग्राम पंचायत के अकाउंट में क्यों नहीं भेज देते? और उसके विकास में क्या उसके मापदंड होंगे, ग्रामीण विकास विभाग और वित्त विभाग वे मापदंड बना दे और सीधा पैसा जहां पर भी कलेक्शन होता है, वह सीधा उस ग्राम पंचायत के अकाउंट में, क्योंकि आजकल तो ई-ट्रांसफर है तो सीधा क्यों नहीं दे देते? यह 1998 से लेकर आज 2013 तक नहीं गया है। इसलिए, मंत्री महोदय, क्या सरकार यह चाहती है कि यह पैसा तुरन्त ग्राम पंचायत को जाए? जो नियम आप चाहते हैं कि यह पैसा किस काम में लगेगा, कैसे लगेगा, वह आप नीति बना दें, पर पैसा सीधा ग्राम पंचायत के अकाउंट में जाए। सबके पास है। सरकार क्या यह इरादा रखती है?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पहले से नियमों में व्यवस्था यही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तो नियम बदल दो। नियम बदलने के लिए ही हम बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998 से 2013 तक, अगर 14 साल में भी नहीं मिला तो उन नियमों को बदलने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है। अब आप कह रहे हैं कि एक महीने में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के कतिपय क्षेत्र को डि-कमांड घोषित करने के सम्बन्ध में उपनिवेशन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री पेमाराम (धोद): ये तो बोलेंगे ही पर मंत्रीजी हमारे वाले का जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलालजी। केवल प्रभुलालजी का।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रभुलालजी। माननीय प्रभुलालजी, आप बोलिए, आप ही का अंकित हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका ही अंकित हो रहा है। आप विराजिए। नहीं। प्रभुलालजी, आपका ही अंकित हो रहा है, अन्य किसी का अंकित नहीं हो रहा है। अंकित ही नहीं हो रहा है इनका, आपका अंकित हो रहा है, आप अपनी बात कहिए।

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षेत्र को डी-कमाण्ड किये जाने की घोषणा

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के कतिपय क्षेत्र को डि-कमाण्ड घोषित करने के सम्बन्ध में मैं उपनिवेशन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बूंदी जिले में सिंचाई बांध पेच की बावड़ी में पड़ने वाले

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहर रहित क्षेत्र काचोला सहित आस-पास के गांवों को कमांड से डि-कमाण्ड करने के लिए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह बांध पेच की बावड़ी 1955 से 1958 में बना था, उस समय काछोला ग्राम की ढाणी बावड़ी खेड़ा उसमें शामिल थी। उस वजह से काचोला गांव पूरा ही सी ए डी में शामिल

(14.00 बजे)

कर लिया गया। अब जो काछोला ग्राम, जिसमें सिंचाई नहीं हो रही है और आगे भी सिंचाई होना सम्भव नहीं है, उसको डि-कमाण्ड करने की बात है। उसके लिये प्रशासनिक आदेश मैंने मेरे विभाग से जारी कर दिया है, सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट से वैट करवाना पड़ेगा। इसलिये आज ही पत्रावली ला डिपार्टमेंट को मैंने भेज दी है और ला डिपार्टमेंट से वैट होकर आ जायेगा और आते ही यह डि-कमाण्ड करने की अधिसूचना जारी कर देंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय मंत्री महोदय, इसके लिये तो आपको धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 45 वर्षों से जो भूमि असिंचित थी और सिंचित मानकर उन किसानों से अपन ने लगान वसूली कमाण्ड क्षेत्र की की।

नम्बर दो, आपने जितनी भी डी एल सी दरें थीं, रजिस्ट्रेशन जितने भी हुए, वे भी सिंचित क्षेत्र के रूप में हुए। इससे किसानों को ज्यादा राशि देनी पड़ी।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, यह विषय कोई अकेले हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं, कितने ही बांध हैं, जिनमें जल्दबाजी करके, बिना नहरें बनाये उनको कमाण्ड घोषित कर दिया जाता है और उनको सिंचाई के लिये पानी कभी नहीं मिलता है। मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि क्या आप सुओमोटू ऐसे प्रकरणों को राजस्थान स्तर पर दिखवाकर किसानों को राहत दिलायेंगे? ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, इनके बीसलपुर का कमाण्ड तो है ही नहीं, कमाण्ड कर रखा है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, पहले जैसा मैंने कहा, यह ढाणी सिंचित क्षेत्र में है; यह गांव का ही भाग थी बावड़ी खेड़ा, वह सिंचित थी तो पूरा गांव सी ए डी में शामिल कर लिया गया। यह 1955 से 1958 की बात है। फिर जब आपने मेरे ध्यान में लाया, आपने मुझे

(श्री हेमाराम चौधरी)

पत्र भी लिखा, उसके ऊपर मैंने कलक्टर से रिपोर्ट, वगैरह मांगकर सारी कार्यवाही कम्पलीट कर दी। अब तो सिर्फ वैट होकर, आपका काम तो हो जायेगा।

रहा सवाल, आपकी यह बात भी सही है, फलौदी के अन्दर भी ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी नहर से फलौदी में सिंचाई, कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया। वह फलौदी वाले भी चाहते हैं कि हमारे यहां कोई पानी तो आना नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्रीजी कह नहीं रहे, बीसलपुर में बहुत बुरी हालत है। यह कमाण्ड होना चाहिये। क्योंकि उस क्षेत्र में नहीं है आजकल यह...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जहां कहीं का भी कोई प्रकरण मेरे ध्यान में लाया जायेगा कि यहां सिंचाई होनी नहीं है और कमाण्ड में यह भूमि ले ली है, इसलिये कमाण्ड से इसको डि-कमाण्ड किया जाये, तो तत्काल उस पर कार्यवाही करने के लिये मैं जिला कलक्टर को निर्देश दे दूंगा और उनको भी ये डि-कमाण्ड कर देंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बीसलपुर जो बांध है, टौंक जिले में हजारों बीघा ऐसी जमीन है जिसको आपने कमाण्ड तो घोषित कर रखा है, लेकिन आज भी वहां पर पानी की एक बूंद की भी सिंचाई नहीं हुई...

श्री उपाध्यक्ष: सम्भावना भी नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): और न उसकी सम्भावना है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, आप राजस्थान भर में ऐसे बांधों का परीक्षण करवा लें...

श्री उपाध्यक्ष: खुद करवा लें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): और जहां पर किसानों पर इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, उससे आप राहत दिलायें, क्योंकि आप किसानों के आप हित-चिन्तक हैं, ऐसा मेरा मानना है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय धारीवालजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ.12(11)वित्त/कर/2013-119 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ.12(11)वित्त/कर/2013-120 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ.12(11)वित्त/कर/2013-121 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 12(44)वित्त/कर/07-12 दिनांक 23.4.2008 को विखण्डित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय धारीवालजी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य, विधान सभा, चार याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। श्री रविन्द्र सिंहजी।

याचिका

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

चम्बल नदी से बजरी उठाने वाले हजारों परिवारों पर आया आर्थिक संकट

(1) राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली चम्बल नदी से बजरी उठाने वाले हजारों परिवारों पर आये आर्थिक संकट बाबत।

राजाखेड़ा को चम्बल नदी से पेयजल सुविधा

(2) राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड मुख्यालय राजाखेड़ा को चम्बल नदी से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत।

राजाखेड़ा एवं धौलपुर तहसील के गांवों को सिंचाई हेतु चम्बल नदी से पानी

(3) राजाखेड़ा एवं धौलपुर तहसील के गांवों को सिंचाई हेतु इस क्षेत्र से जुड़ी निरन्तर बहने वाली चम्बल नदी से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने बाबत, एवं

राजाखेड़ा से अगवा नाबालिग बालिका की गैर-बरामदगी

(4) 21 दिसम्बर, 2012 को राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के उप-खण्ड मुख्यालय से अगवा की गई नाबालिग बालिका की बरामदगी न होने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। श्री अर्जुन लालजी।

लूणी नदी के किनारे अवैध बजरी खनन पर रोक व अतिक्रमण हटाया जाना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लूनी नदी के किनारों पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध बजरी खनन एवं उनके द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को हटाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14, अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। डा. जितेन्द्र सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना एवं श्री हेमाराम चौधरी, जल

(श्री उपाध्यक्ष)

संसाधन मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। डा. जितेन्द्र सिंह।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27-पेयजल योजना की प्रस्तुति

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,28,63,51,000/- (इकतालीस अरब अट्ठाइस करोड़ तिरेसठ लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमारामजी चौधरी।

मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,97,42,37,000/- (सत्ताइस अरब सत्यान्नवे करोड़ बयालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सिंचाई और पेयजल, मानव के जीवन से जुड़ी हुई मांगों की बहस आप जैसे चैतन्यशील व्यक्तित्व की सदारत में प्रारम्भ हो रही है और मुझे उम्मीद भी है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के बाद माननीय मंत्रीगण भी हम लोगों की भावना के अनुरूप, हम अपने-अपने क्षेत्र से जो समस्याएं लेकर आये हैं, उनके अनुरूप उत्तर देंगे, न कि अपने घर से लिखकर लाया हुआ उत्तर देंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह चर्चा चलती है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, तो चिन्ता पूरी दुनिया की स्वाभाविक भी है। आज जिस तरह के हालात हैं, सतही जल की निरन्तर कमी होती जा रही है, पानी की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, मानसून बेरुखी पर है, जल स्रोत बदहाली पर हैं, साथ ही जल स्तर निरन्तर गिर रहा है। इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे संवैधानिक संस्थाओं में यह चर्चा चलने लग गयी कि जब आयकर की रिटर्न भरी जा सकती है तो पानी के उपयोग की रिटर्न क्यों नहीं भरी जाये? और यह रिटर्न उद्योगों से क्यों नहीं प्रारम्भ कर दी जाये?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो एप्रोच पत्र आया, उसमें यह बात साफ इंगित की गयी कि इस देश के सामने पेयजल का संकट, भूजल का संकट और अब वह समय आ गया है जब भूजल को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित किया जाये। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने भी यह बात कही कि अब वह समय आ गया, जब जल संसाधनों के प्रबन्धन के लिये जल नियामक प्राधिकरण जैसी संस्थाओं का गठन हो। उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की बात चलती है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। आज राजस्थान के अन्दर जो 249 ब्लाक हैं, भूजल की दृष्टि से उसमें से 166 ब्लाक क्रिटिकल आ गये, 25 सेमी-क्रिटिकल की श्रेणी में हैं और अगर सुरक्षित हैं तो सिर्फ 21 ब्लाक। ऐसी स्थिति के अन्दर, अब वह समय आ गया, उपाध्यक्ष महोदय, जब पानी चाहे सिंचाई का हो, पीने का हो, उसके लिये दीर्घकालीन योजना बने; हम भी जो प्रगतिशील देश हैं, उनकी तरह पानी के रिसाइक्लिंग की सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांचवां विश्वस्तरीय भूजल वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत को यह कहकर चेतावनी दी गई थी कि भारत में मात्र 30 प्रतिशत भूजल बचा है। अगर भूजल का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले 20 वर्षों में भूजल का भण्डार समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और चौंकाने वाली बात है, पिछली बार मानसून बहुत चौंकाने वाला हुआ। जयपुर के अन्दर बरसात अच्छी हुई। इस बरसात को लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के एटमोस्फीयरिक केमिस्ट्री ने एक शोध किया तो उसमें एक बात आयी कि जयपुर की आबोहवा ओर जयपुर के बिगड़ते हुए प्रदूषण के कारण से वर्षा जल में एसिडिटी बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में, जो यह पीएच है, जिससे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह नापा जाता है कि एसिडिटी कितनी कम, कितनी ज्यादा है, उसमें 3 परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। वह समय नहीं आ जाए, जब बिगड़ते हुए प्रदूषण के कारण हम लोग यह कहने लग जाएं, भगवान इन्द्र ने बरसात दी है, फिर यह बरसात भी हमारे लिए अभिशाप नहीं हो जाए।

आज हमारे नदी, नाले, जोहड़, आदि लगातार कब्जे में हैं। हम कितनी ही चर्चा यहां करें, सर्वोच्च न्यायालय ने जगजीत सिंह प्रकरण में निर्देश जारी किए, उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान के प्रकरण में यह स्पष्ट कहा कि जल स्रोतों को, अब वह समय आ गया है, 1947 की स्थिति में, उस रूप में लाया जाए। जुलाई के अन्दर जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में फटकार लगायी तो हमारे स्थानीय निकाय विभाग ने एक परिपत्र जारी किया सभी स्थानीय निकायों को कि कैचमेंट एरिये के संरक्षण की योजना बनाओ। मेरा निवेदन है कि इतना समय गुजरने के बाद अगर एक भी स्थानीय निकाय ने कैचमेंट एरिये के संरक्षण की कोई योजना बनायी हो तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

आज हालत क्या है, वर्ष 2012-13 के बजट के पैरा 35 में, मंत्री महोदय, आप स्वयं ने स्वीकार किया है कि 19,000 गांव और ढाणियां राजस्थान के अन्दर फ्लोराइड युक्त पानी पी रही हैं। आपने जो प्रतिवेदन 2012-13, उसमें आपने लिखा है कि 90 प्रतिशत पेयजल योजनाएं भूजल पर आधारित हैं और उसी में आपने लिखा है कि 222 नगर, 1 लाख 21 हजार 133 हैबिटेशन, इनमें से 39,751 गांव, 67,232 ढाणियां पेयजल से पूर्ण या आंशिक रूप से लाभान्वित हैं। यानी आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी, आपका यह प्रगति प्रतिवेदन कह रहा है, राजस्थान के अन्दर 15,000 गांव और घोषित ढाणियां ऐसी हैं जिनके अन्दर पीने के पानी की एक बूंद नहीं जा रही।

मैं आपका ध्यान वर्ष 2013-14 के बजट के पैरा 55 की ओर दिलाना चाहता हूं, उसमें आपने लिखा है कि आपने अब तक सरफेस वाटर पर, चाहे वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, चाहे नर्मदा नहर हो, चम्बल नदी हो, बीसलपुर हो, जवाई बांध हो, उन पर चार वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की हैं। आप उसी पैरे में लिख रहे हैं कि हमारा 84 शहरों एवं 12,770 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और चार महीने तीन वर्ष के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड खुद कह रहा है कि 84 शहरों में से आप मात्र 31 शहरों को लाभान्वित कर पाये और 12,770 गांवों में से मात्र 2,683 गांवों को आप लाभान्वित कर पाये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी बजट के पैरा 57 में 18 बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा करके आपने सदन की वाहवाही लूटी। मैंने इस सारी राशि को जोड़ा, 18 योजनाएं, ये कितने की हैं, ये हैं 7,331 करोड़ रुपये की। इसका बजटीय प्रावधान कहां है, मंत्री महोदय, आप उत्तर दें तब मुझे जरूर बताना। कितने वर्षों में आप इनको पूरा करेंगे, यह भी जरूर बताना, क्योंकि मुझे वह समय याद है, जब आप नये -नये शासन में आये थे तब आपने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया था कि 14 हजार 200 करोड़ की पेयजल की योजना बिना वित्तीय प्रबन्धन के छोड़ कर पिछली सरकार चली गई, आपने घोषणा भी की थी कि हम इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार को चुनौती है, योजनाएं सरकार की हैं, किसी और की नहीं हैं, योजनाएं सरकार के पैसों से घोषित हुईं, योजनाओं पर तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति उस वक्त निकल गईं, योजना की पहली किस्त के रूप में 18 परसेंट राशि उसमें दे दी गई लेकिन उसके बाद आपने सारी योजनाएं बन्द कर दीं। जितना पैसा लगा, वह राजस्थान के गरीब के खजाने से गया। आज उन सारी योजनाएं के पत्थर यह कह रहे हैं कि आपने राजनीतिक चश्मे से पेयजल जैसे संवेदनशील विषय को देखा। मैं समझता हूं कि उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जुलाई, 2012 में जनगणना निदेशालय ने, जो आप ही का है, उसने मकान सूचीकरण का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया, सारे मकानों पर जाकर इन्होंने देखा कि और सुविधाओं के अलावा, पेयजल की सुविधा कितने मकानों पर है। वह रिपोर्ट कह रही है, राजस्थान में सिर्फ 35 परसेंट घरों में पेयजल उपलब्ध है; राजस्थान के अन्दर 78 परसेंट शहरों में और 21 परसेंट गांवों में पेयजल उपलब्ध है। अब आप कह रहे हैं कि कम है; घोषणा पत्र में, फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलायेंगे, आप कैसे दिलायेंगे? आप किस तरह का पानी पिला रहे हैं?

आपने वह रिपोर्ट पढ़ी होगी, हाल ही में केन्द्रीय स्वस्थता मिशन की रिपोर्ट 2012-13 की, 2012-13 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि संवेदनशीलता सिर्फ आपके व्यक्तित्व में ही है, उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान राज्य स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मुझसे ही निवेदन करना चाहते

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं, वेपकोस कम्पनी का सर्वे हुआ था, सवाई माधोपुर, चम्बल से जयपुर पानी लाने का, ईसरदा में डाल कर। उसको भी मत भूलिए आप। बूंद-बूंद पानी का उपयोग होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे जीवन में आप जैसा ज्ञानी आदमी नहीं देखा, पूरे राजस्थान की सारी भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित हैं।

आपने उस मिशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़ा होगा। उस मिशन की रिपोर्ट में आया है कि स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम देश के पिछड़े राज्यों में शामिल हो गये, हमारा आठवां स्थान है। किस तरह राजस्थान के लोगों को क्या पानी पिला रहे हो, पानी के नाम पर किस तरह उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मंत्री महोदय, कभी आपने देखा?

आपके इस प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि आपने एक वर्ष के अन्दर 96 हजार पानी के नमूने लिये। नमूने लेते हो और आपके पास लैब की फेसिलिटी नहीं है। आपने 25,167 नमूने जांच के लिये भेजे और उनमें भी 31 प्रतिशत नमूने, जिनमें फ्लोराइड व नाइट्रेट की मात्रा मापदण्ड से ज्यादा आई। आज 224 उपखण्ड आपके ऐसे हैं जहां पेयजल की शुद्धता नापने के लिये आपके पास लैब नहीं हैं।

मैं दूर नहीं जाऊं पानी की छीजत पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जयपुर के अन्दर 500 कालोनियों में पाइपलाइन नहीं हैं 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान की राजधानी का बिना पाइपलाइन का, टैंकर से पानी पी रहा है। जयपुर की बात कर रहा हूं, 40 प्रतिशत पानी की छीजत है।

आपने बहुत बडी बात कही, पानी के स्पेशल पैकेज की बात की। आपके मुख्य मंत्रीजी और आप सदैव, कभी 55 हजार के, कभी 35 हजार के पैकेज की बात करते हैं। वह पैकेज तो नहीं मिला पर आपको देश में सर्वाधिक राशि मिली राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में, 2011-12 में 13,40 करोड़ रुपये केन्द्र ने दिये, 3,539 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था और आपने 6 महीने गुजर जाने के बाद सिर्फ 202 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया। यह उपलब्धि है, सात परसेंट। 2012-13 में फिर आपको 10 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ, आपने दिसम्बर माह तक सिर्फ 22 परसेंट खर्च किया है। आप करना क्या चाहते हो?

उपाध्यक्ष महोदय, जल सहेजने के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है! आपने जयपुर में जयपुर रीजन भवन विनियम, 2010 लागू किया था...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, आप पहले वक्ता हो, इसलिए आपको बताया भी जायेगा तो तरकीब से बताया जाएगा कि आप समाप्त करो। वैसे नहीं कहा जाएगा। फर्स्ट वक्ता हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यही सरकार लेकर आयी थी। जयपुर रीजन भवन विनियम, 2010 में इन्होंने यह शर्त रखी थी कि जयपुर में जो भी 300 वर्ग फीट से ज्यादा मकान बनेगा, उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि विषय ही ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें जुर्माने की शर्त रखी थी, नोटिस देने की, आप उत्तर दें तब कृपया बतायें कि आपने इन तीन वर्षों में एक भी व्यक्ति को नोटिस दिया हो। भवन निर्माण की स्वीकृति ली उसने, शपथ पत्र दिया उसने, अगर एक भी भवन निर्माणकर्ता को आपने नोटिस जारी किया हो तो आप जो बात कहें, वह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं। मतलब हम किस तरह की योजनाएं बनाएं और योजना के क्रियान्वयन के लिए हम गम्भीर नहीं हों।

मंत्री महोदय, आपको मालूम होगा कि आपने यूरोपीयन कमीशन से साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का अनुदान लेने के लिए और 13वें वित्त आयोग से 224 करोड़ का अनुदान लेने के लिए कैसी शर्तों पर दस्तखत किये।

(14.20 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

क्या यह सही नहीं है कि आप विद्युत दरों की भांति, क्योंकि आपकी फितरत में है, आपको गरीबों का हक का दिखता नहीं है, शुद्ध पानी आप पिला नहीं सकते हो, क्या यह सही नहीं है कि आपने विद्युत दरों की तर्ज पर जल दर बढ़ाने की पृष्ठभूमि तैयार कर ली? आपने यह कह दिया कि पेयजल योजना के रख-रखाव के संचालन का शहरी क्षेत्र में 75 परसेंट और ग्रामीण क्षेत्र में 37.5 परसेंट, यानी वर्तमान में जो दर है उस दर से दोगुनी राशि आप वसूलने का काम करोगे। यह आपने किया है।

सिंचाई मंत्री महोदय, मैं सिंचित क्षेत्र की क्या बात करूं, इसकी बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 257 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि और हमारे पास सरफेस वाटर है हमारी सारी नदियों का और जो अन्तरराज्यीय समझौते के अनुसार हमें पानी मिल रहा है, उसके हमारे पास सरफेस वाटर 16.05 बी सी एम; अब आपने घोषणा कर दी, हम एक लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को बढ़ायेंगे; आपने घोषणा कर दी कि अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार हम अपने हक का पूरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पानी लेंगे; दिल्ली में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, दिल्ली प्रदेश में आपकी सरकार, आपने घोषणा की थी कि हम रणनीति बनाकर हमारे हक का पानी लेंगे, मैंने देखा है, एन.डी.सी. की मीटिंग में आप प्रतिनिधित्व करते हो, मुख्य मंत्रीजी को जाने का समय नहीं और वहां +++ आप वापस आ जाते हो। अन्तरराज्जीय समझौते के अनुसार आपने एक बूंद ली हो, आप कहते रहे, सभापति महोदय, हम रणनीति बनायेंगे और यह रणनीति कागजों में खो कर चली गयी।

आपने घोषणा की थी कि हम इंदिरा गांधी नहर में कोलायत, गजनेर, साहवा, पोकरण, फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना के कमाण्ड क्षेत्र को विकसित करेंगे, मेरा भी क्षेत्र है, एक इंच आपने विकसित नहीं किया। आपने घोषणा की थी, यमुना नदी का पानी गुड़गांव नहर से भरतपुर और अलवर को उपलब्ध करायेंगे, आपने उसमें कुछ नहीं किया।

अब आपने जो अभी बजट प्रस्तुत किया, उसके पैरा 38 पर, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, चार वर्षों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित जल संसाधन की विभिन्न परियोजनाओं पर 2,630 करोड़ रुपये व्यय कर 1,86,460 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करेंगे और आपका प्रगति प्रतिवेदन जो मैं देख रहा था, यह जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसमें पृष्ठ 10 देखें आप, उसमें परिशिष्ट दो है, उसमें आपने लिखा है कि कितना तो आपने क्षेत्र खोला और वास्तविक सिंचाई कितनी हुई; 2009-10, खोला गया क्षेत्र 10 लाख 95 हजार और वास्तविक सिंचाई 1 लाख 97 हजार; 2010-11, खोला गया क्षेत्र 10 लाख 97 हजार और सिंचाई हुई 4 लाख 87 हजार में; 2011-12 में फिर आपने कहा, हमने 11 लाख सिंचाई क्षेत्र खोला है और सिंचाई होती है 4 लाख 63 हजार में। यानी किस तरह का मजाक हम राजस्थान के अवाम से कर रहे हैं!

आपके इसी प्रगति प्रतिवेदन में आप इसी जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए कितने गम्भीर हैं, यह पोल आपका यह प्रगति प्रतिवेदन खुद ही खोल रहा है। इसके पृष्ठ 3 में लिखा है कि 2012 में योजना मद में आपको 167 करोड़ रुपये मिले और आपने दिसम्बर, 2012 तक सिर्फ 87 करोड़ रुपये खर्च किये, यानी सिर्फ 50 परसेंट और प्रगति प्रतिवेदन में आप वादा कर रहे हो, घोषणा पत्र में एक लाख सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का और आपका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रगति प्रतिवेदन कह रहा है कि आपने 2012-13 में सिंचाई हेतु खोले जाने वाले क्षेत्र का लक्ष्य रखा था, सिर्फ 1617। यानी किस तरह की बातें आप कर रहे हो!

यह जल संसाधन का वार्षिक प्रतिवेदन और इसका पृष्ठ 6, पूरी 12वीं पंचवर्षीय योजना का चित्रण इसमें कर रखा है, सभापति महोदय, 2012 से 2017 तक और उसमें जो लक्ष्य रखा, पांच साल का लक्ष्य आपका सिर्फ 68 हजार। मतलब, आप क्या कहना चाहते हो, यह मेरी समझ के बाहर है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे मामले भी हैं, हम खुद चाहते हैं सिंचाई का क्षेत्र और हमारी परियोजनाएं समय पर प्रारम्भ हों और समय पर समाप्त हों, यह कालीसिंध परियोजना के नाम पर आपने क्या कर रखा है? क्या यह सही नहीं है कि कालीसिंध की परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14.8.2008 को स्वीकृत हुई 258 करोड़ की लागत से? और समय बदला और आपने दोबारा उसके तकनीकी मापदंडों में यह कह दिया कि यह अत्यधिक कठोर है, जबकि उस वक्त भी चार फर्मों ने भाग लिया था। आपने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समय में जो निविदाएं थीं 258 करोड़ की, उन्हें 2 जनवरी, 2009 को निरस्त कर दिया, पुन: आपने निविदाएं आमंत्रित कीं। यक्ष प्रश्न है, उसी स्पेसिफिकेशन पर, उसी बांध पर आपने नये रूप में तखमीना बनाया, वो तखमीना अचानक 258 करोड़ से बढ़ कर 355 करोड़ रुपये कैसे हो गया? आपने निविदाओं की शर्तों को बदला, 21.7.2009 को उनमें बदलाव किया और आपने उन शर्तों में लिख दिया कि हाइड्रो-मेकेनिकल इसका जो अनुभव पहले 2008 में 35 परसेंट था, उसको बढ़ाकर 80 परसेंट कर दिया और आपने यह कह दिया कि कोई भी कम्पनी जो इसमें भाग लेगी, वह एम.ओ.यू. कर सकती है।

अब इसके टेण्डर हुए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और ये ऐसी टेलरमेड इसकी निविदाएं बनायी गयीं, सिर्फ एक चहेती कम्पनी को लाभ देने के लिए ये टेलरमेड निविदाएं बनायी गयीं। 28.6.2009 को आदेश क्रमांक 2623 से आपने यह भी कह दिया कि कोई भी कम्पनी आकर एम.ओ.यू. इसमें कर सकती है। आपने टेण्डर आमंत्रित किये 1.9.2009 को, टेण्डर खोले 3.9.2009 को, चार कम्पनियां इसमें आयीं, एस.पी.एम.एल., एस.आई.एम.एल.पी.एल.ए. सैट, एन.सी.सी. हैदराबाद और इन तीनों कम्पनियों का ओम मेटल की कम्पनी जो है उसके साथ एम.ओ.यू. था;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चौथी कम्पनी थी आर एस आर डी सी, वह गवर्नमेंट आन्ड कम्पनी थी और इस कम्पनी को राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत इसके टेक्निकल क्राइटेरिया में अगर कार्य अनुभव नहीं हो तो उसमें छूट दे रखी थी। इस टेण्डर के अन्दर सबसे एल-वन थी आर एस आर डी सी, ओम मेटल एस.पी.एम.एल. से 110 करोड़ रुपये कम उसने निविदाएं दीं और आपने 20.4.10 को 457 करोड़ रुपये कार्य आदेश ओम मेटल एस.पी.एम.एल. के पक्ष में जारी कर दिया, जो एस्टिमेटेड कास्ट से 102 करोड़ ज्यादा था और उसकी स्वीकृति भी जारी कर दी।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने कार्य प्रारम्भ करने की तिथि रखी 10.5.2010, कार्य पूर्ण करने की तिथि रखी 9.5.2012 और अब आपने अपनी चहेती कम्पनी को, जिसने काम चालू नहीं किया, आपने मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम पर 10.5.2010 को 45 करोड़ रुपये दिये और फिर दिये आपने 30 अप्रैल, 2011 को 44 करोड़, यानी 15.4.2011 तक 105 करोड़ रुपये का भुगतान। मंत्री महोदय, मोबिलाइजेशन के नाम पर अगर किसी कम्पनी को राजस्थान में दिया गया है तो सिर्फ एक कम्पनी, वह है कम्पनी ओम मैटल। आपने यह क्यों किया?

इसके बाद, साथ-साथ, आपने उसकी 30.4.2011 को उसकी एल.सी. भी बढ़ा दी 250 करोड़ की और टेण्डर के बाद में, जब टेण्डर समय पर पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ तो आप ही के अधिशासी अभियंता ने पेनल्टी लगायी और आपने उस पैनल्टी को, क्योंकि निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ, आपने यह कहकर माफ कर दिया कि वन विभाग से भूमि अधिग्रहण में समय लग गया, दूसरे काम में लग गया और यह सारी पेनल्टी 6 करोड़ 17 लाख की आपने माफ कर दी।

सभापति महोदय, टाइम एस्कलेशन के नाम पर, प्राइस एस्कलेशन के नाम पर आपने 24 करोड़ का और भुगतान कर दिया।

यह मामला विधान सभा में उठा, इसी विधान सभा में कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने मामला उठाया; दो सदस्य, ए.बी. माथुर और एस.सी. मित्तल की एक जांच कमेटी बनी; जांच कमेटी ने पूरी जांच करने के बाद कहा कि इस पूरे मामले के अन्दर तत्कालीन चीफ इंजीनियर दोषी है। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख शासन सचिव को यह जांच सौंपी गयी। तो होना तो यह चाहिए था, उनको कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु उन्होंने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यवाही नहीं की; कार्यवाही नहीं करके उन्होंने जांच समिति के जिस अधिकारी ने, जो उस वक्त तत्कालीन चीफ इंजीनियर वहां पर थे, उनका ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके यहां जयपुर के अन्दर उनको मुख्यालय का चीफ इंजीनियर बना दिया। जिसके खिलाफ जांच है, वही चीफ इंजीनियर कागज वापस मंगवाता है और लिखकर दे देता है कि यह जांच द्वेषतापूर्ण है, सारा मामला रफा-दफा हो जाता है।

मेरे समझ में नहीं आता, इसमें सबसे बड़ा कारण रहा, सभापति महोदय, नई बात आजकल प्रारम्भ हो गयी, आप लीगल एडवाइजर के नाम पर बड़े-बड़े लोगों को रख लो, लीगल एडवाइजर के नाम पर, लीगल कंसलटेंसी के नाम पर बिना किसी कारण से लाखों रुपये दे दो। इसके अन्दर जो लीगल एडवाइजर था, उनके एड्रेस पर लिखा हुआ था, 8, सिविल लाइन्स। आप कहो तो कागज मैं लेकर आया हूं, मैं दिखा दूंगा आपको।

अगर इस तरह आप इन योजनाओं के साथ खिलवाड़ करते जाओगे, इस तरह आप इन योजनाओं की आड़ में चांदी कूटने का काम होगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर हम पेयजल और सिंचाई की बात तो चाहे करते रहें, पर वस्तुस्थिति इनसे बहुत दूर रहेगी।

नागौर लिफ्ट के अन्दर भी आपने इसी तरह का काम किया। यह नागौर लिफ्ट भी आपने 25.7.2012 को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आपको किसने इजाजत दी बोलने की? अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, नागौर लिफ्ट में भी जो 25.7.2012 को नागौर लिफ्ट के प्रथम फेज का थर्ड पैकेज, इसकी 284 करोड़ रुपये की जो एन आई टी जारी की गयी, जिसे 26.4.2012 को खोला गया, प्री-क्वालिफिकेशन के नाम पर इसमें जिन पांच कम्पनियों ने भाग लिया, उसमें एक कम्पनी, टेक्निकल ग्राउण्ड पर उस समय जो कमेटी बनी थी उसने रिजेक्ट किया, वह कम्पनी थी एस पी एम एल इन्फ्रा गुडगांव। यह कहकर रिजेक्ट किया कि आपका रजिस्ट्रेशन जो डबल-ए में था, दो साल में उसका रिन्यूअल होना था, आपने दो साल में उसका रिन्यूअल नहीं कराया, उसकी समीक्षा नहीं हुई। अब इस कारण से उस कम्पनी को बाहर कर दिया, एस पी एम एल इन्फ्रा को और यह किया भी किस बात पर, कि हमारे एफ एण्ड आई आर में, लेखे में 334 जो सेक्शन है, उसके आधार पर आपने किया। अब उसी कम्पनी को, जिसको रिजेक्ट किया था, उसी कम्पनी को दुबारा यह कहकर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस अधिकारी ने रिजेक्ट किया एडिशनल चीफ इंजीनियर, उसका ट्रांसफर करके आप दूसरे एडिशनल चीफ इंजीनियर को उसके स्थान पर लाए और उसी को आपने वापस आदेश दे दिया।

यह क्या खिलवाड़ है! यह भी सब्सिडियरी कम्पनी है, ओम मेटल की सब्सिडिअरी कम्पनी। आप किस कारण से इन कम्पनियों का पक्ष करते जा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। कम से कम पारदर्शिता की बात हम करें। यह नागौर लिफ्ट कैनाल और यह कालीसिंध, ये दो बातें आज राजस्थान सरकार की सारी तस्वीर को साफ कर रही हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने बड़े जोर-शोर से कहा था कि अन्तरराज्यीय जल विवादों के अन्दर हमारे हक का पूरा पानी लेंगे । अब यह जो यमुना जल हैं, इसका 12.5.1994 को तत्कालीन मुख्य मंत्री, भैंरोसिंह जी शेखावत ने तर्कों के आधार पर 1.19 बिलियन क्यूबिक पानी लिया और समझौतों के क्रियान्वयन के लिए अपर यमुना बोर्ड का गठन हो गया। अपर यमुना बोर्ड की 22वीं बैठक में यह तय भी हो गया कि 1,917 क्यूसेक्स पानी ताजेवाला हैड से, 1281 क्यूसैक्स पानी ओखावाला हैड से। ताजेवाला से चूरू और झुन्झुनूं की 1 लाख 96 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 934 करोड़ की योजना; ओखला से भरतपुर के लिए 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर की योजना, 175 की। अब 1.2.2003 को जब केन्द्रीय जल आयोग ने यह शर्त लगा दी कि यमुना का पानी राजस्थान में आए, इसके लिए आपको हरियाणा की सहमति लेनी पड़ेगी।

आपने बहुत आरोप लगाये थे, हमारी सरकार को अक्षम बताया था, आज हरियाणा में आपकी सरकार है, किसने मना किया? आपके पीछे बैठे हैं झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिदिन भाषण में कहते हैं कि झुन्झुनूं और चूरू में पानी आएगा, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। मेरा आरोप है कि आपने घोषणा पत्र में जो घोषणा की थी कि हम अन्तरराज्यीय जल विवाद का पूरा पानी लेंगे, आप एक बूंद पानी नहीं ले पायेंगे।

अब बी बी एम बी हमारे पोंग डैम और रणजीत सागर जहां से पानी आता है, उसका कण्ट्रोल करता है। आज पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1966 में, उसकी धारा-79 में साफ लिखा था कि बी बी एम बी एक इंडिपेंट बाडी होगी, पर पंजाब का उसमें आधिपत्य है, पंजाब सरकार उस पर प्रभावी है। इतने वर्षों बाद भी, कितनी बार आपने मांग की पर आज तक आप बी बी एम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बी के अन्दर राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करा पाए, आप 1981 के समझौते के अनुसार 0.6 एम ए एफ पानी की एक बूंद नहीं ले पाए।

मंत्री महोदय, कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल, जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने एक दो बार नहीं, कई बार चुनाव जीते, आपने घोषणा पत्र में लिखा, हम कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के अधूरे काम को पूरा करायेंगे। मेरी चुनौती है, आपने पांचवां बजट भी पेश कर दिया, आपने सात करोड़ के अलावा एक पैसा नहीं दिया, वह भी मेंटीनेंस पर सारा पैसा चला गया।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब, सभापति महोदय, वह समय आ गया, राजस्थान जल प्रबंध नियामक प्राधिकरण और राजस्थान भू-जल नियंत्रण कानून बनाना आपने प्रस्तावित किया था, आप सलेक्ट कमेटी में इसको लगातार भेज रहे हैं। क्यों नहीं हिम्मत करते? आज पानी की समस्या मानव सभ्यता के सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। सख्त फैसले लेने में क्यों पीछे हट रहे हैं?

आपने कहा था, 2011-12 में बीकानेर के अन्दर हाइड्रोलाजिकल एण्ड वाटर मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट चालू करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं, यह इंस्टिट्यूट कहां है? इस इंस्टिट्यूट की कितनी रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई? इन सारी बातों को...

उसके साथ-साथ आज एक और संकट है, सभापति महोदय, यह जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना है, इस परियोजना का सिंचित क्षेत्र तो है ही, पर हमारे आठ जिलों के अन्दर पीने के पानी की निर्भरता इस पर है। आज हो क्या रहा है, आज पीने के पानी के नाम पर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों को जहर बांटने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, पंजाब में लुधियाना और फगवाड़ा, वहां से औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी, शहर के गटर का पानी कालासुण्ड ड्रेन से होता हुआ, बूढा नाला में होता हुआ वहां सतलज के दरिये में आकर गिर रहा है। कितने समय से यह काम हो रहा है और वहां से फिर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से यह ड्रिंकिंग कैनाल में चला जाता है। आज उसी का परिणाम है, कैंसर की बीमारी, हैजा, मोतीझरा, पीलिया, ये सारी बीमारियां उससे फैल रही हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम पेयजल जैसी समस्या के समाधान के लिए, आप सदन में अगर हम लोगों को भी कहेंगे कि पंजाब प्रदूषित पानी राजस्थान कैनाल, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में डाल रहा है, लोगों को बीमारी बांट रहा है, सारा सदन एकमत होकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी सारी चीजें, अगर मैं इनको पढ़ना चालू करूं, किन-किन योजनाओं को आपने अपने बजट भाषणों में तीन-तीन बार कहलवा दिया; आपने इन्दिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए 2011-12 में पैरा-25 में, 2013-14 में पैरा-48 में, मतलब किस-किस की बात करूं मैं? पोकरण-फलसूण्ड परियोजना की बात करूं या बाघेरीनाका, रामगंजबाड़ी, पथवाडा, झालावाड़, झालरापाटन, उदयपुर शहर की बात करूं या बारां जिले की परवन सिंचाई की बात करूं? एक योजना, आपने एक बार बजट में कह दिया कि हम योजना प्रारम्भ कर रहे हैं, मुझे मालूम है, योजना बड़ी हो सकती है, पर उसी बजट में यह कह देना कि इस योजना को इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरा करेंगे और उसके बाद ढाक के तीन पात।

इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो पेयजल योजनाओं के नाम पर और इन सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर, आप कहो तो मैं आर डी-109 के क्रास-रेग्यूलेटर में, कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में किस तरह का मामला हुआ, आपके सामने और रख दूं। यानी टेंडर इन्वाइट करते हो आप और टेंडर की तारीख तय करते हो, 4 अप्रैल को खोली जानी थी, 27 मार्च को खोल देते हो और उसके बाद जब सारी शिकायत आपके पास आती है, आप फाइल को वापस लौटा देते हो। टेंडर डलने की, टेंडर खोलने की तारीख निश्चित की।

मतलब, यह चांदी कूटने का अभियान कहां तक चलेगा? यह किस-किस तरह की जांच रि-फेजिंग के नाम पर आपने जिस तरह की लूट मचाई है, आज भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जब आपके पूर्व प्रमुख शासन सचिव और कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, ये सारी चीजें रुकनी चाहिये।

आज पीने के पानी को लेकर हम सब लोगों को निश्चित तौर पर इस सदन को एक मत होना पड़ेगा। अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, रिचार्ज, जितना हम पानी खींच रहे हैं शत-प्रतिशत पानी खींच रहे हैं, पिछले वर्ष का जो रिचार्ज प्रतिशत था, वह 67 प्रतिशत था। यानी, धरती मां के गर्भ में जो पानी है, यह आज नहीं तो कल समाप्त हो जायेगा, अगर हमने बेहतर प्रबन्धन नहीं किया।

यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। आपको खड़े होकर सकारात्मक दृष्टि से इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि पेयजल की योजनाएं हों, चाहे सिंचाई की योजनाएं हों, इनके माध्यम से भ्रष्टाचार को बंद करेंगे हम और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भ्रष्टाचार को बंद करके इन योजनाओं में पानी का संवर्द्धन कैसे हम करें, पानी के संवर्द्धन के लिये हम योजनाएं बनायें, पानी की एक-एक बूंद का उपयोग हम कैसे करें, जब तक हमारी निगाह इस पर नहीं जायेगी, तब तक कोई भला होने वाला नहीं है। सही है, आज वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं, आज पूरा विश्व हमें चेतावनी दे रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, इस मामले को गम्भीरता से लें।

आपसे मेरा अंतिम निवेदन यह है कि योजना बनाकर आप मेजें थपथपा लें, मंत्रीजी आप भी थपथपा लो चाहें, पर इन योजनाओं का लाभ कहीं मिल रहा है? इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में आपने, यह घड़साना की बात आप हमेशा करते हैं, आज घड़साना और अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, आपने किस तरह के हालात पैदा कर दिये वहां! पीने का पानी छोड़ो, सिंचाई के पानी की तो बात ही नहीं, पीने का पानी भी आज उपलब्ध नहीं है।

इसलिए समय रहते अगर आप नहीं चेते, तो राजस्थान को जिस ओर आप धकेल रहे हैं, राजस्थान का अवाम आपको माफ नहीं करेगा, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक चीज का जवाब पूछेगी आपको कि घोषणाओं का आपने अम्बार लगा दिया, आपने बजटीय घोषणाएं कर दीं, परन्तु बजटीय घोषणा करने के बाद धरातल पर आप क्या लेकर आये, सवाल इस बात का है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, हमारे सीनियर साथी बोल रहे थे, पानी और सिंचाई की मांग पर चर्चा हो रही है और राजस्थान की सरकार, पिछले चार साल का शासन पूरे राजस्थान की जनता के सामने, विधान सभा के सदस्यों के सामने है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि हमने कितनी अच्छी सोच के साथ पानी का प्रबन्धन किया; क्या हमारी सोच रही, राजस्थान के गांव और ढाणी में हमने पानी पहुंचाने की कोशिश की; हमारी यह भी सोच रही कि हमने सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध किया, ईमानदारी से हमारी योजनाओं को लागू करने की कोशिश की।

जब भी बजट पास होता है, अलग-अलग मांगों पर चर्चा होती है, अलग-अलग विभागों की चर्चा होती है और उस चर्चा में से कुछ नई बातें उभर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कर आती हैं और जो कुछ नये सुझाव निकलकर आते हैं, उन सुझावों को मंत्री बड़े ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनकर उनको लागू करने की कोशिश भी करते हैं। मैं भी यह उम्मीद कर रहा हूं, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री और ऊर्जा मंत्रीजी, दोनों विभाग आपके पास ही हैं, आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े-लिखे हैं, आपका कई भाषाओं पर कमाण्ड भी है, आप भले आदमी भी हैं लेकिन भले आदमी होने के साथ-साथ आपको एक बात तय करनी पड़ेगी कि भलाई से, प्यार से बात करके आप एम एल एज को राज़ी कर सकते हैं लेकिन आपको अधिकारियों को कण्ट्रोल करना है और ऐसे विभाग के अधिकारियों को कण्ट्रोल करना है क्योंकि दोनों आपके पास में हैं। आज यदि आप यह मान लें तो, मंत्रीजी, मैं गारण्टी से कह रहा हूं कि राजस्थान में योजनाएं अच्छी हैं, हमारी नीयत अच्छी है, गहलोत सरकार की सोच अच्छी है, योजनाएं ईमानदारी से हम अधिकारियों पर चढ़ाई करके, नाक में लगाम लगाकर कोशिश कर लें तो राजस्थान की जनता आपको भी दुआ देगी और बधाई देगी, इस बात के लिए कि आपने सारी योजनाएं ईमानदारी से लागू करवा दीं। आज अशोक गहलोत अच्छी योजनाएं लागू कर सकते हैं, अच्छा प्लान तैयार कर सकते हैं और प्लान तैयार करके यह कोशिश कर सकते हैं कि पानी मेरे गांव तक पहुंचे।

छोटा सा मैं उदारहण दूं। अभी अखबारों में खबर छपी कि अब रोबोट सफाई करेगा टंकियों की। वह रोबोट आया, टंकियों को साफ करना शुरू किया और वह रोबोट फेल हो गया। इसलिए फेल हो गया जयपुर में कि ये टंकिया इतनी ज्यादा गंदी थीं कि रोबोट साफ नहीं कर पाया। तो बोले कि अपने तो वही सिस्टम लाओ, मजदूरों को अन्दर कूदाओ और सफाई करवाओ। अब आप अंदाजा कर लो, इसका मतलब आपका रोबोट फेल हो गया तो वह कौन अधिकारी कर्मचारी था? टंकियों की अख़बार में खबर आई, अख़बार में इतनी बड़ी खबर छपी कि मजा आ गया। बाद में उसी अख़बार को लिखना पडा कि रोबोट फेल हो गया, बाद में उन्होंने यह भी लिखा कि रोबोट चला ही नहीं, अन्दर गया तो रोबोट फेल हो गया, क्योंकि अन्दर इतना सख्त हो गया। आज यह हालत राजस्थान की राजधानी जयपुर में है।

तो हम जितनी पानी की तैयारी कर रहे हैं और जो हम पैसा लेकर आये हैं, वह यदि ईमानदारी से खर्च न हो, उसमें मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी ईमानदारी में शक है, शक यह है कि क्या हमारी यह ड्यूटी नहीं है कि अधिकारी केन्द्र से आये हुए पैसे को ठीक ढंग से गांव तक नहीं पहुंचाये? मान

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लीजिये पैसा आ गया, केन्द्र की योजनाओं के तहत आ गया, केन्द्र ने कहा कि यह पैसा लो और फ्लोराइड से लड़ो; फ्लोराइड से लड़ना, अब फ्लोराइड का पानी गांव का बच्चा नहीं पीना चाहिये, दांत खराब नहीं होने चाहिये, कुबड़े पैदा नहीं होने चाहिये, लंगड़े पैदा नहीं होने चाहिये1 ऐसे-ऐसे गांव और ढाणियां हैं, जो अखबारों में बहुत बार आपने-हमने पढ़ा कि पूरी की पूरी टांगें खराब हो रही हैं। यह आज का सिलसिला नहीं है, कई वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा है, जिसको खतम करने के लिये केन्द्र सारा पैसा दे रहा है, योजना बना रहा है और वह संयंत्र भी लगा रहा है। फिर भी यह मामला आगे नहीं बढ़ रहा है।

ऐसे में मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, एक बात की मैं बधाई दूंगा कि इस सरकार, यह पहली सरकार है जिसने राजस्थान में जल नीति लागू की, वाटर पालिसी पहली बार आई इस सरकार के जरिये और उस जल नीति का परिणाम है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में साढ़े तीन मीटर जल स्तर पहली बार आया है, इन वर्षों में आज तक कभी जल स्तर ऊपर नहीं आया। उस जल नीति का ही परिणाम है कि जयपुर में सैकड़ों वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने, पहले लोग वाटर हार्वेस्टिंग को समझते ही नहीं थे, वाटर हार्वेस्टिंग के परिणाम आने लगे, जल स्तर भी बढ़ने लगा। आज जब यह जल स्तर बढ़ गया, उसके बढ़ने का एक कारण और रहा, उसमें कोई आपका और हमारा मैनेजमेंट नहीं है, हमने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं किया, ऊपर वाले की मेहरबानी क्योंकि जब सरकार के लोगों की नीयत और सोच अच्छी होती है तो बरकत अच्छी होती है, ऊपर वाला दया करता है, मेहरबानी करता है और ऊपर वाले ने बहुत बड़ा काम किया। जब पूरा राजस्थान यह कह रहा था, मैंने कई बार यह बात कही कि पूरा राजस्थान कह रहा था, कई बार फोन पर मैसेज चल रहे थे कि कांग्रेस का राज है, पानी नहीं बरसता; मैंने कहा, ठीक है; अखबारों में खूब छपा कि कांग्रेस और काल की राशि एक है। कहने की बात नहीं, रिकार्ड टूट गया, राजस्थान में 25 वर्षों में जितनी बरसात नहीं हुई, उतनी बरसात इस वर्ष हो गई, उल्टा हो गया। ऊपर वाले ने कहा, ना तो बरसात की चाबी मैं अपनी बनाता हूं, न तो चाबी बी जे पी वालों को देता हूं और न कांग्रेस वालों को देता हूं मैं तो जिसकी नीयत और सोच अच्छी रहती है, उसके यहां पर बरकत के रूप में बरसता हूं। बरस गया और उसी का परिणाम है कि बीसलपुर में पानी आ गया और बीसलपुर का पानी आने से राजधानी में अपना काम हो गया।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज बरसात का पानी इतना बरस रहा है, हम इतने वर्षों बाद भी क्या यह नहीं कर सकते कि जयपुर से इतनी बड़ी तादाद में पानी निकल रहा है, इसको हम ऐसी जगह पर डाइवर्ट करें कि वहां पहुंच सके। यह हमारी सोच बहुत बड़ी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, और आपकी यह जो मेज नदी का पानी आप रामगढ़ में लाने की तैयारी कर रहे हो, मैं पहले शुरू में इसको घोषणा समझ रहा था लेकिन मैने इसका प्लान देखा, वह प्लान आपने ईमानदारी से किया है, मेज नदी का पानी बूंदी जिले से यदि आप यहां ले आयेंगे, आप यह मानकर चलिये कि जयपुर और आसपास के पांच जिलों की कायापलट हो जायेगी। इतना बड़ा काम होने जा रहा है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह प्लान केन्द्र सरकार से आपने मंजूर भी करवा लिया। यह बहुत बड़ा काम है।

मंत्रीजी, मैं कुछ बातें आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं। आपको पता है, मिनिमम नीड का पैसा, केन्द्र और राज्य मिलकर अरबों रुपये खर्च करते हैं, यह मिनिमम नीड का पैसा राजस्थान के दो सौ विधान सभा क्षेत्रों के लिए है। क्या हमारी यह मोरल ड्यूटी नहीं बनती कि इस मिनिमम नीड के पैसे को हम निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ हर विधान सभा क्षेत्र में पहुंचायें? अब आप मुझे यह बता देना जब आप जवाब दें, तो यह पैसा दूसरी योजनाओं में खर्च किया, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज सदन में यह बात जरूर बताना कि साढ़े चार वर्ष में कितना तथा कुल पैसा मिनिमम नीड का हमको प्राप्त हुआ? उसमें से कितनी राशि हमने दूसरे कामों में खर्च कर दी? इसका फिगर, आप अपना जवाब देंगे तो हमें पता तो चले कि हमारा पैसा गया कहां पर है। मिनिमम नीड का पैसा, यह अधिकार है हर विधान सभा क्षेत्र की जनता का, हर विधायक का कि उसको उसका पैसा मिले जिससे उसका काम कर सकें।

आपको पता है, अभी हमारी सरकार की बहुत बढ़िया पालिसी है, आपने सिंगल पाइन्ट कनेक्शन देकर पानी की जो शुरुआत की, इसमें लगभग 6 हजार सिंगल पाइन्ट की तैयारी की गयी कि सिंगल पाइन्ट का वहां पर एक पूरा बोरिंग किया जाए, वहां पर एक टंकी लगा दी जाए और उससे सब जगह सप्लाई पहुंचे। लगभग 5 सौ लोग उससे पानी पी सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हुआ क्या? सब जगह हो भी गये लेकिन आप यह तो बताओ, वहां कनेक्शन तो आप ही को देना है; पानी भी आपका, कनेक्शन भी आपका, तो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

देकर निपटाओ ना, लोगों को मिल जाए। अपने को कुछ नहीं करना है, दोनों डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलानी है। आज पैसा भी आ गया, मुख्य मंत्रीजी ने, आपने तैयारी कर ली, सरकार ने अच्छी सोच और नीयत के साथ सिंगल पाइन्ट के आदेश जारी कर दिये। मैं आपसे, मंत्रीजी, निवेदन करूंगा कि यह जो सिंगल पाइन्ट का मामला है, इसमें आप दोनों विभाग के अधिकारियों को बुलाइये और बुलाकर स्ट्रिक्ट आदेश दीजिये।

देखिये, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम कई बार इस बात से डरते हैं, यह देश विधायिका की ताकत पर टिका हुआ है, आज इस विधान सभा में किसी भी विभाग का मंत्री यदि यह सोचता है, लेफ्ट साइड़ में देखता है बार-बार कि मेरे इधर ही पर्ची आ जाए। अपना जवाब भी तो आने दो थोड़ा-बहुत, अपनी भी तो सोच होगी, हम भी तो अपने मन से कोई तो जवाब दें। क्या हमें जवाब देना नहीं आता? कोई तो ऐसा हो जो उस पर्ची का इंतजार नहीं करे। अपने विवेक से, दिमाग से कोई मंत्री तो खड़ा होकर कहे, हां, यह व्यावहारिक बात है; मैं ऐसा सोचता हूं, यह मुझे करना है, यह मेरी सरकार की सोच है। आज राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत यदि इधर देखते ना, तो अपना काम नहीं बनता। उधर नहीं देखा, जहां देखना था उन्होंने वहां देखा और प्रोग्राम घोषित कर दिये। बजट बनाया, एक-एक बात पूछी, डिस्कस किया होगा, डिस्कस करके योजना लागू करनी थी। कह दिया, वृद्धावस्था में हटाओ राइडर, हटा दिया; कह दिया, 8 का 5 कर दो, कर दिया; दो का एक कर दो, कर दिया; यह कोई थोड़ी ना है। हमें सबक लेना चाहिये। इस राजस्थान की विधान सभा में, मुझे पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ऐसे तो लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने विवेक से कोई तो जवाब दिये होंगे। यह कोई जरूरी है कि डिमाण्ड पर चर्चा हो, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो और उसमें भी हम इंतजार करें, क्या हुआ?

आप आश्चर्य करेंगे, दौसा में क्या हुआ! दौसा में एण्टी-करप्शन डिपार्टमेंट की जांच चल रही है, दौसा में उन्होंने कहा, खोदकर देखा, बताया, लोहे का पाइप है, निकला प्लास्टिक का! हंगामा हो गया। यह बात मुझे मेरे दौसा के साथियों ने बतायी। आप कोई जिम्मेदार नहीं हो उसके लिये कि आपकी गलती है, गलती आपकी नहीं है लेकिन यहां पर एक नेक्सस बन गया ऐसा कि राज चाहे बी जे पी के पास आये, चाहे कांग्रेस के पास आये, ठेकेदारों का ऐसा नेक्सस, जो ठेकेदार राज में इतनी बड़ी-बड़ी चोरी में पकड़े जाते हैं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लेकिन वे ब्लैकलिस्ट नहीं होते हैं। हमारा राज होता है तो हमारे लोगों को पकड़ लेते हैं। उधर का राज होता है तो उधर पकड़ लेते हैं। अधिकारियों का एक ऐसा काकस है जो राज की नीयत को, सोच को ईमानदारी से जनता तक पहुंचने ही नहीं देता। वे कहते हैं, अधिकारी कमरे में बैठकर, यह अभी क्या हो गया; ये तो आते-जाते रहते हैं, हम परमानेंट हैं। ऐसों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखाओ और उनको बताओ कि परमानेंट इस देश में लोकतंत्र है, यह विधान सभा है जो कहीं पर भी भ्रष्टाचारियों को बरदाश्त नहीं करती। आप क्या बात करते हो! ये अधिकारी सुन लें कान खोलकर, जो पानी में खायेगा, उसके कीड़े पडेंगे, आज कह रहा हूं गारण्टी से। इसलिये कि पानी में आप खाओ, चाहे हम खायें, हम भी नहीं बच सकते लेकिन जो खायेगा वह डरेगा। आज पानी में नहीं छोड़ें। मजाक है कोई? इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम और उसमें पाइप के पाइप गड़बड़ कर दें। यह बहुत बड़ा अन्याय है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।

एक बात, सभापति महोदय, आपके जरिये मंत्रीजी से कहूंगा, मानसून मेहरबान हो गया हमारे यहां पहली बार। एक बात, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद, सिंचाई के मामले में नहरों का पैसा पहले भी इन्होंने दिया, मरम्मत का, अबकी बार भी इन्होंने दिया है। अब मानसून मेहरबान हो गया, बीसलपुर में पानी आ गया, जयपुर में हमने पालिसी बनाई, उस पालिसी को हमने ड्राप कर दिया। हमारे पास पैसा है, आज बीसलपुर का पानी तैयार है। बीसलपुर में पानी है तो जयपुर में हमें बीसलपुर का पानी और बढाना चाहिये, जिन कालोनीज में पाइपलाइन नहीं हैं वहां हमको पूरा प्लान लेकर बिछानी चाहिये, बीसलपुर के पानी की पूरी ईमानदारी से सप्लाई करने के लिये। जो पालिसी हमने ड्राप कर दी, वह आपके जवाब में, आपको यह तय करना चाहिये कि जहां बीसलपुर के टैंक बनाने हैं, हम टैंक बनायेंगे, बीसलपुर के पानी का स्टोरेज करने के लिये हम टंकियां बनायेंगे लेकिन ऊपर वाले ने जो हम पर मेहरबानी की है उस पानी को हम हर कालोनी में पहुंचायेंगे; हमें अनाउंस करना चाहिये कि जयपुर की एक भी कालोनी जलदाय विभाग की सप्लाई के बिना नहीं बचेगी। आज तैयार है, हमारे पास पैसा पड़ा है, आप यह बताइये, यह अलग-अलग योजनाओं में बहुत बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है हमारे पास, जब इतनी बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है और उस पैसे को हम यदि यूज नहीं कर पायें, लेप्स हो जाये, तो मैंने पहले भी कई

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बार कई डिमाण्ड्स की चर्चा पर कहा, आज मैं आपसे कह रहा हूं, उन अधिकारियों को बुलाकर आपको यह पूछना चाहिये, आपको पैसा दे दिया, पैसा देकर अभी हमारे यहां एक पालिसी चल रही है, उसमें हमने कह दिया कि एस सी, एस टी के यहां पर इतना पैसा, एस सी, एस टी वाले खुद कह रहे हैं कि हमारे नाम पर पैसा दे दिया, पर इनको भी तो पानी चाहिये। इसमें एक बात तय करें, खुद कह रहे हैं एस सी, एस टी वाले की कि हमारे यहां तो हो गया, उनके यहां ले जाओ। हम ऐसी पालिसी भी लेकर आये हैं कि जहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर काम हो चुका; जहां जनरल की जरूरत है, हम यह पालिसी लेकर आयें, पानी चाहे एस टी, एस सी हो, चाहे जनरल कास्ट हो, चाहे कोई धर्म हो, पानी पहुंचाना हमारी मोरल डयूटी है; पानी की जहां पर जरूरत होगी, वहां पर हम पानी पहुंचायेंगे, जब पानी हमारे पास उपलब्ध है और हमारे पास ऐसी स्थिति है।

अब आप बात करेंगे, आपने कानून अच्छे बनाये हैं, सरकार ने नीति बना दी, सरकार ने यह कह दिया कि हैण्डपम्प की गहराई कम से कम तीन सौ फीट होनी चाहिये, या फिर हैण्डपम्प की गहराई, जब वह पाइप जाए तो 80 फीट तक पानी में डूबना चाहिये। अब इसको देख कौन रहा है? टाइम बाउण्ड कर दिया, सरकार ने नीति बना दी, अशोक गहलोत जी ने ठप्पा भी लगा दिया कि करप्शन रोकना है तो करप्शन रोकने के लिये हैण्डपम्प को इन -इन शर्तों में बनाना होगा, बोरिंग को इन-इन शर्तों में बनाना होगा। फिर भी एक साल बाद बोरिंग खराब हो जाता है। यह जो हालात हैं, उन हालातों में हम इतने सख्त हो जाएं कि चोरी करने वाला सौ बार सोचे कि मैं अधिकारी से मिलीभगत कर सकता हूं लेकिन मेरे लिये जेल का रास्ता खुला हुआ है।

आज आपको पता है, करप्शन, रोज-रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, रोज। एण्टी-करप्शन डिपार्टमेंट नम्बर वन पर राजस्थान का है बिकाज आफ चीफ मिनिस्टर, अशोक गहलोत और सरकार की नीयत। इसीलिये तो एण्टी-करप्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अपने आप थोड़े ही ना कर रहा है, ऐसे थोड़े ही ना है कि अपने आप ही पकड़ रहा है। सरकार ने खुली छूट दे रखी है, पकड़ो और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजो। फिर भी डर नहीं है। एक ए सी टी ओ पकड़ी जाती है और कहती है, मैंने तो पहली बार ही ली है; पहले ही दिन आयी हूं और पहली बार ही ली है; सभी लेते हैं, मैंने क्या गलती कर दी?

यह जो सोच है, उस सोच के बीच में पानी में भी, मैं आपसे यह कह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

रहा हूं कि हैण्डपम्प और बोरिंग का मामला है, इसमें हमारी शर्तें तय हैं, उन शर्तों की मानिटरिंग के लिये, मंत्रीजी, आज आपको जवाब में यह कहना चाहिये कि हमारा एम एल ए है, यह राजस्थान की विधान सभा में चुनकर आता है, चाहे पक्ष का है, विपक्ष का है, उसका लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ाव है। एक्स ईएन, चीफ इंजीनियर, ए ईएन, जे ईएन के घर तो पब्लिक नहीं जा सकती, ज्यादा से ज्यादा आफिस में जा सकती है लेकिन उस एम एल ए को रात को दो बजे भी दरवाजे पर बुला लेती है; उसको लगता है कि इस पर मेरा अधिकार है।

(15.00 बजे)

यदि वह कहीं से लिखकर भेजे, ऐसे अधिकारियों की तुरन्त रवानगी करो और उनको घर का रास्ता दिखाओ। यह करप्शन नहीं चलेगा, पानी के मामले में या किसी भी मामले में; मेरे विधायक ने लिखकर भेजा है और उसने कहा है, यहां पर ये हैण्डपम्प खराब हो गये।

अब आप यह मानकर चलिये, अप्रैल शुरू होने वाला है और कंटिंजेंसी का आपने प्लान बनाया है, मैं मानता हूं लेकिन होगा क्या? आप इसकी मानिटरिंग कल ही कर लेना, यह कंटीन्जेंसी के नाम पर कहीं अधिकारी यह खेल न खेलें। आपने पैसा दे दिया हो, टेण्डर करें नहीं पहले से, उस वक्त नहीं बोले वे कि किस विधायक का हमें टेण्डर करना है; कोई मतलब नहीं, आप पहले से हैण्डपम्प, बोरिंग के टेण्डर करने की तैयारी रखिये, पानी की तैयारी रखिये; बेवजह की बात नहीं चलेगी। जयपुर में पिछली बार कह दिया कि इन सब बोरिंगों को बंद कर दो; बीसलपुर का पानी आ गया, पानी की सप्लाई बंद हो गई; आपने टैंक बनाये ही नहीं, टंकियां बनाई ही नहीं, आपने कह दिया कि बोरिंग बंद कर दो। पानी कहां से सप्लाई होगा? पानी की नीड है, जरूरत है, पर ऊपर वाला आपके और हमारे भरोसे नहीं चलता। जहां बोरिंग करनी है वहां बोरिंग करो, जहां हैण्डपम्प करना है वहां हैण्डपम्प करो लेकिन हम इस बात के लिये, कई बार यह हो जाता है, बोलते हैं कि ऊपर से आदेश आ गया, अब हम बोरिंग नहीं कर सकते, हमें बोरिंग बंद करना है और अब हमें बोरिंग की सप्लाई बंद करनी है, टंकियों से करनी है, तो टंकियां तो आपने बनाई ही नहीं। ऐसे आफिसर्स! उससे क्या होता है, सड़कों पर सरकार की बदनामी होती है, हंगामा होता है, लोग रास्ते रोकते हैं, चिल्लाते हैं। यह भी तय कर लेना चाहिये।

अभी सांगानेर में बहुत फैक्टरियां चल रही हैं, वहीं से पाइपलाइनें

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

निकल रही हैं। अब हालत यह हो गई है कि वह केमिकल्स का पानी, उससे गलत सब्जियां उगा रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। अभी आदरणीय राठौड़ साहब सही कह रहे थे कि अमिबाएसिस की प्रोब्लम हो रही है। अभी ये सब्जियां भी वहीं हैं, हमारी पाइपलाइनें भी वहीं से जा रही है, उन फैक्टरी वालों को कोई भी बाउण्ड करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जलदाय विभाग के अधिकारी, हमने उनको अधिकार दिया हुआ है, उन फैक्टरियों को यह कहें कि आप ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाइये और ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाकर बाहर छोड़िये; हमारी जो पाइपलाइनें वहां से गुजर रही हैं, उनको हम वहां से शिफ्ट करें और उसमें यह तय करें कि आप जहर की सब्जियां भी बेच रहे हैं, आप जहर का पानी भी निकाल रहे हैं, खुले में वहां से जा रहा है, हम उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो साल से जितनी भी ए सी बी की जांच चल रही हैं और जो-जो ठेकेदार उसके दायरे में आये हुए हैं, उन ठेकेदारों के खिलाफ आपको सबको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और उनको किसी भी कीमत पर, बिलकुल बाकायदा जारी कर दीजिये, किसी भी कीमत पर उनको काम नहीं करने देंगे।

एक बात और, आपने टेण्डर निकाल दिये और यह कह दिया कि इतने करोड़ रुपये का टेण्डर है, इन टेण्डर के जरिये हम पाइपलाइन बिछायेंगे, इन टेण्डर के जरिये हम टंकी बनायेंगे, आपने तो कर दिया लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, उसमें आपको पता ही नहीं, उसमें कई अधिकारी क्या करते हैं, ऐसी शर्तें डालेंगे, उस टेण्डर की बारह बजानी है, 30 दिन, 45 दिन में वह टेण्डर खुलेगा और उसमें पता चला कि कोई ठेकेदार ही नहीं आ रहा, क्योंकि शर्तें ही ऐसी डाल दीं आपने। ठेकेदार आये, और दो जने आये, एक आया; बोला, हम इसको लागू नहीं कर सकते। वह फाइल फिर फाइनेंस कमेटी में जायेगी; फाइनेंस कमेटी की मीटिंग, पता नहीं, हम कब करेंगे। आप ऐसी जांच भी कर लें कि कहीं ऐसा नेक्सस तो तैयार नहीं हो रहा जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिये, अपनी सोच के लिए और सरकार की पालिसी को फेल करने के लिये किसी टेण्डर की शर्तें बिगाड़े कि उस टेण्डर का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो। ऐसे में, माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि ऐसे टेण्डर्स की आप जांच कर लें।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

माननीय मंत्रीजी, एक बात और मैं आपसे कहूंगा, जब यह सारी चर्चा चल रही है, यह पानी का मामला, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को पानी नहीं मिलता है, वे लोग पानी की कीमत जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि पानी की कीमत क्या है। आज भी राजस्थान के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर डार्क जोन है, पानी नहीं है, दूसरे गांवों से पानी पहुंचाया जा रहा है। यही कारण, कि अभी कुछ दिन पहले फुलेरा, सांभर, रेनवाल, फागी के बहुत बड़ी तादाद में गांव हैं जहां हमको यह सारी तैयारी करनी पड़ी कि हम यहां पर बीसलपुर से पानी पहुंचाये। आज बीसलपुर डैम ने हमारी ताकत बढ़ा दी और उसके लिए यह भी तैयारी आप कर रहे हैं, मुझे पता है कि चम्बल का पानी हम बीसलपुर में लेकर आयें जिससे बीसलपुर हमेशा भरा रहे। यह जो चम्बल का पानी बीसलपुर में लाने की बात है, इस योजना को तो हमको किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिये क्योंकि बीसलपुर पर कितने गांव, कितने बड़े शहर, कितनी बड़ी राजधानी, पूरे लोग टिके हुए हैं। अत: इसकी कोई योजना बनाने के लिये तुरन्त प्रभाव से काम चालू हो।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जिन गांवों में पानी की बहुत ज्यादा प्रोब्लम है, मैं बहुत से गांवों में जाता हूं, वहां पर मैंने देखा है, पानी की बहुत बड़ी प्रोब्लम है और स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर अभी से हमारे पास, हमारे जितने भी विधायकों के लिखे हुए पत्र आपको प्राप्त हुए हैं, उन पर तुरन्त प्रभाव से, बिना किसी 'इफ' एण्ड 'बट' के, आज आप अपने जवाब में यह कहें कि जहां भी, जिन-जिन गांवों में भी हैण्डपम्प के, सिंगल पाइण्ट बोरिंग के हमारे पास जितने भी आदेश आए हैं, उनमें विथिन ए डे, आप दो-तीन दिन में अधिकारियों को आदेश दें कि अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, जो भी एम एल एज ने अपनी-अपनी बातें उठाई हैं, वे सारे के सारे काम वे शुरू करें।

मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिये कि सिंचाई के मामले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार की प्लानिंग के कारण जैसलमेर के मोहनगढ़ तक आपने पहुंचा दिया। यह बहुत बड़ा काम हुआ है, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। इन्दिरा गांधी नहर का पानी जैसलमेर पहुंचा देना और इसी पानी से अब जो रिफाइनरी लग रही है, उस रिफाइनरी को इन्दिरा गांधी नहर का वह पानी मिलेगा क्योंकि वहां इन्दिरा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

गांधी नहर पहुंच गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोच बड़ी है, बड़ी सोच के साथ काम हुए और उसी के कारण वहां पर पानी गया।

माननीय सभापति महोदय, एक बात माननी पड़ेगी कि ये जो हमारे अन्तरराज्यीय समझौते हैं उनमें हम हमेशा वीक रहते हैं, सरकार चाहे उनकी रही हो, चाहे हमारी रही हो। हमारे कई अधिकारी, यहां के, दूसरे स्टेट में हमारी तरफ से बैठे हैं, गीत उनके गा रहे हैं तनख्वाह हमारी ले रहे हैं, वे वहां पर बैठकर हमारे ही खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। वह हमारी पकड़ में नहीं है और वे हमको गलत सूचनाएं देते हैं। वे हमारे लिये कोई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को साइड-लाइन करो। आपने उनको बिठाया है राजस्थान के हितों को देखने के लिये और राजस्थान के हित में काम करने के लिये लेकिन आज हो क्या रहा है, इन्दिरा गांधी नहर में आज भी पंजाब की सारी लाशें, पंजाब का कूड़ा-करकट, पंजाब का सीवरेज का पानी, वह सारा पंजाब इसमें छोड़ रहा है और हमारी तरफ से कोई मानिटरिंग नहीं। हमारे अधिकारी जो हमने वहां बिठाये हैं, वे भी उनके ही गीत गा रहे हैं। वे हमारे पास जो पानी छोड़ रहे हैं, पहले तो पानी ईमानदारी से नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें गड़बड़ कर रहे हैं और फिर पानी कब छोड़ रहे हैं, उसमें भी सारा कूड़ा-कचरा इधर, यह करें, फिर ऊपर से यह कहा जाता है कि इन्दिरा गांधी नहर छोटी पड़ती है, नहर इतना पानी ले नहीं पायेगी; क्यों नहीं हम इसके पैरेलल नहर डवलप करें? तैयारी है और मैं बधाई दूंगा, सिंचाई के मामले में रावला-घड़साना में हमारे कार्यकाल के दौरान गोली नहीं चली, हो सकता है कि हमारा मैनेजमेंट ठीक रहा हो। यह माननीय सदस्य, पवन जी ज्यादा जानते होंगे, मुझे पता नहीं, मैनेजमेंट हमारा कैसा है वहां पर; मैनेजमेंट कैसा है, मुझे पता नहीं, पवन जी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि गोली नहीं चली, मैं तो दूर बैठा हूं। इसका मतलब, सिंचाई के मामले में कहीं न कहीं गहलोत सरकार का मैनेजमेंट उनसे अच्छा है, इसलिये रावला-घड़साना में गोली नहीं चली, झगड़े नहीं हुए इस दौरान।

सिंचाई के मामले में, सिंचाई मंत्रीजी, पानी सिर्फ इसलिए रोकें कि हमारे पास नहरों की व्यवस्था नहीं है, यह कहा जाये केन्द्र में कि राजस्थान पूरा पानी ले ही नहीं सकता, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी प्लानिंग की कमजोरी है, हम जवाब नहीं दे पा रहे ढंग से और हमारा पानी हम ले नहीं पा रहे। आज हमारे पास जमीन है, जमीन को पानी चाहिये। पानी हमारा कोई यह कहकर रोक दे कि इनके पास नहरें ही नहीं, पूरी व्यवस्था ही नहीं, इसलिए

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मेरा आपसे निवेदन है कि इन अन्तरराज्यीय समझौतों में जब भी जरूरत हो तो हम इस बात को पूरी तरह ठोक कर बोलें और ठोक कर उठायें और किसी न किसी तरीके से उसको लागू करवायें। बी बी एम बी बोर्ड में जो सहमति बनी, उस समझौते के अनुरूप उसकी पालना सुनिश्चित की जानी चाहिये; यह तय होना चाहिए कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो-जो बातें तय हुईं, उनको लागू करवाना हमारी ड्यूटी है। योजना हमारे पूरे स्टेट के हिसाब से तय होगी और यह बात तय होगी कि हमको हमारे अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि हम वह तय नहीं करवा पाते तो कहीं न कहीं वह हमारी भी कमजोरी है। जब दूसरे स्टेट के लोग पहले ठोक बजा कर अपने स्टेट के मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो हमें भी लड़ना पड़ेगा, हमको हमारे काम करवाने पड़ेंगे। वहां हम अच्छी पालिसी लेकर आते हैं, अच्छी योजना लेकर आते हैं, उसमें वह घोषणा करते हैं कि हम हमारे राज्य को कैसे भी पानी दिलवाएंगे। यह पंजाब और हरियाणा की जो मोनोपोली रही है पानी के मामले में, आप खुद जानते हैं कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पूरी मनमानी पंजाब और हरियाणा की सरकारें करती हैं, पूरी दादागीरी उनकी चलती है, वे कभी भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं होते, क्या कारण हैं? हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। आखिर ये पंजाब और हरियाणा में जो भी सरकारें हैं, वे कभी-कभी बात तो अच्छी करती हैं, राजस्थान में उनकी सरकार के लोग आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, करना चाहिए, यहां पर आकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, घोषणा करके जाते हैं, हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं; राजस्थान की जनता भी देखती है, कल आया पानी; आता ही नहीं है और वहां जाकर कहते हैं, हमें पानी की छटांग ही नहीं देनी है, जितना देना है, उतना ही दो; इससे आगे बिलकुल नहीं देती हैं। ये जो हालात हैं, उन हालातों से, मंत्रीजी, हमको लड़ना पड़ेगा और हमारा पानी, जो हमारे अधिकार का पानी है, उस पानी को हमें लेना चाहिए।

जब यह बात आई, मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आज यह वाटर लेवल की प्रोब्लम सब जगह है, हर गांव में आने लगी है। अभी हमारे सब जगह हमारे नरेगा का भी बहुत काम चला, जगह-जगह तालाब भी खुदे हैं लेकिन ऐसे में क्या हमारी मोरल ड्यूटी नहीं बनती? आप ऊर्जा मंत्री हैं, आप जलदाय मंत्री भी हैं, हमारे कुछ विभाग आपस में बैठें और यह तय करें, ग्रामीण विकास विभाग बैठे, ऊर्जा विभाग बैठे, जलदाय विभाग बैठे, सिंचाई विभाग बैठे और हमारे जो नरेगा के काम हों, वे इस ढंग से हों कि हमारा बरसात का पानी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जो इकट्ठा हो, वह जलदाय विभाग के भी काम आए, वह सिंचाई विभाग के भी काम आए। हमारे विभागों में आपसी अण्डरस्टैंडिंग नहीं है।

हालात ये हैं कि एक विभाग का मंत्री दूसरे विभाग के मंत्री के साथ बैठेगा ही नहीं, वह सोचेगा, इनको गरज होगी तो मेरे से बात कर लेगा। तो आप मंत्री आपकी सुविधा के लिए नहीं हैं, आप मंत्री राजस्थान की जनता का काम करने के लिए हैं। कोई मंत्री पद कभी भी, किसी भी सरकार में सिर्फ पर्सनल और परिवार की सुविधाओं के लिए नहीं मिलता। यह जो लाल बत्ती की चमक कांग्रेस और बी जे पी के राज में जिन-जिन लोगों को मिली, वह इसलिए नहीं मिली कि हमारा स्टेटस सिम्बल बड़ा हो गया है, हम हमारे स्टेटस सिम्बल के साथ राजस्थान में घूम रहे हैं। मैं ऊर्जा मंत्री हो गया, मैं जलदाय मंत्री हो गया, मैं सिंचाई मंत्री हो गया, मैं गृह मंत्री हो गया, मैं परिवहन मंत्री हो गया, अलग-अलग हो गये। (व्यवधान) हां, मैं मुख्य मंत्री हो गया, एक ही बात हो गई।

यह अलग-अलग जो मंत्री पद मिले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि चार विभागों के मंत्री, जलदाय मंत्री, ऊर्जा मंत्री तो आप एक ही हैं, आपकी एक जेब में ऊर्जा विभाग और एक में जलदाय विभाग है, सिंचाई मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, ये चार की जगह तीन मंत्री एक साथ बैठ जाएं, हमारा वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, हमारा सिंचाई का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है और हमारा ऊर्जा का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। करना कुछ नहीं है, बड़ी सोच के साथ में, हमारे यहां पानी की प्राब्लम है, आप ग्रामीण विकास का काम इस बेल्ट में कर रहे हैं, यह हमारे डार्क जोन हो गया है, यहां पर नरेगा का पैसा लाया जाए, तो यह बरसात का पानी जब इकट्ठा होगा तो यहां का वाटर लेवल बढ़ेगा। इतना-सा काम करना है।

हमारे पास डार्क जोन चिह्नित हैं, राजस्थान के हर गांव का, हर भू-भाग का पता है कि यह एरिया डार्क जोन में आ गया, जयपुर सिटी में पता चल चुका है कि यह डार्क जोन है, यहां पर पानी नहीं है, ऐसे जोन में वाटर पालिसी लागू करवाइए। जब वाटर हार्वेस्टिंग होने के बाद जयपुर में हर सरकारी विभाग, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में, सड़कों पर वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, एक बरसात में यदि वाटर लेवल साढ़े 3 मीटर ऊपर आ सकता है, जयपुर में, तो हम पूरे राजस्थान में क्या वाटर लेवल नहीं बढ़ा सकते? हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए आपसी अण्डरस्टैंडिंग बनाकर और यह करना पड़ेगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उसके लिए उन एरियाज में, मैं निवेदन करूंगा, आप तीनों-चारों मंत्रियों को जाना चाहिए।

आज यह नहीं हो सकता कि एक मंत्री, एक विभाग और उसकी कांस्टिट्यूएंसी का मिनिस्टर। यह कैसे हो सकता है? आप पूरे स्टेट के मिनिस्टर हैं और पूरे राजस्थान की जनता आपकी तरफ देखती है। इतना बड़ा ओहदा जब किसी को मिले तो उतना ही बड़ा उसका दिल भी होना चाहिए। छोटा दिल नहीं होना चाहिए कि यह मेरे खिलाफ बोल गया, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसका तो काम करना ही नहीं। ऐसे नहीं होता।

मैं, सभापति जी, आपके जरिये निवेदन करुंगा कि आज कोई मंत्री या मुख्य मंत्री के पास जाता है, जाकर तेज बोलता है तो वह आवाज अकेले उसकी नहीं होती, उसके क्षेत्र की जनता की आवाज होती है, वह राजस्थान की आवाज होती है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए।

मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यह जो सत्ता है, यह रेगिस्तान की रेत, बालू मिट्टी है; इसको जो जितना दबाएगा, उतनी हाथ से निकलती जाएगी, हाथ खाली करेंगे और देखेंगे तो बोला, हाथ खाली है।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह रिजल्ट नजर आए, हमारी जितनी योजनाएं आई, उन योजनाओं में मैं, सभापति जी, आपके जरिये मंत्रीजी से कहूंगा, आपको कहीं भी, सबसे पहले काम आपको कार्यपालिका से करवाना है और उस कार्यपालिका को आपको टाइमबाउण्ड प्रोग्राम देना पड़ेगा; आपको यह कहना पड़ेगा कि यह पैसा आपके यहां पर भेजा है, इस क्षेत्र के लिए, यह पैसा इतने दिन में खर्च होना चाहिए, आपको मेरे विधायक से मिलकर वहां पालिसी लागू करनी होगी; यदि आप नहीं करेंगे, टाइमबाउण्ड, यदि आप रिजल्ट नहीं देंगे; आपको वहां पर नहीं रहने देंगे; मुझे रिजल्ट चाहिए। जब आप रिजल्ट नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हमको पीनेलाइज करना चाहिए, पीनेलाइज करके उनको इस बात का टारगेट देना चाहिए और लोगों में उसका संदेश जाना चाहिए कि यह सरकार...(व्यवधान) ख़तम कर रहा हूं, एक मिनट में, यह सरकार चाहती है कि लोगों का काम हो। आज हम किसी के पास गये, उसको कह दिया प्यार से, पुचकार कर कह दिया, उससे क्या होगा? उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप बड़ी अच्छी बात करेंगे, कोई अभी आपके पास आ गया; बोला, यह कौन आ गया; बोला, साहब, ये वे एम एल ए साहब आ गये, ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं;

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

राज़ी किया उन्होंने, मेरे छोटे भाई, इधर-उधर घुमाकर और जय राम जी की, काम हो गया। अब यह जो स्थिति है, उस स्थिति में हम बोल सकते हैं काम का लेकिन उससे काम पूरा नहीं होगा। काम करने के लिए जरूरत है, कोई भी एम एल ए आए तो उसके पास, तुरन्त प्रभाव से बाकायदा फोन हो; फोन नहीं हो, एक विधान सभा क्षेत्र, एक-एक से मिलकर सरकार बनती है, एक विधान सभा क्षेत्र का एम एल ए आए तो कहें, टाइम फिक्स हो उसका कि यह विधायक आया है, सारे अधिकारियों को इतने बजे मैं बुला रहा हूं, विधान सभा क्षेत्र के मामले में ये अधिकारी आएंगे, आप भी आ जाओ, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हम फिक्स करवाएंगे, टाइम बाउण्ड जब प्रोग्राम बनेगा, अपने आप रिजल्ट आएंगे। फिर मानिटरिंग करने की एम एल ए की ड्यूटी होगी।

मैं सभापति जी, भरोसा करता हूं कि आज जल पर, सिंचाई पर जो जितनी डिमाण्ड्स लोगों की तरफ से आ रही हैं, जो-जो उनके मन में शंकाएं हैं, उन सब शंकाओं को हमारे मंत्रीगण दूर करेंगे और इस तरह का टाइमबाउण्ड प्रोग्राम भी बताएंगे, संशय है लोगों के मन में, वह भी बताएंगे, एक-एक बात नोट भी करेंगे तो वहां लोगों को लगेगा कि विधान सभा में जब कुछ होता है तो बाहर रिजल्ट आता है। अखबारों में लिखा है, मीडिया में लिखा है, विधान सभा में चर्चा हुई, मुख्य मंत्री ने बहुत रिलेक्सेशन दिये, यूजर चार्ज खतम किया, लोगों को लगा कि विधान सभा में कोई आवाज उठती है तो उसका रिजल्ट आता है। आज विधान सभा में बहुत लोग, अभी मेरे बहुत साथी तैयारी करके बैठे हैं, वे बोलेंगे, एक-एक बात को।

मुझे भरोसा है, मंत्रीजी, सभापति जी, आपके जरिये यह सदन आज कोई नया फैसला लेकर उठेगा और उस फैसले में एक बात तय होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी को लेकर इन सब कंटिंनजेंसी का, जो भी हो, ऐसा प्लान बने, इन अधिकारियों को इस बार कह दो कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में कहीं रास्ता रुकता है, कहीं गड़बड़ होती है, हंगामा होता है तो वह अधिकारी जिम्मेदार होगा। क्योंकि सरकार ने यदि पैसा दिया है, कंटिंनजेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये और यदि आप उसको खर्च नहीं करते हो, पहले से प्लान नहीं बनाते हो और गर्मी में यदि हंगामा होता है तो उस हंगामे के लिए अधिकारियों को आप ताक़ीद कीजिए कि अधिक से अधिक पहले से टेण्डर करके, शार्ट एन आई टी लगाकर और सारी की सारी तैयारी रखें। जहां भी प्राब्लम आए, उस प्राब्लम को दूर करवाइए। ड्यूटी उनकी है और सरकार की साख को बनाये रखना भी उनकी ड्यूटी है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मुझे भरोसा है, सभापति जी, आज एक नया रिजल्ट निकलकर आएगा, जो पानी के जरिये पूरे राजस्थान की जनता को उम्मीद दिखाई, पानी को लेकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें अपने आपको समाहित करते हुए अपने विचार आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाल में सिविल लाइंस से आने वाले हमारे माननीय विधायक साथी ने सदन और सरकार का अपने विचारों से ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हर सरकार प्रत्येक वर्ष अपना बजट भी प्रस्तुत करती है, 'हां' पक्ष के लोग प्रशंसा करते हैं, 'ना' पक्ष के लोग उसका विरोध भी करते हैं। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी यदि हम पानी के हालात को देखते हैं तो पानी के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। 7 करोड़ लोगों की आज इस सदन पर फिर निगाह टिकी हुई है कि पानी के बारे में सदन में चर्चा होगी और विधायक अपने-अपने क्षेत्र की मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपने देखा होगा कि कई घोषणाएं बजट में हुईं, सरकारें घोषणा करती हैं और आज इस कार्यवाही का भी शाम को 'हां' और 'ना' में समापन हो जाएगा तथा बात वहीं की वहीं रह जाएगी।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकारें आती हैं, सरकारें बोलती हैं, नारे भी देती हैं लेकिन यदि हम धरातल पर जाएं, पानी की स्थिति की ओर जाएं तो आजादी के 65 वर्षों में प्रत्येक बार राजस्थान की सब सरकारों ने कहा है कि राजस्थान में जो हमारा पानी है वह 1.16 प्रतिशत सरफेस और 1.10 प्रतिशत ग्राउण्ड-वाटर है लेकिन किसी भी सरकार के वक्त में, यानी कि आपके राज में आपने यह प्रयास नहीं किया कि हम 1.16 को आगे कैसे बढायें। हमारी पापुलेशन बढ़ रही है लेकिन पानी वही है जो पहले था। इसके बारे में चिंतन नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, सरकारें कहती हैं कि हमने 80 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचा दी, यह सरकार भी कहती है; फिर ये आगे बोलते हैं कि

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सरकार की विकास दर 5.4 प्रतिशत हो गई; फिर आगे बोलते हैं कि पूरे राजस्थान में सड़कों का जाल फैला हुआ है, फिर ये बोलते हैं कि पेयजल योजनाएं करोड़ों की प्यास बुझा रही है, गांव में गैस के चूल्हे जल रहे हैं, यानी विकास अपनी पूरी रफ्तार पर चल रहा है, लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो, सभापति महोदय, आज भी 2/3 लोग बिना रसोई गैस के इस राजस्थान प्रदेश में रहते हैं; 39 लाख घरों में आज बिजली नहीं है, 1/3 लोग ऐसे हैं जो लालटेन की रोशनी में रहते हैं और लगभग 1/3 ऐसे लोग हैं जिनके पानी की समुचित व्यवस्था आज भी इस राजस्थान में नहीं है।

मैं पानी के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है, इसका ह्रास न हो, ऐसा सदन को मिलकर करना चाहिए, सभी पक्षों को करना चाहिए। इसके बारे में सरकार ही चिंतित नहीं होती, आम नागरिक चिंतित होता है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई महत्वपूर्ण फैसलों में अभिनिर्धारित करके सरकारों को डायरेक्शन दिये हैं, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, "Right to water is a fundamental right under Article 21 of the Constitution." भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में, जिस प्रकार से पानी के बारे में सरकार ने भी कहा है और हमारे संविधान ने भी कहा है, "The court further observed that water is the basic need for the survival of human beings and is part of the right to life and human right as enshrined in Article 21 of the Constitution and can be served only by providing sources of water where there are none." सभापति महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा संविधान बना है उसमें आर्टिकल 21 फण्डामेंटल राइट है, उसमें हर व्यक्ति को, to provide clean and adequate water, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। पर क्या मिल पा रहा है?

सभापति महोदय, यदि मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो बड़े चौंकाने वाले होंगे। अभी हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 249 ब्लाक राजस्थान में हैं और यदि हम उनको देखते हैं तो 31 ब्लाक सुरक्षित हैं और बाकी 218 ब्लाक डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, यानी उनका पानी धीरे-धीरे समाप्त हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, सतही जल की जो मैंने अभी बात बताई, जो हमारी पानी की उपलब्धता है 1.16 प्रतिशत, उसका 87 प्रतिशत पानी इर्रिगेशन पर खर्च हो रहा है, 4 प्रतिशत पानी इण्डस्ट्री पर खर्च हो रहा है और केवल 9 प्रतिशत पानी है, जो राजस्थान के नागरिकों के लिए उपलब्धता के हमारे आंकड़े दर्शाते हैं।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, यदि हम राजस्थान और भारत की तुलना करते हैं, पूरे देश की तुलना करते हैं तो पूरे देश में फ्लोराइड से प्रभावित जो हैबिटेशंस हैं, उनकी संख्या को देखते हैं तो 33,211 हैबिटेशंस इस पूरे देश में फ्लोराइड से प्रभावित हैं और उसमें राजस्थान में 14,502; यानी पूरा देश एक तरफ और राजस्थान की स्थिति एक तरफ है, 14,502; यानी 44 प्रतिशत हैबिटेशंस को आज दूषित फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी आज 8122 ऐसी हैबिटेशंस हैं जिनमें पीने योग्य पानी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया है और इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि this is breach of trust. राजनीतिज्ञ होने के नाते सरकार का दायित्व बनता है और यदि दूषित पानी मजबूरी में आज लोग पीते हैं तो सरकार के लिए, मैं समझता हूं, इससे बुरी हालत नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, आप यदि यह देखें, Central Public Health Environment and Engineering Organisation के आंकड़ों की हम बात करें या भारत मानक परिषद के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो हालात ऐसे लगते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिस मात्रा में पानी में मानकता होनी चाहिए, उसमें फ्लोराइड की मात्रा 1 से लेकर 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, नाइट्रेट की मात्रा 45 से 100 एम जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लोराइड की मात्रा 250 से 1,000 नहीं होनी चाहिए, टी डी एस की मात्रा 500 से 2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टोटल हार्डनेस 300 से 600 नहीं होनी चाहिए और मैग्निशियम 30 से 100 नहीं होना चाहिए लेकिन, सभापति महोदय, यदि आज हम आंकड़ों को देखते हैं तो हमारे राजस्थान में इतनी खराब स्थिति है कि 2/3 से ज्यादा हमारा एरिया दूषित पानी का बताया है।

बजट में जिस प्रकार घोषणाएं हुई हैं, अच्छी घोषणाएं हैं, उनके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं 'पक्ष' और 'विपक्ष' की बात नहीं कहता, धरातल की बात कहता हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बजट बनता है, हमें चिंता है कि जयपुर के रामगंज में पानी आना चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं, निश्चित रूप से जयपुर में पानी की प्राब्लम है, पानी आना चाहिए, योजना बननी चाहिए लेकिन सरकार का दायित्व होना चाहिए, बजट बनाते वक्त सरकार को ध्यान रखना चाहिए, government to ensure declaration of equal share and equal opportunity for all, यानी बजट में

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सब का शेयर होना चाहिए, सबका समान हिस्सा होना चाहिए, चाहे वह गांव का हो, चाहे वह शहर का हो; चाहे वह जयपुर का हो, चाहे वह ढाणी का हो, इस बात को बजट में एंश्योर करना चाहिए।

It does not remain only a slogan. We have given special attention to the development of the weaker sections, backward classes, minorities, farmers and women so that a prosperous social system can be built on the foundation of social justice. यानी बजट बनाते हुए, घोषणाएं करते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2013-14 के बजट में जिस प्रकार की घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कीं, उनमें पैरा संख्या 57 में आपने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के समस्याग्रस्त गांवों एवं कस्बों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 18 नई परियोजनाएं हम लेकर आयेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि चाकसू, बस्सी एवं फागी तहसीलें समस्याग्रस्त हैं, इसलिए बीसलपुर-दूदू परियोजना से 771 करोड़ की परियोजना हम लेकर आयेंगे; दूसरी बीसलपुर-दूदू परियोजना, सांभर तहसील के 174 गांवों की 175 करोड़ की लेकर आयेंगे और बीसलपुर बांध से ब्यावर-नसीराबाद, 250 करोड़ की योजना लेकर आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इन्हीं घोषणाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बजट घोषणाएं 2012-13 में हुईं, पैरा संख्या 35 में कहा, ''10,000 गांव और ढाणियों को फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या, 5,300 गांवों को हैण्डपम्प और नलकूपों में डी-फ्लोराइडेशन इक्विपमेंट्स लगाये जायेंगे।'' सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मंत्रीजी तो यहां हैं नहीं, पैरा संख्या 36, ''नवीन पेयजल योजनाएं जिनकी लागत..., 3,796 करोड़ के कार्य समयबद्ध तरीके से तीन वर्षों में हम पूरा करेंगे।'' एक साल हो गया। उस योजना के अन्तर्गत 540 करोड़ रुपये की बीसलपुर की पेयजल योजना थी, इसमें टौंक जिले के 436 गांवों को पानी पिलाया जाना था, उस योजना को शुरु करना था, एक साल में तो उसकी कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं हुई, कार्य चालू ही नहीं हुआ। सभापति महोदय, घोषणाएं करना अलग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर के बारे में भी चार बार बजट में घोषणा हुई, 2009 में हुई, 2010 में हुई, 2011 में हुई और इन्होंने 2012-13 में भी यहां घोषणा की।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मेरा तो आपसे इतना निवेदन है, सभापति महोदय, गांव और शहर में अंतर नहीं होना चाहिए, गांव और शहर में समानता होनी चाहिए। मेरा इसलिए निवेदन है, अभी यह बजट में घोषणा की, आर.ओ. तकनीक पर 1,000 संयंत्र स्थापित करेंगे; 8,000 ढाणियां फ्लोराइड से प्रभावित हैं, एक ढाणी में यदि एक भी फ्लोराइड का इक्विपमेंट आप लगाते हैं तो 8,000 इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आप 1,000 इक्विपमेंट लगाकर ग्रामीण क्षेत्र को क्या मेसेज देना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो उस गांव के गरीब को उसका क्या दोष है? वह नहीं समझता कि नाइट्रेट क्या है, क्लोराइड क्या है, टी डी एस क्या है, वह नहीं जानता किसी प्रकार को लेकिन हम उसको मजबूर करते हुए दूषित पानी पीने को मजबूर कर रहे हैं। आपने जो कहा है, आपने उसमें जिस प्रकार की बात कही है, शहरी जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी 222 शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन उन गांवों को, उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी पिलाने की प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

मैं सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम देखें, बीसलपुर की योजना जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, कई बार ये योजनाएं बनती रहीं; 1986 में जब यह योजना बनी, इस योजना की कुल भराव क्षमता थी, वह 32 टी एम सी पानी था बीसलपुर में। 32 टी एम सी पानी का रिजर्वेशन हुआ, सी डब्ल्यू सी के द्वारा निर्धारित किया गया और यह हुआ यह योजना जिसमें 11.2 टी एम सी पानी रिजर्व्ड जयपुर, 5 टी एम सी पानी रिजर्व्ड अजमेर और 8 टी एम सी पानी जो बचता था, उसको डैड स्टोरेज के लिए रिजर्व कर दिया और 8 टी एम सी पानी जो बचा, उसको सिंचाई के लिए यूज में लेना था। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, 32 टी एम सी पानी का बंटवारा आपने 1986 में कर दिया, आज आप फिर घोषणाएं कर रहे हो कि हम ब्यावर को पानी पिला देंगे, जयपुर को पानी देंगे, आप पानी कहां से लाओगे? आपके पास पानी ही नहीं है। आप पानी की व्यवस्था करो और यदि आप पानी की व्यवस्था नहीं करना चाहते हो तो ये घोषणाएं तो कम से कम मत करो।

आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए, आगामी समय जो आ रहा है, वह पानी के लिए बहुत गम्भीर विषय होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से टौंक जिले की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उस जिले से जहां

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बीसलपुर का पानी, जहां आज बीसलपुर का बांध बना है, उसके गांवों की स्थिति के आंकड़े मैं आपको बताता हूं, वे चौंकाने वाले हैं, माननीय सभापति महोदय। 1,019 गांव हैं और 1,066 ढाणियां, कुल मिलाकर 2,085 गांव और ढाणियां पूरे टौंक जिले में हैं और फ्लोराइडयुक्त हैं 1,858; यानी, 2,085 में से 1,858 गांव और ढाणियां फ्लोराइड का दूषित पानी पी रही हैं। आप टी डी एस की मात्रा की बात करते हैं, 1,044 गांव और ढाणियां, 1,500 से लेकर 2,000 एम जी एम तक का दूषित पानी इनको पीना पड़ रहा है। प्रति लीटर नाइट्रेट की हम बात करें तो 45 एम जी एम प्रति लीटर की बजाय 754 ऐसी ढाणियां हैं जहां अधिक पानी इनको पीने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा, जहां से पानी आ रहा है, जहां की जमीन डूबी हैं, जहां पर लोग रहते हैं, वे आपका टी डी एस, नाइट्रेट और फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। वहां पर व्यक्ति जवान ही नहीं होता, 20 साल की उम्र के बाद उसके घुटने के दर्द और उसके स्केलेटन की ऐसी स्थिति बन जाती है, कुबड़ा बन जाता है। आप उनके बारे में चिंता नहीं करना चाहते। आप तो चूंकि जयपुर में हैं और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकार को यदि मेट्रो की चिंता करनी थी, 12,000 करोड़ रुपया ऋण लेकर आपने मेट्रो चलाने की बात सोची है, अच्छा होता, सबसे पहले मन में यह कल्पना करते कि मेरे उन भाइयों को जहां वे टी डी एस, फ्लोराइड और नाइट्रेट का पानी पीकर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, पहले इनको उनके लिए विचार करना चाहिए था। उस ओर भी इनका ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मुझे बहुत अच्छा लगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि हम कुछ नदी बेसिन का वर्षा समय का जो अधिशेष पानी है, जो नदियों में व्यर्थ में बहता है, उसको हम डाइवर्ट करेंगे। डाइवर्ट करने की बात हुई, उसमें मेज नदी का पानी रामगढ़ में लाने की बात भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह वास्तविकता है कि मेज नदी का पानी चम्बल से काफी अधिशेष बह जाता है और उसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपको बूंदी जिले के नमूने प्रस्तुत करना चाहता हूं, इनकी वहां जिले पर सेन्ट्रल लैब बनी हुई है, उस बूंदी जिले की लैब में जो नमूने लेने चाहिए थे 3,000, इन्होंने 1,575 नमूने लिये; उसमें से 206 नमूने फ्लोराइड के मिले, 160 नाइट्रेट के मिले और 219 कंटेमिनेशन के मिले और 78 आर्सेनिक,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आयरन फ्लोराइड, सेलिनिटी वाटर के मिले हैं। ये इनकी स्थितियां हैं। पीने योग्य नमूने और नहीं पीने योग्य नमूने, यानी 50 प्रतिशत नमूने अमानक हुए। अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी इसकी घोषणा करते कि यह मेज नदी का पानी जयपुर के रामगढ़ में आयेगा, लेकिन इससे पहले बूंदी जिले के प्रत्येक गांव का जहां वह टी डी एस, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक जैसा पानी पी रहा है, उनकी योजना भी सरकार बनाये, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, आज देखिये, आर्सेनिक का जहां यूज होता है, वहां पर स्किन और कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है; जहां पर फ्लोराइड होता है, वहां डेंटल और स्केलेटन जैसी चीजें बदल जाती हैं; नाइट्रेट का है तो बेबीज में डिजीज आगे बढ़ती हैं। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ने इस जनता को, इस बूंदी जिले की पापुलेशन को, टौंक जिले को भगवान भरोसे छोड़ रखा है? इनको इस बारे में योजना बनानी चाहिए, उन्होंने नहीं बनाई।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एन आर डब्ल्यू पी यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, इसके अन्दर 100 प्रतिशत पैसा गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है, यह भारत सरकार इनको पैसा देती है और उस पैसे में से ही अबकी बार 1,352 करोड़ रुपये का बजट का एलोकेशन हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन बना रखा है, वहां पर इन्होंने इस चीज की चार-चार पोस्ट लगा रखी हैं, डिस्ट्रिक्ट एच आर डी कंसल्टेंट; डिस्ट्रिक्ट आई सी ई कंसल्टेंट; डिस्ट्रिक्ट एम ई एण्ड ई आन मानिटरिंग; एण्ड डिस्ट्रिक्ट हाइड्रोजियोलोजिस्ट। यानी, मेरे कहने का मतलब है कि चार-चार पोस्टें इनको दी हुई हैं, फिर ये नमूने टैस्ट क्यों नहीं होते? जब यह सारा पैसा सेन्टर का होता है, इनके वहां पर लोग लगे हुए हैं, 2011 में इन्होंने लोग लगाये हैं तो वे जांच करें, पानी की मानकता को देखें, पानी को टैस्ट करें। फिर पानी टैस्ट क्यों नहीं हो रहा है? सरकार उनको हटाना चाहती है, निजी कम्पनियों को संरक्षण देना चाहती है और निजी कम्पनियों में आई आई एच एम आर जो कम्पनियां हैं, यानी इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्च के नाम से कम्पनियां इसमें प्रवेश करना चाहती हैं। मैं कहना चाहूंगा, कम्पनियों का पार्टिसिपेशन, कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि सरकार की व्यवस्थाओं में, सरकार के अधिकारी और उन पर आपका

(श्री प्रभुलाल सैनी)

विश्वास नहीं है, धीर-धीरे खतम होने लगा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, आज उन लोगों को, जिन लोगों को आपने जांच के लिए लगाया, एच आर डी के लोगों को आप लोगों ने लगाया, पहले एक बार, फिर से उनको हटाने की बजाय सरकार उस पर विचार करे कि उनको वापस काम करना है।

अब मेरा आपसे एक और निवेदन है, सभापति महोदय, दीर्घकालीन सरफेस पानी की जो योजना है, वर्षाकाल का अधिशेष पानी, कोटा बैराज का पानी है, 1.16 पानी सरकार बता रही है; मैं कहता हूं, मैनेजमेंट की कमी है, पानी की राजस्थान में कोई कमी नहीं है। राजस्थान का पानी चम्बल के माध्यम से अन्य स्टेट में जाता होगा, हम पानी को रोक नहीं पा रहे। मेरा आपसे निवेदन है, मानसून में जुलाई से सितम्बर तक, यदि पी एच ई डी से प्राप्त रिपोर्ट को हम देखते हैं तो आप देखेंगे, वहां पर 1-8-2012 से लेकर इन्होंने अपनी योजना बनाई और इसमें इन्होंने कहा कि नौ महीने में आप अपनी डी पी आर बनाओ; मैसर्स पीडीकोर, जयपुर को इन्होंने डायरेक्शन दिये, लेकिन आज दिन तक इनकी रिपोर्ट नहीं बनी। रिपोर्ट के साथ में कोटा बैराज में 10 वर्षों में गेट खोलकर जो पानी जाता था, उसमें यदि हम आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें 10,192... सभापति महोदय, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं; कोटा बैराज का अधिशेष पानी, जो जुलाई में वर्षा काल में अधिशेष पानी सरकार के द्वारा गेट खोलकर बहाया जाता है, उसमें आप देखें, 10,192 मिलियन क्यूसेकस मीटर, यानी इससे सात बीसलपुर बांध बन जाये, इससे सात बीसलपुर बांध बन सकते हैं, सात, और कह रहे हैं हमारे पास पानी ही नहीं। पानी नहीं, व्यवस्था की जरूरत है। 2004 में 530 एम क्यू एम पानी आया, छोड़ा इन्होंने; 2006-07 में 6,434 एम क्यू एम पानी इन्होंने छोड़ा; 2007 में 1,787 एम क्यू एम पानी छोड़ा; 2008-09 में 584 एम क्यू एम और 2012-13 में 360, यानी कैपेसिटी जो है, हमारे वर्तमान जो वहां बांध हैं, बीसलपुर बांध 32 टी एम सी का बना हुआ है लेकिन इस पानी को हम देखते हैं, 227 टी एम सी पानी की उपलब्धता हो जाती है, यानी सात बीसलपुर। सारे तालाबों में यदि पानी डाल देते हैं तो न जयपुर को तकलीफ होगी, न दौसा को; यह सारे राजस्थान को पानी मिल पायेगा।

मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगा आपसे, आपके माध्यम से, अंत में मेरा यही निवेदन आपसे है कि हमें, ईसरदा की बात को, यह पांच सौ करोड़ रुपये ईसरदा की बात कही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ईसरदा बांध...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पिछली सरकार में दो कदम भी यह चल लेते तो यह रास्ता पूरा हो जाता। एक कदम चले नहीं, मंत्री रहे आप, वहां पर आपने बूंद भी, हिण्डौली का कुछ ही नहीं किया आपने।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अब आप बैठें फिर।

श्री सभापति: लेकिन, मंत्री महोदय, एक मिनट आप...। मंत्री महोदय, इस प्रकार की कोई मांग पर तो आज कोई डिस्कसन, डिबेट है ही नहीं। यह तो मांग आज जल संसाधन की है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं जन-प्रतिनिधि को जागरूक कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा उद्देश्य उनको इंटरवीन करना नहीं है।

श्री सभापति: आप वाली मांग तो, मेरे ख्याल से, जनता के सामने रखने वाली मांग है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं उनको जागरूक कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप वाली मांग तो जनता के सामने रखने वाली मांग है, आप वहां रखियेगा। इस सदन में तो जिस मांग पर चर्चा हो रही है, उस पर हो जाने दीजिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): एक मिनट, सर। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगा पारीक साहब को क्योंकि आप अपडेट नहीं हैं। हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमने वह किया है कि राजस्थान में बीसलपुर की जो उनियारा-देवली-टौंक, जहां का मैं विधायक था, 2008 में हम लोगों ने उसके 427 गांवों के लिए 247 करोड़ की योजना मंजूर कर दी थी, उसके टेण्डर भी लगा दिये थे, लेकिन सरकार बदली, आपने जान-बूझकर चार साल तक उस योजना को और उस टेण्डर को देकर आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। पारीक साहब, यह आपको जानकारी, हमारे समय की योजना है, जो हमने पास की थी, 247 करोड़ की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बात करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अब आपने कहा, हमने कुछ नहीं किया।

ईसरदा बांध का मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ईसरदा बांध के बारे में, 10.77 टी एम सी पानी, हम लोगों ने, हमारी सरकार के वक्त में, 37 करोड़ रुपये करके कोफर डैम का निर्माण किसने कराया, मैं पारीक साहब से पूछना चाहता हूं, बताना। हम लोगों ने 37 करोड़ खर्च करके कोफर डैम बनाया और कोफर डैम बनाने के बाद सरकार बदली। तो सरकार, जितनी योजनाएं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

वसुंधरा जी के टाइम में हम लोगों ने कीं, ये चुप्पी साध गये। अब ये घोषणाएं इसलिए करना चाहते हैं कि इनकी सरकार जाने वाली है, अब यह छह महीने में ये समझ रहे हैं कि हम न तो इनको कर पायेंगे, घोषणा करने में हमारा क्या जाता है? इन्होंने इस प्रकार की घोषणाएं की हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगा, अंत में, सभापति महोदय, मैं, पारीक साहब, हमारे उद्योग मंत्रीजी को यह आपके माध्यम से बताना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे इंगित किया है, हम लोगों ने तो 2004 में कालीसिंध, पार्वती और चम्बल तीनों नदियों को जोड़कर इंटरलिंकिंग परियोजना, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में 5,600 करोड़ रुपये की मंजूर की थी, उस योजना में सम्मिलित कराया था, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार, कई बार इस पर मीटिंग्स हुई हैं, एम ओ यू पर साइन नहीं हुए। जब से यह सरकार बदली, आज दिन तक एम ओ यू पर साइन नहीं कर पाई। हम लोगों ने उसकी फीजिबिलिटी तय की थी, उसकी सारी व्यवस्थाएं तय हुई थीं, लेकिन सरकार जब बदली, अब ये घोषणा करके थोथी लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं।

इसलिए, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, मेरी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमरा रामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप।

श्री सभापति: मैंने पुकार लिया तो आपके सीनियर लीडर हैं, उनके बाद आप।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ठीक, सर।

श्री सभापति: श्री अमराराम जी की जगह पवन दुग्गल जी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से मांग संख्या 46 और 27, सिंचाई एवं जल के ऊपर अपनी बात रखने जा रहा हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर निश्चित रूप से एक वरदान के रूप में आई है और लगभग 649 किलोमीटर लम्बी यह नहर राजस्थान के पांच-छह जिलों में हजारों-लाखों, न केवल उत्पादन कर रही है बल्कि विभिन्न पेयजल योजनाओं के अन्दर भी राजस्थान के अन्य जिलों में भूमिका निभा रही है। सभापति महोदय, इस इंदिरा गांधी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

नहर का जिसको कि दो भाग, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के अन्दर डिवाइड किया हुआ है, लगभग 16.17 लाख हैक्टेयर के अन्दर यह नहर सिंचाई करती है, कमांड किया हुआ है जिसमें प्रथम चरण में 5.46 लाख और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हैक्टेयर जमीन को कमांड किया हुआ है और दोनों ही जोनों के अन्दर यह नहर राजस्थान के अन्दर किसानों को बचाने का लम्बा काम कर रही है मगर वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर, सभापति महोदय, किस प्रकार से इस नहर का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा।

जहां प्रथम चरण के अन्दर केवल मात्र 5.46 लाख हैक्टयेर जमीन कमांड है, वहीं द्वितीय चरण के अन्दर 10.71 लाख हैक्टेयर कमांड होने के बावजूद भी 2009-10 में 6.14 लाख हैक्टेयर जमीन की वास्तविक सिंचाई प्रथम चरण में हुई एवं 2009-10 में 10.95 लाख हैक्टेयर में से केवल मात्र 1.97 लाख हैक्टेयर कमांड सिंचाई द्वितीय चरण के अन्दर हुई। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, 2010-11 में 7.16 लाख हैक्टेयर जमीन प्रथम चरण में और 10.97 लाख हैक्टेयर में से केवल मात्र 4.87 लाख हैक्टेयर जमीन की द्वितीय चरण में वास्तविक सिंचाई हुई। इसी प्रकार से वर्तमान में भी, 11-12 का आंकड़ा, 9.40 लाख हैक्टेयर प्रथम चरण में और 11 लाख हैक्टेयर में से मात्र 6.63 लाख हैक्टेयर जमीन द्वितीय चरण के अन्दर वास्तविक सिंचाई हुई।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार लगातार, 1974-75 से लगाकर आज दिनांक तक, 36-37 वर्ष में, जहां द्वितीय चरण लगातार खोलती जा रही है सिंचाई के लिए, हमें खुशी है, जितना मर्जी सिंचाई का क्षेत्र खोलें, किसान चाहे जैसलमेर का हो, चाहे गंगानगर का हो, किसान, किसान है मगर जो भूमि राजस्थान को और किसान को अच्छा उत्पादन दे, आप उस भूमि को छोड़कर और केवल मात्र अपने राजनैतिक स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए, केवल मात्र अपने वोटों को बढ़ाने के लिए अगर आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दुरुपयोग करेंगे तो निस्संदेह राजस्थान के अन्दर, किसान के अन्दर एक समय ऐसा आ जायेगा जब अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी।

सभापति महोदय, ये कितनी जमीन कमांड करें, लगातार पांचवां बजट हमने पढ़ा है, सुना है, जिस प्रकार लगातार जमीन को कमांड किया जा रहा है, इनकी हालत यह है, सभापति महोदय, 1981 के अन्दर जो रावी-व्यास नदियों के सम्बन्ध में समझौता हुआ था उस समझौते में, जिसमें राजस्थान का

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

हिस्सा 8.0 एम ए एफ, 8.06 एम ए एफ पानी था, 1981 के बाद आज तक 0.6 एम ए एफ पानी जो हमारा हिस्सा है, जिसमें पूर्व हमारे माननीय विधायक कह रहे थे, पानी की कमी नहीं है, कमी है सरकार की इच्छाशक्ति की। आज भी, सभापति महोदय, पंजाब ने 0.6 एम ए एफ पानी राजस्थान के हिस्से का अपने पास रखा हुआ है, नियंत्रण कर रखा है। राजस्थान की यह हालत है कि 81 के समझौते के बाद हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए था मगर 1991 के बाद आज, सभापति महोदय, 2013 चल रहा है, राजस्थान ने क्या प्रयास किये? माननीय मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो सदन को बतायें कि 0.6 एम ए एफ हिस्सा आज तक राजस्थान को क्यों नहीं मिला।

दूसरा, सभापति महोदय, पंजाब ने क्या किया, 2004 में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास कर 1981 के समझौते को उन्होंने निरस्त कर दिया। आज वह मामला पूरे का पूरा, सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने जो मुझे जवाब दिया, 1994 के बाद आज दिनांक तक राजस्थान की सरकार ने मात्र 23 पत्र लिखे, 22 सालों में; केवल औपचारिकता की है कि हमारे हिस्से का पंजाब ने जो पानी रखा हुआ है, वह हमारे हिस्से का पानी दिया जाय। सभापति महोदय, अगर पत्र लिखने से ही पंजाब हमारे हिस्से का पानी देना चाहता है या दे सकता है, तो फिर कितने ही पत्र लिखो चाहे, मगर कुल मिलाकर बात यह है कि इनकी इच्छाशक्ति नहीं है। राजस्थान सरकार इस मामले में गम्भीरता से प्रयास करे तो आज भी हम अपने हिस्से का पानी पंजाब से ले सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दोनों चरणों के अन्दर लगातार सिंचाई के लिए, ये कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल के अन्दर कभी घड़साना और रावला में आंदोलन नहीं हुए, सभापति महोदय, अगर ये पांच साल का रिकार्ड उठाकर के देखें तो आपको ताज्जुब होगा, इन चार-पांच सालों में घड़साना, रावला या अनुपगढ़ में सिंचाई के लिए आंदोलन हुए और आपकी सरकार द्वारा लगभग बीस मुकदमे इन पांच सालों के अन्दर उस इलाके के किसानों पर दर्ज किये गये। सभापति महोदय, जिसका भी टाइम आया, वक्त आया, किसान का इन्होंने दुरुपयोग करने का ही काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां प्रथम चरण के अन्दर खरीफ

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

और रबी की फसल लेते हैं, वही दूसरे चरण के अन्दर केवल मात्र रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। जब द्वितीय चरण में खरीफ की फसल का उत्पादन नहीं होता तो, सभापति महोदय, जब रेग्यूलेशन बनाते हैं तो माननीय मंत्रीजी जवाब दें कि फिर आपके रेग्यूलेशन में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में पानी लगातार बराबर कैसे चलता है? चूंकि उस समय गर्मी होती है और ऐसे हालात हो जाते हैं कि उस इलाके में नहरें बंद हो जाती हैं मगर जान-बूझकर पानी आगे छोड़ते हैं और न पानी उनके लायक रहता है और वह पानी न हमारे लायक रहता है। ऐसी स्थिति के अन्दर ये हाल हो गये। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, यूं लगता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का किसान कहीं जैसलमेर के किसान से पानी के लिए लड़ रहा हो। लेकिन हकीकत यही है, सभापति महोदय, उसी इलाके के किसान ने आगे जाकर अपने परिवार को बसाया और वे ही आगे खेती कर रहे हैं और उसी के परिवार का दूसरा हिस्सा उस जिले के अन्दर रह रहा है।

कुल मिलाकर बात यह है, सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप दोनों, तीनों, चारों जिलों का दुबारा भू-सर्वेक्षण करा लें, आपका जो आंकड़ा है, आपका जो प्रगति विवरण है, 2012-13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट उत्पादन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में हुआ है या उस चरण के अन्दर हुआ है? जो इलाका आपको प्रोडक्ट दे रहा है, उत्पादन दे रहा है, आप उस इलाक़े को मारकर के किस आधार पर पानी आगे ले जा रहे हो? जिस इलाके में सिंचाई इतनी मजबूत नहीं है, फसल इतनी ज्यादा नहीं होती तो आप क्यों किसानों को मारने का काम कर रहे हो? सभापति महोदय, इनके ही आंकड़े बोल रहे हैं, आपके 20011-12 में 6.37 हैक्टेयर में...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आगे जैसलमेर में पानी नहीं दे, यूं आप यह कहना चाहते हो?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नहीं, आप पानी दो, हमने कब रोका है? हमने पहले कहा है, पानी दो, जैसलमेर को दो, बाड़मेर को दो; आप ले जाओ पानी जहां ले जा रहे हो मगर पानी से आपका उत्पादन प्रभावित हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है।

आपने गडरा माइनर को निकाला है, आप, मंत्रीजी, जब जवाब दें तो हमें यह बता दें कि गडरा माइनर के ऊपर पानी की रिक्वायरमेंट क्या है? और

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

कितना पानी लासेज में जाता है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना गडरा माइनर के ऊपर आप पानी ले जाएंगे, उसमें 2,300 क्यूसेक्स तो आपका लासेज में चला जाएगा और उस 2,300 क्यूसेक्स से पूरी की पूरी आपकी अनूपगढ़ शाखा चलती है जिसके अन्दर बीसों लाख परिवार रहते हैं।

आपकी योजनाओं का हम स्वागत करते हैं, हम यह कहते हैं कि आप किसानों को लड़ाओ मत, किसानों में बंटवारा मत करो कि गंगानगर का किसान जैसलमेर के किसान से नफरत करता है। हम इस बात को आज भी सदन में कहना चाहते हैं कि हमारा परिवार ही आगे उधर गया हुआ है, हमारे इलाके के लोग ही उधर खेती कर रहे हैं, मगर हालात ऐसे पैदा कर दिये कि पानी पीछे वाले ज्यादा ले रहे हैं और इनको कह दिया कि पानी आगे जा रहा है। हम यह कहते हैं कि आपकी जो पेयजल योजनाएं हैं, हम स्वागत करते हैं कि आप कोने-कोने में पानी पहुंचायें, फ्लोराइडयुक्त जहां भी नुकसान हो रहा है, पानी दें; कौन आपको रोकता है? मगर पानी दे कैसे रहे हैं, बड़ी-बड़ी नहरें लगाकर के आप पानी दे रहे हो जिसमें लाखों क्यूसेक्स पानी लासेज में जा रहा है। आप पानी अगर दे रहे हो तो कम से कम उस लासेज के पानी को बचाओ, आप नहरों के बजाय पाइपों का प्रबंध करो। आप जहां चाहते हो, वहां पानी ले जाओ, आपको पानी के लिए कौन रोक रहा है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो इस बात पर जरूर जवाब देना कि आपके पानी में जो आई जी एन पी का पानी आ रहा है, पंजाब के अन्दर जितने भी चमड़े के बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, कैमिकलयुक्त पानी, अवशिष्ट पदार्थ उस पानी के अन्दर डाला जा रहा है। उसके अन्दर हालात ये हो गए कि उस इलाके के अन्दर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग रहे हैं। मगर सरकार ने क्या-क्या पैरवी की है? आप जब जवाब दें तो पांच-दस सालों का विवरण जरूर बता देना, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अन्दर कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या हालात उस इलाके में हो चुके हैं। अगर आप इस पर मानिटरिंग नहीं करेंगे, आप उस इलाके के लोगों की देखभाल नहीं करेंगे तो आप फिर किस प्रकार का काम यहां बैठकर के कर रहे हो?

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

इसलिए मेरी मांग है मंत्रीजी से कि हरिके बैराज से लगाकर के और जहां तक, बाड़मेर तक आपकी नहर जा रही है, कम से कम आप अपने अधिकारियों को लेकर के, उस इलाके के जो एम एल एज हैं, उनका ग्रुप बनाकर के कम से कम आप इस पर एक राउण्ड लगाकर के आयें; देखकर के आयें कि हरिके बैराज से लगाकर के और मोहनगढ़ तक जो आपकी आई जी एन पी जा रही है, जो आपके राजस्थान को हरा-भरा कर रही है, इसमें कहां-कहां कितना नुकसान है। आप इसके मंत्री हो और मैं यह दावे से कह रहा हूं कि शायद ही आप कभी गए होंगे, कभी। गये होंगे तो मुझे आप सदन में बता देना, किस तारीख को गये हैं, इसका मैं धन्यवाद करूंगा। मगर आपको वहां जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पंजाब के अन्दर हमारी नहर की मानिटरिंग नहीं है, बिलकुल भी। नहर हमारी और पंजाब पूरा का पूरा पानी चोरी करे और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको रोक दें, पंजाब उसके अन्दर कुछ भी गड़बड़ करे। राजस्थान के तो ये हालात हैं कि आज भी बी बी एम बी में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। मंत्रीजी, जब आप उत्तर दें तो कम से कम यह तो बता देना कि आज इतने साल हो गये इंदिरा गांधी नहर चलती हुए, बी बी एम बी में हमारा प्रतिनिधित्व तो हो जाए। हम तो खुद चाहते हैं, मंत्रीजी, आप उसके अन्दर जाएं ताकि आप हमारी पैरवी कर सकें। आप राजस्थान में पानी के लिए हमारे सिंचाई मंत्री हो, मगर आपको भी नहीं जाने देते हैं। जब आपको खुद को जाने के लिए इजाजत नहीं है, आपके सेक्रेटरी को जाने के लिए इजाजत नहीं है तो आपका पानी कैसे चलता है? यह तो भगवान भरोसे ही है। मंत्रीजी, इस बात को आपको मानना चाहिए। इसलिए इस बात को गम्भीरता से लेते हुए कि बी बी एम बी में हमारा प्रतिनिधि हो और वह हमारी पैरवी करे और हमारे हिस्से का पूरा पानी ले, तब जाकर के हमारे इलाके को पूरा बसाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अन्दर घग्घर बेल्ट का पानी आता है और वह पानी लाभदायक है। अनूपगढ़ से आगे पाकिस्तान पड़ता है और उस घग्घर बेल्ट का सारा का सारा पानी पाकिस्तान चला जाता है और वह पानी पाकिस्तान जाने से हमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। एक तरफ तो हम किसान पानी की एक-एक बूंद के लिए आंदोलन करते हैं और दूसरी तरफ हमारी ही आंखों के आगे, हमारा ही पानी जो सिंचाई के काम आ सकता है, वह हजारों क्यूसेक्स की तादाद के अन्दर पाकिस्तान जा रहा है।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

आपकी सरकार ने 1999 में एक प्रोजेक्ट बनाया था, बेड़ताल झील के नाम से अनूपगढ़ में, 1999 से लेकर आज तक उस झील का क्या हुआ? मंत्रीजी, हमें उस मामले में कुछ भी पता नहीं लग रहा। जब प्रश्न लगाते हैं तो आप कहते हो कि कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, प्रक्रियाधीन है। ये कुछ चंद शब्द हैं जो लगातार पांच साल से प्रश्नों के उत्तर में लगातार आते रहे हैं। सभापति महोदय, उस घग्घर बेल्ट का पानी जो पाकिस्तान में जाता है, उससे हमारा सारा नुकसान, जो बी.एस.एफ. की चौकियां हैं वे टूटती हैं और हमारे पिलर्स टूटते हैं और जिस इलाके में पानी जाता है, वहां बड़ी-बड़ी झाड़ियां हैं और वहां घुसपैठिये आते हैं। आप रिकार्ड देख लीजिए,

(15.59 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सबसे ज्यादा घुसपैठिये उधर अनूपगढ़ से, पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। इसका कारण है, क्योंकि उधर से हमारी सेना आ-जा नहीं सकती। अनूपगढ़ शाखा की टेल का किसान हो या सूरतगढ़ शाखा की टेल का किसान हो, उस किसान को बहुत पानी मिलेगा। उस झील से पर्याप्त सिंचाई का पानी मिलेगा और उस इलाक़े का पानी रिचार्ज होगा और अगर पानी रिचार्ज होगा तो निस्संदेह पानी जमीन से भी मीठा निकलेगा। इसलिए आप जब जवाब दें तो कम से कम घग्घर बेल्ट, बेड़ताल झील के बारे में आप जरूर बताना कि उसके बारे में आपकी सरकार की क्या नीतियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, दो ही मिनट,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सुन लो आप, आज कितने लोग बोलने वाले हैं, मालूम है आपको? 32 तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, आप एक मिनट सुनो आप, और 19 बोलेंगे सत्ता पक्ष की ओर से और उसके बाद में निर्दलीय, यूं मिलामिलू करके लगभग 55-60 के बीच में आंकड़ा जा रहा है।

(16.00 बजे)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, हमें बोलना ही है ...(व्यवधान) बोलते रहेंगे, मंत्रीजी को जवाब देना है।

श्री सभापति: अगर आप इस तरह से लम्बा बोलोगे तो काम नहीं चलने वाला है। मैं समय निश्चित करूंगा, ताकि जिन-जिन भी माननीय सदस्यों को बोलना है वे बोल जाएं। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो और संक्षिप्त में बोलो। आप इतना लम्बा बोलोगे तो काम नहीं चलेगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, बात लंबे की नहीं है, गम्भीर की है। रोज आंदोलन होते हैं, आपकी सरकार में आंदोलन होते-होते बच रहे हैं, कई हो चुके हैं। यह सिंचाई, पानी का मामला है, इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आखिर में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे जिलों में गेहूं की फसल पर्याप्त मात्रा में खड़ी हुई है, लाखों हैक्टेयर में और परसों हमने स्थगन प्रस्ताव भी लगाया था मगर आपने गोलमोल जवाब दे दिया, न तो आपने यह बताया कि चार में दो समूह चलेगा, न आपने यह बताया कि पानी देंगे या नहीं देंगे। इसलिए आपके माध्यम से मांग है कि आप जब जवाब दो तो कम से कम यह तो बता देना कि अब फसल जो लगी हुई है गेहूं की लाखों हेक्टेयर में, वह बचेगी या नहीं बचेगी।

आपका चीफ इंजीनियर तो इतना भ्रष्ट है सभापति महोदय, वह मंत्री जी की भी नहीं सुनता। मंत्रीजी चाहें आप बीच में बोल कर कह दो, सही ढंग से इनको किसी को जवाब नहीं देता और न ही कोई इनके कार्य सुचारु रूप से करता है, जब दबाव पड़ता है तब रेग्यूलेशन की मीटिंग बुला लेते हैं, नहीं तो आराम से सोता है। इसलिए आपके अधिकारी जो बेलगाम हो चुके हैं, सिंचाई विभाग के, उनकी लगाम कसो क्योंकि पूरे के पूरे, चाहे आंदोलन पूर्ववर्ती सरकार में हुए हों, चाहे वर्तमान में आंदोलन के हालात हों, उसके लिए जिम्मेदार आपके ये अधिकारी हैं।

इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि इन्दिरा गांधी नहर, महत्वपूर्ण नहर, जिसके ऊपर लाखों परिवार अपना जीवनयापन करते हैं, न केवल अपना पेट भरते हैं बल्कि राजस्व देते हैं और इस देश के लिए उत्पादन करते हैं, उनकी हालत यह हो गई, आपके विभाग ने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि पानी के लिए वे लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हमारी मांग है कि आप इस ओर ध्यान देते हुए, इस इंदिरा गांधी नहर की ओर ध्यान देते हुए आपको कुछ हमने सुझाव दिये हैं, जब आप जवाब दो तो उनका उत्तर देना।

आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, कटौती प्रस्ताव द्वारा मांग संख्या-27 एवं मांग संख्या-46 पर, पेयजल की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में मैं माननीय मंत्रीजी का आपके माध्यम से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहती लेकिन टू-द-पाइंट बताना चाहूंगी कि कुछ योजनाएं जो चल रही थीं उन योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, यह मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगी।

जनता जल योजना एक ऐसी योजना थी, चल रही है वर्तमान में लेकिन उस योजना के पीछे जो मकसद था, वह यह था कि इसमें 10 प्रतिशत पैसा गांव के लोग इकट्ठा करें और 90 प्रतिशत पैसा सरकार की ओर से आये और उसके माध्यम से हम सहभागी योजना ...(व्यवधान) हां, स्वजल धारा और उसी के तहत यह थी। उसमें जो योजना के पीछे सोच था, वह यह था कि हम लोग पेयजल उपलब्ध करा सकें गांववासियों को। यह जनता जल योजना पहले पी एच ई डी के द्वारा संचालित होती थी लेकिन एक साल पहले इस योजना को ट्रांसफर कर दिया आपने ग्राम पंचायतों को। अब ग्राम पंचायत इस जनता जल योजना को देखेगी और इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वह ग्राम पंचायत को देना है। एक रजिस्टर्ड संस्था, बनाई हुई गांव की, इस योजना को देखेगी। गांव के सारे प्रबुद्धजन उस संस्था के माध्यम से उसको देखते थे कि पूरी पंचायत के अन्दर सभी गांवों में पानी पहुंच रहा है या नहीं, लेकिन अब चूंकि ग्राम पंचायत को ट्रांसफर हो गई और ग्राम पंचायत के पास में पहले ही करने को बहुत काम हैं और दूसरा, ग्राम पंचायत का सरपंच, अगर किसी ने बिल जमा नहीं कराया तो वह उससे बुरा नहीं बनना चाहता, वह उससे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता इसलिए वे बिल भी जमा नहीं होते और इसके अभाव में यह हालत है कि वह जनता जल योजना अधिकतर गांवों में बंद हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल, दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये ड्यू होने के बाद आर एस ई बी आकर के काट देती है।

तो मैं आपके सामने यही कहना चाह रही हूं कि मेरे राजसमन्द क्षेत्र में, राजसमन्द पंचायत समिति में एमड़ी, पीपली, आचारियन, साकरोदा, बामनटुकड़ा, बड़ाडर और पड़ासली, ये ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं जहां जनता जल योजना चल रही थी। एक ही उदाहरण इनमें से देना चाह रही हूं कि बड़ाडर जो ग्राम पंचायत है, उसमें मजा नांदोड़ा एक गांव है जिस गांव में पिछले दस दिन से पानी नहीं आ रहा है, गांव के लोगों में त्राहि-त्राहि मच रही है और कारण सिर्फ यह है कि जनता जल योजना में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट चुका है और इसलिए पानी सप्लाई नहीं हो सकता। दस दिन से लोग बिना पानी के रह रहे हैं। इसी तरह से, रेलमगरा पंचायत समिति, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायतें हैं उनमें पछमता जहां पानी तो पर्याप्त है लेकिन चंबाखेड़ी उसका

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जो गांव है, उसमें पानी इसलिए नहीं मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं है; लापसिया जो एक दूसरी पंचायत है उसमें पानी तो पर्याप्त है लेकिन वहां के जो गांव हैं, रामपुरिया, रगसपुरिया, उनमें पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं हैं।

मैं यह कहूंगी कि जब योजना को आपने ग्राम पंचायत को ट्रांसफर किया तो आपने यह कहा था कि हम बजट भी देंगे, ताकि उस बजट से आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा करायें और यह सारी योजना बराबर चल पाये, लेकिन उस ग्राम पंचायत को पी एच ई डी के द्वारा किसी तरीके का बजट इस जनता जल योजना के तहत नहीं दिया गया जिसकी वजह से आज वे सारी योजनाएं फ्लाप शो हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं होने की वजह से। अगर हम लोग कहें कि हम अपने एम एल ए फंड से इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना चाहते हैं तो वह भी पासिबल नहीं हैं क्योंकि एम एल ए ग्रेड की जो गाइडलाइंस हैं उनमें यह सम्भव नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो पनघट योजना थी, उस पनघट योजना में भी यही समस्या है, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं करवा पाती ग्राम पंचायत। हम पनघट तो स्वीकृत कर देते हैं, पनघट लग भी जाता है, पानी भी शुरू हो जाता है, कनेक्शन भी हो जाता है, सबके पैसे तीन-साढ़े तीन लाख रुपये लगते हैं एक पनघट को कनेक्शन देकर और शुरू कराने में और उसके बाद में, अब बिल जमा नहीं होने के अभाव में वह भी खतम हो जाता है।

मैं यह चाहूंगी कि पी एच ई डी का इतना बड़ा बजट है, उस बजट में यह जो योजना, जो सीधा-सीधा गांव के लोगों को पानी पहुंचाने की इतनी अच्छी योजना है, जिसमें गांव के लोगों का भी इन्वाल्वमेंट है, ग्राम पंचायत का इन्वाल्वमेंट है, गांव के स्थानीय लोगों का इन्वोल्वमेंट है उन कमेटीज के माध्यम से तो इसमें अगर यह पैसा पी एच ई डी जमा करती है, चूंकि यह पी एच ई डी का ही काम है पानी पहुंचाना, पानी पिलाना लोगों को, यह पी एच ई डी का काम है लेकिन पी एच ई डी इस योजना के माध्यम से जो छोटी-छोटी त्रुटियां आ रही हैं, बिल जमा कराने का अगर ये भी बजट में प्रावधान रख लें तो मैं सोचती हूं कि ये पेयजल की योजनाएं बिलकुल सार्थक होगीं क्योंकि वहीं के लोकल कुएं, वहीं के जो ट्यूबवैल हैं उन्हीं से उनके कनेक्शन दिये हुए हैं और यह काम आसानी से हो सकता है।

दूसरा, एक और ध्यान यह आकर्षित करूंगी कि हैंडपंप रिपेयर का जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

काम था, वह आपने अब दे दिया है पंचायत समितियों को और आपके पी एच ई डी में जो मिस्त्री काम करते थे, उनको भी आपने हैंडओवर कर दिया पंचायत समितियों को कि ये मिस्त्री हैं और ये हैंडपम्प्स आप इन मिस्त्रियों के माध्यम से ठीक करायें। वे मिस्त्री इतने कम हैं कि हमारे यहां पर दो-दो ग्राम पंचायतों के ऊपर एक-एक मिस्त्री लग रहा है। अब उस मिस्त्री को अगर हम कम्प्लेंट करें तो जाकर वे ठीक नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि एक्सेसरीज हमारे पास में नहीं हैं; पी एच ई डी को अगर कहें कि हैंडपम्प गांव में खराब पड़ा है, तो कहेंगे कि हमने पंचायत समिति को मिस्त्री दे रखे हैं, वे ठीक करेंगे। इसमें मिस्त्री पंचायत समिति देगी और जो सामान है, वह पी एच ई डी देता है, लेकिन पी एच ई डी के पास में एक्सेसरीज नहीं होती है, पंचायत समिति के पास मिस्त्री की कमी होती है। तो दोनों का काम्बिनेशन नहीं बैठता है, उसकी वजह से कई महीनों तक हैंडपंप बंद पड़े रहते हैं।

एक तरफ ये जलस्रोत, हैंडपम्प एक ऐसा मिनिमम जलस्रोत है जो कि कहीं पर भी हम लगा दें तो चलो, कुआ नहीं है तो हैंडपम्प हो गया, उससे ही पानी पी लो लेकिन हैंडपम्प भी बंद पड़े हैं, वे भी खराब हो रखे हैं। जब कभी जिला परिषदों की मीटिंग होती है और उसमें यह इश्यू आता है, हर बार पी एच ई डी कहता है कि एक वीक का हम अभियान चलायेंगे और सारे हैडपंप ठीक कर देंगे। लेकिन वह एक वीक कब पूरा होता है, पता नहीं, कभी हैंडपंप पूरे नहीं होते हैं। समय से कुछ ऐसी पाबंदी होनी चाहिए कि अगर हेंडपंप की कम्प्लेंट आई है तो विदिन थ्री डेज वह हैंडपम्प रिपेयर होना चाहिए। इस बात का कम से कम पी एच ई डी को ऐसा रिजल्ट देना चाहिए कि हम तीन दिन में आपका हैंडपम्प ठीक कर देंगे जो कि बहुत ही ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की। जहां पर हैंडपम्प, जो ढाणियों में लगे हुए हैं, कहीं लगे हुए हैं, जिससे कितने ही परिवार आराम से वहां पानी पी सकते हैं, उस एक हैंडपम्प से लेकिन वह भी ठीक नहीं मिलता।

दूसरा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि फ्लोराइड-युक्त जो पानी है, वह हमारे यहां पर रेलमगरा के अन्दर कोटड़ी है, काबरा है, खड़बामनिया है, राजपुरा है, इनमें पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है, अण्डरग्राउंड वाटर और जो पानी है वह बिलकुल फ्लोराइड-युक्त पानी है, पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है। वहां की समस्या यह है कि पास ही में जो दरीबा की माइन्स हैं, उसकी वजह से यह स्थिति हो रही है। वहां पर शुद्ध पेयजल देने के लिए हमारे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पास में जो योजना थी, जिस योजना में यह कहा गया था कि हम लोग इसमें पानी पहुंचायेंगे, वह पानी पहुंचाने की जल योजना आपने शुरू की थी कि गांवों को हम लोग जोड़ेंगे, गांव में पीने का पानी साथ-सुथरा पहुंचायेंगे लेकिन आज ये सारे गांव, जवासिया है, गंगास है, धूलखेड़ा है, इन सभी गांवों में फ्लोराइड-युक्त पानी है, सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी है जिस योजना से इन सब गांवों को भी जोड़कर, जहां फ्लोराइड का पानी आ रहा है, जहां जलस्तर नीचे चला गया है, ऐसे गांवों के लिए सरकार को कम से कम संवेदनशील होना चाहिए। कई बार हम लोग कह चुके हैं कि सरकार इनको जोड़े और जल्दी से जल्दी इन योजनाओं को स्वीकृत करावे। वह योजना के पेपर आपके यहां पड़े हैं लेकिन अभी तक वे स्वीकृत होकर नहीं आ रहे।

अगर हम एम एल ए लैड से कुआं खुदवाने की बात करते हैं तो प्रेक्टिकल प्रोब्लम यह आ रही है कि कुए की जो बी एस आर रेट है वह बी एस आर रेट इतनी कम है कि जो कमेटी बनी हुई है जिसमें कलक्टर है, सी ई ओ जिला परिषद है, एक्स ईएन पी एच ई डी है, इरिंगेशन एक्स ईएन है, ये सारे लोग उस कमेटी के मेम्बर्स हैं लेकिन वे बी एस आर रेट मैक्सिमम 10 परसेंट तक बढ़ाते हैं। आज यह स्थिति है कि जो आपकी कुआं खोदने की बी एस आर रेट है, जो एक क्यूबिक मीटर पर 226 रुपए है, अगर पूरा देखें तो 3 हजार रुपया एक गज का है जबकि आपकी मार्केट रेट 6 हजार रुपया गज है। कैसे हम लोग इसको कम्पलीट करेंगे? 3 हजार रुपया आप एक गज का देंगे, 6 हजार रुपया मार्केट रेट है। कोई भी सरपंच कुआं खुदाने में इंटरस्टेड नहीं होते हैं, जबकि कुआं खुदवाने से वहां की समस्या वहीं हल हो सकती है। आपको दूर से पाइपलाइन लाने की जरूरत नहीं, वहीं कुआं खुद सकता है लेकिन आप कुएं की बीएसआर में संशोधन नहीं करते हैं। आपकी जो कमेटी बनी हुई है, वह 10 परसेंट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकती है। मार्केट रेट इसमें जस्ट डबल हो रहा है। इसलिए आप इसमें पूरा ध्यान दीजिए कि कैसे हम कुआं खोदने की बी एस आर बढ़ाएं ताकि गांव में ही हम कुआं खुदवा सकें। क्योंकि अगर आपकी बी एस आर नहीं बढ़ती है तो दूसरे रास्ते देखे जाते हैं, जो भ्रष्टाचार की ओर जाते हैं। आप अगर बी एस आर बढ़ा देते हैं तो आसानी से कुआं खुद सकता है और हम कुआं खुदवा कर लोगों को पानी पहुंचा सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं।

मेरा मंत्रीजी से यही निवेदन है कि हमने जो कुछ सुझाव दिए हैं, इन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सुझावों पर अगर आप अमल करेंगे, चाहे वह बी एस आर बढ़ाने के सम्बन्ध में हो, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराने के सम्बन्ध में हो, इनको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसका फायदा होगा।

इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराने का दावा आप लोग कर रहे हैं, उसमें भी यह स्थिति है कि हमारे यहां पर राजसमन्द शहर को ही अगर हम ले लें तो राजसमन्द शहर की यह स्थिति है कि वहां पर आर यू आई डी पी के द्वारा स्वीकृत योजना का काम आज से दो साल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हो रहा है। न पानी की टंकी अभी तक वहां बनी है, न इन्टेक टंकी अभी तक वहां कम्प्लीट हो सकी है। ये सारे काम इतनी धीमी गति से चल रहे हैं, उनका कोई सुपरविजन नहीं है।

माननीय मंत्रीजी, अगर आप वहां आकर जिला लेवल पर मीटिंग लेंगे, एक तरफ राजसमन्द को डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है और दूसरी तरफ ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। जब तक आपकी कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां जब आप बैठते हो तो आपके पास रिपोर्ट आती है कि इतने गांव जुड गए, इतने हैंडपम्प लग गए, इतने कुएं खुद गए, इतना यह हो गया लेकिन फैक्ट यह है कि धरती के ऊपर इन सारी चीजों का बहुत अभाव है। आज भी लोग पीने के पानी के लिए कितने किलोमीटर चलते हैं, तब जाकर पीने का पानी उन लोगों को मिलता है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको आज भी दे सकती हूं, अगर समय ज्यादा होता तो मैं और भी बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकती थी, पंचायत, ढाणी का आपको एग्जाम्पल दे सकती थी जहां आज भी लोगों को एक मटकी पानी के लिए चलना पड़ रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप मीटिंग करेंगे तो ये सारी प्रोब्लम, और कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रशासनिक स्तर पर कहीं संशोधन करना है तो वह करने पर ही हम लोगों का पूरा हो सकता है।

साथ-साथ सिंचाई विभाग को भी मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। हमारे इतने एनिकट हैं, जो एनिकट बनास नदी के ऊपर बने हुए हैं, वे एनिकट, चाहे वह कूरच का कानाखेड़ा है, माननीय सभापति महोदय, दो साल हो गए, अभी तक उस एनिकट का काम कम्प्लीट नहीं हो रहा है। जितनी बार कहते हैं, कहते हैं कि कर देंगे, कर देंगे; कभी ठेकेदार भाग गया, कभी नया टेण्डर हो रहा है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसी तरीके से, जीतावास और गिलून, ये रेलमगरा तहसील की ऐसी दो ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर, सी पी जोशी जी खुद आकर शिलान्यास करके गए कि यहां पर आकड़िया भैंरू जी का काज, वे बनेगा और गिलून का यहां पर काज-वे बनेगा, उसका शिलान्यास हो गया, डेढ़ साल हो गया शिलान्यास हुए लेकिन काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। यह स्थिति वहां पर है।

गांगाज अभी रेलमगरा पंचायत का ही है, वहां पर नरेगा के द्वारा एनिकट स्वीकृत हो गया, उसके बाद भी वहां काम शुरू नहीं कर रहे। नरेगा में जो काम होने हैं, वे काम करने में क्या प्राब्लम आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

हमारे राजसमन्द और रेलमगरा तहसील में जो सारे एनिकट अधूरे पड़े हैं उनको तुरन्त आप लोग शुरू करावें, यह हम चाहते हैं।

राजसमन्द पूरा माइनिंग एरिया है, इस माइनिंग एरिये में जगह-जगह जब माइन्स खुदती हैं तो लेवल नीचे जाता है, इससे पानी इकट्ठा हो जाता है। हमने एक योजना बनाकर दी कि यह जो पानी इकट्ठा हुआ है, इसको राजसमन्द झील में लाने के लिए कहीं न कहीं छोटी-मोटी नहर बना दें तो आराम से पानी जा सकता है लेकिन सरकार इस पर जरा भी संवेदनशील नहीं है।

राजसमन्द झील मुख्य रूप से सिंचाई के लिए ही बनी हुई है लेकिन उसका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिये को कैसे हम सुधार सकते हैं, कैसे वह पानी वहां तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में कोई योजना नहीं। देवास परियोजना के थर्ड एण्ड फोर्थ फेज से राजसमन्द झील में आसानी से पानी आ सकता है, ग्रेविटी से पानी आ सकता है लेकिन फिर भी यहां चर्चा होती है कि हम माही से पानी लेकर आएंगे। माही, जहां पर पता नहीं, हमको कितना पानी लिफ्ट करना होगा, कितना खर्चा आएगा, लेकिन जो आसानी से पानी आ सकता है, उस पर पता नहीं, सरकार क्यों नहीं जाना चाहती। इसीलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि कृपा करके यह जो राजसमन्द झील है, जो लाइफलाइन है, जिससे सिंचाई होती है, उस राजसमन्द झील में पानी आने से किसानों को उसका फायदा होगा।

माननीय सभापति जी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मनुष्य के लिए, पशु के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है, पानी के बगैर उसका जीवन नहीं चल सकता। किसी भी सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है, सबको पेयजल उपलब्ध करावें, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो लोग बैठे हैं उनको पानी मिले; जो फ्लोराइड-युक्त पानी है उससे मुक्ति मिले और उनको शुद्ध पेयजल सरकार उपलब्ध करावे। इसके साथ-साथ में सरकार का यह भी दायित्व होता है कि वह किसानों की उन्नति के लिए, उनके जीवन-यापन के लिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी पानी उपलब्ध करावें जिससे वे अपनी खेती करके रोजी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार, जिसके मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत हैं, उन्होंने सबसे पहले पेयजल के काम में ऐतिहासिक काम किए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 20 हजार करोड़ से भी अधिक लागत की 85 परियोजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का काम राजस्थान की सरकार ने अपने हाथों में लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2630 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं को चालू करके 1 लाख 86 हजार 460 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र नवसृजित किए गए।

यह सब सरकार का दायित्व है और हमारी सरकार के मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत यह जानते हैं कि किसान की क्या पीड़ा होती है। गांव, ढाणी में बैठने वाले व्यक्ति को शुद्ध पेयजल किस प्रकार से मिल सके; चाहे भीलवाडा की बात हो, चाहे नागौर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर कस्बों के 283 गांव और 3 नगरपालिका क्षेत्रों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी दिलाने की बात हो, ये ऐसे काम हैं जो राजस्थान के इतिहास में, सभापति महोदय, एक छोटा सा नमूना ले लीजिए कि 832 करोड़ की पेयजल की योजना, वहां के लोगों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आएगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा, वहां के लोग पानी पी कर राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री, अशोकजी गहलोत को साधुवाद देंगे, मन से आशीर्वाद देंगे कि हमें शुद्ध पेयजल पिलाने का काम किया तो वह राजस्थान की सरकार ने किया है, जिसके मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एस सी, एस टी, माइनोरिटी की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ढाणियां थीं, जो दूर-दूर बसे हुए कस्बे थे, जो ढाणियां थीं, उनमें भी पेयजल की व्यवस्था करने का काम किया है।

भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जी आई सी ए जो जापानी इंटरनेशनल कोआपरेटिव एजेंसी के द्वारा पोषित परियोजना थी, जो 2005 में पास हुई लेकिन 2008 तक इनकी सरकार ने किसी तरह का कोई काम करने का काम नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री, गहलोतजी ने 2,212 करोड़ रुपये जी आई सी ए से पोषित करके 890 गांव, जो नागौर के हैं, उनसे उनमें पानी देने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में ईसरदा बांध के लिए भी 500 करोड़ रुपये देने का काम किया; 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू करने का बजट में प्रावधान रखा और इंदिरा गांधी परियोजना (फर्स्ट) और भांखड़ा परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 650 करोड़ रुपये लगाने का काम, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा की असमानता के कारण जो पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, यह हम सब जानते हैं कि 249 ब्लाकों में से 31 ही ब्लाकों में पानी सुरक्षित है। पानी बनाया नहीं जा सकता, या तो आसमान से आयेगा या जमीन से निकाला जाएगा। उसके बाद जो सीमित पानी है, उसके आधार पर सब लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, यह सरकार की प्राथमिकता होती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की बात हो, 255 करोड़ रुपये इस बजट में प्रावधान करके स्वीकृत किए हैं। यह इसलिए स्वीकृत किये कि हमारी सरकार, हमारे मुखिया की यह सोच है कि आने वाले समय में पेयजल का किसी प्रकार का कोई संकट नहीं खड़ा हो जाए, हम लोगों को पानी पिलायें। जब लोग वोट डालते हैं, मतदाता तो यह सोचता है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो हमारे कल्याण के लिए काम करेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सबके साथ में, चाहे कालीसिंध वृहद सिंचाई परियोजना की बात हो, चाहे जल संग्रहण के लिए एनिकट बनाने की बात हो, इन सब योजनाओं पर राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने काम करने का काम किया है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

समय कम है, मैं मुद्दे की बात पर निवेदन करना चाहता हूं। आज मांग का विषय है, मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे लक्ष्मणगढ़ में 832 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई, सुजानगढ़ के लिए भी 800 करोड़ रुपये के लगभग की परियोजना स्वीकृत हुई; माननीय मंत्रीजी, आपने और मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है, दो साल में, ढाई साल में, तीन साल में ये परियोजनाएं पूरी होनी हैं, आपने सब पर टेण्डर रिसीव भी कर लिए, मौके पर काम भी चालू हो गया लेकिन इसके लिए आप लक्ष्मणगढ़ में एक एक्स ईएन आफिस खोलिए; एक एक्स ईएन अलग से होना चाहिए जो दो हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मानिटरिंग करें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, चूरू में आप चाहे एडिशनल चीफ इंजीनियर बढ़ाएं या चीफ इंजीनियर बढ़ाएं, यह सरकार सोचे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए भी एक अलग से आफिस होना चाहिए।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने यह किया, आपने यह नहीं किया; अब देखिये, आप जब चूरू जाते हैं तो लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सुजानगढ़, तीन विधान सभा क्षेत्रों के लिए दो हजार करोड़ रुपये देने का काम राजस्थान के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। एन आर डी डब्ल्यू पी में जो भारत सरकार ने पैसा दिया, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी मिला है, प्रत्येक व्यक्ति पानी पीकर आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है कि माननीय मुख्य, मंत्री गहलोतजी आए; इस प्रकार से माननीय सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया, केन्द्र सरकार से, योजनाओं के माध्यम से।

आज आप देखिये, कितनी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, कितने एनिकट बन रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सब काम राजस्थान के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसके कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज राजस्थान की सरकार में, चार साल में, एक स्कूल का या दो स्कूल का मैं कह नहीं सकता, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी, मिडल और सैकण्डरी स्कूलों में 100 से ज्यादा सिंगल फेज के टयूबवैल लगे हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में 400 से भी अधिक टयूबवैल लगाकर लोगों को पानी पिलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है जिसके मुखिया अशोकजी गहलोत हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने क्या किया, जाते-जाते वित्तीय प्रावधान नहीं थे फिर भी पाइप घोटाला कर गए, सोहेला में गोलीकाण्ड कर गए, घड़साना में गोलीकाण्ड कर गए। हमारे माननीय सदस्य, दुग्गल साहब अभी कह रहे थे कि एक भी आंदोलन, इन चार सालों में राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब पानी के लिए किसी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार का लाठी चार्ज भी नहीं हुआ, गोलियों की बात दूसरी है। हम 12 महीने तक, सरकार आने के बाद में इस बात के लिए जूझते रहे कि आप बिना वित्तीय प्रावधान किए 1800 करोड़ रुपये से भी अधिक की अनियमितता कर गए, स्वीकृतियां कर गए और काम कर गए, उनका पैसा जुटाने में, वापस फाइनेंशिल व्यवस्था बनाने में हमें 12 महीने से भी अधिक का समय लग गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगाने का काम राजस्थान की सरकार ने हाथ में लिया, मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग जहर पीते थे, उन लोगों को डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगाकर आपने शुद्ध पानी पिलाने का काम किया है। मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद है कि उन लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए इस बजट में 1,000 आर ओ की व्यवस्था, यूनिट लगाने का एलान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो आम व्यक्ति की सोचता है, जो गरीब गांव, ढाणी, झोंपड़ी में बैठा है, उसको किस प्रकार से पानी के साथ शुद्ध पेयजल मिले, यह व्यवस्था करने की बात करता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पेयजल में जे जे वाई टी एस पाइप योजना और हैण्डपम्प योजनाएं होती हैं। माननीय मंत्री महोदय, जे जे वाई में आपने पंचायत राज को सौंपकर, ग्रामीण सरपंचों के माध्यम से उनके बिलों के भुगतान करने की बात की है। इसमें मेरा थोड़ा सुझाव है, माननीय मंत्री महोदय, इनमें आप जो सरपंचों को पैसा दे रहे हैं, उससे असुविधा हो रही है। सरपंच दूसरे काम में ले लेता है, कहीं बिल जमा नहीं कराता है, किसी पार्टी पालिटिक्स में उलझ जाता है कि येह मेरे को वोट नहीं दे रहे हैं तो मैं इसके बिल जमा नहीं कराऊंगा। इसके लिए आप एक व्यवस्था कीजिए कि पंचायत समिति में पैसा जाए और ट्रैजरी के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा वाटर-वर्क्स में चला जाए। उस विभाग को पैसा मिल जाएगा और आपका काम भी पूरा हो गया कि ग्रामीण पंचायती राज के माध्यम से पैसा चला गया। एक सरपंच के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पास दो लाख रुपये गए और उसने काम में लिए, आप उसको नोटिस देते फिरो, वह व्यवस्था नहीं बैठने वाली है।

टी एस योजना का जो पैसा है, थ्री फेज टयूबवैल का जो पैसा है, उसका बिल आप पूरा देते हैं लेकिन एक असमानता कि जो सिंगल फेज का टयूबवैल जो ज्यादा एस सी, एस टी, माइनोरिटी की ढाणियों में लगे हैं, उनका पैसा भी, मैं चाहता हूं, आज मंत्री महोदय घोषणा करें कि उनका पूरा पैसा सरकार देगी। क्योंकि यह सरकार गरीबों के लिए बनी है, गरीबों की हमदर्द है, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत गरीबों के हमदर्द हैं, वे जानते हैं कि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं वे थ्री फेज का टयूबवैल लगा लेते हैं लेकिन 10, 15, 20 ढाणियों के जो एस सी के, माइनोरिटी के हमारे भाई बैठते हैं, उनमें अगर सिंगल फैज का टयूबवैल दे दिया, जो विद्युत का खर्चा आएगा, वे जमा नहीं करा सकेंगे, इसलिए असमानता को दूर कीजिए। थ्री फेज का टयूबवैल जिसके 6 लाख रुपये सरकार के लगते हैं, उसका पानी लो तो आप फ्री हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, अगर सिंगल फेज का टयूबवैल, एस सी, माइनोरिटी, दलित परिवार के व्यक्ति पानी पीते हैं, तो उनसे अपन पैसा लें, यह असमानता दूर होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके बारे में आपकी पालिसी निर्धारण की जो कमेटी होती है उसमें 25.08.2010 को एक निर्णय हुआ था, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, एजेण्डा भी उसमें बिन्दु संख्या 17 पर था, उसमें यह कहा गया था कि इस वर्ष 2010-11 में जो सिंगल फेज टयूबवैल एस सी, एस टी की ढाणियों में लगेंगे उसका पूरा का पूरा पैसा विभाग देगा, उसके बिलों का खर्चा विभाग देगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक भी, उस सर्वोच्च कमेटी जो इनकी, वाटर वर्क्स की, जलदाय की होती है, उसके निर्णय के बावजूद भी उसकी पालना नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आशा करता हूं, आप महान हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी सबको पानी पिलाना चाहते हैं, इस योजना में जितने भी सिंगल फेज के ट्यूबवैल बने हुए हैं, इस कमेटी के आधार पर, चाहे और निर्णय आपको लेने पड़ें लेकिन उनके विद्युत बिलों का भुगतान सरकार करे, किसी की मेहरबानी पर उनको नहीं छोड़ें क्योंकि उनके विद्युत के बिल कट रहे हैं।

एक, जितने स्कूल थे, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी, सौ से कम स्कूलों में नहीं बने। स्कूल में आप फीस फ्री कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं, जब

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ट्यूबवैल वहां दे रहे हैं पानी पिलाने का, हजार-हजार, दो-दो हजार रुपये उन स्कूलों के बच्चों के पास में नहीं हैं, गांव वाले किनारा कर लेते हैं। जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके बच्चे तो निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में एस.सी., एस.टी. माइनोरिटी और वह गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है जिसके पास फीस देने को नहीं होती है, जिसके पास में, वे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालकर बसों के आधार पर शहरों में पढ़ा लें, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले बजट में सरकार ने व्यवस्था दी कि 2001 की जनसंख्या में जो चार हजार की आबादी वाले गांव हैं...

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा, मतलब की बात करूंगा, बेमतलब की नहीं करूंगा।

4 हजार की आबादी वाले गांवों में आपने ओवर-हैड टैंक बनाने की बात की थी, उसकी स्वीकृतियां भी जारी हो गईं, धन्यवाद देना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपको लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, 2011 की जनसंख्या आ गयी, इसमें भी अगर 4 हजार की आबादी वाले; हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि 4 हजार को घटाकर आप 3 हजार तो कम से कम कर दीजिये, उन गांवों में भी पाइप्ड स्कीम हो और वे लोग पानी पी सकें आराम से, इससे छीजत भी रुकती है। पाइप्ड स्कीम्स से सुबह-शाम जब नल खुलता है, ओवर-हैड टैंक से जाता है, सारे दिन 2-2, 10-10, 5-5 घरों के बीच में ट्यूबवेल बन गये, 24 घण्टे चलाते रहते हैं, तो यह छीजत रोकने का भी काम हो जाएगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई शहरों में धनाढ्य लोग राइजिंग लाइनों को तोड़ लेते हैं; गरीब जो अन्तिम छोर पर बसा हुआ है, उसको पानी नहीं पहुंचता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शन तुरन्त हटाने चाहिए। आज गांव-गांव में, मेरे लक्ष्मणगढ़ में साढ़े 11 करोड़ आपने पेयजल के दे दिये, 4 टंकियां बन रही हैं, ट्यूबवैल बन रहा है, पूरी पाइपलाइन जा रही है, लेकिन पहले से राइजिंग लाइन की वजह से समस्या थी, आज दुबारा अगर राइजिंग लाइन में कनेक्शन किन्हीं धनाढ्य लोगों ने कर लिया तो मैं समझता हूं कि जो सरकार का उद्देश्य है, अन्तिम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

छोर में जो गरीब, गांव, शहर के किनारे पर कोई सस्ते में प्लाट लेकर के अपनी झोंपड़ी बनाकर रह रहा है, उसको पानी नहीं मिले, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.ओ. के लिये आपने पिछले बजट में भी प्रावधान रखा था, इसमें भी रखा है। लेकिन वरबली सीकर में यह कह दिया गया, लक्ष्मणगढ़ में तो टेण्डर भी हो गये थे, सीकर के लिये कह दिया गया कि नहीं-नहीं, आर.ओ. की बड़ी स्कीम नहीं बनानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुख्य मंत्रीजी और आपने, सबने बजट में प्रावधान रखा, पिछले बजट में भी रखा, इसमें भी रखा कि जो फ्लोराइड वाले गांव हैं, जो फ्लोराइड वाला क्षेत्र है, उसमें फ्लोराइड की यूनिट्स लगनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

ये 3-4 मेरे सुझाव थे। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये तो धन्यवाद लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को कि माननीय सदस्य, आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलियां खाने वाले ये लोग, पानी के बदले में गोलियां मिलीं, वह भूले नहीं हैं। यही मुख्य मंत्री अशोक गहलोत आयेगा, यही कांग्रेस की सरकार आयेगी क्योंकि पेयजल में ऐतिहासिक काम, 60 साल में जितना काम नहीं हुआ, राजस्थान की सरकार ने किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, उस तरफ से लगातार दो कैसे? हमारे भी 32 आदमियों के नाम हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय, आपके पहले तीन सदस्य बोल चुके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो क्या हुआ?

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट। आपके लगातार, यह स्लिप है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): दे दिये पहले; लगातार, पहले दो दिये हैं आपके।

एक माननीय सदस्य: पहले लगातार दो बोल लिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं भी जीतकर आया हूं, साहब, निर्दलीय हूं, मेरी बात भी सुनें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माहेश्वरी जी और वे, दो एक साथ आ गये थे। दो एक साथ आ गये थे।

श्री सभापति: अब आप ही हैं, डाक्टर साहब। हां, खण्डेलवाल जी, रमेश जी, बोलिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, पेयजल एवं सिंचाई की अनुदान मांग पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं मंत्री महोदय से आपके जरिये कहना चाहूंगा कि मेरा नीमकाथाना जो लगभग 40 या 50 फीट नीचे है, पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और माननीय मंत्री महोदय का न केवल कर्म-स्थान, बल्कि जन्म-स्थान भी वह है, पानी की वहां जबरदस्त किल्लत हमेशा ही बनी रही है। लेकिन यह सौभाग्य है हमारा कि इस सरकार के आने के बाद न केवल परमपिता परमेश्वर ने मेहरबानी की, बल्कि सरकार ने भी, राज्य सरकार और मंत्री महोदय ने भी पेयजल के लिये नीमकाथाना में अनेक योजनाएं दीं जिसकी बदौलत आज हम देख रहे हैं, सीकर जिले में, माननीय अमराराम जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिस तरीके से हम लोग और ये मिलकर कई बार देखा करते थे, पेयजल के लिये पानी का आन्दोलन अक्सर देखने को मिलता था, बिजली का आन्दोलन देखने को मिलता था लेकिन लगभग 2-3 साल हो गये, पानी और बिजली का आन्दोलन हम लोग भूल गये। यह अपने आप में इंगित करता है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार ने सार्थक योजनाएं बनाकर पेयजल के संकट का न केवल सामना किया, बल्कि सुव्यवस्थित एक व्यवस्था को अंजाम देकर आम दूर-दराज की ढाणियों तक पानी पहुंचाया।

एस.सी. और एस.टी. की बस्ती में जिस तरीके से मंत्री महोदय ने और राज्य सरकार ने योजना बनाकर, यह सभी लोग जानते हैं कि उनको पानी लेने के लिये जब दूसरों के ट्यूबवैल पर या दूसरों के हैण्ड-पम्प पर जाना पड़ता था तो किस तरीके से अपमानित होकर आधे-आधे और एक-एक घण्टा खड़ा रहना पड़ता था। उन बहन-बेटियों को जो दलित समाज या पीड़ित समाज या एस.सी. और एस.टी. से बिलोंग करती हैं, यह गांव और ढाणियों में अक्सर होता था लेकिन लगभग साढे चार सौ सिंगल पाइण्ट नीमकाथाना में देकर सभी एस.सी. और एस.टी. की बस्तियों को न केवल आत्म-सम्मान से जीने का हक दिया, बल्कि उनमें एक स्वाभिमान भी अपने आप में पैदा हुआ कि हमारी खुद की ढाणियों में, हमारे स्वयं पेयजल की व्यवस्था हो गई, जहां से और लोग भी पानी भरकर ले जा रहे हैं।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि योजना आपकी बहुत बेहतर थी और बहुत बेहतर है जिस वक्त यह योजना लागू हुई एस.सी. और एस.टी. की, उस वक्त यह कहा गया था कि इसका बिजली का बिल राज्य सरकार देगी लेकिन पता नहीं, कहीं ब्यूरोक्रेसी अपनी उस बात को भूल रही है या आपसे यह बात छिपा रहे हैं ये लोग, आज नीमकाथाना में लगभग डेढ़ सौ-पौने दो सौ कनेक्शन, पिछले 8-10 दिन में, जब हम यहां विधान सभा में थे, तब काट दिये गये; यह कहकर काट दिये गये कि यह तो एस.सी. और एस.टी. की बस्ती को भुगतान करना था। यह सरासर अन्याय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के जो मन में थी कि एस.सी. और एस.टी. की आबादी को पेयजल अच्छा मिले, वह फ्लोराइड-युक्त भी नहीं हो और वह पेयजल सुलभ के साथ-साथ उनको पैसे का भुगतान भी नहीं करना पड़े, बिजली के बिल का; यह बिजली विभाग भी आपके पास है और पेयजल का विभाग भी आपके पास है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दोनों के अधिकारियों को आज ही निर्देश जारी करें कि जो भी कनेक्शन एस.सी. और एस.टी. की बस्तियों के कट गये, वे पुन: लगाये जाएं। इन कनेक्शनों को काटने से अफरा-तफरी मची हुई है। पेयजल की भयंकर समस्या सामने आ गई। कहीं ऐसा नहीं हो कि ला एण्ड आर्डर की समस्या भी सामने बन जाए।

मेरे नीमकाथाना कस्बे में 1961 में पेयजल की नगरपालिका की योजना बनी, उस वक्त एक टंकी बनी थी लगभग 4 लाख लीटर की; 1992 में पेयजल की योजना को कुछ आगे बढ़ाया गया, उसी योजना को एक्सटेण्ड करते हुए एक 5 लाख लीटर की टंकी और दी गई। आप देखिये कि जहां 70-72 हजार की आबादी हो और जिस नगर में आप भी निवास कर रहे हों, मेरा यह मानना है कि पानी आपके घर में भी नहीं जा रहा होगा, मेरे ख्याल से तो दो-दो, चार-चार महीने तक टैंकरों से पानी डलवाते हैं। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है पेयजल को लेकर नीमकाथाना में। 1992 के बाद कोई भी पेयजल की ऐसी स्कीम नहीं बन पाई नीमकाथाना में। इसलिये मेहरबानी करके नीमकाथाना शहर की पेयजल की परियोजना को मैं चाहूंगा कि आप आज ही स्वीकृति प्रदान करें जिससे वहां के लोग जो पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं, उनको राहत मिल सके।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि एस.सी. एवं एस.टी. के जो कनेक्शन कटे हैं, आप इन कनेक्शंस को वापस लगवाने की मेहरबानी करें और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

नीमकाथाना के दूरदराज के क्षेत्रों में जो बड़े कस्बे और ग्रुप के रूप में लगभग 23 योजनाएं आपके साथ बैठकर, आपके इन उच्चाधिकारियों के साथ बैठकर आपने मंजूर करवाई थीं, जो कि छोटी-छोटी योजनाएं हैं एक ग्रुप के रूप में, मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से छोटे-छोटे गांव और कस्बे पानी से बिलकुल वंचित हैं। आप मेहरबानी करके उन योजनाओं को आगे बढ़वाएं, जो 23 योजनाएं आपके सामने, आपके उच्चाधिकारियों के सामने बैठकर आपने मंजूरी दिलाई थी।

आज पेयजल पर बोलने का मौका मिला तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार की अगर पेयजल की उपलब्धियों के बारे में सोचा जाए तो विपक्ष भी कई बार, न केवल नीमकाथाना में, न केवल सीकर में, बल्कि कई बार तो विपक्ष भी कहता है कि पता नहीं, इतना पैसा यह किस तरीके से मैनेज करके इन्होंने देहात में डिस्ट्रिब्यूट किया है। आज 836 करोड़ का...(व्यवधान) पहलवान जी, आप देहात में जाएं तब पता लगे। शहर में बैठकर दादागिरी कर लेते हो और टौंक में घूम आते हो। आप हमारे देहात के ग्रास-रूट्स में जाएंगे तब पता लगेगा। इससे कहानियां सुनाने से थोड़े ही पार लगेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं यह कहना चाहूंगा, ये बीच में टोक रहे हैं...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। (व्यवधान)

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ...(व्यवधान) हां, तो मेरा यह निवेदन है कि 836 करोड़ रुपए की योजना लक्ष्मणगढ़ में, जब हम मुख्य मंत्री

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

महोदय के उस कार्यक्रम में गए तब अपने आप में यह महसूस हो रहा था कि किस तरीके से पौने तीन-तीन सौ गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, यहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी भयंकर था लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने यह तोहफा देकर आमजन को यह अहसास करवाया कि स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता में बना हुआ है।

इसी तरीके से, लम्बे समय से हम सुनते थे कभी कि झुन्झुनूं में भी पानी आएगा नहर का, कहीं मण्डावा में आएगा, कहीं पूरे जिले में आएगा लेकिन अबकी बार, मंत्री महोदय, आपने और मुख्य मंत्री महोदय ने जिस तरह से मिलकर, वे बिलकुल पानी से त्रस्त कस्बे जिनमें खेतड़ी, सिंघाना, मण्डावा और झुन्झुनूं के, लम्बे समय से हम लोग सुनते रहे कि नहर आएगी, नहर आएगी लेकिन आपने तो भागीरथ बनकर, यह सार्थक बनकर दिखा दिया कि नहर आएगी ही नहीं, बल्कि नहर आ गई; 955 करोड़ रुपए आपने मंजूर किए। यह अपने आप में ऐतिहासिक है।

(16.43 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं चाहूंगा कि यह पानी हमें भी मिले। यह आपके 955 करोड़ रुपए, जो कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी है, यह दूसरे फेज में मिलने की उम्मीद है। तो, मंत्री महोदय, दूसरे फेज में यह पानी मिलेगा, हम इंतजार कर लेंगे लेकिन मेहरबानी करके हमारे एक तो शहर की योजना, जिसके लिए आप स्वयं भी महसूस कर रहे हैं और एक छोटे-छोटे ग्रुप की योजना जो कि लगभग 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए के लगभग है, 23 गांवों की योजना आज से डेढ़ साल पहले भेजी थी, मेहरबानी करके इसकी घोषणा आप आज ही करें। आप दरियादिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं; आप एक भले आदमी के रूप में, आम तौर से हम सभी विधायक आपके बारे में परिचित हैं, मेरी इन दो योजनाओं को मंजूरी दिलाकर, एस.सी., एस.टी. के कनेक्शनों का भुगतान सरकार करे, जैसा कि उन्होंने लगाते वक्त कहा था। इसके बाद जो हमने महसूस किया है, पेयजल की समस्या से काफी निदान मिल जाएगा। आपने यहां पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

दूसरा, सिंचाई के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए मेरा एक भूदोली बांध है। सिंचाई मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करके जरा ढंग से सुनें, उस बांध में हमेशा पानी भरा रहा लेकिन पिछले तीन-चार साल से

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

कुछ एनिकट गणेश्वर से लेकर, जो उसके भराव क्षेत्र में थे, इतने ऊंचे-ऊंचे बना दिए, उनकी ऊंचाइयां लगभग आठ-आठ, दस-दस मीटर है और वे नरेगा के तहत बना दिए। हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि दो मीटर के बाद अगर कोई एनिकट होगा, जो किसी भी डैम के भराव क्षेत्र में आएगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। हमने आपके विभाग में कई बार कह दिया, सीकर का सिंचाई विभाग बिलकुल नाकारा बैठा हुआ है; काम करना नहीं चाहता किसी भी रूप में। उनसे यह पूछा जाए कि भूदोली के बांध को बीच में एनिकट बना-बनाकर, यह रामगढ़ वाली हालत बन गई। उसमें जब कभी पानी होता था तो आस-पास के 20-25 गांवों को उस पेयजल की समस्या से, हमेशा से निजात मिलती थी लेकिन इस सिंचाई विभाग की अनदेखी और सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से उन एनिकट्स ने उस बांध को बिलकुल सूखा बना दिया। तो आप मेहरबानी करके उन एनिकट्स को कब तक तुड़वा देंगे नार्म्स के हिसाब से, हाई कोर्ट ने जो नार्म्स निर्धारित किए हैं?

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस बांध से निकलने वाली नहर, आम तौर से वह जब कभी भी ओवर-फ्लो होता था या पानी ज्यादा आता था तो हम उस नहर के जरिए पानी निकाल दिया करते थे, उस नहर को जगह-जगह से लोगों ने तोड़ दिया है। कुछ खान माफियाओं ने अपनी खान तक आने-जाने के लिए ट्रक और ट्रैक्टरों के लिए, एक बार अभाव अभियोग की मीटिंग में जो कि उप-खण्ड स्तर की होती है, उसमें यह फैसला लिया कि सिंचाई विभाग के ए.ईएन. को बुलाकर जो इन नहरों को तोड़ रहा है उनके खिलाफ एफ.आई.आर. लाज करवाई जाए, कार्यवाही करवाई जाए। लेकिन आपके ए.ईएन. और एक्स.ईएन., जो सीकर से आए थे, उन्होंने उस अभाव अभियोग को एक तरफ रख दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक जन प्रतिनिधि और जिसको आपने अधिकार दिया है कि वह अभाव अभियोग की मीटिंग के जरिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा आप संक्षेप में कहें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): उन अधिकारियों के साथ बैठकर फैसला लें। आपके अधिकारी जान-बूझकर, उस एफ.आई.आर. को दर्ज करवाना तो दूर की बात है, नहर को तोड़ने के लिए छोड़ दें और वह हमारा बांध लम्बे समय से सूखा पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवनानी जी, खड़े-खड़े बात नहीं करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): तो, मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस कांड की पूरी जांच करवाएं कि वह नहर किसने तोड़ी? इस नहर में अगर पानी ओवर-फ्लो हो गया और उस नहर के जरिए पानी निकल गया तो वहां पर इंदिरा बस्ती बसी हुई है नीचे और उस इंदिरा बस्ती को अगर नुकसान हुआ, जन-हानि हुई तो हमारी सरकार कठघरे में खड़ी होगी। इसलिए आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि उस नहर की रिपेयरिंग करें और बांध के बीच में आने वाले एनिकट्स को वापस तुड़वाकर उस बांध के भरने के हालात पैदा करें जिससे हमारे आस-पास के 30-35 गांवों की पेयजल समस्या का निदान हो सके।

आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी को बोलने दीजिए, फिर दिगम्बर सिंह जी और आपका है। उनके बाद आप। (व्यवधान)

सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित पी.टी.आई. की नियुक्ति में शिथिलता

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सदन का और शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट में। संक्षेप में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पिछले 15 दिन से आर.पी.एस.सी. से जो चयनित पी.टी.आई. हैं, जिनकी संख्या करीबन 1,533 है, आर.पी.एस.सी. से चयन इनका हो गया लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में अभी तक सरकार ने इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। पिछले 15 दिन से ये धरने पर हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप इस चुनावी साल के अन्दर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 80 हजार अध्यापक लगाने की बात कर रहे हैं और इन पी.टी.आई. को आर.पी.एस.सी. ने नियुक्ति दे दी और पी.टी.आई. के पद राजस्थान के अन्दर खाली हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से हम इस मामले में सहयोग चाहेंगे कि ये पी.टी.आई., जो पिछले 15 दिन से शिक्षा संकुल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, इस ओर मंत्रीजी ध्यान दें और हाई कोर्ट के अन्दर जो रिट पिटिशन पेंडिंग चल रही है, उसमें सरकार सकारात्मक जवाब दे और इनकी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

समस्या का समाधान करे; इनको नियुक्ति पत्र दिलाकर जल्दी से जल्दी जहां पर शारीरिक शिक्षकों की राजस्थान के अन्दर कमी है, वे पद शीघ्र भरने की कार्यवाही करें।

मंत्रीजी, अगर इस पर दो मिनट बोल दें तो थोड़ा ध्यान...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, दो मिनट बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त कर रहे हो क्या? आखरी में आता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि 15 दिन से जो धरने पर बैठे हैं, एक बार भी मिलने तक नहीं गए। मिल तो लो उनसे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 15 दिन से वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं पी.टी.आई. हमारे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समझौता हो गया क्या आपके दोनों के?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारा समझौता ही है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 दिन से पी.टी.आई. धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी वाजिब मांग है। मंत्रीजी से जवाब दिलवाइए। एस.सी., एस.टी. का मामला है। पी.टी.आई. सारे 15 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डाक्टर साहब, अपने में समझौता है ही दोनों का।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजोगे, तब आगे की कार्यवाही होगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी आए हैं जवाब देने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपने खतम कर दी न बात? माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंह जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब तो दिलवाइए। यह बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, साहब, 15 दिन से वे धरने पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देंगे, अभी एक साथ दे देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए दो मिनट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर दिगम्बर सिंह जी। आप यह नोट कर लेना, मंत्रीजी। जब जवाब दो तब बता देना। अब मैं आ गया हूं, आप सब बोलोगे।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना और मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: हालांकि समय पहले ही बढ़ा लिया दोनों ने मिलकर।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में सिंचाई का जो सिस्टम था, जो ओल्ड इर्रिगेशन सिस्टम था, उसको दूर-दूर से दुनिया देखने आती थी। केवल हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर के देशों के लोग भी उस इर्रिगेशन सिस्टम को देखने आते थे और काफी कुछ वहां से सीखकर जाते थे। परन्तु सरकार की गलत नीतियों के कारण से आज उस जिले की हालत यह हो गयी कि जो जिला पानी से परेशान रहता था, आज वह जिला पानी के लिये परेशान है।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में तीन नदियां बहती हैं, रूपारेल, बाण गंगा और गम्भीर। पिछले 20 सालों से एक भी नदी के अन्दर एक बूंद पानी नहीं आया। दोषी कौन है? दोषी सरकार है। सरकार में जिस तरह की नीति तय होती है, एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हुए राजेन्द्र सिंह, जिनको पानी के ऊपर मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, परन्तु मेरा आरोप यह है कि उन श्रीमानजी के कारण से आज भरतपुर जिला सूखा है। रूपारेल नदी के ऊपर तमाम एनिकट्स बना दिये गये, एक बूंद पानी भी भरतपुर को जाता नहीं। भरतपुर जिले के अन्दर रूपारेल नदी का पानी सीकरी डैम में जाता था, 32 डिस्ट्रिब्यूटरीज थीं और ठेठ भरतपुर तक उससे सिंचाई की व्यवस्था होती थी, आधे भरतपुर जिले की सिंचाई सीकरी डैम से होती थी, आज वह सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। किसने डिस्टर्ब किया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन बहुत अच्छी है, हमारा किसान भी बहुत मेहनती है परन्तु जब जमीन के अन्दर पानी नहीं होगा तो किसान कहां से अन्न पैदा करेगा?

(डा. दिगम्बर सिंह)

इसके साथ-साथ मैं आपको निवेदन करूं कि जो-जो योजनाएं भरतपुर जिले के लिये पानी के लिये कभी बनीं, यमुना के पानी को लेकर पांच राज्यों के बीच में समझौता हुआ, जिसमें भरतपुर, चूरू और झुन्झुनूं, तीन जिलों को पानी जाना तय हुआ। सन् 1994 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, इन पांचों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि राजस्थान को 1.119 बी सी एम पानी यमुना का मिलेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सेंट्रल वाटर कमीशन के अन्दर यह प्रोजेक्ट गया, सेंट्रल वाटर कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया। भरतपुर जिले का हिस्सा 1,281 क्यूसेक्स का था, चूरू-झुन्झुनूं जिले के लिये इसमें पानी देना था परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय एक ही प्रोजेक्ट बनाकर इसको सम्मिलित कर दिया गया। चूरू और झुन्झुनूं की जो जियोग्राफिकली सिचुएशन है, अगर ताजेवाला हैड से चूरू-झुन्झुनूं को पानी जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, तो 60.1 मीटर पानी को लिफ्ट करना पड़ता है, तब वहां पर जायेगा और भरतपुर जिले के लिये एक इंच लिफ्ट नहीं करना, ग्रेविटी से ही पानी भरतपुर जिले में आ जाता है, परन्तु दोनों को जोइंट कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय माननीय ओला साहब केन्द्रीय मंत्री थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनवाया। उन्होंने प्रयास भी किये, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किये हों, परन्तु अब जब भी अपने क्षेत्र झुन्झुनूं जिले में आते हैं, तो उनका यही बयान रहता है कि 'मुख्य मंत्री के एम ओ यू पर हस्ताक्षर नहीं करने से हुई नहर में देरी-ओला'। कौन मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने देरी की? अभी जिनकी तारीफ कर रहे हैं, वही मुख्य मंत्री? अभी कह रहे थे, सबको पानी पिला दिया, पानी पिलाया; खण्डेलवाल साहब को थोड़ा कम पिलाया, हमारे डोटासरा साहब को ज्यादा पिला दिया। पानी तो जिन-जिन को पिलाया है ना, उपाध्यक्ष महोदय, अभी छह महीने बाद सब सामने आ जायेंगे। ऐसे-ऐसे परिवारो को पानी पिला दिया, जो आज करवट लेने की स्थिति में नहीं हैं। पानी पिलाने में तो खैर, सरकार बहुत माहिर है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस यमुना के पानी का जो समझौता है, यह लागू क्यों नहीं हो रहा? आज केन्द्र में सरकार कांग्रेस की, आज हरियाणा में सरकार कांग्रेस की, आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की; मैंने मुख्य मंत्रीजी को व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया कि आप अगर

(डा. दिगम्बर सिंह)

प्रयास करेंगे तो जो एम ओ यू, हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो सहमति पत्र बनना है, मैंने कहा, आप दोनों, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट हैं, आराम से इस बार बन सकता है, फिर कभी ऐसा मौका नहीं आयेगा, क्योंकि अगली बार आपकी सरकार नहीं आनी। हरियाणा में, भगवान करे, हम भी वहां पर आ जायें, फिर तो कोई व्यवस्था बैठ सकती है, नहीं तो इस सरकार का इम्बैलेंस रहेगा। जब तक हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में एम ओ यू साइन नहीं होगा, तब तक इस पानी के बंटवारे का कोई मतलब नहीं है, केवल कागजों तक ही यह सिमटा रहेगा।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भरतपुर जिले में 1,281 क्यूसेक्स पानी हमारे हिस्से का है। अभी तक, मंत्री महोदय, मात्र 800 क्यूसेक्स पानी भरतपुर जिले में लेने की क्षमता हमारे पास में है। 500 क्यूसेक्स गुड़गांवा कैनाल से और 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर फीडर के माध्यम से हमारे जिले को पानी मिलता है। 800 के अलावा 481 क्यूसेक्स पानी तो लेने की क्षमता ही हमारे पास में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप खुद किसान हैं, यह 481 क्यूसेक पानी जो हमारे हिस्से का है, इसको लेने की क्षमता बढ़ाओ भरतपुर जिले के अन्दर।

पिछली सरकार में सांवरलाल जी हमारे सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने निश्चित रूप से दो कैनाल का निर्माण कराया, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि कैनाल बनने के बाद आज तक एक बूंद पानी भी उनमें नहीं आया। मैंने सवाल लगाया, मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न लगाया, अवार सोगर माइनर में पानी कितना मिला या नहीं मिला? इस प्रश्न का मुझे इतना गलत जवाब मिला कि उसमें नियमित रूप से पानी आ रहा है, जबकि एक बूंद पानी उस माइनर में नहीं आया।

मंत्री महोदय, अगर आप क्षमता बढ़ाने की सोच सकते हैं, तो हमारे हिस्से का पानी तो हम पूरा ले लें। गुडगांवा कैनाल को आपके हरियाणा में न रोकें।

हमारी भरतपुर फीडर उत्तर प्रदेश के अन्दर से आती है, दोनों की सीमाओं में हमारे पानी की इतनी ज्यादा चोरी होती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार इंटरस्टेट मीटिंग हमारे अधिकारियों के बीच में हुई? उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और हमारे अधिकारियों की, समकक्ष अधिकारियों की हमारी कितनी बार मीटिंग्स

(डा. दिगम्बर सिंह)

हुईं? हमारे चोरी के पानी को आप किस तरह रोक सकते हो? कितनी बार एफ आई आर दर्ज कराईं? लास्ट मीटिंग, उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में हुई, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हमारे राजस्थान के अधिकारियों के बीच में हुई, उसके बाद आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर गुडगांवा कैनाल का एक्सटेंशन हो जाता है, जो प्रोजेक्ट सी डब्ल्यू सी ने पास कर रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, कामां के 12 गांव, डीग के 30 गांव, नदबई के 10 गांव, कुम्हेर के 34 गांव और भरतपुर तहसील के 12 गांव, इस तरह से कुल 88 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था और बढ़ती है। हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र सिंचित हो जायेगा और हमारा जिला आबाद हो जायेगा, मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(17.00 बजे)

इतने प्रयासों के बाद भी, जब-जब विधान सभा का सत्र चलता है, मैं हमेशा सिंचाई और पेयजल के विषयों पर बोलता हूं लेकिन एक फार्मेलिटी सी हो गई है, हमने अपनी बात कह दी, सरकार ने सुन ली। उसके बाद पता नहीं कि काम होगा या नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मात्र 175 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट बना था, वह प्रोजेक्ट आज बढ़कर कितने करोड़ रुपये का पहुंच गया होगा, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। सब कुछ कागजों पर ही चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की केवल मात्र एक बारहमासी नदी है, चम्बल नदी, हमारे जिले की तीन नदियों को यदि चम्बल से कहीं होकर पानी यदि मिल सकता हो, सरकार सर्वे करवा ले, तो हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो सकता है।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि डीग एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, डीग के महल हैं। महलों के दोनों तरफ तालाब हैं, सिंचाई विभाग ने डीग एस्केप के नाम से एक कैनाल बना रखी है, उससे दोनों तरफ के तालाबों में पानी भरता है परन्तु डीग के मेले में, मात्र दो दिन के लिए रंगीन फव्वारे चलाने के लिए अधिकारियों द्वारा दौड़-धूप करके दो-तीन दिन के लिए पानी लाया जाता है, बाकी पूरे तालाब सूखे पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या इन तालाबों के लिए रेगुलर सप्लाई नहीं हो सकती? अगर डीग महल के तालाब हमेशा भरे रहें, ट्यूरिस्ट का जितना आना-जाना डीग के अन्दर है, जब

(डा. दिगम्बर सिंह)

इस तरह की छटा, रंगीन फव्वारे डीग के महलों में चलते हों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद बहुत कम पैलेस ऐसे होंगे जैसा कि डीग का पैलेस है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मंत्री महोदय, अगर आप प्रयास करेंगे और रेगुलर पानी आयेगा तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंह जी, आपको 15 मिनट हो गये हैं, यह ध्यान रखना आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कितने मिनट और लेने हैं, यह बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष: 10 मिनट हैं सबको, आपको 15 मिनट हो गये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भरतपुर के अन्दर सुजान गंगा नहर की जो स्थिति है, उसके भी इनलैट और आउटलैट, सब बन्द हैं। कितनी बार पैसे आये, हालांकि वह सिंचाई विभाग से नहीं होगा, दूसरे विभाग से होगा परन्तु उसके कारण से भरतपुर का जो सिस्टम डेस्ट्राय हुआ है, यहां पर कई अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने भरतपुर को बहुत अन्दर से देखा है, अगर उस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो भरतपुर तो बिलकुल गर्त में जाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। ज्योलोजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुम्हेर तहसील के 117 गांव ऐसे पाये गये जिनका पानी पीने लायक नहीं है, फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। उनके लिए 'टारगेटेड विलेज' के नाम से कोई योजना बनायी, उनमें से मात्र 30 गांवों को आपने चिन्हित किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण 2010-11 में कहा कि इन गांवों में आर ओ प्लान्ट लगायेंगे जिससे जनता को शुद्ध पानी मिल सके, कहां गये वे आर ओ प्लान्ट? 2010-11 की घोषणा और आज तक एक भी गांव में आर ओ प्लान्ट की बात तो छोड़ दीजिए, वहां कोई बोरिंग तक नहीं हुआ। मुख्य मंत्री महोदय ऐसा पानी पिला रहे हैं क्या?

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चम्बल के पानी का प्रोजेक्ट, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए चल रहा है, मंत्री महोदय, आप जब ससुराल में जाते हैं तो घोषणाएं तो आप लम्बी-चौड़ी करके आते हैं लेकिन आप उन घोषणाओं पर अमल करेंगे, तब ही काम चलेगा। चम्बल नदी के ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट वर्ष 2000 में शुरू हुआ और अब वर्ष 2013 चल रहा है, अब तक उसकी क्या प्रोग्रेस है? भरतपुर के आधे शहर में चम्बल के पानी की सप्लाई हो रही है,

(डा. दिगम्बर सिंह)

आधे शहर में टंकियां बनने का काम शुरू हो रहा है। अब कह रहे हैं कि हम घना को पानी दे रहे हैं, घना को क्यों पानी दे रहे हो? यह पानी तो पीने के लिए था। घना के लिए तो वसुन्धरा जी ने 62 करोड़ रुपये की अलग से योजना बना दी थी, गोवर्धन ड्रेन से पानी लाने के लिए, उसका काम शुरू हो गया। आप घना को पानी क्यों दे रहे हो? आप घना को पानी इसलिए दे रहे हो क्योंकि उस पानी को आगे ले जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की आपने। रिजबोयर तक तो आप पानी ले आये, पर वहां से पानी आगे ले जाने की व्यवस्था पहले नहीं की आपने।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आज फिर एक और गलती कर रही है, यह पानी कामां तक जाना है, भरतपुर-डीग-कुम्हेर-कामां। मैंने निवेदन किया था कि ठेका एक कम्पनी को देने की बजाय तीन बड़ी-बड़ी, अलग-अलग कम्पनीज को दे दिया जाए तो कुम्हेर, डीग, कुम्हेर और कामां का काम करीब-करीब साथ-साथ पूरा हो जाएगा, परन्तु सरकार ने एक कम्पनी को ठेका दिया जो कि भरतपुर से शुरू करेगी और तीन साल में जाकर कामां तक पहुंचेगी। हम भी लोगों को आश्वासन देते-देते परेशान हो गये। लोग बार-बार कहते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है; हम कहते हैं कि चम्बल का पानी आ रहा है, चम्बल का पानी आ रहा है। चम्बल का पानी कब आयेगा, मंत्री महोदय, यह सोचने का विषय है। अगर डिवाइड करके तीन अलग-अलग कम्पनियों को ठेका दिया जाता तो काफी द्रुत गति से काम हो सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया और आपने टोका भी नहीं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। हां, अच्छी बात है।

माननीय श्री महेन्द्र जी चौधरी। दोनों चीफ व्हिप्स की आठ-आठ मिनट के लिए बात हुई है, इसलिए ध्यान रखना।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ठीक है साहब।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल योजना और 46-सिंचाई जैसे मुद्दे पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने डिबेट में हिस्सा लिया। 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ' और अब उसमें जुड़ गया है कि 'बेटी बचाओ'। राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत ने जो यह नारा दिया और उसी में 'पानी बचाओ' का जो पहला नाम है, उसी विषय पर आज चर्चा हो रही है। आज नहीं बल्कि

(श्री महेन्द्र चौधरी)

1998 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, अशोक जी गहलोत जब मुख्य मंत्री बने थे तो उस वक्त भी उनकी सोच थी। किसानों के निजी कुओं को गहरे कराने का मामला हो, चाहे घरों में टांके बनाने का मामला हो, हर तरह से उनकी सोच थी कि वर्षा के पानी का किस प्रकार से संग्रहण किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है और नदी-नालों का जो पानी है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसी के तहत नरेगा के अन्दर तालाब खुदाई का जो कार्य चल रहा है, वह भी पानी बचाने का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, पानी के टैंकर जो सप्लाई होते हैं, उसका 14 परसेंट जो वैट था उसको घटाकर पांच परसेंट किया। यह भी पिछले बजट के अन्दर किया गया था। जल नीति बनाई गयी। उसमें सभी माननीय सदस्यों से सुझाव मांगे गये और आज उसका परिणाम धीरे-धीरे सामने आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई वक्ताओं को हमने यहां बैठकर सुना। इस पेयजल योजना पर राजस्थान की सरकार, राजस्थान में एक लाख इक्कीस हजार गांव और ढाणियां हैं, आज 70 हजार गांव और ढाणियों में सप्लाई हो रही है। इसके अलावा, 28 हजार के लगभग कार्य प्रगति पर हैं तथा 26 हजार वे गांव और ढाणियां चिन्हित की गई हैं जो कि फ्लोराइडयुक्त हैं और उनको दूसरी किसी न किसी स्कीम में जोड़ने की योजना, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की और राजस्थान के जलदाय मंत्री, डा. जितेन्द्र सिंहजी का इसमें प्रयास चल रहा है।

बजट के अन्दर तीन हजार गांव और ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है जिसके अन्दर एस सी, एस टी और अल्पसंख्यक को प्राथमिकता दी गई है। बीस हजार हैण्डपम्प लगेंगे। ये हैण्ड पम्प, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति या एक विधायक के कहने से लगेंगे, जहां पर भी पानी की उपलब्धता नहीं है और हैण्डपम्प से गांव के लोगों को, ढाणी के लोगों को पानी मिल सकता है, वहां पर हैण्डपम्प द्वारा पानी पिलाया जाएगा।

जब पहली बार इस सदन में बोलने का मुझे मौका मिला था, उस वक्त भी मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग की थी कि मेरा इलाका वह है जहां पर नमक निकलता है, फ्लोराइडयुक्त पानी है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, मैंने मांग की थी बीसलपुर का पानी नावां को पिलाने के लिए और मैं आभार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और जलदाय मंत्रीजी का कि नावां विधान सभा क्षेत्र के 72 गांवों और ढाणियों को बीसलपुर बांध से पानी पिलाने के लिए उन्होंने 125 करोड़ की योजना स्वीकृत कर दी। उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। यह योजना खाली स्वीकृत ही नहीं की है, इसका कार्य चालू हो गया है। नावां के 80 हजार लोगों की मौजूदगी के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय जलदाय मंत्रीजी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। मैं अधिकारी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस कार्य का उद्घाटन कर दिया है, उस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई या कोताही बरदाश्त नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जनता पानी के लिए चिल्लाती है और आज नहीं, कई वर्षों से चिल्ला रही है। जब उनको इस चीज का फायदा मिला, मुख्य मंत्रीजी ने खुद जाकर उसका उद्घाटन किया है तो मैं एक सदस्य होने के नाते सब अधिकारियों से यह कहना चाहूंगा कि इस कार्य को प्राथमिकता से लें। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, इस कार्य को विशेष रूप से लें; जनता ने आपसे बहुत उम्मीद कर रखी है और जल्दी से जल्दी यह कार्य चालू हो।

इसके अलावा, नागौर जिले के अन्दर इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, पहले फर्स्ट फेज की योजना और अब सेकण्ड फेज की योजना, तीन हजार करोड़ की योजना और नावां की और फर्स्ट फेज की योजना मिलाकर चार हजार करोड़ की पानी की योजना, राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक जिले के अन्दर इतनी बड़ी योजना सैंक्शन नहीं हुई है जितनी नागौर जिले के अन्दर इस टाइम कार्य चल रहा है, स्वीकृत हुई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

इससे पहले भी एस.सी., एस.टी. के लिए सिंगल फेज, आज गांव और ढाणी के अन्दर जब हम जाते हैं तो गरीब व्यक्ति, जिसको पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, इस सरकार ने सिंगल फेज के माध्यम से योजना स्वीकृत की है। आज हमारे कई लोग सिंगल फेज के हिसाब से गांव और ढाणी के पानी पी रहे हैं।

इसके अलावा, इस सरकार के द्वारा 84 बड़ी योजनाएं चल रही हैं जिनके अन्दर 21 हजार करोड़ का कार्य प्रगति पर है, 34 पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी पर कार्य प्रगति पर है।

अभी डीग से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर भरतपुर की बात कह रहे थे, 2001 के अन्दर जयपुर को बीसलपुर का पानी पिलाने का वादा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

इनके घोषणा पत्र में किया गया था, इनकी सरकार चली गयी, जयपुर को ये तो पानी नहीं पिला सके लेकिन 2009 के अन्दर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान की अशोक जी गहलोत की सरकार ने बीसलपुर का पानी जयपुर को पिलाया है। इसके अलावा, भरतपुर परियोजना, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे सदन के अन्दर कि भरतपुर को पानी नहीं पिलाया, 2001 में यह योजना स्वीकृत हुई थी, पांच साल इनका वक्त निकल गया, पांच साल में उस योजना में यह कार्य नहीं करवा सके लेकिन 2012 के अन्दर भरतपुर को पानी इस कांग्रेस की सरकार ने पिला दिया है, यह मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं। इसके अलावा, डीग हो, चाहे कामां, चाहे नगर हो, चाहे कुम्हेर हो, यहां पर सेकण्ड फेज के लिए 250 करोड़ का, पानी के पैसे का, इस बजट के अन्दर प्रावधान स्वीकृत कर दिया गया है।

इसके अलावा, चाहे बाड़मेर के अन्दर दो हजार करोड़ की योजना हो, भीलवाड़ा के अन्दर 1,100 करोड़ की योजना हो, बांसवाड़ा के अन्दर 550 करोड़ की योजना हो, झुन्झुनूं के अन्दर 955 करोड़ की योजना हो, नावां 125 करोड़ की योजना हो, भरतपुर में 650 करोड़ की योजना हो, चूरू में एक हजार करोड़ की योजना हो और लक्ष्मणगढ़ में 840 करोड़ की योजना हो, ये इतने हजारों करोड़ों की योजनाओं का इस कांग्रेस के इस शासन के अन्दर कार्य प्रगति पर है और कुछ सैंक्शन, अभी इस बजट के अन्दर जिनका प्रावधान लिया गया है, एक साथ एक वर्ष के अन्दर इतनी बड़ी योजनाएं पहले कभी नहीं हुईं जो इस साल के अन्दर सैंक्शन हुई हैं।

इसके अलावा, राजस्थान के अन्दर दस हजार गांव फ्लोराइड-युक्त हैं। इसमें मुख्य रूप से बाड़मेर और नागौर जिले शामिल हैं। साढ़े चार हजार गांवों को डि-फ्लोराइडेशन यूनिटस लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है और 2,300 का काम प्रगति पर है। इसके अलावा, एक हजार आर.ओ. प्लांट लगाने का कार्य भी चल रहा है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट के अन्दर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पानी के मामले में प्रदेश की बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली, वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, इसमें पेयजल उपलब्ध कराना हम सब के लिए चुनौती है। सरकार किसी की भी हो, सरकार आती रहती है, जाती रहती है लेकिन पानी जैसे इस सब्जेक्ट के ऊपर हम सब को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से आने वाले समय के अन्दर हम पानी की

(श्री महेन्द्र चौधरी)

समस्या से मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम सुझाव देना चाहते हैं। जैसे गांव के अन्दर लोग मकान बनाते हैं, उनको पाबंद किया जाए कि वे अपने गांव के उस मकान में टांका निश्चित रूप से बनाएं, नरेगा के अन्दर जो तालाब बने हुए हैं उनमें सरकार उनका पक्का निर्माण कराये और पहाड़ों से ढलने वाला पानी, जो पानी बहाव बनकर आता है उनके ऊपर बांध बनाये जाएं। इससे कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा और पानी भी खराब नहीं होगा। स्कूल के अन्दर वहां पर बच्चों के लिए पीने के पानी के लिए टैंक बनाये जाएं, यह मेरा विशेष रूप से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, नावां के अन्दर एक पी.एच.ई.डी. का एक्स.ईएन. कार्यालय खोला जाए। बावड़ी बाटलिया, बरजम बांध, जो अभी इस बरसात के अन्दर, हमने अपने जीवन में इतनी बरसात नहीं देखी जितनी इस बार हुई, बड़े-बड़े बांध भर गये। उन बांधों का पक्का निर्माण करवाने की मेरी मांग है; चाहे बावड़ी हो, चाहे बाटलिया हो, चाहे बरजम, इनका पक्का निर्माण कराया जाए। एनिकटों का निर्माण हो, मानपुरा, जवानपुरा, गोगोर के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं, इनके अन्दर निर्माण कराया जाए और इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, सैकण्ड फेज का पानी जो है, उसको भी जल्दी से जल्दी किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का जो समय दिया ...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उसके अन्दर अभी मेरे को पांच मिनट का, कुछ समय दे दीजिए, मैं अभी शार्ट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ये तो सरकार की उपलब्धियां हैं। कई माननीय सदस्य जो बात कहकर गये हैं कि इस सरकार ने पानी पिला दिया, मुख्य मंत्रीजी ने पानी पिला दिया या जलदाय मंत्रीजी ने पानी पिला दिया, उसके ऊपर तो आप एक बार थोड़ा मेरे को बोलने का मौका दे दीजिए, यह मैं कहना चाहूंगा।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

इससे पहले की सरकार ने पानी के मामले में, जब इनका कार्यकाल पूरा होने को हुआ तो अक्टूबर, 2004 में घड़साना में सात-सात लोगों को मौत के घाट किस मामले में उतारा गया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी पर बोल रहा हूं, सात लोगों की मृत्यु हुई इसी घड़साना के अन्दर, उसके ठीक आठ महीने के बाद में टौंक जिले में, आपका खुद का जिला है, उसमें सोहेला काण्ड; बीसलपुर के पानी के लिए जो गर्भवती हंसा देवी को मौत के घाट उतार दिया, उसके साथ में पांच लोगों की मृत्यु हुई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पांचना के बांध के पानी को लेकर करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर में घमासान हुआ। ये जो काम हुए हैं इनके कार्यकाल के अन्दर, इस सरकार के बदनुमा चेहरे पर यह बदनुमा दाग रहेगा पानी के मामले में।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, आने वाले समय में बच्चों के सब्जेक्ट में यह प्रश्न लग जायेगा कि बच्चों, बताओ, 21 बार गोली काण्ड के अन्दर सैकड़ों लोग किस सरकार में मरे थे? पानी के लिए सरकार, पानी मांगते हैं तो गोली देने वाली सरकार कौनसी है? ए. कांग्रेस, बी. बी.जे.पी., सी. कम्यूनिस्ट, डी. निर्दलीय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय रणवीर सिंह जी पहलवान।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके पूर्व मंत्री, जब जयपुर में दूषित पानी पी रहे थे, इनके पूर्व जलदाय मंत्री ने यह कहा था कि जो आया है, सो जायेगा। इस प्रकार का संवेदन-शून्य वक्तव्य देने वाले मंत्री ने किस प्रकार का वक्तव्य दिया था, आपको ध्यान है। वह सरकार भी गयी, वह मंत्री भी गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रणवीर सिंह जी पहलवान, पांच मिनट का समय दे रहा हूं। अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): इसके अलावा, पाली जिले के अन्दर जब नदी का पानी बह रहा था, छह-छह लोग जब पानी के अन्दर खड़े थे, 24 घंटे तक खड़े थे, वहां पर मंत्री हैलिकाप्टर लेकर घूम रहे थे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): और घूमते-घूमते उनके मुख्य मंत्री ने यह जवाब दिया कि मंत्री क्या कोई खुद को डूब कर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पानी के सब्जेक्ट के ऊपर जितना आपने बोलने का समय दिया है ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय विपक्ष के लोगों को इस बजट और रिफाइनरी के बाद में किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं है बोलने का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रणवीर जी, आपका अंकित हो रहा है, बोलिये आप। आप चालू करिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का ग्राफ दिनों-दिन इतना बढ़ चुका है कि यह किसी भी प्रकार की गलतफहमी...(व्यवधान) तो गलतफहमी नहीं होगी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं भूल जाऊंगा, साहब। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री बनेंगे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रणवीर जी पहलवान। उत्तेजना नहीं पैदा हो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): महेन्द्र जी बहुत सभ्य हैं। ऐसा है, अपन एक जिले के हैं, समस्या बराबर की है। मैं तो बड़े प्रेम से, जिले के बाहर निकलूं ही नहीं, अपने जिले के बाहर की समस्या नहीं। इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं, कितना क्यूसेक्स, कहां से आया, कहां से गया; गंगा जी जोड़ देंगे; हरिद्वार जोड़ देंगे; कालीसिंध ला देंगे; बीसलपुर का पानी चाहिए, प्रभु!

भाई महेन्द्र ने कहा है कि मैं सदन में आया तो आते ही पहली बार मैंने मांग की कि बीसलपुर का पानी ...(व्यवधान) रोको एक मिनट, थोड़ी देर। तो वे बोले, पहले सदन में आकर भाई महेन्द्र ने मांग की, मुख्य मंत्री जी कितने बड़े हृदय के व्यक्ति हैं जो अब सैंक्शन कर दी, जाते-जाते। कितना

(श्री रणवीर पहलवान)

बढ़िया काम किया और कितनी योजनाएं कीं। मेरे को लगता है कि नवम्बर में चालू करके, दिसम्बर में चुनाव होगा, एक महीने में इनको पूरी कर देंगे वे। इतनी बड़ी-बड़ी तो योजनाएं हैं, करोड़ों रुपए की हैं, आते ही शुरू कर देते ना, साहब; हम भी ढोल बजाते, ताली पीटते कि यह करके दिखा दिया पूरा काम। अब जाते-जाते यह भी कर दी घोषणा, वह भी कर दी।

बीसलपुर बांध अपने क्षेत्र में है, उसके अन्दर से ढाई-तीन सौ गांव उठाये गये थे, उस गांव में पानी भी एकत्रित होता है, उस गांव को पूरे टौंक जिले के चरागाह में बसा दिया गया, चरागाह भी खतम हो गया, पशु धन भी चला गया, सिर्फ इसलिए कि टौंक जिले के व्यक्तियों को सिंचाई और पीने का पानी मिले।

राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, पूरे राजस्थान की जनता को पानी पिलाना। भले ही नागौर भेजो, उसको जयपुर ग्रामीण को दो, जयपुर को दो, जहां भी दो लेकिन जिस जिले के अन्दर पानी है, जिस जिले के व्यक्तियों को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, दो-ढाई सौ गांव-ढाणी वहां से उठे, उस जिले के गांव-ढाणियों को पानी देना प्राथमिकता होनी चाहिए थी।

आपके यहां भी विधान सभा क्षेत्र में, मैंने अख़बार में पढ़ा एक दिन कि 322 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। ये 322 करोड़ रुपये कब तो लगेंगे, कब पानी आएगा। आते ही आप कर देते तो चार वर्ष तो जनता ठीक-ठीक पानी पीती और आपकी भी इज्जत बढ़ती, मेरी भी, औरों की, जकिया बुआजी और भाई कमल बैरवा भी बैठा है।

इस बीसलपुर की प्रार्थना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ बच रहा है, चालू करवाकर दे दें।

दूसरा, मेरी प्रार्थना है, हमारे टोडा मालपुरा जो है, उसके अन्दर 1967 में एक पानी की टंकी मालपुरा में बनाई गई थी। उस समय मालपुरा की आबादी सात हजार थी, मालपुरा की अब आबादी पैंतीस-चालीस हजार है। वह जो पाइप थी, टोडा मालपुरा की, पूरी की पूरी टूट गयी और आबादी इतनी बढ़ गयी कि पहले पाइप एक इंच की थी, अब दस इंच की जरूरत पड़ गयी। उससे न सप्लाई होती है और हाहाकार मचा रहता है दोनों तहसीलों में। जलदाय विभाग के व्यक्तियों के पास जाते हैं, एम एल ए बनकर आया, उस टाइम गया था, तो कहा, हमने साढ़े नौ करोड़ की योजना बनाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेज दी। वह योजना फागी अटक जाती है, कभी आमेर अटक जाती है।

(श्री रणवीर पहलवान)

जयपुर पहुंची है कि नहीं पहुंची, माननीय मंत्रीजी इस पर जरूर कुछ न कुछ देंगे।

माननीय मंत्रीजी मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके विभाग द्वारा हर साल गांव-ढाणियों में पानी के टैंकर चलाये जाते हैं और उन टैंकरों से पूर्ति की जाती है। हैण्डपम्प एक ऐसी चीज है कि वह डेढ़ सौ फीट के ज्यादा नीचे से पानी को बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें पन्द्रह पाइप डलती हैं, एक पाइप की लम्बाई दस फीट होती है तो वह डेढ़ सौ फीट। अगर डेढ़ सौ फीट से ज्यादा, यहां विभाग के आदमी बैठे होंगे, उसमें पाइप डाल दिये जाएं तो अच्छे से अच्छा पहलवान उस हैण्डपम्प को चला नहीं सकता। इसलिए दस-बारह पाइप डाल देते हैं। बहन-बेटियां कमजोर हैं, वे तो चला ही नहीं सकतीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, पानी हमारे जिले के अन्दर 250-300 फीट पर चला गया तो वहां पर सिंगल फेज लगना अनिवार्य था। मैंने कहा कि मैं सिंगल फेज लगाऊंगा तो मुझे परमिशन दी जाए, तो डी आर डी ए ने मुझसे कहा कि आप सिंगल फेज तो लगाओगे, बिजली के कनेक्शन का क्या होगा? मैंने कहा कि बिजली विभाग से पूछ लो। तो माननीय मंत्रीजी के पास में, भगवान की दया से, दोनों ही विभाग हैं, पी एच ई डी भी और आर एस ई बी भी; मेरे को लिखित में विभाग ने दिया कि किसी ट्यूबवैल पर हमने जगह निश्चित कर ली और 168 ट्यूबवैल मैंने लगवाए विधायक कोटे से, तो उन्होंने बताया कि 5,200 से 10,000 रुपये तक खर्चा आएगा। 168 ट्यूबवैल लगाएं, 168 के सभी के डी आर डी ए से दस हजार रुपये उसमें एड करके भिजवा दिये। वे रुपये भिजवाने के बाद, ट्यूबवैल लगने के बाद आपके विभाग ने कहा है कि प्रत्येक ट्यूबवैल पर नब्बे हजार, अस्सी हजार रुपये कनेक्शन के लेंगे।

इतनी बरबादी क्यों करवायी? आदेश आपके विभाग का था। पानी पिलाना पी एच ई डी विभाग का उत्तरदायित्व है, एम एल ए का नहीं है, फिर भी मैंने अपने कोष के सारे पैसे उस पानी में लगा दिये। उसके उपरांत जो पहले आदेश दिया था कि 5200-5500-5600-5800, आखिरी दस हजार रुपये तक हम प्रत्येक कनेक्शन को लगा देंगे, माननीय मंत्रीजी जरूर इस बात को अपने ध्यान में लेकर ऐसा निर्देशित करेंगे, क्योंकि दोनों विभाग आपके हैं, ताकि डेढ़-दो करोड़ रुपये लगकर सुधार आ जाए और जनता पानी पी सके।

इसका आपको सीधा-सीधा यह फायदा हो रहा है कि वे गांव इतने बड़े-बड़े हैं कि गांव में आपको एक दिन में पांच से छह टैंकर प्रत्येक दिन चलाने

(श्री रणवीर पहलवान)

पड़ते थे, किसी गांव में बारह-पन्द्रह भी चलाने पड़ते थे, उस 168 ट्यूबवैलों में से केवल पांच ट्यूबवैल खराब पानी के निकले और बाकी 163 ट्यूबवैल मीठे पानी के निकले। पी एच ई डी विभाग के आदमियों ने उस पानी को सही मान लिया, उसके बाद उन्होंने लगाकर चालू किया। हमारे कलक्टर के यहां मीटिंग हुई, उसके बाद ऊपर के अधिकारियों से बात की, क्या की, नहीं की, आज एक साल से वे यूं के यूं पड़े हुए हैं। माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान देकर इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यह काम आगे बढ़ जाएगा।

अपने जिले के पीछे बनास नदी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टौंक जिले की जीवन रेखा है, जीवन देने वाली नदी है, ग्लूकोज देने वाली नदी है, उसको जिंदा रखने वाली नदी है, इसके ऊपर बांध बना दिया गया बीसलपुर बांध। बांध को बनाने में कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगी थी, अभी भी उस पर 268 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, उसकी क्या मालिश करेंगे बांध की, मुझे पता नहीं। एक पहाड़ के बीच से नदी जाती थी, उस पहाड़ के मुहाने को रोक दिया, जो आपकी नजरों के सामने है और आप विधायक भी वहीं से हैं। उसके मुहाने को रोकने से पीछे के गांव उठा दिये, जो नीचे में थे। वह भर गया। उसमें 268 करोड़ किस बात के लगेंगे, मुझे नहीं पता; ये 268 करोड़ की पाइप अगर टोंक जिले के गांव-ढाणी में भेज दी जातीं तो प्रत्येक गांव में पानी हो जाता।

अब उससे आगे एक घटना और घट गयी। वह नदी टोंक जिले में और साठ किलोमीटर टोंक जिले होते हुए सवाई माधोपुर में एण्ट्री करती है, जहां पर भी एक पांच सौ करोड़ का बांध बनाना प्रस्तावित अभी आपके आगे आया है।

श्री उपाध्यक्ष: ईसरदा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ईसरदा बांध। इस नदी के ऊपर इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है, इसके अन्दर जो बजरी थी या पानी इसके अन्दर से जाता था तो नदी राइट बीस किलोमीटर और बीस किलोमीटर लेफ्ट, दोनों साइड के कुओं का जल स्तर ऊपर रखती थी, भू-माफिया, बजरी माफिया इस तरह उस पर टूट कर पड़े कि उसकी बजरी का दोहन करने लगे। बजरी साठ-साठ फीट तक एल एन टी मशीनें लगाकर, इसमें कई ग्रामीणों के सिर फूटे, कई बार रोका गया।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 2009 में कमेटी बनाई गई, 2011 में

(श्री रणवीर पहलवान)

बनाई गई, 2013 तक भी बनाई गई। उन सबने लिखा कि पी एच ई डी विभाग के कुएं भी सूख गये हैं इसकी बजरी दोहन होने से और सभी, जो भी ग्रामीणों के कुएं थे, वे भी सूख गये हैं; अगर यह बजरी का दोहन नहीं रोका जाता है तो यह करीब साठ बाई चालीस किलोमीटर का एरिया ड्राई हो जाएगा और यहां के किसान मर जायेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, कलक्टर ने कहा, जे सी बी लगाकर सब रास्तों को उखाड़ दो और यहां से कोई नहीं जाएगा। पांच दिन बाद कहां से और कैसा आदेश आया, वापस उन रास्तों को ठीक करके वह ही बजरी माफियाओं ने फिर ट्रक चलाने शुरू कर दिये, वहीं पर। पूरा प्रशासन बैठा देखता रहा। कहां से आदेश आया? मेरी गारंटी है, हमारे दो विधायक उसमें पैसे खा रहे हैं और वहां उनकी जे सी बीज लगी हुई हैं। कोई बोलने वाला है नहीं, जनता करे क्या, नतमस्तक हुई बैठी है। धारा 144 वहां पर लगाई गई, धारा 144 में ग्रामीण इकट्‌ठे नहीं हो सकते परन्तु मजदूर और जे सी बीज बदस्तूर चालू रहीं और वह सारी की सारी बजरी बाहर आती रही।

मैं उपाध्यक्ष महोदय के अलावा आप उस स्थान के और हम सबसे सीनियर भी हैं, यह बड़ी शर्मनाक बात है, टौंक जिले के हमने वोट लिए हैं और उसका ऋण हमारे ऊपर है। जिस जिले का इतना बड़ा विनाश करने लग रहे हैं, जिस जिले के वोट लेकर इस सदन में बैठे हैं, आज उस जिले का यह हाल कर दिया, पानी उसका बाहर जा रहा है; चरागाह उसका चला गया; बीसलपुर से विस्थापित उसमें बसा दिये गये। इस नदी के आर-पार थोड़ी-बहुत खेती कर लेते थे वे, इसका दोहन करने से, पूरी बजरी को निकालने से नीचे लिख दिया, हार्ड राक्स हैं, उसके नीचे पानी है नहीं। उस हार्ड राक और जमीन सतह तक यह करीब साठ से सत्तर फीट जो बजरी है, इससे ही इसमें पानी रहता है और इससे ही दोनों साइड के चालीस-पचास किलोमीटर के क्षेत्र में कुओं का जल स्तर ऊंचा रहता है, लेकिन इस बजरी का दोहन होने से, आपको पता है इस बात का और यह बात जरूर आपके विधान सभा क्षेत्र के भी या दूसरों ने भी कही होगी, मैं दावे से कहता हूं, इसके सबूत हैं, उन्हीं विधायकों ने उनको संरक्षण दे रखा है। मैं नाम नहीं ले रहा ना, साहब। मैंने और आपने दे रखा है ना, यह मान लो, दूसरों को कैंसिल कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों मंत्री बैठे हैं, इसको चैक करा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पी एच ई डी मिनिस्टर साहब को भी और इर्रिगेशन वालों को भी...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): धड़ल्ले से प्रशासन और उनके तो वारे-न्यारे हो रहे हैं। घी में हाथ हैं, पैसे लूट रहे हैं, रोजाना के करोड़ों रुपये उनके बन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बाकी चैक होना चाहिए, कानून का उल्लंघन हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं बेईमान हो सकता हूं, आप बेईमान नहीं हो, साहब, मैं गारंटी से कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कानून का उल्लंघन हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पैसे नेता ले रहे हैं और जिले को बरबाद किया...

श्री उपाध्यक्ष: यह बात नहीं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो क्या मेरा पिताजी ले रहा है, फिर नेता नहीं ले रहा है तो? हम तो रोक ही देते ना उनको, साहब। पैसे तो कोई खाकर, उनको संरक्षण तो दे ही रहे हैं ना।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका समय हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरा समय तो नहीं बोलने देने में भी था ही, पर यह समस्या कितनी भारी है, कालीसिंघ को उससे जोड़ देंगे, पंजाब से पानी ला देंगे, जो है उसी में से दे दो ना थोड़ा बहुत; टोंक जिले का बीसलपुर बांध है, उसमें से दे दो थोड़ा बहुत। उसमें से तो पानी दे नहीं रहे, नाटक करके इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं, नवम्बर में चालू होंगी और दिसम्बर में गहलोत साहब पूरी कर देंगे, ऐसा हुआ है कभी? आज 4 वर्ष की सरकार चली गयी, जो कार्य करना था वह कर-करा के...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो क्या समझूं, साहब ? पानी आया समझूं ?

श्री उपाध्यक्ष: ये अभी शाम को जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हंसने की बात नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: यह तो शाम को जवाब देंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बजरी, रोड़ी का तो ये और मंत्री के पास 2 विभाग हैं, हमारे उन ट्यूबवैल्स को आप देख लेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: हां, देख लेंगे। बोलेंगे, बोलेंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हमने इनकी मदद की है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बिलकुल बोलेंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 10 करोड़ रुपये के 168 ट्यूबवैल्स लगाये हैं, बिजली, इनके विभाग ने लिखकर दिया कि 10 हजार रुपये लगेंगे प्रत्येक कनेक्शन में, आज कह रहे हैं, 90 हजार लगेंगे। ट्यूबवैल्स लगने के उपरान्त इनके विभाग का आदेश बदलना तो या तो उन अधिकारियों की तनख्वाह में से लगवाओ, या उन अधिकारियों से भरपाई करवाओ जो इतने जनता के पैसे बरबाद किये गये।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। विराजो अब आप, प्लीज।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो हुआ समझूं, साहब ? यह जे सी बी वगैरह, इसमें एम एल ए पैसे खा रहे हैं, साहब। मैं सच्ची बात कहता हूं। लिखित में जनता का उत्तर है। जनता लड़ी है और सिर फूटे हैं। धारा 144 लगी है, अस्पतालों में पड़े हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। प्लीज, प्लीज।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): टौंक जिले के अन्दर धारा 144 लगा दी, बजरी का दोहन कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: दोनों मंत्री सुन रहे हैं, कोई न कोई बात इनके ध्यान में रहेगी, जवाब देंगे।

माननीय अभिषेक जी मटोरिया।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, कितना गम्भीर मामला है!

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मेरा नम्बर आ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 780 घन मीटर है जबकि न्यूनतम आवश्यकता 1 हजार घन मीटर की है। इसी दोहन से अगर जल को निकालते रहे तो 38 वर्ष बाद, 2040 तक यह मात्र 450 घन मीटर ही रह जायेगी, जबकि अन्तरराष्ट्रीय पेयजल मानकों के अनुसार 500 घन मीटर से कम उपलब्धता गम्भीर जल संकट की श्रेणी में आती है। यह राजस्थान की जल की आपूर्ति और मांग में 8 बिलियन घन मीटर का अन्तर है जो 2015 तक 9 बिलियन घन मीटर हो जायेगा।

इसी प्रकार, हमारे गुलाबी नगर जयपुर में प्रतिदिन 4,100 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है जिसकी एवज में 3,400 लाख लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी की कुल पानी सप्लाई में 18 प्रतिशत पानी सप्लाई लीकेज, जोइंट फेलयर्स, पुरानी पाइपलाइन की वजह से व्यर्थ बहता है और 68 प्रतिशत पानी जमीन में न जाकर, सड़कों के रास्ते शहर से बाहर चला जाता है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में आने वाले समय में भारी जल संकट होगा। अत: हम सबको राजनैतिक धरातल से ऊपर उठकर कम से कम शिक्षा और पेयजल के इन दो मुद्दों पर वास्तविक आंकड़ों के अनुसार से बहस करनी चाहिये।

इसी के परिणामस्वरूप, 2009 से 2013 तक के 5 वर्ष के कार्यकाल के बजट में वर्तमान सरकार ने 20,696 करोड़ की कुल वृहद् पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की, जिसके तहत 183 शहर, 12,158 गांव और 5,055 ढाणियों को लाभान्वित करने की इस गहलोत सरकार ने कोशिश की, परन्तु क्रियान्विति-स्वरूप आज तक मात्र 14.6 प्रतिशत, यानी 2,537 करोड़ की 31 परियोजनाएं पूरी हो पायीं; बाकी 42 परियोजनाएं और 14,228 करोड़ की परियोजनाएं हाल में अभी भी पेंडिंग हैं, प्रगतिरत हैं। यह इन आंकड़ों में कहा है, मैंने ये आंकड़े अपने हिसाब से नहीं बनाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार एक बहुत बड़ी ताकत है और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि किसी भी राज्य के लिये निश्चित रूप से अमृत के समान होती है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में, 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार, एन आर डी डब्ल्यू पी-प्रारम्भिक शेष, सामान्य और क्वालिटी विभाग, 170 करोड़ रुपये, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि 605 करोड़ रुपये, कुल राशि 776 करोड़ रुपये, व्यय राशि 380 करोड़ रुपये, मात्र 42 प्रतिशत; एन आर डी डब्ल्यू पी-मरुस्थलीय विभाग- कुल प्रारम्भिक शेष 160 करोड़ रुपये, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि 488 करोड़ रुपये, कुल उपलब्ध राशि (2012-13) 648 करोड़ रुपये, व्यय राशि मात्र 352 करोड़ रुपये, आधे से भी कम; प्रधान मंत्री घोषणा 20.65, उपलब्ध राशि 20.65, व्यय राशि शून्य। उसके बाद, ग्रामीण स्कूलों में पेयजल शुद्ध करने हेतु संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु राशि 6 करोड़ 85 लाख, उपलब्ध राशि 6 करोड़ 85 लाख (2012-13), व्यय राशि शून्य। पूरे राजस्थान में पेयजल को शुद्ध करने हेतु राज्य सरकार ने 6 करोड़ 85 लाख, 2011-12 के बजट के बाद 2 साल में शून्य बजट खर्च किया। इसी प्रकार, एन आर डी डब्ल्यू पी-अन्य में 32 करोड़ रुपये प्रारम्भिक शेष, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि 68 करोड़ रुपये, कुल राशि लगभग 101 करोड़ रुपये, व्यय राशि 9 करोड़ 8 लाख रुपये। इसी प्रकार, सारी योजनाओं का प्रारम्भिक शेष 373 करोड़ रुपये, भारत सरकार से प्राप्त राशि 1,162 करोड़ रुपये, कुल राशि 1,535 करोड़ रुपये और व्यय राशि मात्र 740 करोड़। पचास प्रतिशत की भी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

क्रियान्विति केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त राशि के अनुसार आज तक नहीं हो पायी। इस क्रियान्विति को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार के पैसे राज्य सरकार और यहां की जो एग्जीक्यूटिंग बाडीज हैं, हम सबको मिलकर इस पैसे की क्रियान्विति सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

इसी कड़ी में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद द्वारा अपने कोटे से ट्यूबवेल्स लगाने के लिये राशि दी जाती है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र नोहर, जिला हनुमानगढ़ में विगत 4 वर्षों में लगभग 50 लाख से ऊपर राशि पेयजल के लिये दी परन्तु अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 10.5.2012 एवं परियोजना निदेशक और पदेन उप सचिव के पत्र दिनांक 8.8.2012 द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार बड़ा दुःख होता है, फील्ड में न जाकर अधिकारी अपने ए सी चैम्बर में बैठकर इस प्रकार के आदेश जारी कर देते हैं जिससे फील्ड में रहने वाले विधायक और सांसदों को दिक्कत आती है। उदाहरणस्वरूप, अब इस परिपत्र के बाद मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में शायद ही ट्यूबवैल दे पाऊं। उसका कारण यह है, इस परिपत्र में ग्रामीण विकास ने यह कहा है कि जहां-जहां जनता जल योजना होगी वहां आप यह राशि वहन करेंगे, अन्यथा आप सरपंच को कार्यकारी एजेन्सी न बनाकर पी एच ई डी को कार्यकारी एजेन्सी बनाएं। पी एच ई डी का क्या कार्य रहता है, किस प्रकार क्रियान्विति होती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सभी सदस्य जानते हैं, परन्तु एक हैण्डपम्प जो एक सरपंच 25 हजार रुपये में लगाता है, मेरी समझ में पी एच ई डी डिपार्टमेंट 45 से 50 हजार रुपये में लगाता है।

(17.35 बजे)

(मेजर ओ. पी. यादव, सभापति, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: 1 लाख।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 1 लाख। जो ट्यूबवैल डेढ़ से दो लाख रुपये में सरपंच लगाता है, लगाने के उपरान्त उसके बिल की गारण्टी लेता है, 3 साल तक रख-रखाव करता है और जिला परिषद् से पास होने के बावजूद 3 लाख में जो ट्यूबवैल लगता है, वही ट्यूबवैल पी एच ई डी डिपार्टमेंट 6 से 7 लाख रुपये में लगाता है। पी एच ई डी हमारा काम करने के लिये तैयार नहीं।

इस आदेश के तहत हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में जहां-जहां जनता जलप्रदाय योजना होगी, वहीं मैं अपने ट्यूबवैल्स दे पाऊंगा। अर्थात् 252

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पंचायतें जो हनुमानगढ़ में हैं, 2 पंचायत को छोड़कर कहीं जनता जल योजना नहीं है। बताओ, सभापति महोदय, मैं अपने पैसे ट्यूबवैल्स के लिये कहां दूं? पी एच ई डी सक्षम नहीं है पानी पिलाने के लिये और मैं अपने विधायक कोटे से ट्यूबवैल्स देना चाहता हूं, मैं 17 ट्यूबवैल्स 4 साल में दे चुका हूं, और देना चाहता हूं परन्तु इस परिपत्र और इस आदेश के बाद वे ट्यूबवैल्स नहीं देना चाहता।

मैं माननीय सी एस राजन साहब और अग्रवाल साहब से मिला हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि विधायक महोदय, निश्चित रूप से इसमें संशोधन किया जायेगा और हमारे जिले के मंत्री, विनोद कुमार जी ने भी आश्वासन के साथ-साथ मदद भी की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, पत्र लिखा है, परन्तु इसकी क्रियान्विति हो। जल्द से जल्द इसके आदेश पारित होने तक, कोई भी विधायक को अपने कोटे से ट्यूबवैल्स के लिये रुपये देने से पहले इन कानूनी अड़चनों से होकर गुजरना पड़ेगा। यह परिपत्र हाल ही में जारी हुआ है।

इसी प्रकार, जैसा नावां से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि सभी को 20 हजार हैण्डपम्प बिना भेदभाव के वितरित किये गये, यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, चाकसू से आने वाली माननीय सदस्या बता रही हैं, नहीं दिये। मैं पूरे जिले और राजस्थान की बात न करके गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू की आपको बताना चाहूंगा। साधारण हैण्डपम्प- सर्वप्रथम हनुमानगढ़, 2011-12-18 हैण्डपम्प; 2012-13- शून्य है; गंगानगर; 2011-12-5, उसके बाद 2012-13- शून्य है। (व्यवधान) पानी नहीं है? कहीं भी पानी नहीं है? पूरे में नहीं है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने 17 ट्यूबवैल्य लगाये और हैण्डपम्प लगाये हैं, वह पानी कहां से आया? वे भी हनुमानगढ़ में ही है। आप चूरू की बात करते हो, चूरू में मात्र 2011-12 में 10, 2012-13 में शून्य। पानी तो बाड़मेर में, राजस्थान में कहीं भी नहीं है पर 453, 588, 391, 370, 565, 572, 401, बाकी जिलों में हैण्डपम्प कैसे लग गये? सब जगह पानी है। मैंने रिकमंड किये हैं। क्या मैं आपको उनकी प्रति दिखाऊं जिसके तहत नहीं दिखाया गया? कहने का तात्पर्य है, भेदभाव हुआ है। आपको इस बात को स्वीकारना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, भैरोंसिंह जी के समय में...

श्री विनोद कुमार "लीलांवाली" (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अब उसमें मटोरिया जी, उसमें संशोधन कर दिया, यह गाइडलाइंस में ही। इसमें अब क्लीयर देख सकते हैं आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्रीजी। इस संशोधन से निश्चित रूप से पेयजल की समस्या दूर होगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखने के लिये और संशोधन के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हमारे क्षेत्र के मंत्री बोले और बहुत ही अच्छा बोले, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): बहुत ही भले आदमी हैं हमारे मंत्रीजी और आपने यह प्रयास किया, आपका धन्यवाद।

'आपणी योजना' जो भैरोंसिंह जी सरकार में शुरू की गयी थी, इसका सैकण्ड फेज सुजानगढ़ तक जायेगा, एक हजार अठारह करोड़ रुपये की योजना बनी। जिस प्रकार भाई, अनूपगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि जैसलमेर और बाड़मेर में इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है तो हमें आपत्ति नहीं है, उसी प्रकार हमारे विधान सभा क्षेत्र नोहर, भादरा की आपकी योजना, जो मूल रूप से जिस क्षेत्र के लिये बनायी गयी थी, अगर वहां का पानी सुजानगढ़ और राजगढ़ जाता है तो हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु, सभापति महोदय, यह बड़े दु:ख की बात है कि नोहर-भादरा, जो पूरे क्षेत्र को कवर करता है, वहां का एक्स ईएन तारानगर और सरदारशहर में बैठता है, एस ई बैठता है चूरू और चीफ बैठता है बीकानेर और इसके परिणामस्वरूप, जब भी इनको जिला परिषद और पंचायत समिति की मीटिंगों में आना पड़ता है तो ना ही तो वे इतनी दूर से आ पाते हैं और ना ही वहां गम्भीर मुद्दों पर डिस्कशन हो पाता है। बार-बार हमने इसके लिये निवेदन किया। तो मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि नोहर में एक एक्स ईएन कार्यालय होना चाहिये।

धन्नासर, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर 1,700 करोड़ रुपये की योजना सरकार चालू करने जा रही है, दोनों फेज मिलाकर। वहां सिर्फ एक ए ईएन बैठता है, वहां पर भी कम से कम एक सक्षम स्तर का एक्स ईएन बैठना चाहिये। धन्नासर, जहां पर आप लगभग एक हजार करोड़ रुपये की प्रथम और द्वितीय चरण की योजना चालू कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और लगभग एक करोड़ 48 लाख राजस्थान के लोग जो आई जी एन पी पर पेयजल हेतु आश्रित हैं, उनको अब 11 से लेकर 21 हजार एम पी एन बैक्टेरिया-युक्त पानी पीना पड़ रहा है। इस हेतु बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी जांच और बहुत सारी प्रयोगशालाएं राज्य सरकार ने खोल रखी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, अब आपका वक्त हो गया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): जी, माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त करना चाह रहा हूं। ए क्यू सी मैटेरियल एनेलेसिस, एन आर डब्ल्यू पी, सर्फेस वाटर रिसोर्सेज लेबोरेट्रीज इन आल डिस्ट्रिक्ट्स, सारी ये प्रयोगशालाएं पानी के स्वच्छीकरण और साफ-सुथरा पानी देने हेतु वादा करती हैं परन्तु फिर भी, इसके बावजूद भी कैंसर रोगियों की तादाद गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने हेतु जल्दी से कोई न कोई योजना बनाई जाये।

माननीय सभापति महोदय, अपनी बात एक मिनट में समाप्त करते हुए और बैठने से पहले मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि सूई ब्रांच अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कराने हेतु विचार करें। मात्र 30-40 करोड़ रुपये की योजना है, नोहर, सरदारशहर और मंत्रीजी के क्षेत्र लूणकरणसर और बीकानेर तक जाती है, आप इसको भी पूरा करें और वंचित गांव, नोहर के पल्लू को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाये।

क्रोस-रेग्यूलेटर की जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल घोषणा की थी, 12 करोड़ की, वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई और कुम्भाराम नहर को आगे झुन्झुनूं तक 955 करोड़ से ले जाना चाहते हैं, समझ से परे है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर में महाराष्ट्र और गुजरात में 27 और 26 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है। हमारे यहां पूर्ववर्ती सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था जो अभी तक इस सरकार में अधूरा पड़ा है, इसको पुन: चालू किया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, मैं नेक्स्ट नाम बोलने जा रहा हूं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 945 और 458 करोड़ की राशि जो आई जी एन पी पर व्यय होनी थी, उसको व्यय करके निश्चित रूप से अधूरे खाले-नाले हैं, उनको पूरा किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गंगाजल मील।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27-पेयजल योजना एवं मांग संख्या 46-सिंचाई एवं इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पर मेरे विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य

(श्री गंगाजल मील)

मंत्रीजी का हार्दिक अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने पेयजल और सिंचाई पर ऐसा बजट दिया है जो राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र, हर वर्ग को, हर जाति को, पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखते हुए चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था जहां तक पहुंचने वाली हो, सभी को समान दृष्टि से देखा है और किया है। तभी तो हम लोग एक अप्रैल का इन्तजार कर रहे हैं। एक अप्रैल को हमारे क्षेत्र में प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, निश्चित रूप से चालू हो जायेंगे, इसका हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन हमारे जो सामने भाई बैठे हैं, वे मुझे लगता है, 31 मार्च की रात का ही इन्तजार कर रहे हैं कि 31 मार्च की रात को ही लागू हो जायेगा, इस तरह से लगे हुए हैं क्योंकि विश्वास है कि सी एम साहब भेदभाव नहीं करते। पर पता नहीं, इनको क्या हो जाता है, यहां थोड़ी-बहुत तो भावना प्रकट करते हैं विपक्ष के लोग, इन्होंने बजट की खिलाफत नहीं की, बजट के प्रति इन्होंने रोष प्रकट नहीं किया बल्कि इनका यह मौन संदेश है, ये बजट की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है लेकिन जब ये बाहर जाते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं तो इनका छाया मंत्रिमण्डल है, उनको हमारे शेष कार्यकाल की अवधि, पांच साल की, चाहे आठ महीने हो, नौ महीने हो, छह महीने हो, इनको तो कभी तीन महीने याद आती है, कभी छह महीने याद आती है कभी नौ महीने याद आती है और ये बाहर निकलते ही कहते हैं कि स्वराज संकल्प यात्रा और नया राजस्थान बनायेंगे। नया राजस्थान कोई एम पी का एरिया तोड़कर लायेंगे, कि पंजाब का लायेंगे, कि हरियाणा का लायेंगे या पाकिस्तान का लायेंगे, यह मेरी समझ से बाहर है। नौ महीने बाद में लड़का होगा या लड़की होगी, सामने आ जायेगा, जनता फैसला करेगी लेकिन इनके छाया मंत्रिमण्डल को जनता का जो फैसला था, इनके गले आज तक नहीं उतरा और हाय-तौबा मचा रहे हैं सदन में।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल राजस्थान की ऐसी जीवन दायिनी कैनाल है, जो स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोच थी। हमारा हनुमानगढ़ जिला पहले गंगानगर जिला ही था, उसमें हमारे चार प्रोजेक्ट हैं, सबसे पहला गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल और सिद्धमुख कैनाल। माननीय सभापति महोदय, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिमाचल में जो पानी बरसता है उसका पानी उधर से निकलने का है, जो पूर्व में पाकिस्तान में जाता था तो यहीं से होकर जाता था। अब भी घग्घर का पानी यहीं से होकर निकलता है।

(श्री गंगाजल मील)

महाराजा गंगासिंह जी सन् 1927 में नहर लेकर आये और वह बिलकुल जर्जर हालत में हो गई। पिछले टर्म में माननीय मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत ने 440 करोड़ रुपये देकर उसका जीर्णोद्धार कराया और अब भी इन्दिरा गांधी नहर का एक हजार करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ पड़ा है लेकिन पंजाब की सरकार जो प्योर धार्मिक सरकार है, उसका है सारा काम, जिसके साथ में अर्द्ध-धार्मिक बी जे पी भी है, यह नहर की मरम्मत नहीं करने दे रहे हैं, टेण्डर नहीं निकाल रहे हैं। वह नहर फजिल्का, फरीदकोट के पास में 25-30 किलोमीटर में ऐसी हालत में हो गई है कि कभी भी टूट सकती है और 10 हजार क्यूसेक्स ही नहीं ले सकती। फालतू पानी सारा का सारा पंजाब यूज कर रहा है। लेकिन पूरे सदन का धर्म बनता है कि पंजाब सरकार में इनकी भागीदारी है, इनकी पार्टी सरकार में है, उनको मजबूर करें। यहां तो भाषण करते हैं कि बी बी एम बी में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, बी बी एम बी का अधिकार नहीं छीना, अपना पैसा, आपका दिया हुआ है, लो न हक का।

बी बी एम बी तो दूर की बात है, एक टाइम ऐसा भी था, ये भूल रहे हैं, पंजाब सरकार ने कैबिनेट में फैसला कर लिया कि पंजाब पानी नहीं देगा, राजस्थान को पानी नहीं देगा। क्या करें, सरकार का मामला होता है। जब हम फर्स्ट फेज और सैकण्ड फेज वाले भी आपस में सहमत नहीं हैं, सैकण्ड फेज में यदि पानी गलत जा रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, वहां वह खेतों में बह रहा है, तो फर्स्ट फेज को नहीं छोड़ना। हरियाणा सरकार हमारी है, हमारा मतलब, हमारी कांग्रेस पार्टी की है लेकिन वह भी आज तक हमारा 500 क्यूसेक्स पानी खा रही है। (व्यवधान) ले कहां से आयें? सरकारों का मामला ऐसा ही होता है।

लेकिन फिर भी हमारा सोच पोजिटिव है। इन्दिरा गांधी कैनाल फर्स्ट फेज और भाखड़ा के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने साढ़े छह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इससे निश्चित रूप से उनकी मरम्मत होगी। हमारी अनूपगढ़ शाखा जहां से निकलती है, वह नहर बंधाई में है, बंधाई में होने की वजह से 20 किलोमीटर के एरिये के नजदीकी सब गांवों में सेम आ गई, खेती बरबाद हो गई। वहां पर रहने वाले लोग टीबों पर जाकर बस गये। उस नहर की मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आई है, वहां से बनवा कर लाया हूं मैं, बहुत छोटे से एरिया के अन्दर, 25 बुर्जी से लेकर 32.500 बुर्जी तक इसमें कोई

(श्री गंगाजल मील)

लगेंगे और करीब 5 करोड़ रुपये तक लागत आएगी। यह तो बहुत ही जरूरी है, चाहे नहर की मरम्मत सबसे पहले वहीं से शुरू करें, हालांकि साढ़े 6 सौ करोड़ रुपये दिये हैं।

भाखड़ा नहर की एक इन्द्रगढ़ नहर है, उसमें भी पक्की करने के लिए भाखड़ा के, गंग कैनाल के और आई जी एन पी के जो खाले हैं, उनको भी पक्का करने का प्रावधान रखा है और हर हालत में होंगे।

सिरियासर माइनर है, जो मेरे क्षेत्र की पचासों सालों से मांग थी, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में मंजूर की है और 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जिसका फर्स्ट फेज में सर्वे हो गया और सैकण्ड फेज में सर्वे होने वाला है, शुरू हो जाएगा और अब जब भी मुख्य मंत्रीजी पधारेंगे तब उसका मैं उद्घाटन करवाऊंगा।

इसके अलावा, मैं पी एच ई डी के माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जो सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, एक तरफ तो बिलकुल टीबा क्षेत्र, श्रीमान् जी, सभापति जी का देखा हुआ है, इन्होंने खुद ने मेरे को बतलाया था कि यहां कोई रहता है क्या, इन गांवों की तरफ हाथ करके, क्योंकि दूर-दूर तक गांव हैं, दूर-दूर तक टीबा क्षेत्र हैं। (व्यवधान) एक बार पधारे थे ये। तो उस क्षेत्र के अन्दर, माननीय अशोक जी गहलोत की सोच देखो, 42 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं। सब गांवों में पीने का स्वच्छ पानी और लेटेस्ट टेक्नोलोजी के मुताबिक बने हुए वाटर वर्क्स हैं वे, सारे के सारे, जिनके फिल्टर 20 साल तक खराब नहीं होंगे। लोग पशुओं को पानी वही पिलाते हैं, खुद भी वही पीते हैं और गांव में, घर में कोई चेजा-भाटा करना होता है, तब भी वही पानी यूज करते हैं, क्योंकि और पानी उनके पास है ही नहीं।

इसके अलावा, 40 करोड़ रुपये के जो सन् 1960 या 1962 के जो वाटर वर्क्स बने हुए थे, आई जी एन पी, जो राजस्थान नहर कैनाल प्रोजेक्ट होती है, उसके फण्ड से बनी हुए थे, वे वाटर वर्क्स सारे खराब हो गये, पानी फ्लोराइडयुक्त और था नहरी एरिया, और 40 करोड़ रुपये माननीय मंत्रीजी ने सैंक्शन किये हैं। वे 15 वाटर वर्क्स उस नहरी एरिया में तो ऐसे हैं जिनमें 6 का तो काम शुरू हो गया और 8 का अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, हमारा जयसर बहुत बड़ा कस्बा है, वहां भी 15 करोड़ रुपये देकर उसका भी काम कम्पलीट हो गया। लेकिन एक सूरतगढ़ की प्राब्लम है। इसलिए मैं

(श्री गंगाजल मील)

माननीय मंत्रीजी को सौ में से सौ नम्बर न देकर, 99 नम्बर दूंगा। (व्यवधान) हालांकि वह भी यही करेंगे, सूरतगढ़ शहर की आबादी 15 हजार थी, तब का वाटर वर्क्स बना हुआ है और आज आबादी हो गई 65-70 हजार। हालांकि वाटर वर्क्स की जो कम्पाउण्ड है, डिग्गी है, उसके पास में सीधी मेन लाइन लाकर वहां जी एस एस बनवा दिया, 24 घंटे वाटर वर्क्स की सप्लाई होती है, कर्मचारी बेचारे रात और दिन लगे रहते हैं, फिर भी पूरे शहर में पानी सप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि जो रॉ वाटर आता है, पाइपें छोटी होती हैं, पानी का प्रेशर थोड़ा सा होते ही टूट जाती हैं। उसका मैंने अलग से ही प्रोजेक्ट बना कर दिया हुआ है, अधिकारियों के मार्फत और वह भी मंत्रीजी ध्यान देकर, मेरे को पता है, ये जल्दी सैंक्शन करवा देंगे। शहर में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अब वह बात नहीं रही, अब लोग ऊंचे टीबों पर भी बस गये। शहर में कम से कम 5 या 6 जगह तो ओवरहैड टैंक बनेंगे, तब जाकर सप्लाई होगी।

इसके अलावा, जो फर्स्ट फेज, आई जी एन पी की और भाखड़ा नहर की मरम्मत के लिए जो साढ़े 6 सौ करोड़ रुपये, उसके बारे में मेरा, सभापति जी, आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि उसके बहुत जल्दी टेण्डर करके कार्य प्रारम्भ करा दें क्योंकि अब बंधी लेनी जरूरी है, अब की बंधी का प्रस्ताव कर रखा है, 60 दिन का तो कर रखा है, चाहे 90 दिन हो, क्योंकि यह किसानों को परवाह नहीं है। पीने का पानी मिलता रहेगा। अब लोग फसल ही ऐसी करने लग गये जो जाकर जुलाई में बीजनी पड़ेगी, यानी कि ग्वार है, नरमे की फसल तो लोग तबाह कर गये। इसलिए वह टाइम भी है और उस टाइम में टेण्डर कर देंगे तो काम भी हो जाएगा और उसी दौरान पंजाब सरकार को भी, किसी तरह से, चाहे उनको कह-सुन कर, चाहे कोई सेक्रेटरी लेवल पर, चाहे मंत्री लेवल पर और चाहे सी एम साहब के लेवल पर कहना पड़े, तब भी उस नहर की मरम्मत करवाएं, वे पैसे तीन सालों से मंजूर हुए हुए पड़े हैं नहीं तो, कभी वह हालत हो जाएगी कि वह टूट गई। फरीदकोट के पास तो, पंजाब वाले तो मुआवजा मांग लेंगे, कभी नहर का नाम भूल जाएंगे अपन। यह बी बी एम बी वगैरह वहीं रह जाएगी, कोई नहीं पूछेगा अपने को फिर। लेकिन सरकार का मामला सरकार में होता है, उनका वहां कंट्रोल है।

तो मैं तो यह अधिकारियों को इस मायने में बधाई देना चाहता हूं कि वे अपने लेवल पर बेचारे जाकर और वहां किसी न किसी तरीके से पानी की कमी नहीं आने देते। फिर परमात्मा ने भी सुना है, फिछले चार सालों में कहीं

(श्री गंगाजल मील)

भी फसल की कमी नहीं रही है। क्योंकि किसान के लिए या तो नहर का पानी है या कुदरत का पानी है तो नहर का पानी भी बराबर आया है और कुदरत का पानी भी बराबर आया है। दूसरी बात, जो अपने डैम बने हुए हैं, जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है, वह मेरे हिसाब से तो सिंचाई की वन-थर्ड से ज्यादा आप पूर्ति नहीं कर सकते, बाकी टू-थर्ड की पूर्ति को कुदरत ही करती है। अब सरकार ने जहां-जहां नहरी एरिया है, वहां तीन लाख से लेकर 10 लाख तक डिग्गी के लिए अनुदान देना शुरू कर दिया, लोग पानी का स्टोरेज करते हैं और जरूरत के मुताबिक पानी का यूज करते हैं। इसलिए पानी की कमी नहीं आएगी। भाई पवन दुग्गल और मैंने कल बात ही की थी, अब ये जो गेहूं की फसल है, इसमें चार में से दो चलेगी। कल भी अपने उस चीफ इंजीनियर ने कह दिया था कि मैं मेरे हिसाब से अपने आप मंजूर करवाकर दूंगा, कमिश्नर साहब से सैंक्शन करवा दूंगा। तो अपना यह साल तो गया बहुत बढ़िया और ऐसी-ऐसी फसल खड़ी है, खास करके अनूपगढ़ क्षेत्र में तो अब के चार मण बीघे से कणकरी कम नहीं होगी, ऐसी होगी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ये घोषणा मान लें क्या, जो आपने कही है, चार में से दो की?

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): हां, बिलकुल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): विधान सभा के पटल पर आ गया रिकार्ड।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): अब आ गया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद; मंत्रीजी का भी धन्यवाद।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): मंत्रीजी को भी कह दो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नहीं, आपने कह दिया, वह तो आ गया।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): मैं तो पुन: एक बार माननीय मुख्य मंत्रीजी का, सिंचाई मंत्रीजी का और जलदाय मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने इतना बढ़िया बजट में सहयोग दिया।

मैं इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहता हूं, ये सैकण्ड फेज के हैं, वैसे तो हैं ही, इनकी मेहरबानी तो है ही लेकिन एक जो शब्द है, यह

(श्री गंगाजल मील)

जलदाय वाला, यह पी एच ई डी, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा शायद, तो इसको दो भागों में बांट दो। या तो यह जलदाय ही रख दो, जलदाय के साथ में कोई हिन्दी का शब्द जोड़ दो, या पब्लिक हैल्थ का मतलब, पब्लिक जिसके अन्दर वह पानी साफ करने के फिल्टर्स बनें, उसके लिए अलग विंग बना दो और पानी देने की और व्यवस्था करने की, टंकियां बनाने की, पाइप डालने की जो व्यवस्था वाटर वर्क्स वाले करते हैं, जलदाय विभाग वाले, वह उनके जिम्मे लगा दो, या इसका शब्द सही कर दो। यह इंग्लिश का शब्द तो जुड़ नहीं रहा है इसके साथ में, पी एच ई डी का, पी एच ई डी है क्या? पब्लिक हैल्थ, पब्लिक हैल्थ इसमें कहां घुस गई? यदि है तो पानी साफ करने का काम तो उनको दे दो, पी एच को और बाकी जो डिपार्टमेंट है, वह जलदाय विभाग को दे दो। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: मैं आपकी सूचना के लिए, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं, वे तकरीबन 27 हैं, 4 इसके अलावा हैं, और 2-2 आदरणीय मंत्रियों को बोलना है। उसके अलावा मैं समझता हूं, आज शुक्रवार है, लोग ऐसा मन में भी भावना रखते हैं कि अपने क्षेत्र में पहुंचना चाहते हैं। दोनों सचेतक महोदयों से कंसेंट लेने के बाद में, यह व्यवस्था आपके बताने के बाद ही दी जा रही है कि 5 से 7 मिनट बोलने का अधिकार होगा। अदरवाइज तो ये लोग नहीं बोल पाएंगे।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ये कौन सी व्यवस्था है, साहब, बाद में बोलने वाले पांच मिनट बोलेंगे और पहले बोलने वाले एक-एक घंटा बोलेंगे, आधे-आधे घंटा बोलेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ऐसे तो मत बुलवाओ, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती रोहिणी कुमारी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ये कौन-सा तरीका हुआ? बाद में बोलने वाले लोग एम एल ए नहीं हैं क्या?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक-एक घंटा बुलवा रहे हैं और हम लोगों को पांच-पांच मिनट दे रहे हैं।

श्री सभापति: श्रीमती रोहिणी कुमारी

(अनुपस्थित)

श्री संतोष कुमार सहारण।

(18.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य इधर से नहीं हैं तो नीचे का ले लें।

श्री सभापति: मैंने अब बोल दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसा मत करो, साहब। मैंने सूची दी है, हमारी महिला माननीय सदस्यों को पहले बुला दें।

श्री सभापति: मैंने नाम बोल दिया। पहले आपकी माननीय सदस्या, रोहिणी कुमारी जी का बोला था।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं पेयजल पर अपनी बात करूंगा। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने कल्याणकारी बजट में राजस्थान की जनता को शुद्ध पेयजल प्रोवाइड कराने के लिए आगामी वर्ष में तीन हजार गांवों व ढाणियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। भूमिगत जल स्रोतों का ज्यादा दोहन करने की वजह से प्रदेश के 249 ब्लाक में से केवल 31 ब्लाक ही सुरक्षित हैं। सतही जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बीस हजार करोड़ रुपये की लागत से 85 योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। प्रदेश में जल की घटती उपलब्धता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करोड़ों रुपये का प्रावधान कर आम आदमी को राहत देने के प्रयास किये हैं और मैं उन्हें इस शुभ कार्य के साधुवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पेयजल से सम्बन्धित कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के कुछ गांव और ढाणियां श्रीगंगानगर शहर के चिपकी हुई हैं, सराउंडिंग लगती हुई हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बात करनी है तो आपको इजाजत है कि आप इनके पास आकर बात कर लें, इतनी दूर से न करें।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): इन गांवों व ढाणियों को पंचायत क्षेत्र में बने हुए दूर-दराज के वाटर वर्क्स से पानी बहुत लम्बी पाइप लाइन डालकर सप्लाई किया जा रहा है। उसमें पानी के लीकेजेज बहुत होते हैं, इल्लीगल कनेक्शंस बहुत होते हैं, पानी पूरा सप्लाई नहीं हो सकता। शहर से इन गांव और ढाणियों को पानी सप्लाई करने के लिए दो साल पहले मैंने प्रोजेक्ट बनवाये थे। टाउन प्लानर ने भी इसमें अपनी अनुशंसा कर रखी है और

(श्री संतोष कुमार सहारण)

उसमें मान रखा है कि ये ढाणियां और गांव शहर के अन्दर आते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि इन गांवों और ढाणियों को गंगानगर के सप्लाई सेंटर से पानी सप्लाई किया जाए।

गांवों में बने हुए वाटर वर्क्स में आम तौर से चारदीवारी की बहुत कमी रहती है, चारदीवारी नहीं है। आस-पास के जानवर उसमें आते हैं, कुत्ते हैं वे हड्डारोड़ी से हड्डियों को उठाकर उसमें डाल देते हैं जिससे पानी बहुत भारी अन्हाइजेनिक हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि प्लान के साथ-साथ उस वाटर वर्क्स की चारदीवारी का प्लान भी उनके साथ किया जाए।

पुराने वाटर वर्क्स जो बने हुए हैं, उनके स्टोरेज टैंक्स या तो डैमेज हो गये हैं या आबादी के हिसाब से कम पड़ रहे हैं। नरेगा के अन्दर डिग्गियों की खुदाई हुई है लेकिन वे बन नहीं पा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, नई डिग्गियों का उसके साथ-साथ प्रावधान किया जाए और जो पुरानी डिग्गियां हैं, पुराने जो स्टोरेज टैंक्स हैं, उनकी मरम्मत के लिए व्यवस्था की जाए, उस प्रोजेक्ट के साथ।

मेरा यह निवेदन था कि जब अधिकारियों से बात होती है तो हर बात पर कोई न कोई टेक्निकल बात आ जाती है, कोई टार्गेट का मामला होता है या क्या होता है। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उसका थोड़ा सरलीकरण करके करें। अभी मैं पिछले दिनों एक गांव में गया तो टंकियों की बहुत बुरी हालत हो रखी है, वो स्कीम में नहीं आ रही है। तो थोड़ा सरलीकरण किया जाए ताकि लोगों को पूरा पानी मुहैया हो सके।

फिल्टर रिजोल्यूशन के मामले में, पुराने फिल्टर बने हुए हैं; चॉक है, फिल्टर मीडिया जो है, वह बहुत पुराना हो चुका है। तो फिल्टर मीडिया के लिए अलग से उसके साथ, अधिकारीगण आपके निर्देशानुसार व्यवस्था करें, यह मेरा निवेदन है।

हमारे यहां कई पुरानी नहरें हैं, नहर से वाटर वर्क्स तक पानी आने के लिए जो चैनल बने हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं, उनमें पानी दूषित होता है। उसमें हर प्रकार के, आदमी हाथ-पैर धोते हैं, कुत्ते उसमें बैठते हैं, नालियां टूट जाती हैं। तो उनको पाइपलाइन से जोड़कर पानी सीधा वाटर वर्क्स के स्टोरेज के अन्दर जाए। गांवों के अन्दर जो कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको पंजाबी में रोड़ियां बोलते हैं, हमारे यहां अकूड़ियां बोलते हैं, हर गली के अन्दर वे रहती हैं और जब बरसात का पानी आता है तो सारा का सारा पानी उसमें जाता है। तो

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मेरा निवेदन है कि वाटर वर्क्स की सभी नालियों को पाइपलाइन से जोड़ दिया जाए ताकि उसमें लोगों को साफ पानी मिल सके, वाटर वर्क्स के अन्दर जा सके।

आज आबादी के अनुसार वाटर वर्क्स से वाटर सप्लाई होता है, उसका पूरा प्रेशर नहीं बनता और पूरा प्रेशर नहीं होने की वजह ओवरहैड टैंक्स, आपके नार्म्स के मुताबिक दो हजार की आबादी तक ओवरहैड टैंक्स बन सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ओवरहैड टैंक्स में थोड़ा रिलेक्सेशन दिया जाए तो पानी की आपूर्ति प्रेशर के साथ हो जाए और आम आदमी को मिल सके।

इनके अलावा भी, बार-बार हर काम के लिए आपसे निवेदन कर दिया जाता है, और भी कोई बात होगी तो आपसे निवेदन करेंगे। इसका जितना सरलीकरण हो सके, आम आदमी को शुद्ध और साफ पानी मिल सके, पूरी तादाद में पानी मुहैया हो सके, इसके लिए आप कृपया व्यवस्था करायें।

माननीय सभापति जी, गत चार वर्षों में आई जी एन पी सहित जल संसाधन की अनेकों परियोजनाओं पर 2,630 करोड़ रुपये खर्च कर करीब दो लाख हैक्टेयर्स में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट वर्ष 2013-14 में अतिरिक्त 43 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सरहिन्द फीडर के बैकफ्लो, जो कि भाखड़ा नहर प्रणाली के किसानों की बहुत पुरानी मांग थी, तो बुर्जी संख्या 441.5 पर क्रोस रेग्यूलेटर का निर्माण, 5 करोड़ रुपये लगाकर बनाये जाने की घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आई जी एन पी (प्रथम चरण) तथा भाखड़ा परियोजना के 650 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ करने प्रस्तावित हैं। हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में 460 करोड़ रुपये की लागत से 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सी ए डी द्वारा पक्के खाले बनाये जाएंगे जो क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी मांग थी और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की नहरों के लाइनिंग के जो कार्य हुए हैं, मैं सरकार का, माननीय मुख्य मंत्रीजी का, सिंचाई मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे यहां एस डी एस नहर के पक्का होने से 25 मोगों के किसान लाभान्वित हुए हैं, टेल पर पानी पहुंचा है। पी टी पी नहर 11 करोड़ रुपये लगाकर पक्की की गई है और इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 20

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मोगे लाभान्वित हुए हैं। 'एफ' नहर में 'एल' माइनर आफटेक बनने से 9 मोगों को लाभ मिला है। एम एल नहर खक्खा हैड पंजाब बोर्डर से पक्की की गई है, आर डी 0 से 17 तक 2.65 करोड़ रुपये लगाकर। (व्यवधान) आप कहो तो मैं बन्द कर दूं, आप बोलो, आपको कौन रोकता है? इसमें 'ए' माइनर बड़ी, 'बी' माइनर बड़ी, 'सी' माइनर बड़ी के 21 मोगों के किसान लाभान्वित होंगे।

गंगानगर शहर के बीच में प्रवाहित होने वाली 'ए' माइनर की पिछली बार बात उठी थी कि बहुत दूषित पानी है, तो उसको साढ़े चार करोड़ रुपये लगाकर पक्का और कवर करने का काम शुरू हो गया है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनकी तरफ माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। एम एल ए नहर है पाकिस्तान बोर्डर पर खक्खा और कोठा गांव के 4-5 मोगों की एक नहर है जो तारबंदी के बीच में से जा रही है, किसान उसके अन्दर पानी लगाने के लिए नहीं जा सकते। समय उसका दोपहर का है और बी एस एफ के लोग उसके अन्दर जाने नहीं देते। उस नहर को तारबन्दी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। मैं जब भी गया हूं, पिछली बार मेरे साथ एम.पी. साहब भी थे, तो उस समय बार-बार किसानों ने एक ही बात कही कि इस नहर को बाहर निकाला जाये ताकि हमारे खेतों में आवपाशी हो सके।

एचनहर का 20 आर डी से 60 आर डी के बीच में कच्चा पोर्शन बचा हुआ है, उसको पक्का करवाया जाये। हैड रेग्यूलेटर्स बनाये जायें, बाइफर्केशन हैड, साधुवाली हैड, नेतरवाला हैड, शिवपुर हैड।

दूसरी बात, मैं एक और थोड़ा सा निवेदन करूंगा, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, जब ड्रेनेज एक्ट बना था, आप पधारे थे, मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था, किसान के छोटे-मोटे काम, मोगे के, खाले के, नक्के के काम करवाने के लिए वहां लोकल अधिकारियों को पावर्स थीं। गत दो वर्ष पहले सरकार ने वे पावर्स लेकर यहां डाइवर्ट कर दीं। अब किसान को छोटे-छोटे कामों के लिए, एक नक्का भी तरमीम कराना है तो उसको जयपुर भागना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जो पावर्स विदड्रा की गई हैं, उनको वापस डेलीगेट की जायें; एक्ट के तहत जो पावर्स थीं, वे वापस उनको दी जायें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री संतोष कुमार सहारण)

एक सैकण्ड ओनली, ज्यादा नहीं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं लिंक चैनल के बारे में। जब गंग कैनाल बनी, उस वक्त पानी प्रवाह करने के लिए लिंक चैनल बनाई गई थी। जब लिंक चैनल बनी थी, अलोंग विद द लिंक चैनल, पूरे विधान सभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर लम्बाई में सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल्स लगे थे। अब लिंक चैनल बंद हो चुकी है, मैंने पिछली बार भी बोला था, मैंने निवेदन भी किया था, उस लिंक चैनल में चाहे पानी प्रवाहित किया जाये, चाहे पानी उसमें हैड-अप किया जाये। उसमें दो फायदे होंगे, एक तो फिशरीज डवलप होगी और ट्यूबवेल्स रिचार्ज होंगे और हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, किसान खुशहाल होंगे। मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर लिंक चैनल को दुबारा रिवाइव करने के लिए...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): ...एक मिनट, सर। एक बात और कहनी है, साधारण सी बात है। भाखड़ा के के एस डी सिस्टम में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। के एस डी सिस्टम के अन्दर के आर डब्ल्यू, बी एन डब्ल्यू और बी जी एस, ये नहरें बनने वाली हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

गंग नहर फीडर के निर्माण की तैयारी हो रही है। इसमें मेरा कहना है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की जो बंधी ली जाने वाली है, वह 40 दिन की बजाय अगर 30 दिन ले ली जाये तो आगे पानी की दिक्कत नहीं आयेगी। जब फीडर की नहर का काम शुरु हो तो अपर-रीच में किसानों को पानी दिया जाये और जब नहर बन जाये तो अपर-रीच के बजाय आगे वालों को पानी देकर काम चल सकता है, यह मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब आप।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): बड़ी नहरें जो जितनी पुरानी बनी हुई हैं, उनके अन्दर झाड़-झंखाड़ दुनिया भर के हो गये, घास पैदा हो गई, दरख्त पैदा हो गये, वे पूरी डैमेज होने को जा रही हैं। वे असेट्स हैं हमारी। उनके रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए व्यवस्था की जाये।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इलाके के किसानों को लाभान्वित करें।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी नाम है, खड़ा हूं मैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, आपको इजाजत नहीं है। मैं नाम बोल चुका हूं, कृपया विराजिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): नहीं, नम्बर मेरा है उस लिस्ट में।

श्री सभापति: मुझे आपके सचेतक महोदय ने जो लिखकर दिया है, उसके अकोर्डिंग, मैंने उनकी बात मानी है। बैठिये आप।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ऐसा है, इस अन्याय को हम तो सहन नहीं करेंगे। नम्बर काटा गया है। हम वाक-आउट करते हैं। नहीं बोलना।

श्री सभापति: बैठिये आप। आप बैठिये। श्रीमती अनीता सिंह।

(माननीय सदस्य, श्री विजय बंसल ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज की मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई की व्यवस्था पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगर में 85 प्रतिशत गांव फ्लोराइडयुक्त हैं। वहां पर पीने का पानी खारा है, इसलिए बहुत ही कम योजनाएं पानी की मेरे क्षेत्र में बनती हैं। जहां मीठा पानी हो, यह तो गांव की पुरानी परम्पराओं के अनुसार, वहां पर हर गांव में उन्होंने पोखर खोद रखे हैं जिनमें वर्षा का जल जमा हो जाता है और जिसके आसपास कोई हैण्डपम्प या कुआं खोद लेते हैं जिसकी वजह से पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है, नहीं तो उन गांवों के अन्दर स्थिति ऐसी है कि पीने के पानी की उपलब्धता के लिए यहां-वहां भटकना पड़ता है। जिस वर्ष वर्षा का जल कम आता है, इन्द्र देव की मेहरबानी कम होती है तो हमारे यहां पीने के पानी की त्राहि-त्राहि सी हो जाती है, बहुत विशेष परेशानी हो जाती है।

इस बजट के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर के भी गांवों को चम्बल के पानी से जोड़ने की योजना है लेकिन योजना का जो इन्होंने बजट रखा है, 721 करोड़ रुपये, वह मुझे लगता है कि बहुत कम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों तक चम्बल का पानी आना, इस बजट से तो मुझे नहीं लगता कि यह सम्भव हो पायेगा क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, 3-4 महीने बाद जब चुनाव की आचार संहिता लग जायेगी तो उसके बाद मुझे लगता भी नहीं कि प्रशासनिक स्वीकृति इसकी हो पायेगी, वित्तीय स्वीकृति की बात तो बहुत आगे बढ़ जाती है।

(श्रीमती अनीता सिंह)

फिर भी मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं। मेरे यहां पर दो जी एल आर बने हुए हैं सीकरी में और सुंदरावली में। दोनों इतने जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं कि वे कभी भी टूटकर, गिरकर, वहां आसपास के क्षेत्र में गांव वाले रहते हैं, उनको नुकसान करा सकते हैं। उनके विषय में कई बार, चीफ इंजीनियर के स्तर पर भी लिखकर दिया है और बात भी की है, मंत्रीजी के स्तर तक मैंने पत्र को भिजवाया है। तो मैं चाहती हूं कि उन टंकियों को उतारकर, उनके लिए नया बजट होकर वहां पर टंकियां स्वीकृत हों, जिससे वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था पूर्ण हो सके।

एक बात और कहना चाहती हूं कि मेरे यहां एक पंचायत है सीकरी, वह कस्बा भी है, उसके अन्दर पेयजल की जो व्यवस्था है, उसके लिए तीन-तीन दिन में एक दिन पानी आता है। निहाम से पानी पाइपलाइन से वहां आता है, लेकिन उसमें भी खारा पानी मिलाकर सप्लाई करते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि कम से कम कस्बों में तो हर रोज पीने के पानी की उपलब्धता हो, हर रोज उनको पीने का पानी मिल जाये। तीन-तीन दिन इंतजार करने पर भी पीने का पानी मिलता है, उससे आम जन बहुत त्रस्त रहता है, परेशान रहता है।

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, मेरे यहां 85 प्रतिशत गांव फ्लोराइड वाले हैं, जो फ्लोराइड वाले गांव हैं, वहां पर 40-50-60-70 और ज्यादा से ज्यादा 100 तक का मीठा पानी होता है। तो वहां पानी की जो अवेलेबिलिटी रहती है, वहां कोई बड़ी स्कीम तो नहीं बन सकती है लेकिन सिंगल फेज की हैण्डपम्प स्कीम और ट्यूबवैल वहां अगर लग जायें तो पीने का पानी एक वर्ष का और दो वर्ष का उनमें से गांव वालों को उपलब्ध हो जाता है।

मुझे बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले दो-तीन सालों से पीएचईडी से, जलापूर्ति विभाग की ओर से वहां पर कोई भी हैण्डपम्प या सिंगल फेस नहीं लगे। जो वहां सिंगल फेस हैण्डपम्प सेंक्शन हुए हैं, वे ज्यादातर एससी और एसटी के रहे या माइनोरिटीज के रहे लेकिन उसमें भी हमारे यहां एक राइडर लगा दिया कि यह जो 60 से नीचे के अगर होंगे तो सिंगल फेस के खुदेंगे, वरना नहीं होंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे यहां डार्कजोन को देखते हुए, खारे पानी की उपलब्धता को देखते हुए कि

(श्रीमती अनीता सिंह)

60-70 से नीचे, 100 के नीचे तो हमारे यहां पानी है ही नहीं, पीने के लायक ही नहीं है, इतना खारा पानी है, इसलिए वहां पर उस राइडर को हटा लें और हमारे यहां सिंगल फेस और ट्यूबवैल की व्यवस्था जो है, वह 60 और 70 तक भी अगर होने लग जाये तो लोगों को पीने का पानी ठीक उपलब्ध हो जायेगा। मैं मंत्रीजी से मांग भी रखना चाहती हूं कि मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प और सिंगल फेस कम से कम 105 गांव ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, बिलकुल पीने का पानी नहीं है तो अगर एक-एक गांव में दो-दो हैण्डपम्प भी दें, 210 हैण्डपम्प सिंगल फेस वहां दें तो उससे भी पीने के पानी की बहुत सारी व्यवस्था हो सकती है।

एक मेरे यहां रविदासपुरा गांव है, जिस गांव के अन्दर पानी की टंकी बनी हुई है और बहुत सारी पोचरी जो सामने गांव है उससे उसकी पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन मेगा हाइवे बनना था, वह नहीं बनने के कारण, उसको नहीं खोदने के कारण, उसकी अनुमति न मिलने के कारण, बहुत सारे गांव हैं जिनको इधर से उधर पानी जाना है, वे उस वजह से रुके हुए हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसकी भी पी डब्ल्यू डी से आपको परमिशन चाहिए, वह परमिशन लेकर कम से कम पानी को सब जगह, छोटे गांवों में आ सके, इस प्रकार की व्यवस्था करें।

एक डाबक गांव है जिसमें मीठे पानी की उपलब्धता है, मैं चाहती हूं कि उसमें कोई पानी की टंकी की, जी एल आर की योजना बने जिससे उसमें पानी आ सके।

एक गांव है मेरे यहां पुनाय, इसके अन्दर पीने के पानी की कोई उपलब्धता नहीं है। वहां पर जो हैण्डपम्प भी थे, कुएं भी थे, सब खारे हो गये, कहीं नहीं हो पाता, तो मेरा निवेदन है कि वहां के लिए कोई सिंगल फेस कर दें। सिंगल फेस नहीं करें तो एक और योजना मेरे यहां हो सकती है, कि वहां कोई आर.ओ. सिस्टम लगा दिया जाये, जिससे उसका फ्लोराइड और खारापन हट जाये। तो जगह-जगह, बड़े-बड़े गांवों में आर.ओ. सिस्टम हो जायें तो उससे कम से कम पीने का पानी तो गर्मियों में वहां उपलब्ध हो सकता है। यह एक मेरे यहां बहुत अच्छा है क्योंकि चम्बल का पानी कब आयेगा, कब पीयेंगे, कब कोई बात होगी, उसकी तो मैं नहीं कह सकती। आज अपने क्षेत्र में भी जाकर, बजट में घोषणा हो गई, उसके बाद भी मैं क्षेत्र में जाकर इस बात को नहीं कह सकती कि चम्बल का पानी आयेगा। क्योंकि अब चुनाव आ जायेंगे, उसके

(श्रीमती अनीता सिंह)

बाद नवम्बर के अन्दर तो लोग पूछेंगे, चम्बल का पानी कहां है? हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए यह जो योजना है, कागज में जो लिखा है, वह कागज में ही है। जो उनको उपलब्ध हो सकता है, गर्मियां आने वाली हैं, उसके हिसाब से जो पानी उपलब्ध हो सकता है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए।

नगरपालिका, नगर कस्बे के अन्दर कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पी एच ई डी द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे नगर कस्बे में भी खारा पानी है, उसमें भी जालूकी से और भटकूरा से पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है लेकिन उस पानी की ऐसी स्थिति है कि सब जगह वह नहीं जा पा रहा है। मेरा निवेदन है कि पाइपलाइन कुछ नगर शहर के लिए हो, जो नगर शहर में ही रहते हैं, जिनका नियमितीकरण शहर के अन्दर ही है, उनके लिए पीने की पानी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से परेशानी ज्यादा हो जाती है। वहां पर कुएं भी नहीं हैं। वे कहां पर जायेंगे और कहां से पानी पीयेंगे? इसलिए वह पाइपलाइन आप नगरपालिका, नगर शहर के लिए सैंक्शन करें। कम से कम 6 वार्ड ऐसे हैं जहां पाइपलाइन नहीं होने की वजह से पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है। वहां पाइपलाइन डालें ताकि वहां पीने के पानी की उपलब्धता हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं सिंचाई के ऊपर कुछ कहना चाहती हूं। हमारा जो भरतपुर जिला है, वह जिला इस प्रकार से बना हुआ है कि उसमें अगर बाहर से नदियों का पानी आ जाता है तो पानी की व्यवस्था हो जाती है। उसमें खुद में तो पेयजल ही नहीं उपलब्ध है तो सिंचाई की हम क्या बात कर सकते हैं! मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में थानागाजी से रूपारेल नदी आती है, जो वहां से आकर के सीकरी डैम में डलती है। उसकी 21 कैनाल ऐसी हैं जिनसे निकलकर पूरे भरतपुर जिले में पानी जा सकता है। लेकिन हमें हमेशा इस बात की परेशानी रहती है कि जब वह थानागाजी में जयसमंद बांध से चलती है तो बीच में इतने सारे बांध बना दिये गये हैं, पहले ही बरसात कम होती है तो पानी कम आता है और इतने सारे बांध बन गये हैं जो सारे अवैध रूप से बनाये गये हैं पंचायतों के द्वारा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि वे जो बांध अवैध रूप से बनाये गये हैं, उन सबको तोड़ा जाये जिससे रूपारेल का पानी सीकरी डैम में आ सके।

सभापति महोदय, भरतपुर में जितनी भी पानी की परेशानी है, वह

(श्रीमती अनीता सिंह)

इसलिए है, हमारे यहां तीन नदियां, गम्भीर, बाण गंगा और रूपारेल का पानी आता था, जब इनका पानी आता था तो पूरे भरतपुर में पीने के पानी के साथ सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाती थी लेकिन फिलहाल जब से ये बांध बन गये बीच-बीच में, इनकी वजह से पानी नहीं आ पा रहा है।

मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि जो सीकरी डैम है, यह स्टेट टाइम का डैम है, यह इतना अच्छा डैम है कि आज की तारीख में भी अगर इंजीनियर्स उसको देखने जायेंगे और समझेंगे तो वैसा डैम आज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आज उसको बना नहीं सकते। वह डैम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जा रहा है। उसके ऊपर अतिक्रमण भी हो रहे हैं। हाई कोर्ट के भी आर्डर हैं कि इसके अतिक्रमण को हटाया जाये, इस बांध को जो 1952 की स्थिति थी उसमें लाया जाये लेकिन वह उस स्थिति में नहीं आ पा रहा है। अगर उस डैम के ठीक तरह से दरवाजे लग जायें, ठीक तरह से उसकी व्यवस्था हो जाये तो उससे बहुत सारे क्षेत्र में फायदा हो सकता है।

मैं तो सिंचाई मंत्री महोदय से एक मांग रखना चाहती हूं कि हमारे यहां जो गुड़गांव कैनाल है, वहां से जो पानी हरियाणा से आता है जिसमें हमारा हिस्सा है, हरियाणा से जो हमारा पानी का हिस्सा है, वह बिलकुल नहीं आता है। हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष यमुना में बाढ़ आयी और पूरी दिल्ली में दिक्कत हुई, यमुना का जो पानी हमारे यहां आना था, लेकिन एक टपका भी पानी नहीं आया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि हरियाणा से जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसको लेने की हमारी क्षमता आज भी नहीं है। 1994 में हमारा समझौता हुआ था कि हमें इतना क्यूसेक्स पानी मिलेगा, हमारा एम ओ यू भी साइन हुआ, सब कुछ हुआ लेकिन लेने की क्षमता हम आज तक भी वहां बिल्ड नहीं कर पाये। ढाई करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट को देने के बाद आज भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था की ओर भी आप ध्यान दें कि हमारा जो गुड़गांव चैनल का पानी है, वह पूरा हमको मिले। गुड़गांव चैनल से लिफ्ट करके पानी को अगर सीकरी डैम में डालेंगे तो इससे नगर ही नहीं, कामां, डीग, नदबई, कुम्हेर और भरतपुर तक यह पानी जायेगा, जिससे पेयजल भी होगा और सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी। राम राम सा।

श्री सभापति: मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी-अभी जो माननीय सदस्य, श्री विजय बंसल गये, उसमें सही बात यह है कि आसन को

(श्री सभापति)

यह सुझाव सचेतक महोदय देते हैं और इनका सुझाव किसी हद तक ठीक भी था कि पहले महिलाओं को बुला लिया जाये। आसन ने अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए महिला सदस्य का नाम ले दिया। लेकिन साथ-साथ मेरा यह निवेदन है, सचेतक महोदयों से भी कि वे भी आपस में बातचीत करके, उनकी कंसेंट लेकर ही कोई नाम दें तो अच्छा रहेगा। आगे से कोई भी नाम देंगे तो वे राइटिंग में लिखकर देंगे, तभी यह आसन उस बात पर अपना फैसला देगा।

श्रीमती कमला कस्वां।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल और मांग सिंचाई 46-सिंचाई पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जिस प्रदेश की जनसंख्या देश की 5 प्रतिशत हो और 18 प्रतिशत जिसका पशु धन हो, उसको 1 प्रतिशत से कम पेयजल उपलब्ध होने पर पानी पिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वह चुनौती केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी है। दोनों के सहयोग से ही हम इस भयंकर समस्या का सामना कर सकते हैं, कोई हल निकाल सकते हैं।

सभापति महोदय, आज जो पानी हमको उपलब्ध है, उसको हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और हमारे पशु धन को पिला सकें, इसके लिए सरकार ने जो जल नीति बनाई, वह जल नीति 3 बातों पर स्ट्रेस डालती है, संवर्धन, संरक्षण और प्रबंधन। पानी का संरक्षण अगर हम अच्छी तरह कर पायें, उसको रोक सकें, उसकी मात्रा को बढ़ा सकें और उसमें हमारा प्रबंधन ठीक हो तो हमें बहुत कुछ इस समस्या से निजात मिल सकती है।

सभापति महोदय, क्योंकि आप समय बहुत कम देंगे इसलिए मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में कहना चाहती हूं। पूरे देश में महात्नरेगा, जिसको मनरेगा बोल रहे हैं, वह योजना लागू है, हमारे राजस्थान में भी वह योजना लागू है। मनरेगा को अगर हम पेयजल और कृषि से जोड़कर उसमें काम करायें तो काफी हद तक समस्या का हल हो सकता है। आज मनरेगा के अन्दर जो कुंड दिये जा रहे हैं, वे बी पी एल को दिये जा रहे हैं। बी पी एल को स्वीकृति मिलने पर आधे से अधिक लोग कुंड नहीं बनाते और वह पैसा व्यर्थ ही चला जाता है, वह काम में नहीं आता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि

(श्रीमती कमला कस्वां)

मनरेगा के अन्दर सामान्य व्यक्ति भी कुंड बना सके तो हमें गांवों के अन्दर पानी को रोकने का एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध होगा, वर्षा का जल संचय किया जा सकेगा। विशेषकर मेरे क्षेत्र में, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, पूरा जोन डार्क जोन घोषित हो चुका है, क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं खत्म हो चुकी हैं, सरफेस का पानी हमारे यहां आता नहीं है, इसलिए अगर इन कुंडों को आप मनरेगा में सामान्य श्रेणी के लोगों को देने की योजना आप जोड़ें और कृषि को भी इसके साथ जोड़ें तो मैं समझती हूं कि इससे काफी समस्या का हल हो सकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई भी योजना आप बनायें, 84 योजनाओं का वर्णन किया है वक्ताओं ने, सत्ता पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी लेकिन वे योजनाएं अगर समय रहते पूरी होती हैं तो उनकी लागत भी कम आती है और उसका लाभ भी जनता को समय पर मिलता है। मेरा अनुरोध है कि जो भी योजनाएं, विशेषकर मेरे क्षेत्र की भी एक योजना है, बूंगी राजगढ़ जलप्रदाय योजना, आज 1 साल हो गया स्वीकृत हुए, अभी तक उसमें 1 पाइप भी नहीं डला। अगर वह समय रहते पूरी हो तो क्षेत्र की जनता को उससे लाभ मिल सकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्षा का और वन का आपस में चोली-दामन का साथ है; जब तक वन ज्यादा होंगे, पेड़ ज्यादा होंगे तो बरसात ज्यादा होगी; ज्यों-ज्यों वन कटेंगे, ज्यों-ज्यों पेड़ कटेंगे तो वर्षा के प्रतिशत में कमी होती जायेगी। आज राजस्थान के अन्दर यह हालत है कि जहां भी मेगा हाइवे और नेशनल हाइवे बने हैं, वहां हजारों की संख्या में पेड़ कटे हैं। मैं जब राजगढ़ से जयपुर आती हूं तो सीकर, रींगस के बीच में मेगा हाइवे बन रहा है, सैकड़ों की संख्या में जगह-जगह पेड़ कटे हैं लेकिन 1 पेड़ नहीं लगा। अगर आप पेड़ कटवाते हैं आपकी किसी योजना के लिए तो उससे दुगनी मात्रा में आप पेड़ लगायें तो मैं समझती हूं कि हमारा वन क्षेत्र कम नहीं होगा।

'हरियाला राजस्थान' के नाम पर सैकड़ों पेड़ लगाने की एक योजना बनती है, लाखों रुपया उस पर खर्च होता है। 1 साल के अन्दर वे पैसे दिये जाते हैं, दूसरे साल एक भी पेड़ नहीं दिखता और फिर वापस पैसे दिये जाते हैं। हम 'हरियाला राजस्थान' की योजना में जो पैसा वन विभाग को दे रहे हैं उसकी आप मानिटरिंग करें। पेड़ लगें, जीवित रहें और उनकी संख्या बढ़े, यह भी हमको देखने की जरूरत है। इससे वर्षा का पानी हम सुरक्षित कर पायेंगे।

(श्रीमती कमला कस्वां)

सभापति महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, इनके नीचे चट्टानें हैं जिनसे यह पता लगा है कि वे विलुप्त हुई सरस्वती की अवशेष हैं। सरकार इस पर बात करे, नदियों को जोड़ने की बात जो अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कही थी वह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सरस्वती नदी को ऊपर लाने का काम हम करें तो इतना पानी है, इतना पानी है कि पूरा राजस्थान पानी पी सकता है, हमारी समस्या सदा के लिए हल हो सकती है। इस प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत जरूरी है, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करती हूं।

अब बात मैं अपने क्षेत्र की करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र का पूरा-पूरा भाग डार्क जोन में है। पानी की सप्लाई की जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं, चांदगोठी से राजगढ़, चांदगोठी से जनाऊ मीठी होते हुए सांखू तक, बूड़ाबास से कालोड़ी तक, और क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं जैसे कुओं से पानी लाना या कुण्ड या तालाब, और दूसरी योजना जो है जो कि शहर को पानी पिलाती है; वह है भलाऊ टीबा, बूंगी से राजगढ़, आज हालत यह है कि मेरे नगरपालिका क्षेत्र में 17 दिन बाद आज पैंतालीस मिनट के लिए पानी आया। आप तीन-तीन दिन की, दो-दो दिन की बात कर रहे हैं, मेरी आंखों में पानी आया कि मेरा क्षेत्र तो 17-17 दिन तक पानी का प्यासा है और लोग दो-दो दिन के लिए अपनी गाथा गा रहे हैं।

तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उस लाइन को जो लाइन 2009 में भलाऊ टीबा से बूंगी के लिए स्वीकृत हुई 746 लाख की, वह आज दिन तक डेढ़ किलोमीटर शेष है, उसका कार्य पूरा नहीं हुआ जिसके कारण से मेरे राजगढ़, ढंढाल खेता और लुटाना पूरण के हैड खत्म पड़े हैं, बंद हैं, एक बूंद पानी नहीं आता है और ये सारे के सारे वाटर वर्क्स जो हैं, सूखे हैं और इनसे जुड़े हुए सब गांवों में आज चार साल हो गये, एक बूंद पानी नहीं आया। राजगढ़ की तो यह हालत है कि पिछली बार जब मुख्य शासन सचिव, अहमद साहब थे तो वे खुद आये थे, देख करके गये कि पानी की, गंदे पानी की डिग्गी में पाइपलाइन आई हुई थी और गांव के लोग, शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर थे। मैं उनको वहां लेकर गई और वह लाइन वहां से हटी और वह समस्या का समाधान हुआ।

(श्रीमती कमला कस्वां)

शहर के अन्दर छह कुएं हैं, दो कुएं चल रहे हैं, चार कुएं बंद हैं। ऐसी स्थिति में पानी पीये तो पीये कैसे? चांदगोठी से राजगढ़ जो पानी आता है, वह आज चार साल हो गये, एक बूंद पानी नहीं आया। पीछे के गांवों में ही वह चला जाता है, चोरी हो जाता है या अवैध कनेक्शन होते हैं या गांव की सप्लाई, इसी से ही पूरी हो जाती है।

आपने एस सी, एस टी बस्तियों में सिंगल पाइंट बनवाये, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने गरीब मोहल्लों के अन्दर यह समस्या का हल करने का प्रयास किया लेकिन आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि सिंगल पाइंट का जब आप सैंक्शन निकालें, उसी के साथ उसका डिमाण्ड नोटिस भी एप्लाई करवायें बिजली वालों को ताकि साथ ही साथ बिजली का कनेक्शन भी हो जाये और लोगों को राहत मिले। आज मेरे क्षेत्र में जितने भी सिंगल प्वाइंट बने हैं, शहर के अन्दर 37 सिंगल पाइंट बनाये लेकिन एक का भी कनेक्शन नहीं हुआ। यह बहुत गलत बात है। इस पर आप ध्यान देकर शीघ्रातिशीघ्र डिमाण्ड नोटिस जारी करवाकर उसके कनेक्शन करवायें।

दूसरी बात, पिछले बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हम सबमर्सिबल सेट की मरम्मत नहीं करवायेंगे, नये सबमर्सिबल सेट देंगे ताकि उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव ना हो और गांव वालों को समय पर पानी मिल सके। आज हालत यह है कि मेरे गांव के, ऐसे कितने गांव हैं, रामपुरा, भरिंठा, नवां, रबूडी, और भी, नन्दे का बास, नेसल, कि जहां कुओं की मोटर जले हुए तीन-तीन महीने हो गये। पुरानी मोटरों की आप मरम्मत नहीं करवाते, नई मोटरें आप उपलब्ध नहीं करवाते। तो जाये तो जाये कहां? पानी कैसे पियें। आपने घोषणा की है, उसकी अगर आप पूर्ति नहीं करा सकते तो बराये मेहरबानी, जो मोटर खराब हो गई हैं उनकी मरम्मत कराने के आप आदेश निकलवायें ताकि जनता को राहत मिल सके।

अंत में, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी, मांग संख्या 46-सिंचाई के बारे में मैं बोलना चाह रही हूं दो ही मिनट, कि मेरे क्षेत्र के सिर्फ चौदह गांव सिद्धमुख क्षेत्र के, वे सिद्धमुख नहर से जुडे हुए हैं और आज चार साल हो गये, हर रेग्यूलेशन की मीटिंग में मैं जाती हूं, हर रेग्यूलेशन की मीटिंग में यह तय होता है कि टेल एण्ड तक पानी पहुंचायेंगे, पानी की चोरी रोकेंगे, मैंने स्टार्ड क्वेश्चन भी लगाया, उसका भी जवाब आया कि हमारे हक का, 564 क्यूसेक्स

(श्रीमती कमला कस्वां)

के बारे में, बदले में हमको सिर्फ 280 क्यूसेक्स पानी मिलता है और वह 280 क्यूसेक्स पानी भी हमारे गांवों को नहीं मिल पा रहा क्योंकि आज दिन तक खाले, नालों का निर्माण नहीं हुआ। आज तक वे अधूरे पड़े हैं और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो पानी मिलता भी है, वह पीछे के गांव के अन्दर गांव वाले ट्रैक्टर के ऊपर इंजन लगाकर, मोटे-मोटे पाइप लगाकर पानी खींच लेते हैं और हरियाणा में बेच देते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): दो ही मिनट। और पूरे का पूरा पानी चला जाता है, गांव वाले ठगे से रह जाते हैं कि आया पानी, आया पानी। आंखों में पानी आ रहा है, खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। चोरी के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें एक में भी कार्यवाही नहीं हुई, अलावा पाइप जब्त करने के। दस दिन बाद, पन्द्रह दिन बाद जब थाने में जगह नहीं रहती तो वे नीलाम हो जाते हैं और वही किसान वे पाइप वापस ले जाते हैं। समस्या जस की तस है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे हक का पूरा पानी दिलायें; हमारे खालें, नाले बनवायें और हमारे क्षेत्र में होने वाली चोरी को प्रभावी ढंग से आप रोकें। इतना ही मेरा निवेदन है।

आखिर में दो ही लाइन कहना चाहती हूं कि जल ही जीवन है। हर प्रत्येक आदमी अगर दूसरे आदमी का ख्याल रखे, उसको समझाये तो हमारी यह समस्या हल हो सकती है, हम पीने के पानी के लिए आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्या की आंखों का पानी, आप वाक्य तो सुन रहे हैं और आप गौर भी करियेगा।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मैंने कोई भी बात असत्य नहीं कही है, आप पता लगा सकते हैं।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाय? सदन की अनुमति हो तो बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का वक्त आठ बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री भगवान सहाय सैनी।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, बजट 2013-14 में राजस्थान के विभिन्न जिलों में विभिन्न परियोजनाएं 7796 करोड़ रुपये की प्रस्तावित की हैं। निश्चित रूप से तारानगर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि आने वाला युद्ध, विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा, बिलकुल सही फरमा रहे थे, पानी की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि बहुत भयंकर स्थिति है। इस योजनाओं में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत झुंझुनूं के 186 गांव, खेतड़ी के 85 गांव, खेतड़ी, गोठड़ा, बगड़, मण्डावा, झुंझुनूं शहर में भी पानी दिया जायेगा; जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, फागी तहसील के 646 समस्याग्रस्त गांवों को बीसलपुर-दूदू योजना से जोड़ा जायेगा; सांभर तहसील के 174 गांवों को बीसलपुर-दूदू परियोजना से जोड़ा जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, जलदाय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं पिछले दो साल से बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि चौमूं में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, चौमूं कस्बे का और पानी बाहर से लाना पड़ेगा, कोई और स्कीम बनायें। चौमूं कस्बे को बीसलपुर जल परियोजना से जब तक नहीं जोड़ा जायेगा, वहां पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। आने वाले समय में पानी की बड़ी किल्लत आने वाली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि चौमूं कस्बे को इन योजनाओं के साथ बीसलपुर जल परियोजना से जोड़ें।

आपने सांभर तहसील के 174 गांव इसमें लिये, माननीय मंत्री महोदय, जलदाय मंत्री महोदय, सांभर से बिलकुल लगते हुए हमारे आस्टी कलां, हस्तेड़ा, ग्राम पंचायत चारणबास आलेसर, यह फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र है, जहां फ्लोराइड पानी है, इनको भी सांभर के साथ लिया जाय। सांभर क्षेत्र से बिलकुल लगते हुए, सीमा बिलकुल लगती हुई है; जो सांभर के गांव आपने लिये हैं, उनमें और इनमें केवल सीमा ही है बीच में, कोई अंतर नहीं है। तो इनको भी इसमें जोड़ा जाये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय जलदाय मंत्री महोदय, एस टी, एस सी वर्ग के स्कूलों में, गांव में पी एच ई डी के नाम से सिंगल फेस बोरिंग लगाये। उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन इनके बिल, जब ये लगाये थे, कि एस सी, एस टी के बिल सरकार देगी और आज वे कह रहे हैं कि बिल खुद गांव वाले जमा कराओ। बहुत स्थिति खराब होती जा रही है, बीस-बीस हजार रुपये एक-एक सिंगल फेस बोरिंग के निकाले जा रहे हैं। तो यह पैसा सरकार ही जमा कराये और पी एच ई डी के नाम से जो गांवों में कनेक्शन हैं उनका पैसा भी सरकार दे और वे भी कह रहे हैं कि यह पैसा खुद दो। तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये की प्रत्येक गांव में डिमाण्ड कर रहे हैं।

माननीय जलदाय मंत्री महोदय, अधिकारियों की लीकेज पर बड़ी लापरवाही है। पाइपलाइनों की लीकेज नहीं निकाल रहे हैं और पानी व्यर्थ जा रहा है। पानी ही जीवन है, एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ, पानी सड़कों पर बहा रहे हैं और सड़कें खराब हो रही हैं। इसलिए लीकेज पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। लीकेज ठीक करने के लिए सामान भी नहीं है। नई मोटरें नहीं मिल रही हैं और पुरानी मोटरें सुधारने पर पाबंदी लगा दी। नई मोटरें एक-एक महीने तक ट्यूबवेल में नहीं रखी जाती हैं जिससे गांवों में बड़ी परेशानी होती है। चौमूं कस्बे में अधिकतर डायरेक्ट ट्यूबवेल से सप्लाई होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि नई बड़ी टंकियां रेललाइन रोड, बदनपुरा, भोजलाना, मगध विहार, तोपड़ा की ढाणी, सामोद रोड में निर्माण कराई जाएं।

पी एच ई डी का एक्स ईएन कार्यालय हमारा जयपुर है। हमने एक्स ईएन, चौमूं को कभी नहीं देखा। एडिशनल चीफ, एस ई भले ही वहां चले जाएं लेकिन एक्स ईएन को यही पता नहीं कि चौमूं के कौन से गांव में कहां पानी की समस्या है, कहां नहीं है। इसका मुख्यालय चौमूं में करने की कृपा करें जिससे कम से कम एक्स ईएन से जनता मिल तो ले।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि सामोद का राजाला बांध और मोरिजा में टोडी बांध, दो बहुत पुराने प्रसिद्ध बांध हैं जो काफी समय पहले टूट गए थे, इनका पुन: निर्माण करवाया जाए। इनके निर्माण कराये जाने से जल का स्तर बना रहेगा।

इसके अलावा, हमारे क्षेत्र में एनिकटों का निर्माण कराया जाए, जिससे जो पानी है, जयपुर में सब्जी, वगैरह चौमूं से आती हैं, यदि पानी की व्यवस्था ठीक-ठाक रही तो आगे भी आती रहेंगी और पानी ही नहीं रहेगा तो फिर

(श्री भगवान सहाय सैनी)

जयपुर वाले भी सब्जी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में एनिकट बनाये जाएं।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय विभाग की मांग पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और यह सत्य है कि आज के युग में पानी का बहुत अधिक महत्व है। देश में राजस्थान जहां सबसे बड़ा राज्य है, दस प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रफल का राजस्थान में है, पांच प्रतिशत लोग यहां रहते हैं मगर पानी यहां सिर्फ एक प्रतिशत है। इस एक प्रतिशत को किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

यह भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने शुरू से ही, जब पहले भी वे सरकार में आये थे, उन्होंने पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा था। जो नारे दिये उन्होंने, उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था कि 'बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ,' वह पानी बचाने का नारा इसीलिए दिया था।

अभी माननीय सदस्य यह विचार प्रकट कर रहे थे कि आने वाले समय में अगर कोई महायुद्ध हुआ तो पानी को लेकर के ही होगा। यह सत्य है कि संसार के आधे से अधिक मुल्क पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश में राजस्थान में भी पानी की बड़ी समस्या है, परन्तु कई योजनाएं बनाने, करने, धरने और लोगों को पानी पहुंचाने में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, उससे यह मालूम होता है कि जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन साधनों से जगह-जगह पानी पहुंचाने के लिए मुख्य मंत्रीजी प्रयत्न कर रहे हैं। अभी भी जो बजट दिया गया है, उस बजट में 3 हजार ढाणियों और गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की स्कीम है। जहां पर 600 एस.सी. के और 400 एस.टी. के और 150 की जो अल्पसंख्यकों की बस्तियां होंगी, जहां पानी के लिए उन लोगों को दिक्कत है, उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। 250 करोड़ रुपये नलकूपों और कुओं का जल स्तर गिरने पर उनको सुधारने के लिए और पानी की व्यवस्था करने के लिये दिये जाएंगे।

यह सत्य है कि राजस्थान में 249 ब्लाकों में से 31 ब्लाक ही

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

सुरक्षित हैं, बाकी ब्लाकों में पानी ले जाने की समस्या हो रही है। 20 हजार करोड़ रुपये की 85 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें 12 हजार 770 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, 31 शहर और 2 हजार 683 गांव इनसे लाभान्वित होंगे।

मानननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में मैं यहां अपने सवाई माधोपुर की बात इस मौके पर रखना चाहता हूं। यहां चंबल योजना से, आज यहां पर सब माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, बीसलपुर बांध की बात कर रहे हैं, चंबल नदी की बात कर रहे हैं, चंबल और बीसलपुर से पानी ले जाने की बात कर रहे हैं और उन शहरों की बात कर रहे हैं जिन शहरों का पानी इन बांधों से रुका नहीं है। सवाई माधोपुर एक ऐसा शहर है जिसमें चंबल नदी बगल से बहकर 42 किलोमीटर तक बहती है और 26-27 किलोमीटर पास से बनास नदी बहती है, बांध बनने के बाद में यह शहर और आसपास का क्षेत्र पानी से महरूम रह गया है। हमारा हक बनता है सबसे पहले कि अगर इन नदियों का पानी पहुंचाया जाए तो सवाई माधोपुर को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सवाई माधोपुर की समस्या को दूर करने के लिए एक पालीघाट पर पानी की योजना बनाई गई थी, उसमें 240.88 लाख रुपये की योजना बनाई गई थी और उसका सर्वे करके यह निर्णय लिया गया था कि सवाई माधोपुर के 215, करौली के 385, कुल 600 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे फेज में सवाई माधोपुर के 682 और करौली 385, कुल 1 हजार 67 गांवों को पानी पहुंचाया जाएगा। दुर्भाग्य है कि सरकार बदलते ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया और उसको उठाकर के मंडरायल ले जाया गया और 482 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना कारण जब यह सर्वे में आ चुका था कि पालीघाट में 2.36 क्यूसेक्स पानी है और 2.80 क्यूसेक्स मंडरायल में है, बराबर सा पानी था, इसका कोई कारण नहीं था कि उस योजना को वहां से उठाकर के मंडरायल में ले जाया जाए। दुर्भाग्य है कि उस स्कीम को चेंज कर दिया गया और वहां ले जाया गया। 2013 में वहां से पानी सवाई माधोपुर को देना था, आज सवाईमाधोपुर क्या, एक गांव को भी पानी वहां पर नहीं दिया गया है। अधिकारी और सारे लोग यह कहते हैं कि उस योजना से किसी भी सूरत में सवाई माधोपुर को पानी नहीं पहुंचेगा।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मैंने यह मांग उठाई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका सर्वे कराया। चीफ इंजीनियरों के साथ उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में एक रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट नकारात्मक थी। मैंने फिर दुबारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 करोड़ 31 लाख रुपया सर्वे के लिए मंजूर किये कि सर्वे करें ताकि सवाई माधोपुर, खण्डार, बौंली, खिरणी, मलारणा, मलारणा स्टेशन और मलारणा चौड़ इन स्थानों पर यहां से पानी मिल जाए और बाकी मंडरायल की स्कीम चलती रहे। यह स्कीम मंजूर करवाई।

मैं आपसे यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर पानी का स्रोत है, वहां से ले जाकर के 165 किलोमीटर दूर उस स्कीम को ले जाया गया। जो सदस्य यहां पर कह रहे हैं, अभी पूर्व मंत्री भी यह कह रहे थे कि हमारी स्कीम को यहां लगा दिया, पूरी दुनिया में कोई स्कीम ऐसी नहीं होगी, जो 42 किलोमीटर दूर पानी बह रहा हो नदी में और बारह मासी नदी हो, दूसरी तरफ से नदी निकलती हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्कीम नहीं हो सकती कि 165 किलोमीटर पानी बहता हुआ जाए और उसको वापस लाकर के यहां 42 किलोमीटर दूर में लाया जाए। यह कौनसी समझदारी थी? ये कौनसे इंजीनियर थे? यह कौन से सर्वे करने वाले लोग-बाग़ थे जिन्होंने वहां की जनता को प्यासा मारने का प्रयत्न किया? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए 29 बोर खोलने के लिए मंजूरी दी है। उनमें से 28 तो ठीक निकल गये और खुद गये हैं और जो बड़ी-बड़ी टंकियां रखी हैं, उनमें उन्होंने उनका पानी डालकर के इस शहर को पानी देने की स्कीम बनाई। अब थोड़े दिनों में अगर यह जाए तो यह स्कीम पूरी हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो हैंडपम्प और बोर खुद रहे हैं और जो आपकी स्थिति चल रही है, कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि उनमें क्या कमी है, मगर मैं आपका ध्यान में यह दिलाना चाहता हूं कि जो आपके ठेकेदार हैं, आपका जो कानून बना हुआ है वह कानून इतना लचीला और इतने मिले हुए लोग हैं कि इनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक उदाहरण देता हूं, पहली बार विधायकों को अस्सी लाख रुपये मिले, दूसरे साल एक करोड़ रुपये मिले। मैंने 1 करोड़ 85 लाख रुपये की स्वीकृति टाइम पर निकाल दी, ताकि हैंडपम्प और बोरिंग लग सकें। दुर्भाग्य है कि साल भर तक आपका

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

ठेकेदार उनको लगाने में असमर्थ रहा और हर तरह से लिखा-पढ़ी करने के बाद में भी उसने उनको नहीं किया। मैंने निवेदन किया कि इसको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाए, कई लोग कह रहे थे, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं घोषित करवाते, कर दिया और करने के बाद वह हाई कोर्ट में चला गया और स्टे लगवा दिया। हमारे 1 करोड़ 85 लाख रुपये जो जनता में लगने चाहिए थे, वे अटके रहे। फिर जब उसके खिलाफ फैसला हुआ, तो वही व्यक्ति, जिसका बेटा 'सी' ग्रेड में ठेकेदार था, उसको 'ए' ग्रेड करवा करके उसने दुबारा ठेके ले लिये और दुबारा भी वह नहीं कर सका। अब किसी तरह से वह मामला निपटा है।

इस तरह से, कानूनों से जो मुख्य मंत्री चाहते हैं कि हालात बदल करके लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, ये पैसा मिलता है उसका सदुपयोग हो, जिन लोगों के लिए पानी का महत्व है उनके लिए सब कुछ किया जाए, ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको सुधारा जाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से यह जो ठेका पद्धति है, इसका सर्वे करवाकर कि किन-किन को लगाने के बाद में भी ये क्यों नहीं लग पाये, वे आराम से लगें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर दुबारा वे सर्वे हो रहा है और सर्वे होने के बाद में आप यह करिये कि इस बार लालफीताशाही और अफसरशाही वहां पर सफल नहीं हो सके और उस पालीघाट योजना को इस तरह से करवाइये कि जो वर्षों से पानी के लिए तरसते हैं, लोगबाग, जिनके वे पानी के भण्डार हैं, उनके वहां पर पानी पहुंचे। इस तरह से उस सर्वे को जल्दी करवाइये, और जल्दी तब तक करवाइये, जब तक आपके आचार संहिता नहीं लग जाए। आपका बजट मंजूर किया हुआ है, सारे अधिकारी आपके पास में हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उस सर्वे का निर्णय आना चाहिए।

मुझे आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, कांग्रेस और बी जे पी के अलावा भी दल हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बुलवाना नहीं है तो मना करो, ताकि हम जाएं फिर।

श्री सभापति: कृपया विराजिये, आपको बोलने की इजाजत नहीं मिली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) नहीं तो कोई सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम कि रात के दो बजे तक लोगों को सुनकर फिर जाएंगे।

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तो मना कर दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बेनीवालजी, हम भी तो सुनते हैं, महिलाएं भी तो सुनती हैं न आपको।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, फिर हमारा समय किस में माना जाएगा? इधर भी नहीं ...(व्यवधान) नहीं तो मना करो, फिर जाएं हम। सुनने के लिए थोड़े ही बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी कुछ किसानों से सम्बन्धित समस्याएं और पेयजल से सम्बन्धित समस्याएं, क्षेत्र की कुछ विचार अपने रखना चाहूंगी।

मेरे रामगंजमण्डी में कृषि उपज मण्डी के मण्डी यार्ड के लिए बीस बीघा आठ बिस्वा जमीन का तुरन्त कब्जा दिलवाये जाने के लिए मेरे 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह जवाब दिया गया था कि खातेदारों को नोटिस भेजा है और 15 दिवस की अवधि में, दिनांक 5.4.2012 को पूर्ण हो जाएगी वह अवधि, और उसके पश्चात् भूमि अवाप्ति की नियमानुसार विधिक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। मैंने इस प्रकरण को दिनांक 10.4.2012 को 295 के माध्यम से विशेष उल्लेख के तहत पढ़ा था, लेकिन आज तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ। किसान इतने परेशान हैं, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरा सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे कार्यों में हम तुरन्त प्रभाव से कुछ अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि किसानों का कुछ फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, कृषि कनेक्शन को जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित जो कृषि कनेक्शन के मामले होते हैं, उसके लिए मेरे 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दिनांक 17.5.2012 को मुझे बताया गया कि मामला प्रक्रियाधीन है, लेकिन आज तक कृषि कनेक्शन पुनर्जीवित करने हेतु पूर्व की भांति कोई आदेश नहीं निकाला गया। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

है कि तुरंत कृषि कनेक्शन पुनर्जीवित करने के लिए आदेश दिये जाने चाहिए क्योंकि किसान वर्षों से यह आस लगाकर बैठा है कि कब मुझे कृषि कनेक्शन मिलेगा और कब मैं सिंचाई करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बीज निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी जो टेण्डर की प्रक्रिया होती है, उसमें पारदर्शिता लाई जाए क्योंकि पिछली बार कोटा में भी इतनी मारामारी हुई। यह जो बीज निगम में भ्रष्टाचार हुआ था, उसके लिए हमने भी सदन में बात उठाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को बीज समय पर मिले, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। (व्यवधान) सारी-सारी। माननीय सभापति महोदय, सारी मुझे ध्यान नहीं रहा।

श्री सभापति: कोई बात नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारी तापली सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य, जो अधूरा है, विगत 6 साल से उसका कार्य चल रहा है, पिछली सरकार ने उस तापली बांध सिंचाई परियोजना की राशि स्वीकृत की लेकिन विभाग की अनदेखी की वजह से और विभाग की लापरवाही की वजह से न तो उन किसानों को आज तक पूरा मुआवजा मिल पाया और न ही जो गांव वहां से उठने थे, जिनकी भूमि अवाप्त की गई, उनको आज तक कहीं बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जिन गांवों को सिंचाई परियोजना से पानी मिलेगा, वे चालीस गांव अलग-थलग हो गये और जिन गांव के लोगों को मुआवजा मिलना है, जिन गांवों को उठाया गया, वह आपस में इस तरह के मतभेद उनके बीच में हो रहे हैं कि एक दिन तो एक गुट उस बात के लिए संघर्ष करता है धरना-प्रदर्शन करता है और दूसरी तरफ जिनका निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, वे करते हैं। तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि तापली सिंचाई परियोजना को तुरन्त प्रभाव से पूरा किया जाए ताकि किसानों को इसका कुछ फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा मनरेगा योजना चल रही है, इस योजना में, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा जिले में इतने एनिकट स्वीकृत हुए, आज हम पानी की बात कर रहे हैं कि पूरे हाड़ौती के कई जिले डार्क जोन होते जा रहे हैं लेकिन जो नरेगा योजना में एनिकट स्वीकृत होते हैं नदियों पर,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सिंचाई के लिए उन एनिकटों को कभी वन विभाग की वजह से रोक दिया जाता है, कभी सिंचाई विभाग काम करता है। तो दो-दो महीने में, अभी भी मैं प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर में गई तो वहां मैंने देखा कि दो महीने के अन्दर एनिकट टूट गया। यह बहुत बड़ी विभाग की लापरवाही है। चाहे वन विभाग ने बनाया हो, चाहे इर्रिगेशन ने बनाया हो, कम से कम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत जांच की जाए कि इस तरह का कैसे घटिया काम उन्होंने किया। क्वालिटी मेंटेन के लिए भी विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह भी मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लाखों-करोड़ों रुपये आज नरेगा योजना में आ रहे हैं, लेकिन स्टेट टाइम के पुराने हमारे जो बांध हैं उनकी आज तक एक रुपये की रिपेयर नहीं की गई। यह विभाग की बहुत-बड़ी गलती है। आज देखिये कि रामसागर बांध जो हमारा स्टेट टाइम का बांध है, मैं मानती हूं कि अगर उस बांध की थोड़ी सी भी रिपेयर की जाए और उसमें पानी रुक जाए तो पूरा मण्डाना क्षेत्र, जो हमारा डार्क जोन है, उससे वहां की जनता का इतना बड़ा भला हो सकता है। उन्हें पीने का पानी तो मिलेगा ही सही, साथ ही सिंचाई करने के लिए भी मिलेगा और उनकी हजारों बीघा जमीन सिंचित हो जाएगी। यह बहुत बड़ा फायदा भी उनको मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज सिंचाई पर चर्चा हो रही है और मैं मानती हूं कि सिंचाई के लिए हम, जितने भी हमारे गांव की पंचायतों के बीच पुराने जो छोटे-छोटे बांध हैं, उनको प्राथमिकता के साथ नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत करें। क्योंकि हम भी कितनी ही बार पंचायत समिति की बैठकों में जाते हैं, जिला परिषद की बैठकों में जाते हैं लेकिन वहां इस तरह के जो छोटे-छोटे तालाब हैं उनका काम नहीं हो पाता, चाहे हमारे खेराबाद का तालाब हो। आज उन तालाबों की बाउंडरियां टूटी हुई हैं और उसकी वजह से इतनी बाढ़ आती है बारिश में कि पूरे खेराबाद में घरों में पानी भर जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम ऐसे काम भी इस नरेगा के तहत करेंगे तो जनता का कुछ फायदा हो पाएगा।

एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूं कि हमारे पेयजल में जो कंटिंजेंसी में आपने हैंडपम्प स्वीकृत किये हैं, विभाग ने उन हैंडपम्पों में किस तरह की लापरवाही की हुई है। मुझे लगता है कि कोटा के साथ सिर्फ इसीलिए यह भेदभाव किया गया कि वहां से तीन भारतीय जनता

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पार्टी के विधायक हैं। सभापति महोदय, मेरे पास यह लिस्ट है और आपकी जो मैंने अभी बुक्स पढ़ीं विभाग की, उनमें मुझे देखने को मिला कि बारां जिले में 200 हैंडपम्प लगे और कोटा में मात्र 82 हैंडपम्प लगे और इस वर्ष में लगे 71।

(19.00 बजे)

सभापति महोदय, जो सिंगल फेस के ट्यूबवैल पिछले वर्ष में 13 लगे और इस वर्ष में लगे हैं मात्र 9, जबकि हमारे बूंदी जिले में 129 लगे हैं। जब और जिलों में इस तरह से लगे हुए हैं तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, अगर उनके गांवों के लिए भी एक-एक, दो-दो हैंडपम्प दे दिए जाएं तो इससे जनता का भला होगा, जनता को पीने का पानी मिलेगा। पीने के पानी में इस तरह की लापरवाही हमें कभी नहीं करनी चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि कंटिंजेंसी में हैंडपम्प तो दे दिए गए लेकिन उन हैंडपम्पों का रखरखाव करेगा कौन? सभी जगह यह परेशानी आ रही है। हमारे सरपंच मना करते हैं कि हम क्यों इसके बिजली के बिल का भुगतान करें? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पी एच ई डी विभाग द्वारा ही ऐसी व्यवस्था हो कि वे ही इस बिजली के बिल की राशि... (व्यवधान) सिंगल फेस में बिजली के बिल के भुगतान की व्यवस्था भी पी एच ई डी विभाग द्वारा की जाए।

मेरा आपके मार्फत एक और निवेदन है कि जो हमारा गांधी सागर बांध है, उस गांधी सागर बांध से तापली सिंचाई परियोजना की तरह ही एक वृहत् सिंचाई परियोजना बना दी जाए। क्योंकि चंबल रामगंजमण्डी के बिलकुल नजदीक से गुजर रही है, रावतभाटा के पास से, अगर गांधी सागर से हमारी सिंचाई परियोजना बन जाए तो मुझे लगता है कि वह रामगंजमण्डी के लिए एक वरदान साबित होगी।

सभापति महोदय, अटलजी का जो सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, अगर आज नदियों से नदियां जुड जातीं तो मुझे लगता है कि इस देश में जो हम पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई हैंडपम्प मांगता है, कहीं कोई टैंकर लगाने की बात करता है, अगर यह हो जाता तो मुझे लगता है कि आज हम सबको इतना सब बोलने की आवश्यकता नहीं पडती। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम जो हाड़ौती की नदियां हैं, कालीसिंध, पार्वती और चंबल हैं, इनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये पूरे हाड़ौती की कायाकल्प करके रख देंगी, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कुछ नगर निगम का हिस्सा है, मैं बडे दुःख के साथ यह बात यहां बोल रही हूं, मैंने चार दिन पहले माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन किया, यहां सदन में भी उठाया लेकिन आज दिन तक कोटा नगर निगम की 22 कालोनियों में पीने का शुद्ध पानी हम नहीं दे पाएं, यह बड़े दुःख की बात है। वहां गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से पीलिया फैल रहा है और न जाने कितने लोग आज भी हास्पिटल में एडमिट हैं। गंदे पानी की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन माननीय मंत्रीजी ने अभी तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है, यह बड़े दुःख की बात है। माननीय सभापति महोदय, लाखों-करोड़ों रुपए देकर लोगों ने मकान खरीदे, क्या वे इसी आशा के साथ बैठे थे कि उनको कोटा नगर निगम की सीमा में पीने का पानी भी नहीं मिलेगा? यह बहुत गलत बात है।

(19.03 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में एक घोषणा की थी कि जो बोराबास-मंडाना पेयजल योजना है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवनानीजी, सीट पर विराजिए; बात कीजिए, ऐसे नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि पूरा मंडाना क्षेत्र, जो पूरा पठारी क्षेत्र है, जिसमें लाड़पुरा, रामगंजमण्डी का कुछ हिस्सा आता है, उसे कब आप पूरा करेंगे? क्या उसके टेण्डर हो चुके? और टेण्डर हो चुके तो कब तक आपको इस योजना को पूर्ण करना है? क्योंकि पिछले 8 वर्षों से यह योजना ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई है। हम लोगों ने पहले भी सुना कि योजना में टेण्डर होने वाले हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां आज भी टैंकर लगाये जा रहे हैं और एक टैंकर एक गांव में जाता है, उस एक टैंकर में यदि हम यह सोच लें कि उस एक टैंकर से जानवर भी पानी पी लेंगे और जनता भी पानी पी लेगी, यह बिलकुल भी सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए। टैंकरों की संख्या बढ़ेगी तो गांव की जनता को कुछ रिलीफ मिलेगी, यह भी मेरा निवेदन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

है। इस मंडाना-बोराबास योजना को जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी पूरा करेंगे तो पीने का शुद्ध पानी जनता को मिलेगा, यह भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, चन्द्रकान्ताजी।

माननीय श्री रूपारामजी डूडी (अनुपस्थित)

माननीय श्री अमरारामजी। बोलेंगे आप?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपकी इजाजत हो जाए तो।

श्री उपाध्यक्ष: अनुशासित सदस्य को निश्चित तौर पर मौका मिलेगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपकी इजाजत हो जाए तो।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल, मांग संख्या 46-सिंचाई पर सदन में विचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल सबसे महत्वपूर्ण है। और किसी के बगैर कुछ समय निकल सकता है लेकिन पेयजल के बगैर नहीं निकल सकता। 65 साल के बाद भी हम हमारे राजस्थान के 40 हजार गांवों में शुद्ध पानी आम जनता को नहीं दे पाएं, आज भी आधे से ज्यादा गांव और कस्बों में हम पानी नहीं दे पाएं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज तक हम 19 प्रतिशत गांवों के घरों में ही पानी पहुंचा पाए हैं, 81 प्रतिशत गांव आज भी वे हैं जहां आज भी हम उनके घरों तक पाइप से पानी नहीं पहुंचा पाए हैं।

इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता एक तो इस बात की है कि किसी भी योजना में, चाहे वह जनता जल योजना हो, चाहे स्वजल धारा हो, चाहे टी एस एस हो, चाहे वह सिंगल फेस हो, 81 प्रतिशत गांव की आबादी, चाहे वह गांव में हो, चाहे ढाणी में हो, आपने जो भी सोर्स डवलप किया है, उसका पूरा संचालन खर्च गांव के लोग उठाते हैं, केवल एक बिजली का बिल देना है, उसमें भी हमारा विभाग, कभी कहते हैं कि जनता चुकाएगी, पंचायती राज चुकाएगा, कभी कहते हैं कि वाटर वर्क्स चुकाएगा। क्या गुनाह है? उन लोगों का क्या यही गुनाह है, सब संचालन करने के बाद बिजली का बिल भी सरकार नहीं चुकाएगी? आज 81 प्रतिशत लोग हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक तो निवेदन है कि किसी भी योजना के नाम से हुआ हो, जनता को पानी पिलाने के लिए हमने ट्यूबवैल लगाये हैं, चाहे विधायक कोटे से लगाए हों, सांसद कोटे से लगाए हों, जनता जल योजना में हों, स्वजल धारा में हों या टी एस एस में हों, चाहे वे थ्री फेज हैं, चाहे सिंगल फेज हैं, उन सबका बिल सरकार को चुकाना चाहिए।

(श्री अमराराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक ट्यूबवैल है, ग्राम पंचायत जालून, इसका 1 लाख 94 हजार का बिल है, पिछले 10 दिन से कनेक्शन काट रखा है। कोई तो कहता है कि वाटर वर्क्स देगा, कोई कह रहा है कि पंचायत समिति देगी, दे कोई नहीं रहा है। बिजली बोर्ड मंत्रीजी के ही पास है, एक तरफ से आदेश जाते हैं कि जिनके बकाया हैं उनके कनेक्शन काट दो। गर्मी आ रही है, सरकार का ही विभाग है और वही लोगों को प्यासा मारने का काम करेगा! पिछले साल भी साढ़े तीन सौ कनेक्शन, सीकर जिले में 1,015 गांव हैं, उनमें से साढ़े तीन सौ गांवों के पेयजल के कनेक्शन काट दिए। हमारे इंचार्ज मिनिस्टर हैं दुरु मियांजी, वे बैठें, चार दिन बाद जाकर कोई समाधान हुआ। आज वही स्थिति वापस आ रही है। क्या गांव के लोगों का यह गुनाह है कि उन सबका संचालन हम करें, 20 प्रतिशत आबादी शहर में है उस पर वाटर वर्क्स जितना खर्चा करता है उतना 80 प्रतिशत पर नहीं कर रहा और केवल बिजली का बिल भी नहीं चुका पाते।

इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जब यह कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घोषणाएं हैं तो फिर क्यों कनेक्शन कटे? वे दोनों मंत्रालय भी डाक्टर साहब के पास हैं। जब तक राजस्थान में सरफेस वाटर पर, क्योंकि जो अंडरग्राउंड पानी है वह लगातार सूखता जा रहा है, सीकर जिले में एक भी पंचायत समिति नहीं बची है, चाहे वह दांतारामगढ़ हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े होकर बात नहीं करेंगे, बैठ कर, बैठ कर।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, जहां भी अंडरग्राउंड पानी पीने लायक था, वह लगातार गिरता ही नहीं जा रहा है, सूखता जा रहा है और आने वाले 5-7 सालों में यह हालत हो जाएगी कि कहीं भी अंडरग्राउंड पीने का पानी नहीं मिलेगा।

इसलिए जितना भी हमारे पास सरफेस वाटर है, चाहे वह चम्बल है, रावी-व्यास है या यमुना का है या हमारे राजस्थान का जितना पानी है, पूरे गांव की जब तक हम पूरी प्लानिंग करके, हो सकता है, हम एक साथ नहीं दे सकते लेकिन फेसवाइज, लोंग टर्म योजना अगर हम नहीं बनाएंगे और जब एकदम से पानी सूख जाएगा तो निश्चित रूप से, मैं समझता हूं, आपने लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के तीन सौ गांवों के लिए तो बनाया है लेकिन मेरा दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र है उसके एडजोइनिंग जो नावां है, वहां तो

(श्री अमराराम)

बीसलपुर से पानी आएगा लेकिन उसके पास वाले गांव में पानी नहीं आएगा। इसलिए कही से भी, किस सोर्स से आएगा, पूरे राजस्थान के तमाम गांवों और कस्बों का प्लान बनाकर, सबसे पहली आवश्यकता है कि पीने का पानी मिले और वह फेसवाइज हो। एक दिन जब एकदम से पानी सूख जाएगा तो त्राहि-त्राहि होगी। इमीजिएट योजना में तो टयूबवैल हैं, हैण्डपम्प, इनसे कर सकते हैं, जब तक हम लोंग टर्म योजना नहीं बनाएंगे...।

मैं समझता हूं, आप देखेंगे कि 39,751 गांवों में 2,169 गांव हैं जिनको हम घर-घर पाइपलाइन से दे रहे हैं, जबकि 39 हजार में से आप 2,100 निकाल दोगे तो 80 प्रतिशत, 81 प्रतिशत लोग हैं जो अपना पानी दूर-दूर से ले जा रहे हैं। क्या आज भी हम 65 साल बाद उनको पानी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा उसके बाद सिंचाई है। आज राजस्थान में जो सिंचाई के पानी की हालत हो रही है, वह बहुत ज्यादा लंबी है, इस पर बात नहीं कहना चाहता, कुम्भाराम लिफ्ट, इसमें दो लाख से ज्यादा सिंचित क्षेत्र था हैक्टेयर, उसका आधा कर दिया और आधे में भी नहर बन गई लेकिन 20 परसेंट भी नहीं है। आज हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि आंदोलन नहीं हो रहा, पिछले बीस दिन तक लगातार...

श्री उपाध्यक्ष: सजेशन दो। आप पुराने मेम्बर हो, संघर्ष करते हो, सजेशन्स दीजिए कि यह करिये, यह करिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, संघर्ष करते हैं लेकिन सरकार तब तक नहीं सुनती जब तक कोई लट्ठ-पटांग नहीं हो जाए। लगातार तारानगर के किसान इस बात के लिए, मंत्री महोदय ने भी पेयजल के लिए खेतड़ी तक योजना की है लेकिन वे किसान जिनको दो लाख से एक लाख कर दिया, उनकी सिंचाई कब होगी? तो सिंचाई मंत्रीजी का जवाब है कि वह दिल्ली भेज दिया गया, वहां से जब स्वीकृति आएगी। नहर का काम पूरा हो गया...।

उपाध्यक्ष महोदय, हम नारे जरूर लिखते हैं कि 'जल बचाओ' लेकिन जिस सिंचाई की, राजस्थान नहर की जितनी भी लिफ्ट योजनाएं हैं, चाहे फलौदी है, पोकरण है, हालत यह है कि उनमें जितनी लंबी-लंबी लाइनें, 20-20 किलोमीटर बिजली लाइनें, आज लाइनें गायब हैं। हमने नहर बना दी, माइनर बना दिया, सिंचाई की तो बात छोड़िए एक गांव में भी पीने का पानी नहीं है। जहां हजारों करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिए, जहां हम एरिया बता रहे हैं कि

(श्री अमराराम)

इस लिफ्ट से इतने हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, सिंचित तो छोड़िये, जहां से निकल रही है, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। पूरी लिफ्ट, जितनी भी लिफ्ट राजस्थान कैनाल में बनाई गई हैं, उन सबका जिस तरह से सर्वनाश किया है, कोई भी विभाग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इनके जितने भी संसाधन लगे थे...।

इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, राजस्थान में जो पानी बहकर जा रहा है वह केवल नारों से नहीं बचेगा, हमारा पैसा है, निश्चित रूप से उस पानी का उपयोग हो। पीने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, आज भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय श्रीमती अनिताजी भदेल। पांच मिनट के समय के लिए हुआ है, आप थोड़ा देख लें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो सबने दस मिनट बोला है। अगर आपकी इजाजत नहीं हो तो मैं बैठ जाती हूं, नहीं बोलती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपका अधिकार है, आप बैठें, बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, अधिकार की बात नहीं है, हम तो आपसे केवल निवेदन कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए, आप बोलिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 की बहस में मैं अपने आपको शामिल करते हुए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आपके घोषणा पत्र में यह बात कही गई थी कि अजमेर शहर को 24 घण्टे के अन्तराल से हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे, चार वर्ष तो बीत चुके हैं, यह पांचवां साल है, इसके बावजूद भी शहर के 75 प्रतिशत एरिये में 24 घण्टे के अन्तराल से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 6 वर्ष पूर्व जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत केन्द्र सरकार से अजमेर की पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट तैयार हुए थे और उनके टेण्डर्स भी लगाए गए थे, मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगी कि जब आप अपना जवाब दें, तब इतना सा फरमा दें

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत जो टेण्डर्स हुए थे उनकी आज क्या स्थिति है? क्या वे टेण्डर्स जैसे पुराने प्रोजेक्ट बने थे, उसमें कोई परिवर्तन किया गया है या उसको जैसा का तैसा ही टेण्डर करके उस पैसे का उपयोग करेंगे और अजमेर की जनता को पानी की व्यवस्था कराएंगे?

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि बीसलपुर बांध से हमारे यहां पानी की सप्लाई हो रही है, उस बीसलपुर बांध में सभी, नागौर के लोग भी चाहते हैं कि बीसलपुर बांध से हमें पानी मिल जाए, जयपुर के लोग भी चाहते हैं कि बीसलपुर के बांध से हमें पानी मिल जाए और टोंक के लोग भी चाहते हैं कि बीसलपुर के बांध से हमें पानी मिल जाए, तो अजमेर के लिए जितना पानी उसमें रिजर्व रखा जाना चाहिए, क्या अजमेर उस पानी का उस सिस्टम से उपभोग कर पा रहा है? आप अजमेर में वह सिस्टम कब तक डवलप कर देंगे ताकि जितना रिजर्व पानी अजमेर के लिए है, उस पानी का उपयोग अजमेर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जा सके?

मैं आपसे निवेदन करूंगी कि बीसलपुर चूंकि बारिश पर निर्भर है, अगर अच्छी बारिश होती है तो बीसलपुर के बाँध में पानी आता है। लगातार दो वर्षों से तो पानी ठीक-ठाक है लेकिन यदि बीसलपुर में पानी नहीं होता है तो अजमेर की पूरी जनता पानी से 'त्राहि माम' हो जाती है, अजमेर में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि अजमेर में पेयजल की व्यवस्था सिर्फ बीसलपुर बांध पर निर्भर नहीं होकर, यदि हम चम्बल नदी के पानी को भी अजमेर की पेयजल व्यवस्था के लिए उपलब्ध करा सकें तो आगामी वर्षों में वह योजना भी आप लाएं। ताकि अजमेर की लम्बे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या को हम दूर कर सकें।

इसके अलावा, कंटिंजेंसी प्लान आप हर वर्ष बनाते हैं, गर्मियों के पहले कंटिंजेंसी प्लान बनता है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सिंघल साहब, आप विराज कर बात कर लीजिए, खड़े-खड़े नहीं, जगह ले लीजिए। मैं इजाजत दे रहा हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): गर्मी आ जाती है और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती तो अधिकारियों से हम कहते हैं कि टैंकर से आप पानी की सप्लाई करो। तो उस समय तक टैंकर्स की सैंक्शन यहां जयपुर तक अटकी होती है, उसके कारण से हम टैंकर्स की व्यवस्था नहीं कर पाते। मेरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

आपसे निवेदन है कि समय रहते, जो भी आप कंटिंजेंसी प्लान बनाएं, जितना भी बजट आप उसमें स्वीकृत करें, समय रहते उसकी टेण्डर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए ताकि समय पर उस पैसे का उपयोग कर सकें और टैंकर से हम पानी की व्यवस्था कर सकें।

आपने अच्छा किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति की कालोनियों में, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर आपने लाइनें डाली हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आपने सिंगल फेस के कनेक्शन जारी किए हैं, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि शहरों में एक बड़ी समस्या होती है, जब हम नई पाइपलाइन डालते हैं तब रोड कटिंग का पैसा डिपार्टमेंट जो भी स्थानीय निकाय है, चाहे वह नगर निगम है, यू आई टी है, उसको जमा करा देते हैं और अपनी ओर से इतिश्री हो जाती है कि हमने रोड कटिंग का पैसा जमा करा दिया, अब नगर निगम जाने और उसका काम जाने। उस पैसे को नगर निगम उस रोड कटिंग के रिपेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करती और वर्षों तक वह कटिंग ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। हमारी सरकार के, आपस में दो डिपार्टमेंटों का सामन्जस्य नहीं होने के कारण से उस सड़क का, पूरी की पूरी सड़क का पैसा हमें देना पड़ता है, नई सड़क बनाने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि हम रोड कटिंग का पैसा, डिपार्टमेंट जमा कराता है तो टाइम बाउण्ड, जिस डिपार्टमेंट में हम जमा करा रहे हैं उससे एन ओ सी प्राप्त करें कि आप इस पैसे का उपयोग कब तक कर देंगे उसकी एन ओ सी हमें दें, ताकि जो रोड कटिंग हुई है उसकी हम तुरन्त रिपेयर करा सकें, यातायात व्यवस्था को, रोड को ठीक का सकें, क्योंकि वह हमारी सरकार का ही पैसा है। यदि नई रोड बनाने में पैसा लगेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। इसलिए यदि तुरन्त उस रोड की रिपेयरिंग हो जाएगी तो काम भी हो जाएगा और लोगों को सुविधा भी होगी।

इसके अतिरिक्त, मैं जनता जल योजना के कार्मिकों की और बात करना चाहूंगी। ये कार्मिक पहले पी एच ई डी डिपार्टमेंट के अण्डर में काम करते थे, अब ग्राम पंचायतों के अण्डर में आ गए। ना तो उनको समय पर मानदेय मिलता है, ना संसाधन मिलते हैं। ये सारे कार्मिक वापस पी एच ई डी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इनका मानदेय है, वह भी आज की तारीख में इतना कम है कि कोई भी व्यक्ति इतने कम मानदेय में अपने पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके मानदेय को बढ़ाने की आप घोषणा करें तो इनके लिए और अच्छा होगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शहरों में जो पानी की टंकियां हैं, उन टंकियों की सफाई नियमित रूप से नहीं होती है; उस पर नहीं लिखा जाता है कि इसकी सफाई कब आपने की है। इसलिये आप अशुद्ध पानी लोगों को पिलाते हैं। जो नार्म्स हमारे बने हुए हैं, उन नार्म्स के अनुसार टंकियों की नियमित सफाई हो और उस पर लिखा जाए, विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि इस टंकी की सफाई इस तारीख को हुई और आगामी जो सफाई है वह इस तारीख को होनी है।

अजमेर शहर में पी.एच.ई.डी. को दो सर्किल्स में डिवाइड किया गया है, अजमेर-उत्तर और अजमेर-दक्षिण। अजमेर उत्तर में ही अजमेर दक्षिण का कार्यालय है। मेरा निवेदन है कि अजमेर-दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में अजमेर-दक्षिण का कार्यालय स्थापित हो तो लोगों को सुविधा होगी, अपनी समस्याएं रखने के लिये भी, और विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर जाकर तुरन्त उनका समाधान करने में सुविधा होगी। मैंने उनको यह भी निवेदन किया कि यदि विभाग आपको यहां जमीन उपलब्ध करा देता है तो मैं अपने विधायक कोष से आपके आफिस के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दूंगी, परन्तु विभाग जमीन तो कम से कम स्थानीय निकाय विभाग से ले। मेरा यह निवेदन है कि आप इसमें थोड़ा सा परश्यू कराएं तो निश्चित रूप से हम वहां के लोगों को यह सुविधा दिला पाएंगे।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि शहरी क्षेत्र, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी नहीं है परन्तु शहरी क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन से हम पानी की सप्लाई करते हैं, घरेलू कनेक्शंस के द्वारा, वहां पर हम नि:शुल्क एक-एक विद्यालय में, जो स्वयं के भवन हैं, उन भवनों में एक-एक विद्यालय में यदि एक-एक कनेक्शन का कर सकते हैं तो हम बच्चों को पानी की व्यवस्था कर पाएंगे, शुद्ध पेयजल उनको उपलब्ध करा पाएंगे।

मैं इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर जितनी भी नई लाइनें डलती हैं, यदि सौ मीटर दूरी से किसी ने अपना घरेलू कनेक्शन लिया है और उसके बाद में उसके घर के आगे से नई लाइन डल जाती है तो वह अपने कनेक्शन को शिफ्ट नहीं कराता है क्योंकि उसको चार्ज देना पड़ता है। हम अपने विभाग...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अनिताजी, आपको करीब 10 मिनट हो गये, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, अन्तिम बात, अन्तिम दो बात कह करके अपनी बात को समाप्त कर रही हूं।

मेरा निवेदन है कि जो शिफ्टिंग चार्ज के कारण से वह बंदा अपना कनेक्शन शिफ्ट नहीं कराता है तो हम उसका शिफ्टिंग चार्ज माफ कर दें तो पानी का प्रेशर भी ठीक होगा और दूर से जो लाइन आ रही है, जिसके कारण से हमें मेंटीनेंस में दिक्कत होती है वह मेंटीनेंस की समस्या का भी हम समाधान कर पाएंगे।

इसके अलावा, मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के माखूपुरा एरिये में, माखूपुरा पूरा एक गांव है, पूरा एक वार्ड है, उस पूरे वार्ड में पानी की सप्लाई के लिये कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं डली हुई है, बेरे बने हुए हैं, अलग-अलग।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उन बेरों में 25-25, 50-50 मकानों की ढाणियां हैं, वहां पर पानी के टैंकर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। जब गर्मी आती है तब तो पानी के टैंकर्स से सप्लाई कर दी जाती है लेकिन आम दिनों में कभी भी टैंकर से सप्लाई नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अनिताजी, अब विराजें। आप बताती हैं कि...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिये मेरा निवेदन है कि उस एरिये को भी पानी की लाइन से यदि जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से वहां के लोगों का भी समाधान हो सकेगा।

एक अन्तिम बात मैं कहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात सुनेंगी?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक अन्तिम बात। ज्वालाप्रसाद नगर तक यू.आई.टी. द्वारा पानी की योजना बनाकर केवल डिपोजिट वर्क, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पी.एच.ई.डी. को पैसा खर्च नहीं करना है, यू.आई.टी. की योजना है। यू.आई.टी. उसमें पानी की योजना के तहत पानी की लाइनें डालने को तैयार है, सिर्फ प्रस्ताव मांगे हैं पी.एच.ई.डी. से। पी.एच.ई.डी. अपने प्रस्ताव बनाकर दे दे ताकि वे बजट जारी

(श्रीमती अनिता भदेल)

कर दें। यदि हमारा विभाग प्रस्ताव बनाने में भी दो-दो साल लगा देता है तो कैसे हम काम करा पाएंगे? पैसे की जरूरत नहीं है, यू.आई.टी. पैसा खर्च करने के लिये तैयार है क्योंकि उसकी योजना है। सिर्फ आपको प्रस्ताव स्वीकृत करके भेजना है आपको उसकी जो टेक्निकल रिपोर्टस हैं वे बनाकर भेजनी हैं। यदि यह रिपोर्ट टाइम से चली जाए ज्वाला प्रसाद नगर की, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अनिताजी, आपने कहा था, ब्रह्माजी का पानी आना चाहिए; बीसलपुर पर तो आप बोलीं नहीं।

माननीय श्री प्रेमचन्दजी नागर।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल, 46-सिंचाई पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। काफी देर से कई माननीय सदस्यों ने सिंचाई एवं पेयजल पर अपने विचार रखे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक गम्भीर समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का ही विषय नहीं है, अपितु पूरे कोटा-ग्रामीण का विषय है। सिंचाई से सम्बन्धित एक समस्या की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

चम्बल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध के ऊपर के कैचमेंट एरिया में लगभग 200 के आसपास एनिकट बना दिये गये हैं। उससे गांधी सागर बांध के भरने में काफी समस्याएं होती हैं। जिस साल वर्षा कम होती है तो गांधी सागर पूरा नहीं भरा जाता है, खाली रहता है। उसके ऊपर, हमें सिंचाई के लिये भी गांधी सागर से पर्याप्त पानी मुहैया नहीं करवाया जाता है। कोटा बैराज से 6,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जाता है, 4200 क्यूसेक्स पानी मध्य प्रदेश मांगता है। 500 क्यूसेक्स की छीजत रास्ते में आ जाती है; कोटा से एम.पी. तक पहुंचने में लगभग 4,700 क्यूसेक्स पानी, एम.पी. को और छीजत में चला जाता है तो कोटा के हिस्से में मात्र 1,300 क्यूसेक्स पानी आता है। अगर मध्य प्रदेश को 4,200 क्यूसेक्स पानी नहीं दिया जाता है तो वे तुरन्त ही गांधी सागर से पानी रिलीज करना बंद कर देते हैं। अगर उन एनिकट्स पर रोक नहीं लगाई गईं, उनको तुड़वाने के लिये आप ऊपर इण्टर-स्टेट जो आपकी मानिटरिंग कमेटी बनी हुई है, उसमें जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपने इस बात को नहीं रखा तो भविष्य में कोटा जिले के लोगों को खेती के लिये पानी मुहैया नहीं हो पाएगा। जब कोटा जिले के लोगों को ही खेती के लिये पानी

(श्री प्रेमचन्द नागर)

नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो जितनी भी पेयजल की योजनाएं, चाहे वह बांसवाड़ा की हो, चाहे अजमेर के लिये माननीय सदस्या अभी कह रही थीं, तो उन सब योजनाओं के लिये आप पानी कहां से मुहैया करा पाएंगे?

मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने विगत वर्ष भी 1,274 करोड़ रुपये चम्बल की नहरों के रख-रखाव के लिये दिये; इस वर्ष भी 50 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा है; साथ ही 60 करोड़ की लागत से तीन स्थानों पर क्रास रेग्यूलेटर्स बनाने के लिये भी उन्होंने प्रावधान किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी हजारों एकड़ भूमि असिंचित रहती है। मंत्री महोदय, अगर उस क्षेत्र के लिये कोई लिफ्ट योजना बनाकर उसको स्वीकृत किया जाता है तो हजारों एकड़ जमीन को सिंचित किया जा सकेगा और किसानों को उससे काफी लाभ मिल पाएगा।

पेयजल पर मैं कहना चाहूंगा कि नदियों से घिरा हुआ मेरा विधान सभा क्षेत्र है। नदियों के किनारे पर बसे हुए जितने भी गांव हैं, उनमें पानी की क्वालिटी बिलकुल खराब है। वहां पर फ्लोराइड भी ज्यादा है और टी.डी.एस. की मात्रा भी काफी अधिक होने के कारण उनमें पीने योग्य पानी ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्ड-पम्पों में भी डिफ्लोरिडेशन यूनिट्स लगाने की कृपा करें। साथ ही शुद्ध पेयजल हेतु कई कस्बों एवं ग्रामों में आर.ओ. सयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति फरमाएं ताकि क्षेत्र की जनता को फ्लोराइड-मुक्त एवं शुद्ध पेयजल मिल सके।

साथ ही निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बों की पेयजल योजनाएं बना कर आपके विभाग में लम्बित पड़ी हुई हैं, जिनमें से पीपल्दा 3 करोड़, इटावा 5 करोड़, खतौली 3 करोड़, सुल्तानपुर 4 करोड़ की हैं और भड़ोद की योजना भी आपके विभाग के स्तर पर लम्बित पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तो मुझे बताया जाए कि इन योजनाओं में किस स्तर पर प्रगति है? इन योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत करने का श्रम करें।

एक समस्या की तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी जनता जल योजना की स्कीम्स चल

(श्री प्रेमचन्द नागर)

रही हैं, वे पंचायतों को सुपुर्द की गई हैं लेकिन पंचायतों के पास अपर्याप्त संसाधन व धन का अभाव होने की वजह से लगभग सारी जनता जल योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में कहें।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): बिलकुल छोटा कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। कृपा कर इनको पी.एच.ई.डी. के अधीन करके लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप सचेतक महोदय, विराज कर बात करें।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): एक समस्या की तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान और इंगित करना चाहूंगा कि पूरी तहसील में एक ए.ईएन. और एक जे.ईएन. की पोस्ट स्वीकृत हैं और लगभग 30 पंचायतें उस तहसील में हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उस विधान सभा क्षेत्र के इटावा ब्लाक को एक या दो जे.ईएन. की पोस्ट्स आप स्वीकृत करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और उनके जो लम्बित कार्य हैं, वे समय सीमा में पूर्ण हो सकें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल। संक्षेप में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सर, मेरे राइडर क्यों लगाते हो आप?

श्री उपाध्यक्ष: एक आप ही तो हो, आप बोलते हो तो सदन सुनता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आज मांग संख्या 27-पेयजल एवं मांग संख्या 46-सिंचाई पर मैं मेरे कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आज राजस्थान को बड़ी उम्मीद थी, दिल्ली का जब बजट आया तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। रिफाइनरी तो मिल गई लेकिन आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ज्यादातर भू-भाग मरूस्थलीय, ट्राइबल बेल्ट और ढाणियों के अन्दर बसा हुआ इलाका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर रूप ले रही है। दिल्ली की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

का मन बना रही है तो राजस्थान ने भी 20 एम.पी. दिल्ली की सरकार को जिता कर भेजे हैं। मेरा आपके माध्यम से और मंत्रीजी को विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तभी जाकर पेयजल की समस्या का समाधान होगा। आज जो पेयजल की योजनाएं ग्रामीण इलाकों के अन्दर चल रही हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात रखी, सबसे बड़ी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग से ज्यादा जनता जल योजना, जे.जे.वाई. के नाम से पहले पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट इन स्कीम्स को चलाता था लेकिन अब जनता जल की स्कीम पंचायतों को दे दी और इन पर जो जनता जलकर्मी नियुक्त हैं, कई वर्षों से उनको 500 रुपये प्रति माह और उसके बाद बढ़ाकर 500 रुपये, मतलब हजार रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है और खर्च के नाम पर साढ़े चार हजार रुपए प्रति वर्ष, ट्यूबवैल को ठीक करवाने के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी हम सभी सदस्यों की राय आई थी कि जनता जल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे वे स्कीम को टाइम पर, मतलब उस ट्यूबवैल को चला सके, उसका रख-रखाव कर सकें, सार-सम्भाल कर सकें। जितने भी ये जनता जल के ट्यूबवैल्स हैं, इनको वापस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पी.एच.ई.डी. के अधीन वापस किया जाए ताकि इनको चलाने का जो सिस्टम है वह फेल नहीं हो। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ से ज्यादा जनता जल के ट्यूबवैल बंद पड़े हैं, बजट के अभाव में बंद हैं। पंचायतों के पास जो बजट आता है, वह दूसरे मद में खर्च कर देते हैं। एक टालने वाली बात, पंचायत समिति वाले भेज देते हैं पी.एच.ई.डी. को और पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं, जाओ, पंचायत समिति के अन्दर। तो वह जनता जल कर्मी भी दर-दर की ठोकरें खाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का जो पैसा वर्ष 2012-13 के अन्दर एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. का, सामान्य क्वालिटी में, कुल उपलब्ध राशि 77,642.42 लाख में से व्यय 38,067.84 लाख; यानी 50 प्रतिशत ही राशि पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट खर्च कर सका और 50 परसेंट राशि लैप्स हुई, दिल्ली की जो योजना से राजस्थान को मिली थी। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की मरू-स्थलीय, कुल उपलब्ध राशि 64,868.17, खर्च 35,202.41; यानी, यह इसमें 55 प्रतिशत ही राशि खर्च हो पाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री की घोषणा में 20.65 लाख रुपए प्राप्त हुए, इसमें से एक रुपया भी नहीं खर्च हो पाया, वर्ष 2012-13 के अन्दर। कुल प्राप्त

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राशि 1,42,531.54 लाख में से 73,270.25 लाख ही खर्च हो पाई; मतलब, आधी राशि, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को मिली थी, उतनी ही विभाग खर्च कर पाया। ग्रामीण स्कूलों में शुद्ध पेयजल हेतु संयंत्र लगाने के लिए 685.00 लाख रुपए प्राप्त हुए, स्कूल के अन्दर लेकिन खर्च एक रुपया भी नहीं हुआ; एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की अन्य योजनाओं में 10,085.86 लाख रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से 918.65 लाख ही खर्च किए, यह 10 प्रतिशत से कम खर्चा राज्य सरकार ने किया; चूरू-बिसाऊ परियोजना की कुल प्राप्त राशि 249.20 लाख में से एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार ने जो पैसा राजस्थान सरकार के इस विभाग को दिया, वह पैसा सरकार समय पर खर्च नहीं कर पाई। इसके बजाए तो हम विधायकों ने, सांसदों ने और जन-प्रतिनिधियों ने ट्यूबवैल और जी.एल.आर. पाइपलाइन बनाने के लिए जो दी थी, उसमें भी अगर सैंक्शन निकालते तो यह पैसा वापस लैप्स नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति प्रतिवेदन के पेज नम्बर 34 व 35 पर पावर पम्प, नलकूपों व हैण्डपम्प्स के निर्माण की बात कही गई है। 2011-12 में यह संख्या, 2,683 की तुलना में अब दिसम्बर तक 1,996 पावर पम्प बनाए गए हैं, जबकि हैण्डपम्प 8,603 में से 4,628 ही निर्माण हो पाए हैं। हैण्डपम्प निर्माण का जो अभियान चलाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो यह प्रगति प्रतिवेदन के अन्दर जवाब गलत है क्योंकि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब दो मिनट तो बोलने दो, साहब। आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा तैयारी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट हो गए आपको। हां, आप स्टडी करके आते हो आजकल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बता रहे हैं, कुल हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर 3,47,038 और उनके अन्दर खराब हैण्डपम्प्स की संख्या 3,10,522 बता रहे हैं। शहरी क्षेत्र में कुल हैण्डपम्प बता रहे हैं 34,172 और खराब के अन्दर जवाब दे रहे हैं 61,648 ! जब हैण्डपम्प ही 34 हजार के करीब हैं तो खराब 61 हजार कैसे हो गये, उपाध्यक्ष महोदय? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह 2012-13 का है, यह मैंने ढंग से पढ़ा है और मंत्रीजी को भी मैंने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कितने बजे तक बढ़ायें, सदन का समय?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए। 9.00 बजे माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे, यह व्यवस्था भी आप सुनिश्चित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की राय हो तो सदन का समय 9.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9.00 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, या तो हमारे को प्रगति प्रतिवेदन भेजा मत करो और प्रगति प्रतिवेदन भेजते हो तो इसमें गलत जवाब तो मत भेजा करो।

श्री उपाध्यक्ष: आपको करीब 12 मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, पहले निवेदन सुनो आप। इसके अन्दर ही आप अगर गलत आंकड़े भेजोगे तो जनता को हम क्या जवाब देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: आप बहुत ज्यादा स्टडी करके, अध्ययन करके आते हो, मानते हैं लेकिन...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रगति प्रतिवेदन में इस तरह गलत जवाब...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखो, आप अपनी स्टाइल में जब तक नहीं बोलोगे न, सदन को कोई मजा नहीं आता है। आप विराज ही जाओ। क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आइन्दा के लिये रास्ता बन्द मत कर लेना, शांति से बोलना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगली बार तो हम सरकार में रहेंगे, बोलने का मौका कहां मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: क्या होगा? किसकी सरकार बनेगी? आपकी?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके साथ मिलकर।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन्होंने गलत जवाब इस प्रगति प्रतिवेदन में दिया है, यह प्रगति प्रतिवेदन के पेज नं. 35 पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें, हनुमानजी। प्लीज, प्लीज, विराजिये आप। माननीय, आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन विराजें? मैं विराजूं?

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट अपनी बात तो बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष: 15 मिनट हो गये आपको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, नहीं, दो-पांच मिनट में कर देता हूं। मैं आ जाता हूं साहब, मेरी वाली पर।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे, इस राजस्थान के अन्दर बड़े-बड़े प्रदर्शन भी हुए, पानी को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के टाइम गोलियां भी चलीं, इतना ही बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा, वह जो आयोग बनाया था गोलीकाण्ड को लेकर, उस आयोग की रिपोर्ट को, जनता जानना चाहती है कि उसमें अधिकारियों की लापरवाही थी, या नेताओं के इशारे पर गोलियां चली थीं? वह राजस्थान की जनता जानना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष: वह मंत्रीजी ने नोट कर लिया, अब आप विराजिये।

माननीय डा. विश्वनाथजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं मेरे इलाके की बात कहूंगा, साहब। डा. साहब, एक मिनट बैठो आप।

जो गोलियां चली थीं, उसके बारे में कहना चाहूंगा। वहीं होगा, स्पष्टीकरण होगा यहां तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उस वक्त आन्दोलन हुए थे, उस वक्त इस कांग्रेस सरकार के हमारे इन प्रतिनिधियों ने उस आन्दोलन में आग में घी डालकर बेवजह वहां गोलियां चलवाकर वहां के किसानों की हत्याएं करवाई इन लोगों ने।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, बेनीवालजी। मंत्रीजी ने आपका नोट कर लिया, अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, डा. साहब, आप बैठो।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अब हो गया आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह हमारे अधिकारों का गला मत घोटो।

श्री उपाध्यक्ष: अब केवल विश्वनाथजी का अंकित करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): राजस्थान का उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप 15 मिनट बोल लिये, अब आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): आई जी एन पी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया। अब तो मेरा टाइम कट जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: केवल विश्वनाथजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): करीब 650 किलोमीटर लम्बी नहर है। पश्चिमी राजस्थान में एक तरफ मेरे विधान सभा क्षेत्र में जमीन को सिंचित करती है और लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 1927 में...(व्यवधान) उस क्षेत्र को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी जब मुख्य मंत्री थीं, हमारे समय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। अब केवल विश्वनाथजी का अंकित हो रहा है। विराजो आप। विराजो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय सदस्य, कृपा करके विराजिये। हनुमानजी बेनीवाल, आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नाम पुकारा जा चुका है, अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, मंत्रीजी ने आपका सब नोट कर लिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने नहरी क्षेत्र का दौरा किया था। मैं समझता हूं कि इस सरकार के समय कभी भी किसी नहर क्षेत्र का दौरा नहीं किया गया और नहर की कोई स्थिति नहीं जानी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले 312 हैड पर सरहिन्द फीडर और राजस्थान कैनाल...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): लगा दिया गया था लेकिन इस सरकार को तो उसका भी पता नहीं चला, उसका पता भी 6 महीने बाद चला। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): तीन हजार क्यूसेक्स पानी लिया जा रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये। आप आसन पर विराजे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लायें ना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको एक भी सेकण्ड नहीं मिलेगा, आप विराजिये, प्लीज विराजिये। आपसे विनम्र अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, अब विराजिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका न तो अंकित होगा। मान्यवर, अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। आपको रोजाना मौका मिलता है, फिर भी आपका मन नहीं भरता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले इन्होंने बजट में 14 सौ करोड़ रुपये की घोषणा की थी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिये, परन्तु आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय कटारियाजी की अध्यक्षता में, माननीय रघुजी भी उसमें थे, पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक उसमें थे, करीब 11 विधायकों ने नहरी क्षेत्र का दौरा 1 फरवरी, 2011 को किया था। उसमें माननीय कटारियाजी की अध्यक्षता में जन लेखा समिति की एक रिपोर्ट भी पेश की गयी थी जिसमें इंदिरा गांधी नहर के लिये सरकार को कुछ सुझाव दिये गये थे लेकिन सरकार आज तक इसको किसी तरह से अमल में नहीं लाई। उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव दिये गये, उसमें पाइंट 6 एम ए एफ पानी का जो हिस्सा पंजाब हमारा आज तक ले रहा है, उसके बारे में इन्होंने सुझाव दिया था; बी बी एम बी में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके बारे में सुझाव दिया गया; हरिके हैडवर्क्स पर गुरुद्वारे के पीछे से एक लिंक चैनल बनाकर साढ़े तीन हजार क्यूसेक्स पानी और देना प्रस्तावित है, इसके लिये सुझाव दिया गया; हैडवर्क्स के गेट से जो पानी लीकेज हो रहा है और लीकेज होकर पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसके लिये सुझाव दिया गया; हरिके हैड पर पानी के माप की आवश्यकता है, कम्प्यूटराइज सिस्टम लगाने के लिये एक सुझाव दिया गया। पोंग बांध और भाखड़ा बांध में 1988 में जब कोई बाढ आई थी, उस वक्त 10 फीट उस बांध को खाली रखने का एक निर्णय हुआ था। हमारी इस जनलेखा समिति ने सरकार को सुझाव दिया कि आज जो टेक्नोलोजी इस वक्त है, मौसम की भविष्यवाणी समय पर हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि यह 10 फीट पानी उस डैम में जो कम रखा जाता है, वह कम नहीं रखना चाहिये। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत आवश्यकता है, सिंचित क्षेत्र है। लुधियाना शहर का जो अपशिष्ट, गंदे पानी सहित सतलुज नदी से नहर में डाला जाता है, उसके लिये भी सुझाव दिया गया कि इसको रोका जाये और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर उस

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

पानी को शुद्ध किया जाये, अन्यथा जिस तरीके से राजस्थान में हमारे क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर साइड में जो नहर आ रही है, उस नहर का पानी जो पीते हैं, उससे बीमारी होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है, जो हमारे माननीय सदस्यों ने भी आशंका जताई थी, कैंसर जैसी बीमारियां वहां होती हैं। इन एस्केप चैनलों की लाइनिंग की कार्यवाही का सुझाव दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011 में जन लेखा समिति गयी थी और उसके सुझावों पर आज तक सरकार ने किसी प्रकार का अमल नहीं किया।

हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं, जो इरिगेशन और जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने तो कभी नहर देखने का भी प्रयास नहीं किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे माननीया वसुन्धराजी नहर क्षेत्र का दौरा करती थीं, हमारी जो मेन कैनाल टूट गयी थी, माननीया वसुन्धराजी जस्ट उस समय मुख्य मंत्री बनी ही थीं, चार दिन बाद उन्होंने नहरी क्षेत्र का दौरा किया और 15 दिन में उस नहर को एकदम तैयार करवा दिया था, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम नहर तो देख लें। नहर की जो स्थिति है, जिस तरह से वह टूटी पड़ी है, जर्जर हालत में है। मैं समझता हूं, आने वाले समय में, जो नहर हमारे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है, इस समय नहर का भविष्य बहुत खराब है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से पुन: कहना चाहूंगा कि कम से कम नहर को आप देख लें।

उपाध्यक्ष महोदय, खाजूवाला के लिए मैं मांग करना चाहूंगा कि खाजूवाला में नहरों की डि-सिल्टिंग का कार्य समय पर हो, इसका प्रावधान होना चाहिए और के जी डी, बी जे एम, बी डी, नहरों का बेड लेवल ठीक किया जाए; जो सीधे मोगे हैं उनको हटाकर डिच माइनर बनाकर पानी की चोरी को रोका जावे व टेल पर स्थित किसानों को पूरा पानी दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्थित मुख्य नहर की हमारी जो अनूपगढ़ ब्रांच, पूगल, दन्तौर ब्रांच की हालत है उसकी डि-सिल्टिंग का कार्य समय पर किया जाए, इसके लिए बजट पूरा दिया जाए और जो हमारे क्षेत्र में ए ईएन, एक्स ईएन और जे ईएन के पद रिक्त पड़े हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन पदों को समय पर भरा जाए।

पानी के लिए बार-बार बात चलती है कि पिछले चार सालों में कोई संघर्ष नहीं हुआ, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, हमारे कामरेड भाई भी यहां

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

बैठे हुए हैं, हर वक्त पानी के लिए संघर्ष हुआ है, इतने बड़े-बड़े आन्दोलन हुए हैं। बात इतनी सी है कि हमने आन्दोलनों को, बी जे पी की यह नीति रही है कि हमने हवा नहीं दी, कांग्रेस ने आन्दोलनों को हवा देकर किसानों की हत्या करवायीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर वक्त आन्दोलन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): कांग्रेस सरकार के एक माननीय सदस्य पिछले दिनों यहां पर धरने पर बैठे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कांग्रेस और बी जे पी छोड़िए, सजेशन दीजिए। माननीय विश्वनाथजी, पता है आपको, पुरानी प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लो, नेता का नाम नहीं लेते थे, 'नेता' शब्द कहते थे।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सजेशन से कुछ नहीं होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, जन लेखा समिति के 11 सदस्यों की समिति है, माननीय कटारियाजी की अध्यक्षता में बनी हुई है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या होने वाला है? (व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, ऐसे बीच में नहीं आते-जाते हैं। इसीलिए तो यह पार्टी ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम पहले दो बार निलम्बित हो चुके हैं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मैं रेग्यूलेशन की बात करना चाहूंगा, रेग्यूलेशन हनुमानगढ़ में किया जाता है, उसमें किसान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कृषि विभाग कर भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उसमें जन-प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इन सब की राय से ही रेग्यूलेशन बने, ऐसी हम मांग करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको करीब दस मिनट हो गये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): दो मिनट, सर। आगे हम मांग करते हैं कि चार में से दो ग्रुप चलायें, 17 तारीख को हमारा रेग्यूलेशन खतम हो रहा है। हमारी कानासर वितरिका जिसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन काश्तकारों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। गजनेर लिफ्ट और कोलायत लिफ्ट पर स्प्रिंकलर सिस्टम अभी तक चालू नहीं हुआ है, मैं मांग करता हूं कि गंगानगर की तर्ज पर वहां पर भी अस्थायी आउटलैट देकर

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

किसानों को पानी दिया जाए। क्षेत्र में पानी की डिग्गियां बनी हुई हैं, बिना वरीयता के पांच एच पी का विद्युत कनेक्शन उनको दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में तो आपके 15 मिनट हो जाएंगे। 09 बजे तक मंत्रीजी का रिप्लाई चालू हो जाएगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अब मैं पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा। ऊदासर गांव में फ्लोराइडयुक्त पानी है, इस गांव को नहर के पानी से जोड़ा जाए। राजासर भाटियान में पानी की भारी किल्लत है। मेरे क्षेत्र में हैण्ड पम्प बी ए डी पी में जो दिए गए हैं, वे आज तक नहीं लग रहे हैं और शोभासर से उसकी दयनीय स्थिति है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ी पेयजल परियोजना बनायी जाए जिससे जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: खाजूवाला में पीने के पानी की समस्या है, मंत्रीजी ने नोट कर लिया।

माननीया श्रीमती कान्ता भील गढ़ी।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर लम्बे समय से पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया। मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ में अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत ही शानदार बजट दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूं। उन्होंने, लम्बे समय से मैं मांग करती आ रही थी कि हमारा बांसवाड़ा जिला, जहां पर माही डैम से सिंचाई की जाती है, स्वर्गीय श्री हरिदेवजी जोशी ने बांसवाड़ा जिले में माही डैम बनवाया था, मैं कहना चाहूंगी कि लम्बे समय से उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए मांग करती रही लेकिन एक बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने माही डैम के जीर्णोद्धार के लिए दस करोड़ रुपये की राशि दी थी, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो राशि इसके जीर्णोद्धार के

(श्रीमती कान्ता भील)

लिए दी थी, काम सिर्फ जून तक किया जा सकता है, उसके बाद बरसात का मौसम आ जाता है, खरीफ की फसल होती है और इसके बाद रबी की बुवाई शुरू हो जाती है, फिर गेहूं की फसल मार्च तक रहती है और तब तक पैसा लैप्स हो जाता है और जून तक उसकी प्रक्रिया पूरा करने में लग जाता है, जिससे उस पैसे का उपयोग जो सही तरीके से होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फिर एक बहुत बड़ी राशि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण और भाखड़ा परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार के काम हाथ में लिए हैं। इसी के साथ ही आठ परियोजनाएं, जिनके लिए 189 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान जीर्णोद्धार के लिए किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो 189 करोड़ रुपये की राशि आपने आठ परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए दी है, मैं सोचती हूं कि हमारे हिस्से में राशि बहुत कम आयेगी।

मेरे क्षेत्र की जो नहरें हैं, वे आज से ठीक 40 साल पहले की बनी हुई हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी ने सबसे पहले जल प्रवाह का उद्घाटन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 40 साल तक उन नहरों की क्या हालत हो रही होगी। आज नहर में पानी कम और नाले में सीपेज से पानी ज्यादा जा रहा है। बांसवाड़ा से डूंगरपुर के बीच में सुन्दरपुर का नाला जाता है, उस नाले में माही का, सीपेज का पानी उसमें जाता है और मेरा विधान सभा क्षेत्र का एल एन सी और आर एन सी का टेल भाग है, जहां पर नाले में सीपेज का पानी जाने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। वहां के काश्तकार आपस में लड़ते-झगड़ते हैं और वहां हाहाकार मचता है। ऐसी स्थिति में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा बजट नहरों के जीर्णोद्धार के लिए दिया तो मेरी भी उम्मीद जगी है कि निश्चित ही हमको बहुत बड़ा बजट इन नहरों के जीर्णोद्धार और विस्तार के लिए मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग के सभी अधिकारीगण यहां पर विराजे हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि माही परियोजना के नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 64 करोड़ का यह बजट दो साल से विभाग को भेजा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह राशि समय के साथ स्वीकृत करें, तब तो इसका उपयोग हो पायेगा अन्यथा प्रक्रिया में जून, जुलाई

(श्रीमती कान्ता भील)

का समय लग जाता है। समय पर टेण्डर नहीं हो पाते हैं तो वापस खरीफ की फसल और फिर अक्टूबर से रबी की फसल की बुवाई हो जाएगी गेहूं की और

(20.00 बजे)

वहां पर ये काम नहीं हो पायेंगे और यह पैसा लैप्स हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि मैं बार-बार निवेदन कर रही हूं, मेरे वहां की जनता पानी नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस परियोजना के साथ ही, विशेषकर मेरे गढ़ी विधान सभा क्षेत्र की टेल की नहरों के जीर्णोद्धार के लिए विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नहरों के नाम का आप बजट आबंटित करेंगे तो मेरी नहरों के जीर्णोद्धार के लिए मुझे बजट मिलेगा, अन्यथा आपने इसको माही परियोजना के नाम से यदि बजट दिया, चाहे वह आप कितना भी देते हैं, वह पूरी परियोजना में बिखर जाता है, मुझे नहीं मिल पाता है।

श्री उपाध्यक्ष: समय का ध्यान रखिये।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगी सिंचाई के मामले में कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में लिफ्ट के द्वारा, सामुदायिक लिफ्ट योजना के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है और 13 लिफ्टें वहां पर लगी हुई हैं लेकिन जब से ये लिफ्टें लगी हैं, तब से आज तक उनकी तरफ देखा नहीं गया है। उनकी जो पाइपलाइनें हैं, वे सड़ गयी हैं, मोटरें बार-बार खराब होती हैं और जितना पैसा उनके खरीदने में लगता है, उससे कई गुना विभाग उन मोटरों की रिपेयरिंग में पैसा खर्च कर चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इन लिफ्टों के रखरखाव के साथ ही इसका पूरा नवीनीकरण करें, क्योंकि रखरखाव के नाम से इसका बहुत ज्यादा बजट चला जाता है और वहां के जो साधन लगे हुए हैं, चाहे मोटर है, चाहे पाइपलाइन है, वह वहीं की वहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इन लिफ्टों का जो कनेक्शन है वह आपका वहां पर वाणिज्यिक आधार पर किया हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसका कामर्शियल कनेक्शन है तो इसको एग्रीकल्चर में किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी राशि इसकी। बिजली के कनेक्शन के बिल की आती है और वह राशि भरने के लिए हमको बार-बार विभाग से गुहार लगानी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय कान्ताजी, अब आप समाप्त करें। आपकी भावना मंत्रीजी ने नोट कर ली, आप समाप्त करें। आप विराजिये।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब लिफ्ट शुरू करने का समय आता है, तब हम बार-बार विभाग से राशि की मांग करते हैं और वह राशि समय पर नहीं मिल पाती है, बिजली कनेक्शन नहीं जोड़े जाते हैं, लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27-पेयजल के ऊपर भी मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहूंगी। पिछली बार, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के पेयजल के लिए 11 करोड़ रुपये दिये थे, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। विराजिये, अब आप विराजिये।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी-सी बात मैं करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में और हमारे जिले में अभी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी जो बजट दिया है, उस बजट में सुरवाणिया बांध से जोड़ने के लिए कई सारी योजनाएं हैं, इन्होंने पेयजल स्कीमों को जोड़ने का प्रावधान किया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सुरवाणिया बांध के ठीक पास में लगा हुआ मेरा विधान सभा क्षेत्र है और मेरे विधान सभा क्षेत्र की सारी बंद बस्तियां हैं, फ्लोराइड की समस्या है। मेरा निवेदन है, अभी मैंने हमारे जिले के अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने के निर्देश हमें ऊपर के अधिकारियों से नहीं मिले हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जब बजट आपके पूरे जिले की पेयजल की योजना का है, फिर मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी को उससे क्यों वंचित रखा जाता है? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों को उसमें सम्मिलित किया जावें ताकि उनको पेयजल की सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। बस अब आप समाप्त करिये।

माननीय श्री सूरजभानजी धानका।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी सी बात है, मेरी एक ही बात है, बस अंतिम मेरी रिकवेस्ट है। मैं लम्बे समय से कुछ पेयजल योजनाओं के बारे में बार-बार मंत्री महोदय को निवेदन कर रही हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है, अब आप विराजिये।

श्री सूरजभान धानका।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या। श्री सूरजभानजी धानका।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, विराजिये, आपका अंकित नहीं होगा। आप बोलिये, सूरजभानजी धानका। केवल सूरजभानजी धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अब सुनने देंगी, तब न।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो रहा है आपका। धानकाजी, एक मिनट आप विराजिये।

मैं माननीय सदस्य साहबान से अनुरोध करूंगा कि यह जो अधिकारी बैठे हैं, इनको आप नोटिस में नहीं लें, इनकी तरफ कोई इंगित नहीं करें; मंत्री के बारे में कहें, मंत्री से कहें, आपके अधिकारियों को समझाएं। अधिकारी बैठे हैं, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप सरकार से बात करिये। यह थोड़ा सा इसको ध्यान रखिये। अधिकारियों से अपना कोई वास्ता नहीं है। अधिकारी आपके हैं, उनको इंगित नहीं करें, न उनको वहां से बोलकर आदेश दें। आपका व्यक्तिगत अलग है, सदन का मामला है।

माननीय सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल व 46-सिंचाई पर चर्चा चल रही है, उसके लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले पढ़ते थे तो किताबों में लिखा हुआ था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो हम इसको बड़ा अटपटा समझते थे कि यह क्या अटपटी बात लिख दी लेकिन आज वह बात सामने

(श्री सूरजभान धानका)

आ रही है। इसके बारे में रहीम दासजी भी कह गये हैं कि 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून; पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून'। सड़क, आदि की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे आदमियों को पानी मिलेगा और वे जिंदा रहेंगे। तो पानी का बड़ा महत्व है। हम खाने बगैर दो दिन रह सकते हैं लेकिन पानी सुबह से शाम तक चाहिए और कई तो मेरे जैसे रात को भी उठकर पानी पीते हैं, तो एक प्राथमिकता है।

इसलिए पानी के बारे में, पिछले तीन बजटों में 70 परसेंट बजट पानी के लिए दिया, क्योंकि दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से लोग पानी लाते थे। इसके बाद हमारे मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी हुई, वहां पानी की व्यवस्था की गयी। आज काफी पानी की संतुष्टि है लेकिन फिर भी कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है। जैसे जिस समय पाइपलाइनें डाली गयी थीं कस्बों में, शहरों में तो उस समय आबादी का घनत्व कम था, लिहाजा अब आबादी ज्यादा होने की वजह से, वे पाइपलाइनें कुछ जर्जर हो चुकी हैं, कुछ चोक हो चुकी हैं, इसलिए लाइनें बदली जाने की जरूरत है।

दूसरा, जो आज सिंगल फेज बोरिंग, वगैरह दे रहे हैं, तो एक पांच सौ फीट की बाध्यता है। कई जगह तो पांच सौ फीट पर चव्वा भी नहीं आता है। इसलिए अण्डरग्राउण्ड वाटर की गहराई को देखते हुए उसको बढ़ाएं।

कनेक्शन हैं, अगर बोरिंग हो जाता है, चाहे एम.एल.ए. कोटे से हो, चाहे पी.एच.ई.डी. से हो, तो कनेक्शन में दिक्कत आती है। काफी दिन तक बगैर कनेक्शन वे बोरिंग यूजलेस पड़े रहते हैं। तो माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ज्यों ही बोरिंग हो, डिमाण्ड नोट जमा कराकर उसको चालू करवाएं ताकि पानी की व्यवस्था हो।

एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिए दिया, बहुत अच्छी बात है लेकिन, श्रीमान्, पानी तो चींटी से लेकर हाथी तक के लिए, सबके लिए जरूरी है। इसलिए जनरल वार्डों में, जनरल गांवों में भी इसकी व्यवस्था करायें।

स्कूलों में, कुछ मेरा सुझाव है कि एम.एल.ए. कोटे में जैसे कंटिंजेंसी टाइप में कि कभी भी जरूरत पड़े तो ट्यूबवैल, हैण्डपम्प, जहां ट्यूबवैल कामयाब हैं, जहां हैण्डपम्प हैं, उसी हिसाब से एम.एल.ए. के कोटे में निर्धारित कर दें। पीछे भी कोटे में देते थे तो वह एक साथ लिस्ट ले लेते थे। तो वे कभी भी दे दें, ऐसी व्यवस्था करें।

जगह-जगह हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं, मिस्त्रियों की संख्या बहुत कम है। वहां पंचायतों को दे दिया है, उनके पास सामान नहीं मिलता।

(श्री सूरजभान धानका)

मेरे क्षेत्र में खारे पानी की समस्या ज्यादा है। इसमें कई गांव हैं, मंजब्ता, रायपुर जाट, खरसमकी, बाढ़खोरा, सोराई, जमालपुर, रामपुरा, करणपुरा, रोहणीजा जाट, गौरपाड़ी, सूरजगढ़, आदि गांव हैं। उनमें थोड़ा दूर से अगर पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया जाता है तो वह समस्या हल हो जाती है। क्योंकि पीछे टैंकर चला करते थे, हमने व्यवस्था की उसकी, कि सीधा पानी दिया जाए। हमने जगह-गह बोरिंग करवाईं अपने कोटे से। पी एच ई डी कोटे से तो पिछली बार अलवर में जब गये तो एस ई बोले, पहले हम अलवर को टैंकर डिविजन बोला करते थे, अब तो क्या कह दिया, अब तो टैंकरों में बड़ा घपला होता है, लड़ाई भी होती है, प्लस पानी की भी सही व्यवस्था नहीं होती और काफी इसमें घपला होता है। इसलिए इसकी परमानेंट व्यवस्था करें।

चम्बल नदी से अलवर जो फीजिबिलिटी सर्वे किया गया है, तो मेरा निवेदन है कि मेरा क्षेत्र ड्राई जोन में आ रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। सूरजभानजी, आप नोटिस मत लीजिए, आप अपनी बात कहिए। समय आपका जा रहा है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी की विशेष कृपा रही है।

दूसरा, जो सिंचाई के लिए घाट कैनाल है उसको बनाया जा रहा है। उसका सरफेस इतना नीचा कर दिया कि मेरे लक्ष्मणगढ में जो नहर आती थी, वह नहीं आ पाएगी। तो उसकी मंत्रीजी जांच करवाएं और जैसे पहले पानी चलता था, उसी प्रकार से व्यवस्था करवाएं।

कुछ एनिकट्स हैं, अगर वे बन जाते हैं जैसे गौरावाली, सिमरावाली गौड, जीरावली, मानपुरा पर तो वाटर लेवल ऊंचा आएगा और सिंचाई के भी काम आएगा। इसके लिए एक्स ईएन हमारा राजगढ़ बैठता है। लक्ष्मणगढ़ और गोविन्दगढ तक कोई एक्स ईएन पूरे रूप से कण्ट्रोल नहीं कर पाता। तो इसलिए उसका आफिस हमारे लक्ष्मणगढ़ में खोला जाए।

ज्यादा नहीं बोलूंगा। जितना टाइम दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ग्यारसारामजी कोली।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर सुबह से चर्चा हो रही है सदन में और दोनों ही मांगें पानी से रिलेटेड हैं। यह एक ऐसा विषय है, उसमें पूरा सदन चिन्तित है। इसमें न कोई

(श्री ग्यारसाराम कोली)

सत्ता पक्ष की बात है, न विपक्ष की बात है। सभी विधायकों की मंशा है और सभी चाहते हैं कि यह प्राब्लम सोर्ट-आउट हो। आवश्यकता है, हमारे संसाधनों को उचित तरीके से मेन्टेन करने की। जहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, चाहे सरकार कोई भी क्यों न हो, सबका उद्देश्य एक है। तो हमें यह लेसन लेना चाहिए कि पूर्ववर्ती कोई भी सरकार रही हो, उसने जितना काम किया है उसकी कमियों को उजागर करने से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना चाहिए कि हम उससे बढ़कर के हमारे संसाधनों को जुटाएं और पेयजल और सिंचाई के संसाधनों से जनता को राहत पहुंचाएं।

मैं पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, गरमी का मौसम आने वाला है, पहाड़ी क्षेत्र से आप विदित हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी की कितनी किल्लत होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के समय सांवरलालजी जाट साहब मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने दिल खोलकर जिस तरह से काम किया, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि दरिया दिल होकर के इस तरह की आप व्यवस्था करें कि आपको लोग याद करते रहें कि आपके समय में किसी को पानी की परेशानी नहीं उठानी पड़ी, आपने प्रत्येक गांव, ढाणी, राकी एरिया या मैदानी एरिया में सब जगह पानी पीने का उपलब्ध कराया।

हमारे पूर्वज प्याऊ लगाकर पानी की समस्या से निजात दिलाते थे और पानी पिलाकर के अपने आपको अहोभाग्य मानते थे। यह सौभाग्य की बात है कि ऐसा मंत्रालय आपके पास है, मंत्री महोदय। आप ऐसा अच्छा काम करिए और जन आकांक्षाओं को पूरा करिए, तभी हमारा पूरा सदन, चाहे हमारे कांग्रेसी भाई हों, चाहे भाजपा के...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करिए, आपकी अच्छी राय मान लेंगे; मंत्रीजी अच्छी राय हरेक की मानते हैं।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बयाना के आउटवार्ड कालोनी है। उसके पास में चार-पांच कालोनियां बसी हुई हैं, महावर कालोनी, भीमनगर, नगरा, मोरोलिया, रामायण कालोनी, पहरिया, आदि, जिनमें बड़ी भारी किल्लत रहती है। तो मैं चाहूंगा, वहां एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर टंकी का ऊपरी हिस्सा बनाकर के यदि वहां पानी पहुंचा दिया जाये और वहां सप्लाई हो तो समस्या से निजात मिल सकती है।

(श्री ग्यारसाराम कोली)

हैण्डपम्प लगाने की जहां बात है, मैं मंत्री महोदय से उदारता की अपेक्षा करता हूं।

जहां सिंचाई के साधन हैं, मेरा एक निवेदन है, हमारे भरतपुर के लिये पानी बन्ध बरेठा से पीने का सप्लाई होता है और उसमें पानी का स्टोरेज थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा इसमें सुझाव है कि यदि चम्बल से पानी लिफ्ट करके बन्ध बरेठा में डाला जाये तो यह दोनों ही काम आयेगा, सिंचाई के भी काम आयेगा, जब सिंचाई का उस पर रहेगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा और पेयजल की समस्या भी मिट जायेगी। इससे बयाना ही नहीं, बयाना, वैर, भुसावर, नदबई तक का पानी सप्लाई हो सकता है। रूपवास की भी सिंचाई और पेयजल समस्या साल्व हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: अब धन्यवाद, आप विराजें।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): एक मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: 9 बजने में 10 मिनट पहले मंत्री का रिप्लाई शुरू होना है।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): मात्र एक मिनट चाह रहा हूं। मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करता हूं।

रूपवास क्षेत्र में नदी पर एनिकट बनाया जाना बहुत जरूरी है। यदि एनीकट बन जाता है तो हमें सिंचाई के साधन भी सुलभ हो जायेंगे।

एक निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारे डीप बोर होते हैं, डीप बोर करने पर जो सरकार की बाध्यता है, सरकार की स्वीकृति है, उसको समाप्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आदराम मेघवालजी तो अनुपस्थित हैं।

श्री आदराम मेघवाल

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपाल मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर चर्चा हो रही है । इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष, दोनों सदस्यों ने सुबह से भाग लिया है। मैं कहना

(श्री गोपाल मीणा)

चाहूंगा कि यह जो बजट है, इस बजट में विपक्ष के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं निकाली, कोई ऐसी बात नहीं बताई कि इस बजट में कोई कमी है।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, आदरणीय अशोक गहलोतजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ हेतु बजट में ऐतिहासिक घोषणा की। मेज नदी का पानी रामगढ़ बांध में लाने के लिये 1,068 करोड़ के बजट में प्रस्ताव से पूर्व क्षेत्र में भारी खुशी हुई है। राजस्थान के मुख्य मंत्री यह घोषणा करके मेरे क्षेत्र एवं जयपुर जिले के लिये भागीरथ बन गये हैं। इसके लिये जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, वह कम है। मूझे पूरी उम्मीद है, यह कार्य समयबद्ध तरीके से लिया जायेगा।

रामगढ़ बांध जयपुर शहर, दौसा जिला, दोनों जिलों को पानी पिलाने की मीठी झील थी और वर्षों से इससे पानी लिया जा रहा था। लेकिन आज की स्थिति में इस बांध की तरफ किसी ने देखा नहीं, क्योंकि इस बांध में पानी बिलकुल सूख गया। सरकार ओर कोर्ट का ध्यान इस ओर गया। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर विराम लगाया और उन्होंने 2013-14 के बजट में रामगढ़ बांध के लिये इतनी बड़ी एक ऐतिहासिक स्कीम, जिससे रामगढ़ बांध के पुराने दिन फिर लौटेंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि रामगढ़ बांध में 20 फीट मिट्टी भर गयी है। इसके लिये बड़ी कोई योजना बनाकर, नरेगा के तहत इस बांध की मिट्टी निकलवायी जाए ताकि आने वाले समय में जब यह योजना लागू होगी, योजना के तहत पानी इसमें आयेगा तो अधिक पानी की इसमें उपलब्धता होगी। नरेगा के तहत मिट्टी निकलवायी जायेगी तो इस बांध का स्वरूप भी सुधरेगा।

पिछले दिनों पानी के लिये जो कैचमेंट एरिया और 417 बांध बने हुए थे छोटे-मोटे, उनको भी सरकार ने कोर्ट के थ्रू तुड़वाया गया है। इससे आने वाले समय में इस बांध में पानी आयेगा।

इस बांध में मेज नदी से पानी लाने की जो योजना बनायी है, बजट में रखी गयी है, मैं समझता हूं, जयपुर जिले के अलावा दौसा और टौंक जिले के भी इसमें करीबन 7 ऐसे तालाब और बांध हैं जो भरकर आगे आयेंगे। इस बजट में आदरणीय अशोक गहलोतजी ने जयपुर जिले के लिये ही नहीं, बल्कि दो, तीन, चार, पांच जिले इसमें लाभान्वित होंगे।

(श्री गोपाल मीणा)

मैं कहना चाहूंगा कि आगामी वर्ष में 3 हजार गांव और ढाणियों को भी राज्य सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनायी है। उसमें एस टी, एस सी और अल्पसंख्यक को भी लिया गया है। साथ में 20 हजार हैण्डपम्प रखे गये हैं। मैं कहना चाहूंगा, इस योजना के तहत मेरे क्षेत्र में, रामगढ़ बांध में जो पानी की आवक कम हो गयी थी, पानी सूख गया था, पानी सूखने के बाद भी पी एच ई डी द्वारा पानी का दोहन किया गया और जयपुर शहर को पानी पिलाया गया...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप करें, संक्षेप में।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): इसलिये वहां पानी की इतनी व्यवस्था खराब हो गयी। उसका दोहन हुआ जिससे पानी की गहराई नीचे चली गयी। रामगढ़ बांध के नीचे के जो क्षेत्र हैं वहां पानी का बहुत बड़ा संकट हो गया।

मैं इसके माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, सरकार ने अच्छा काम किया है, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा काम किया है लेकिन मेरे क्षेत्र में जो स्थिति है, फ्लोराइड की स्थिति है। गांवों में जो स्थिति है, मैं 2008 में जब विधान सभा में जीतकर आया, उस समय जिस भी गांव में जाता था तो देखता था कि हर गांव में लोग, हांडी लेकर सामने हो जाती थीं औरतें, कहीं भी जाओ। आज की स्थिति यह है...(व्यवधान) मटकी कह दो। मटकियां लेकर सामने आ जाती थीं। आज 4 साल हो गये, 4 साल में 500 सिंगल फेस मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र में लगे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, गोपालजी। अब, माननीय गोपालजी, समाप्त करें आप।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): जिसकी वजह से वहां क्षेत्र के लोगों को पानी मिला है। आज सिंगल फेस 500 लग गये।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी के लिये बता रहा हूं, क्योंकि एस टी और एस सी, दोनों के जो सिंगल फेस लगे थे, अल्पसंख्यक के लगे थे, उनके लिये सरकार ने योजना रखी थी कि इसका जो बिल आयेगा वह गवर्नमेंट चुकायेगी, लेकिन आज दो-तीन महीने से स्थिति यह है कि ये बिल नहीं चुकाये जा रहे हैं। इसकी वजह से कनेक्शन कट रहे हैं और लोगों में एक रोष पैदा हो रहा है। क्योंकि जब सरकार ने...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। यह समस्या तो सभी बोल रहे हैं। यह तो बिल नहीं चुक रहे, बिल नहीं चुक रहे, इसलिये कनेक्शन कट रहे हैं...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): विशेष समस्या यह है, इस समस्या पर ध्यान देकर सरकार द्वारा बिल का भुगतान करवाया जाए।

मेरे क्षेत्र में एक पी एच ई डी का ए ईएन आफिस होना चाहिये ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके।

सिंचाई विभाग के मेरे क्षेत्र में करीबन 5-6 बांध हैं और सिंचाई की व्यवस्था पर वहां ए ईएन और एक्स ईएन आफिस होना चाहिये।

दूसरा मेरे एरिये में...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। माननीय, अब समाप्त करें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): डार्क जोन है। डार्क जोन में मेरे यहां ऐसे गांव हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमारामजी। लेकिन आपको पांच मिनट से सवा पांच मिनट नहीं बोलना है।

श्री पेमाराम (धोद): चार ही...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): एक योजना है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारी तरफ से ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी भी क्या नाराजगी है? ऐसी भी क्या नाराजगी है?

श्री उपाध्यक्ष: एक इधर का, एक इधर का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, तो इधर से एक ही नाम नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: किसने कहा? माननीय, आप ऐसी बात न करें। असत्य कथन ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप भी ऐसा न करें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: असत्य कथन ठीक नहीं है। इसके बाद ये आयेंगे। वह मैं...(व्यवधान) असत्य कथन ठीक नहीं। असत्य कथन नहीं...

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मांग संख्या 27 और 46 पर...(व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): छुटाला गांव की एक 3 करोड़ 21 लाख की...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। माननीय पेमारामजी।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): एक 3 करोड़ 21 लाख की स्कीम है जो सरकार में चालू है...

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी। केवल पेमारामजी। पेमारामजी, बोलिये आप, आपका अंकित हो रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): मांग संख्या 27 और 46, इसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए, क्योंकि पानी...

श्री उपाध्यक्ष: 27 हो गये हैं...

श्री पेमाराम (धोद): मैं सुझाव देना चाहूंगा। आज भी हमारे राजस्थान के हिस्से का पानी हमें, यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, राजस्थान की धरती में पानी गहरा जा रहा है, पानी सूखता जा रहा है, पानी की विकट समस्या है और हमारे हिस्से का पानी राजस्थान में आये, निश्चित तौर पर सभी दल बैठकर, बात करके इसके बारे में कोई कदम उठाएं तो शायद मेरी समझ में बेहतर होगा।

दूसरा मेरा सुझाव इसमें यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी योजना 5 साल के लिये बनती है और 15 साल में पूरी होती है। 50 लाख रुपये की मंजूरी होती है और खर्चा करते-करते डेढ़ सौ लाख में भी पूरी नहीं हो पाती है। तो योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करें तो शायद उसमें बेहतर तरीके से रिजल्ट आयेगा।

बिजली के कनेक्शनों पर मंत्रीजी से निवेदन है कि अभी पैसा नहीं है तो भी रोको, वरना जनता भी सड़कों पर आयेगी। वह ठीक नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है।

मेरा निवेदन है कि विभाग में जो भी योजनाएं हैं उनमें भारी करप्शन है। ग्राम पंचायत में जो चीज डेढ़ लाख में बनती है, वह इनके डिपार्टमेंट में साढ़े पांच-छह लाख रुपये में बनती है। ठेकेदार वह काम भी ठीक से नहीं कर पाते। थोड़ा सुपरविजन करके इसको देखें तो शायद और बेहतर रहेगा।

मैं यही कहते हुए एक निवेदन और करना चाहूंगा, जैसे अभी साथी बोल रहे थे, 500 ट्यूबवैल बन गये, राजनीतिक भेदभाव न हो तो और बेहतर होगा। वरना तो, निश्चित रूप से इन चीजों का फर्क भी कोई राजनीति में पड़ने वाला नहीं है। हमें पता है कि हमारा नेता लगातार राजनीतिक भेदभाव का शिकार होता रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जनता सामने आ करके, राजनीतिक भेदभाव न हो, जनता तो सब जगह की जनता है।

श्री उपाध्यक्ष: आपके नेता तो एब्सेंट हैं, सीट पर ही नहीं हैं।

श्री पेमाराम (धोद): पूरा ही नहीं हुआ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री पेमाराम (धोद): घड़ी को देखो...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये आप।

श्री पेमाराम (धोद): घड़ी को देख रहा हूं। राजनीतिक भेदभाव के बजाय सारी जनता के लिये हम योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो बेहतर होगा।

यही सुझाव देते हुए धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय श्री पूरारामजी चौधरी। धन्यवाद। वाक-आउट नहीं करोगे तो पूरा समय मिलता रहेगा।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46 पर चर्चा हो रही है जिनमें सिंचाई और जलदाय योजनाएं हैं। जीवन के अन्दर हवा, पानी और भोजन बहुत ही जरूरी हैं। जिस प्रकार से सरोवर में जब पानी नहीं होता, वह खराब लगता है; वृक्ष पर जब पत्ते नहीं रहते तो वह भी सुहावना नहीं लगता और घर सूना बिना स्त्री के, वह भी है उसमें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जो नर्मदा योजना बनी, वह इस बार बागोड़ा, जस्सूपुरा, रानीवाड़ा में दी है, लेकिन भीनमाल में नहीं दी। भीनमाल की आबादी, 60 हजार तो केवल सिटी की है, भीनमाल के जितने गांव हैं वे उसमें नहीं लिये गये हैं। पहले जो योजना बनी थी, वह थोड़ी गलत बन गयी थी। पब्लिक-प्राइवेट योजना बनी थी, उसमें बहुत ही ज्यादा बजट था। उस पब्लिक-प्राइवेट योजना में से आप हटायें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि पानी जो हमारा जा रहा है, सांचोर से चला जाता है बाड़मेर। पूरे नहर क्षेत्र के अन्दर एक तरफ तो जमीन पानी से खराब हो रही है, लोगों के पूरे खेत खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा जालौर जिला पानी पीने के लिए तरस रहा है। 2008 में जालौर जिले के अन्दर नर्मदा का पानी आ गया था लेकिन सरकार की ढिलाई के कारण, अब तक जो पुराने पाइप थे, उस जमाने के वे पाइप मुश्किल से बागोड़ा तक डाल सके हैं। यह यदि आप 4 साल के पहले लाते तो आपकी वाहवाही होती, लोग कहते कि पानी जालौर जिले के अन्दर पहुंचा है।

(श्री पूराराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि पहले तो पब्लिक-प्राइवेट योजना में से निकालकर एक इमरजेंसी योजना भीनमाल शहर के लिए हो सकती है। 1998 में वहां एक पाइपलाइन डाली हुई है, उसमें से ही आगे के लिए जायेंगे; जस्सूपुरा, उसके पास में से गुजरेंगे। इमरजेंसी में कम से कम उस पाइपलाइन से भी जोड़ दें तो भीनमाल शहर की समस्या काफी हल हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय शायद हैं नहीं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसे पब्लिक- प्राइवेट में से निकालकर के भीनमाल के लिए पानी दें।

हमारे यहां ए.ईएन., जे.ईएन. अधिकारी हैं ही नहीं, वास्तव में। जो कमी है, उन अधिकारियों को लगायें। इमरजेंसी पानी के लिए कम से कम 45-46 टयूबवेल दें, यही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): 2 मिनट के अन्दर। 1966 के अन्दर जो माही परियोजना थी, जिसका पानी बाड़मेर और जालौर में जाना था, उसके लिए 1966 में एक कमेटी बनी थी, जिसमें नाथूरामजी मिर्धा, राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और विजय कुमारजी गुजरात के मिनिस्टर थे। उसके बाद 1985 में खोसला कमेटी की मिनिट्स बनीं, उसमें एन.के. सिंघवी साहब, एस.ई. थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट भेजी। उसके बाद 1988 के अन्दर इसकी पूरी रिपोर्ट फेवर में आ गयी। जो माही का पानी गुजरात में बह रहा है, जो पंचमहल जिले में जाता है और जो सरदार सरोवर बांध था, जिसमें एक एग्रीमेंट था, वह बांध पूरा बंध गया है, ऊपर तक पहुंच गया है। इसलिए माही का पानी, वह बाड़मेर और जालौर दोनों का मामला है, उसमें जो बांध थे, सेही बांध, सूकड़ी और बांडी बांध, वे बांध भी बनकर के तैयार हैं, इसमें आपका वह भी खर्चा नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, 7 दिन पहले धरना दिया था, आपको पता हो तो, जालौर जिले में जिला हैडक्वार्टर पर किसानों ने, करीबन 20-30 हजार किसान थे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। समाप्त करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): बाद में भी वे धरना देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसमें यदि रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो मैं सोमवार को लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये आप। माननीय सदस्यगण, यदि सदस्यगण बोलना चाहें तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, दोनों मुख्य सचेतक लिख देंगे, सुबह 7 बजे, 8 बजे तक भी सदन को चलाने की आसन अनुमति दे देगा। यह नहीं होना चाहिए कि कल की तरह एक पक्ष कह दे, दूसरा पक्ष कह दे, आसन पर यह बात आये कि आसन ने किया। आप दोनों सचेतकों को कह दीजिये, नहीं तो 9 बजने में 10 मिनट पहले मंत्रीजी का रिप्लाई चालू हो जायेगा, जैसी अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसलिए आप कृपया करके जैसा चाहें, समय है, आसन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। कल शनिवार है, आप पूरा चलाना चाहें कंटिन्यू तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आसन को कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय मेवारामजी। उपस्थित हैं?

(अनुपस्थित)

कोई बात नहीं।

माननीय श्री मदनजी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46, जो प्रमुख समस्या और प्रमुख मुद्दा है, पानी, उसके ऊपर बातें तो लंबी -चौड़ी हैं लेकिन समय कम है। 5-7 मिनट में तो भूमिका ही नहीं बनती। मन तो करता है, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, इनके प्रयासों से जो हमारे बाड़मेर को सौगात दी, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। माननीय जल संसाधन मंत्री, हेमारामजी ने जैसलमेर तक, अंतिम किसान के मुरब्बे तक जो पानी दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सभी करते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं हो लेकिन दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, करते सभी हैं। यह मामूली समस्या नहीं है, यह आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट हो सकता है। यह संकट कांग्रेस और बी जे पी के लिए नहीं, राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए होगा। इसके लिए जितने प्रयास करें, उतने कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कम समय को देखते हुए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दे रहा हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय लोकप्रिय

(श्री मदन प्रजापत)

मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने 15 करोड़ की बालोतरा और पचपदरा के लिए घोषणा की। माननीय मंत्री महोदय भी उस समारोह में हाजिर थे। मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि उस योजना का तुरन्त कार्य शुरू करवायें ताकि जनता को लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, उम्मेद सागर-कल्याणपुर योजना का पानी क्षेत्र में आ गया है लेकिन गांवों में सप्लाई नहीं हो रहा है। टेंडर भी हो गये, बजट भी है और एजेंसी ने काम भी शुरू कर दिया। टैंकरों के माध्यम से सप्लाई दी जाये गांवों में तो आम जनता को राहत मिल सकती है। उम्मेद सागर-कल्याणपुर योजना में मेरा सुझाव है कि उस प्रकार का कार्य, पाइपलाइन का पहले किया जाये ताकि कम काम में ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। मैं आपको मिलकर सुझाव दे दूंगा, ज्यादा पंचायतों को तुरन्त लाभ मिल सकता है। पानी आ गया है, पानी की कोई कमी नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने बजट की कोई कमी नहीं रखी, बजट पूरा है, वह काम पहले किया जाये ताकि जनता को लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पोकरण-फलसूंड का कार्य पोकरण तक पूरा हो गया है पाइपलाइन का, मेरा सुझाव है कि इसको बालोतरा से भी शुरू किया जाये। दोनों तरफ से कार्य शुरू होगा तो तुरन्त पूरा होकर के इसका आम जनता को लाभ मिल सकेगा। पाइप का कार्य भी हमारे आसोतरा में शुरू हो गया है, उसके ऊपर कवरिंग का, पाइप खूब संख्या में पड़े हैं। यह बालोतरा से वापस फलसूंड होते हुए कार्य को तुरन्त पूरा किया जाता है तो जनता को तुरन्त राहत मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जल माफिया मुख्य पाइप लाइन से पानी चोरी कर रहे हैं, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इसमें कड़ी कार्यवाही नहीं की गयी तो वह योजना फेल हो सकती है। मेरा आग्रह है कि उन तमाम असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा करें ताकि लोगों में और जल माफियों में भय होगा कि सरकारी मुख्य पाइपलाइन के हाथ लगाने का परिणाम क्या होता है। हमने कई बार उनको आग्रह भी कर दिया, थाने में भी हमने मदद की है। मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि वे 5-7 लोग जो व्यापार कर रहे हैं, वे खुद पाइपलाइन से पानी चोरी-छुपे ले रहे हैं। तो उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाये। जरूरत पड़े और मुकदमा भी करना पड़े तो आप करें ताकि उन जल माफियाओं में भय व्याप्त हो।

(श्री मदन प्रजापत)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने इन दोनों योजनाओं के लिए मेरे क्षेत्र में 1,200 करोड़ रुपये, चाहे उम्मेद सागर हो, चाहे पोकरण हो, दो मिनट का समय लेते हुए, आपने कहा तो सजेशन ही दे रहा हूं, मैं भाषण आज नहीं दे रहा हूं, बजट पूरा दिया है।

मेरा एक सुझाव और है कि पचपदरा हैडक्वार्टर पर एक ए ईएन, सहायक अभियन्ता के पद पर, मैं कह सकता हूं कि एक बीमारी ही समझो, वह बीमारी बैठी है, उनके खिलाफ आप तुरन्त कार्यवाही करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वह वहां रहना ही नहीं चाहते। उसकी वजह से वहां व्यवस्था बिगड़ रही है। तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें ताकि जनता को राहत मिल सके।

मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि आज दोनों माननीय मंत्रीजी, जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी, दोनों ही जमीन से जुड़े हुए और किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से ये योजनाएं पूरी हो रही हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में अगर विकास का दूसरा कोई नाम है तो वह अशोक गहलोत है, आज विकास के नाम से उन्हें विकास पुरुष कहा जाये। इसके अलावा, जो भी बजट दिया है, 20 हजार करोड़ रुपये की तमाम योजनाएं, चाहे 20 हजार हैण्डपम्प हों और दूसरी बड़ी-बड़ी बातें जो आ रही हैं, वे हो गईं, पानी अंतिम छोर तक पहुंचा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज में 100-100 लोग मरे और वे आज सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा हो जाये, वैसा हो जाये। जब आपने पांच साल शासन किया तो सजेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सही, व्यवस्थित, जो आज माननीय अशोकजी गहलोत के राज में माननीय जितेन्द्र सिंहजी और माननीय हेमारामजी कर रहे हैं, इसी तरह आपने काम किया होता तो आज जनता को भुगतना नहीं पड़ता।

इसके अलावा, आज भी कई बातें...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। माननीय कानसिंहजी कोटड़ी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मुझे खुशी है कि रिफाइनरी तो आ गई, रिफाइनरी से तेल भी आ गया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। माननीय कानसिंहजी कोटड़ी का ही अंकित होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 27 और 46 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं संक्षेप में मेरी बात निवेदन करूंगा।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जो एक समृद्ध क्षेत्र था, परन्तु अपर्याप्त वर्षा और नदियों के प्रवाह में अवरुद्धता के कारण पानी की विकट समस्या इस तरह से हुई है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी पोकरण-फलसूण्ड योजना, उम्मेद सागर-धावा-समदड़ी योजना मेरे क्षेत्र में बनाई थी, उसके लिए भी राशि स्वीकृत की थी। वर्तमान सरकार के द्वारा भी 2012 के अन्दर मेरे इस विधान सभा क्षेत्र में दोनों ही योजनाओं के अन्दर, पोकरण-फलसूण्ड के अन्दर 103 गांव और सिवाना कस्बे आते हैं और उम्मेद सागर-धावा-समदड़ी के अन्दर 56 गांव और समदड़ी कस्बे हैं, 2013 के अन्दर भी योजना पोकरण-फलसूण्ड योजना के अन्दर 485 करोड़ रुपये वर्तमान सरकार द्वारा खर्च किये गये हैं। बड़े दु:ख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी साढ़े चार वर्ष की अवधि में मात्र एक हमारे समदड़ी कस्बे के अन्दर पानी पहुंचा है।

मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से बालोतरा के अन्दर, इस योजना के अन्दर होते हुए इमरजेंसी स्कीम बनाकर जो आपने बालोतरा को उम्मेद सागर-धावा-समदड़ी, इस योजना से जो पानी की सप्लाई की है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समदड़ी तक जो पानी पहुंच चुका है कर्मावास मात्र 3 किलोमीटर दूर है, मेरा आपसे यह निवेदन है कि बाद में भी वह पाइपलाइन काम में आयेगी और मेरा जो आगे का क्षेत्र है, खारा बेल्ट, खण्डप के जो गांव आये हुए हैं, वहां पर पानी की विकट समस्या है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बालोतरा की तरह हमारे समदड़ी से कर्मावास को जोड़ें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। कानसिंहजी, आप समाप्त करें।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): पूर्व में वहां पर जो पाइपलाइन लगी हुई है, उनसे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आगे के जो समस्याग्रस्त गांव हैं, उनकी पेयजल की समस्या का समाधान होगा। आज वहां पर विकट स्थिति है।

मेरा निवेदन है कि दूसरी आपकी जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं, बिलकुल नाकारा हो चुकी हैं। हमारा जो क्षेत्र है, जिसके अन्दर लूणी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चम्बल नदी का पानी रामगढ़-जयसमन्द बांध के अन्दर लाने की बात कही है...

श्री उपाध्यक्ष: कानसिंहजी, समाप्त करें।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): दो मिनट में। जयसमन्द-राजसमन्द और मेघा बांध में लाने की बात कही, मैं, यहां पर हमारे मंत्रीजी विराजमान हैं बाड़मेर जिले के, माननीय हेमारामजी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): मारवाड़ की मरु गंगा नदी, इसके बारे में भी सोचा जाये...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पदमारामजी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): प्रत्येक तीन वर्ष में हमारी इस लूणी नदी के अन्दर पानी लाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री पदमारामजी का अंकित किया जाये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पदमारामजी, बोलिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, कानसिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 मिनट का समय, दो माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे और दो इधर से बोलेंगे, 9 बजे मंत्रीजी का जवाब करवा दें। जब तक डिमाण्ड पारित न हों, तब तक के लिए आप सदन का समय बढ़ा दें। 9 बजे मंत्री महोदय को आप अपना जवाब देने के लिए बुला लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 9 बजे मंत्रीजी के ...(व्यवधान) आप दोनों अलग से बैठ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे दोनों की सहमति है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन सुबह तक हाउस चलाने में, कल सैटरडे है, कोई एतराज नहीं है, रात वाली बात छोड़ो। (व्यवधान) आप दोनों बैठकर, मैंने निवेदन कर दिया है, बैठकर निर्णय कर लीजिये, आसन को कोई एतराज नहीं है।

माननीय सदस्यगण, यह प्रस्ताव आया है कि 9 बजे तक जो

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य बोल सकें उनको बोलने का, 9 बजे माननीय मंत्रीजी का जवाब शुरू कर दें और जब तक मंत्रीगण बोलें, तब तक सदन का समय बढ़ाया जाये। क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

डिमाण्ड स्वीकृत होने तक सदन का समय, मंत्रीजी 9 बजे बोलेंगे और जब तक बोलें, डिमाण्ड स्वीकृत हों, तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय पदमारामजी। (व्यवधान) आप मुख्य सचेतक लोगों से कहिये।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री पदमाराम (चौहटन): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल एवं मांग संख्या 46-सिंचाई पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तथ्यात्मक बात कीजिये, पदमारामजी, सजेस्टिव बातें करें क्योंकि समय नहीं है। फिर दूसरे माननीय सदस्य को बुलाया जाये। सजेस्टिव, क्या चाहते हो, आप बता दीजिये।

श्री पदमाराम (चौहटन): हां, बिलकुल। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नर्मदा नहर से मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अन्दर 322 गांवों के पेयजल हेतु 540 करोड़ का प्रावधान किया। वे धन्यवाद के पात्र हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज भू-जल के स्तर में कमी आ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलो, पदमारामजी, आपका समय जाया हो रहा है।

श्री पदमाराम (चौहटन): पानी आज बहुत गहरा चला गया है। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से ...(व्यवधान) बोलने तो दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, डिस्टर्ब न करें। (व्यवधान) बोलने दें उनको, समय दिया है उनको।

श्री पदमाराम (चौहटन): ट्यूबवैल जो हैं उनके अन्दर मोटरें और पाइपें पुरानी हो गई हैं, केबल पुरानी हो गई हैं, उनको चेंज करने की कृपा करावें।

ज्यादातर समस्या, जो स्कीमें हैं, आपने जनता जल योजना दे दी है। ग्राम पंचायतों के अन्दर धन का अभाव है और ग्राम पंचायतों में जनता जल

(श्री पदमाराम)

योजना है, उसमें फण्ड का अभाव होने से, संसाधनों का अभाव और स्टाफ की कमी के कारण, लम्प-सम, आधे से ज्यादा योजनाएं, स्कीमें बंद पड़ी हैं। उनको आप नियमित रूप से चालू करने के लिए नए पम्प, नई केबल और नई पाइपलाइन की व्यवस्था करायें तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा।

मैं जल संसाधन मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा नहर का पानी बाड़मेर जिले में, गुढामालानी और चौहटन क्षेत्र में आया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले दो साल में हमारे क्षेत्र के अन्दर नर्मदा नहर का पानी आया, हमारे किसानों की अच्छी खेती हो रही है। मेरा निवेदन है कि नर्मदा का जहां निर्माण हुआ है, उस नहर के अन्दर हमारे क्षेत्र में। जो पश्चिम और उत्तर का हिस्सा है, उसको अन-कमाण्ड क्षेत्र घोषित कर दिया। मेरा निवेदन है कि आप उस क्षेत्र को सर्वे करवाकर कमाण्ड क्षेत्र घोषित करें। उस क्षेत्र के अन्दर जो अनियमितता हुई है, जो अन्याय हुआ है, जिन किसानों ने अपनी भूमि दी है, जो 25 बीघा, 30 बीघा भूमि, नर्मदा नहर के अन्दर आपदा आई है, उसको 10 बीघा भी जमीन के अन्दर पानी नहीं मिल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र को भी जोड़ने की कृपा करावें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री शिवजीरामजी मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल संक्षिप्त बोलूंगा। मेरे यहां की समस्याओं का निवेदन कर दूं मैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर आज चर्चा हो रही है। मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर क्षेत्र के जो फ्लोराइडयुक्त गांव थे, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पिछली सरकार के समय एक 50 करोड़ की स्कीम बनाकर 15 लाख रुपये सर्वे के लिए स्वीकृत किये गये थे। उसका सोर्स देख लिया गया था, इंटेक वेल के लिए जगह देख ली गई थी, स्थान चिह्नित कर लिया गया था लेकिन उस स्कीम को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि चम्बल का पानी आ रहा है। मैं दुर्भाग्य कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की जनता को फ्लोराइडयुक्त पानी मिल रहा है। एक 50 करोड़ की स्कीम थी, उसको इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वहां

(श्री शिवजीराम मीणा)

चम्बल का पानी आ रहा है। चम्बल का पानी तो, मैं समझता हूं, पता नहीं, कब आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: आप सजेस्टिव बोलिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): हां, सजेस्टिव ही बोल रहा हूं, सर। एक स्कीम हमारे यहां पर धुवाला-जहाजपुर-पंडेर-स्कीम के नाम पर, 73 गांव और 33 ढाणियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए बनाई, जो पिछले डेढ़ साल से विभाग के पास विचाराधीन है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन है कि पानी की भयंकर समस्या है, लोग कुबड़े हो रहे हैं, उनके दांत खराब हो रहे हैं, एक 38 करोड़ रुपये की स्कीम है, लोगों को हजार-हजार करोड़ रुपये की स्कीम सैंक्शन कर रहे हैं, मैं तो केवल आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, एक 38 करोड़ की स्कीम जो आपके पास विचाराधीन है, उसको स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर समस्या है, उसमें आपके लोग भी प्रभावित हैं। मेरे क्षेत्र में एक हनुमान नगर के नाम से देवली नगरपालिका के आसपास जो लोग बसे हुए हैं और वे लोग बसे हुए हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भारतीय सेना में या तो सेवारत हैं या पेंशन के बाद में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए देवली नगरपालिका में आकर बसे हैं। उनको पानी की सुविधा नहीं होने से पिछली सरकार के समय 2 करोड़ 9 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें आपके क्षेत्र के लोग भी निवास करते हैं। सारा काम उस स्कीम का हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस आर बन गई है, सी डब्ल्यू आर बन गया है, सोर्स बन गये हैं, उसमें ए सी पाइप लिये गये थे स्कीम में ओर ए सी पाइप की सप्लाई बंद हो गई है, उन्होंने बाद में रिवाइज्ड स्कीम बनाने के यहां से निदेर्श दिये, रिवाइज्ड स्कीम में पीयूसी पाइप लिये गये लेकिन जब स्कीम आपके पास आई तो उसमें राइडर डाल दिया कि जो योजना स्वीकृत हुई, उसमें 40 परसेंट पैसा जमा कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सुनिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सब सुन रहे हैं।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): उस स्कीम को स्वीकृत हुए, आज

(श्री शिवजीराम मीणा)

अगस्त में उसकी रिवाइज्ड स्कीम स्वीकृत हो गई है, 2 करोड़ 41 लाख रुपये की स्वीकृत हो गई है लेकिन 8 महीने में उसके टेण्डर नहीं हुए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां वे लोग निवास करते हैं जो भारत की रक्षा में सेवारत हैं या रिटायर होकर वहां बसे हुए हैं, एस सी, एस टी के लोग।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टीकड़ पाइप स्कीम हमारी जो स्वीकृत हुई 2007 में, उसका 2008 में सारा काम पूरा हो गया। ये रीजनल स्कीम थी, उसको पाइप्ड स्कीम में कंवर्ट किया गया, 2008 में सारे काम सैंक्शन हो गये, मतलब पूर्ण हो गये। (व्यवधान) दो मिनट लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट तो नहीं, अब तो समय हो गया। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसका सारा काम कम्प्लीट हो गया, 2009 में इसकी टैस्टिंग इसलिए नहीं की गई कि वहां पानी की कमी थी, 2010-11 में पानी पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद फोर लाइन में पाइपलाइन टूट गई और आज 4 साल, 5 साल कम्प्लीट होने के बाद में उसका लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए। माननीय मदन लालजी वर्मा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनसे बात कर लेना, यहां दो मिनट और। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ये सब के हित की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्कीम है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है लेकिन हम लोगों को पानी नहीं दे सकते। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सारी स्कीम को सेपरेट रूप से स्वीकृत करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन लालजी वर्मा।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27

(श्री मदनलाल वर्मा)

-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में पीपलास परियोजना और गागरिन परियोजना, दो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। पीपलास परियोजना में 47 परिवार अनुसूचित जाति के ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा के जो आते हैं, वहां की ग्राम पंचायत द्वारा 47 परिवार के लोगों की सिवायचक भूमि को आबादी में कंवर्ट नहीं करने के कारण वे 47 परिवार आज मकानों के मुआवजे से वंचित रह गये। उन 47 परिवारों को पुनर्वास के कारण जमीन तो दे दी परन्तु उनको मुआवजा नहीं देने के कारण वे गरीब परिवार अपना मकान वहां बनाने में असमर्थ हैं। मैं सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि 47 परिवार और लगभग 62 परिवार गागरिन परियोजना के ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं और उन परिवारों को मुआवजा से वंचित रखा गया है। चूंकि इस क्षेत्र में राजस्थान के सिंचाई विभाग द्वारा एक आदेश 18.6.2002 को दिया था जो मुआवजे से वंचित रह गये, ये बीसलपुर परियोजना में एक अलग से सिवायचक/चरागाह भूमि पर बने हुए मकानों के प्राप्त प्रस्तावों पर अनुदान राशि के सम्बन्ध में पैसा दिया गया था, तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है 18.6.2002 के आदेश से मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों परियोजनाओं के अनुसूचित जाति के 114 परिवार हैं, उन परिवारों को मुआवजा दिलाकर उनकी पुनर्वास व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की गंधार तहसील, वहां लगभग पठार क्षेत्र है और पठार क्षेत्र होने के कारण सारा पानी बहकर निकल जाता है। कैचमेंट एरिया होने के कारण हम एनिकट, वगैरह नहीं बना पाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंधार तहसील की घाटी और किशन नगर लघु सिंचाई योजनाएं हैं, इनका सर्वे का काम हाथ में लेकर और इन योजनाओं को स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बहादुर सिंह कोली।

श्री बहादुर सिंह (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब ने कहा था, पानी पर

(श्री बहादुर सिंह)

विश्व युद्ध होगा; मेरे वैर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तो कई बार लाठी, फरसे और गोलियां भी चल चुकी हैं और वहां तो विश्व युद्ध हो भी गया है चालू।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहूंगा, मंत्री महोदय की भरतपुर में ससुराल है और हमने मंत्री महोदय को बहुत कुछ दिया है तो भरतपुर वालों के लिए मैं पानी मांग रहा हूं मंत्री महोदय से।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सुख-चैन छीन लिया आपने मंत्री महोदय का।

श्री बहादुर सिंह (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वैर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वैर कस्बे के अन्दर टंकी पुरानी थी, ओल्ड हो गई है, वह टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है। वैर कस्बे के अन्दर डायरेक्ट पानी आता है बोरिंग द्वारा और आधा कस्बा पानी से प्यासा मरता है। उसमें 5-5, 6-6, 8-8 दिन तक पानी नहीं आता है। एक तो वैर कस्बे के अन्दर पानी का इंतजाम कराया जाए।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, वैर कस्बे के चारों तरफ नहर है, उस नहर के अन्दर पानी पहाड़ों से आता था, नाले द्वारा, उन नालों पर अतिक्रमण कर लिया ओर उस नहर के अन्दर पानी नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, उस नहर की सफाई हो जाए और उसकी मरम्मत हो जाए तो वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा। उसके नहर के चारों तरफ कम से कम 20 और 25 कुएं हैं, उन कुओं का वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा।

(21.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा में भी बजट बहुत है और वाटर वर्क्स, पी एच ई डी के पास भी बजट बहुत है। तो मेरा एक सुझाव है कि गांवों के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें, 9 बज गये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर नाली बनाई जाए और नाली, नाला बनाकर नाले का पानी पोखरों में डाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): क्योंकि हर गांव के अन्दर पोखर होते हैं, उस पोखर में पानी डलेगा तो हर गांव का वाटर लेवल ऊंचा होगा और उस पोखर के चारों तरफ कुएं होते हैं, चार-चार, पांच-पांच, उन कुओं का भी वाटर लेवल ऊंचा होगा।

(श्री बहादुर सिंह)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बाणगंगा नदी आती है, उससे फायदा दौसा के लिए होगा, भरतपुर जिले के लिए होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। ससम्मान विराजिये, यह आपसे अनुरोध है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): बाणगंगा पर एनिकट बनाये गये हैं उन एनिकटों को हटा दिया जाए तो भरतपुर के लिए, दौसा के लिए बहुत फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 50 प्रतिशत वैर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं, उन हैण्डपम्पों को सुधारा जाए। महिलाएं हैण्डपम्प चलाने में परेशान हो जाती हैं....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। माननीय बहादुर सिंहजी, समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, उन हैण्डपम्पों में सिंगल फेस मोटर लगा दी जाए तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: क्षमा करें, आप विराजिये। चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त।

डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

श्री बहादुर सिंह (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, विधायक कोटे से जो हैण्डपम्प देते हैं, उसमें विभाग की बहुत लापरवाही होती है।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर जितेन्द्र सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री; श्री हेमाराम चौधरी, जल संसाधन मंत्री एवं श्री बृजेन्द्र ओला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप पार्टी के सचेतक से बात करिये। पार्टी के सचेतक से बात कीजिये आप। जो भी है, व्यवस्था आपने ही कर रखी है। कल क्या हुआ, आप सब छोड़कर चले गये। आसन तो चाहता है कि सुबह छह बजे तक चलाएं, इजाजत ले लीजिये, आसन को कतई एतराज नहीं है।

माननीय डाक्टर साहब। केवल डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी का अंकित हो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रेज किये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलें डाक्टर साहब, और किसी का नहीं हो रहा है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पर जो आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई है....

श्री उपाध्यक्ष: केवल डाक्टर जितेन्द्र सिंह। और किसी का अंकित नहीं होगा। आप बोलिये, डाक्टर साहब। (व्यवधान)

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय मुख्य सचेतक, आप इस तरह से इंगित करके मत बुलाइये। मैं बुलाना चाहता था। (व्यवधान) केवल डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी का अंकित होगा। आप तो सीनियर मेम्बर हो, विराजिये। (व्यवधान)

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कोई टेबल करने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। बोलिये, डाक्टर साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह हाउस ने डिसाइड कर लिया। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप बात तो सुनिये। आपको व्यवस्था दी जाएगी, व्यवस्था दी जाएगी, आप विराजिये। यह जो कार्य का संचालन माननीय अध्यक्षजी का है...

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इजाजत नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी गई सूची के अनुसार माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आप अध्यक्षजी से बात कर लें, सदन निर्णय कर ले और उसी के आधार पर आसन पर जो भी होगा, वह करेगा।

माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। आप बात कर लीजिये। इनकी व्यवस्था है, आप देख लीजिये। कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग है, उसमें आप निर्णय कर लीजिये, सदन में मैटर को ले आइये। जो माननीय सदस्य करेंगे, उसी के अनुरूप होगा; नहीं तो माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था के आधार पर चलेंगे।

डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। किसी का अंकित नहीं होगा। केवल डाक्टर जितेन्द्र सिंह। बोलिये, डाक्टर जितेन्द्र सिंह। और किसी को कोई इजाजत नहीं है। डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 जो बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है, उस पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है दोनों पक्षों की ओर से।

उपाध्यक्ष महोदय, एक भविष्यवक्ता थे नोस्त्रेदमस, उन्होंने कहा था आज से हजारों साल पहले, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे चिंता की कि for water there will be IIIrd World War, नोस्त्रेदमस ने हजारों साल पहले कह दिया था, I am seeing the earth like a fire ball. I am not seeing any glacier or rivers. They are drying. हजार साल पहले जो नोस्त्रेदमस, वह सबके सामने उजागर हो गई। आज ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे नार्थ एण्ड साउथ पोल के आइस राक्स टूटकर इधर-उधर हो रहे हैं और पूरे नेचर के अन्दर एक इस तरह की व्यवस्था हो रही है, जो चैलेंज हो गया है ह्यूमेनिटी के लिए। आज हमारे विकसित देश मार्स और मून पर पानी सर्च कर रहे हैं; डर है कि पानी समाप्त हो गया तो क्या होगा। जैसे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और मेरे पड़ोसी सदस्य ने कहा। It is a challenge to the humanity now.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी देना मजाक नहीं है। राजस्थान के पास, हमारा दो लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक तो सैंड ड्यूंस हैं, रेगिस्तान है। सबसे बड़ा प्रांत है, 10% of the total country की लैण्ड है, वहां पर एक-एक व्यक्ति को पानी देना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चैलेंज है। जैसलमेर माननीय छोटूसिंहजी साहब का एरिया है, it is equal to Kerala. उपाध्यक्ष महोदय, यह चैलेंज है, राजस्थान में हम तुलना करें कि अन्य राज्यों

(डा. जितेन्द्र सिंह)

के मुकाबले राजस्थान में पानी किस तरह दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा चैलेंज माननीय अशोकजी गहलोत ने एक्सेप्ट किया। जो बार-बार चार्ज लगता है कि आपने योजनाएं शुरू कीं और आज तक नहीं हुईं, how you can compare कि IGNP जो लाइफलाइन है, जो हजारों किलोमीटर आ रही है, वह रेगिस्तान में हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके आपके 24 घंटे में आ जाएगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं और उनको कम्प्लीट होने में वर्षों लगते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे एक लाख 21 हजार हैबिटेशंस हैं, गांव हैं, ढाणियां हैं जिनमें करीब 72 हजार को स्वच्छ पानी दे दिया, करीब 23 हजार को हम लोग अच्छा पानी दे रहे हैं और 26 हजार अभी भी हमारे पास जो इम्प्योरिटीज की ढाणियां हैं, उनमें 14 हजार सैलिनेटेड हैं। उसमें डीग से आने वाले माननीय सदस्य का खुद का क्षेत्र, नावां से आने वाले माननीय सदस्य का क्षेत्र, बाड़मेर से आने वाले सभी माननीय साथियों का सैलिनेटेड है, नमक भरा पड़ा है सारा का सारा। दस हजार ढाणियों में फ्लोराइड है; नागौर और बाड़मेर के बहुत बड़े एरिये में फ्लोराइड है और यह बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे कंट्री की जो इम्प्योरिटीज हैं वे 60 प्रतिशत टोटल राजस्थान में हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद भी राजस्थान में जिस तरह से हम आज पानी की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, वह एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में 84 प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस हैं, जिनमें 21 हजार करोड़ का खर्च होगा और उनमें से करीबन 34 प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गये हैं और बाकी अंडर-प्रोग्रेस हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिर्फ 10 प्रतिशत ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल होता है, 86 प्रतिशत हमारा इर्रिगेशन में होता है और इस पानी को स्टेबल करने के लिए, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर बचाने से काम नहीं चलेगा। एक ड्रोप अगर एक दिन में गिर रही है तो एक साल में जाकर 30,000 लीटर पानी बरबाद होगा। पानी तब बचेगा, जब पानी का इस्तेमाल जो इर्रिगेशन में होता है, माननीय कृषि मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, आप स्वयं इजरायल जाकर आये हुए हैं, इजरायल की स्थिति बहुत खराब है, हमारे राजस्थान से भी, लेकिन वहां किस तरह से उन्होंने पानी की बूंद-बूंद को यूटिलाइज किया है। हालांकि

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इतना बड़ा स्टेट होने के कारण it is challenge to the Government लेकिन फिर भी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को बचाकर, पानी के टेबल को ऊपर कर नहीं सकते, जैसा कि सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, जयपुर में जब सारा कुछ हुआ था, साढ़े तीन मीटर पानी का टेबल ऊपर आ गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ड्रिप इर्रिगेशन, उसको हम करेंगे, स्प्रिंकलर पर डालेंगे, और व्यवस्था करेंगे, उस पानी को बचायेंगे, then we can save the water.

हम रिचार्जिंग कर रहे हैं। हमने पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कर दिया, स्कूल्स को कर दिया। यू डी एच की हमारी जो सिटीज हैं, उनमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 300 मीटर से ज्यादा की बिल्डिंग हैं, उनको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जरूर कर दिया। ये सब जरूरी हैं।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मारवाड़ का सारा क्षेत्र था, जिंदा ही टांकों पर था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चैलेंज के वक्त में जो माननीय अशोक जी गहलोत ने 21,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट किये हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। हमारी लाइफलाइन है इन्दिरा गांधी नहर, जो सीधी हनुमानगढ़-गंगानगर से शुरु होती हुई मोहनगढ़ लास्ट तक चली जाती है और उससे हमारे जो 11 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब-करीब नौ कवर हो गये थे, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लास्ट बचे हुए सीकर और झुंझुनूं के इलाकों को भी 850-950 करोड़ रुपये देकर कवर किया, उनको बधाई। लेकिन आज की आवश्यकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य, दौसा से आने वाले मेरे साथी मंत्री, वहां आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है पानी का।

आई जी एन पी से हमारा बाड़मेर और उसके बाद पूरा हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यह सारा कवर हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाइफलाइन्स गिना रहा हूं। जो बीसलपुर, अजमेर की बात हो रही थी, बीसलपुर जयपुर को कवर कर रहा है; जयपुर के बाद में जो जयपुर के एसोशिएट टाउन्स हैं, दूदू है, फुलेरा है, उन सबको कवर कर रहा है।

सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, चैलेंज है, जयपुर एक्सपांड हो रहा है लाइक एनीथिंग, इसकी 31 लाख पापुलेशन हो गई। यहां हमारी नई-नई कालोनीज आ रही हैं, they need water extra for them. खो-

(डा. जितेन्द्र सिंह)

नागोरियान में उनको अलग से पानी चाहिए। यह चैलेंज है, क्योंकि ये बाद की आई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012 और 2013 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 8,500 करोड़ रुपये की और घोषणाएं कीं। नागौर का बहुत बड़ा चैलेंज था। नावां से आने वाले माननीय सदस्य, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, जिनके वहां पर फेस-2 चल रहा है। और बहुत सारे साथी बैठे हैं, फेस-1 में नागौर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3.75 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट एक जिले में लाना, 2,000 करोड़ रुपये का बाड़मेर में अकेले में लाना, ये कंट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये अशोकजी गहलोत राजस्थान में लेकर आये हैं। उन सब पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8,500 करोड़ के 42 प्रोजेक्ट थे 2013 के, उनमें हमने 42 में से 38 के ऊपर टेण्डर कर दिये, चार बाकी हैं और जो सबसे बड़ा देश का प्रोजेक्ट है, जो हमारा इन्दिरा गांधी नहर से सीधा पानी आयेगा नागौर जिले के लिए और वहां के 60 टाउन्स को और 988 गांवों को, इसमें लाडनूं भी है, माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र है, उसको भी पानी देगा। This is the biggest project of drinking water in the country today, जो जापान की एड से होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावा, हमारे चम्बल से, second lifeline is Chambal, चम्बल से भीलवाड़ा को 1,150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, वह अण्डर-प्रोग्रेस है। हमारे भरतपुर से, डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वहां 2001 में धौलपुर से भरतपुर तक का चम्बल के पानी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका शिलान्यास किया था, पांच साल तक वह ठंडे बस्ते में डला रहा, दुबारा जब सरकार आई, कार्य प्रारम्भ हुआ। 2012 में हम लोग गये, भरतपुर को पानी मिला और भरतपुरवासियों को यह जानकर और खुशी होगी कि इसका जो सैकण्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अन्दर कुम्हेर, डीग, नगर, कामां, यह पूरा क्षेत्र आ रहा है, उसमें सारा पानी जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। This is a long drawn system. आप एक दिन में कहें, कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसा खर्च ही नहीं किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, this is a continuous process. यह जो कैनाल बनती है, एक दिन में

(डा. जितेन्द्र सिंह)

नहीं बनती। महाराजा गंगासिंहजी ने आज से करीबन, आलमोस्ट सेंचुरी बैक, उन्होंने जो गंग नहर बनाई, वह एक दिन में नहीं बनाई। आज जो पानी आयेगा, हिमालय का पानी चलकर क्षेत्र में आयेगा, सैंड ड्यून्स में आयेगा, उसमें समय लगता है। इसलिए जो प्रोजेक्ट मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिये हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें राजस्थान का, जो टोटल आज तक के प्रोजेक्ट लिये गये हैं, हमारे सरफेस वाटर से आज सिर्फ 10 प्रतिशत कवरेज था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ये सारे प्रोजेक्ट्स लाये हैं, उसमें राजस्थान का 60 प्रतिशत इलाका सरफेस वाटर और नहरों से, सबसे जुड़ जायेगा। This is a great achievement.

हमने क्या किया या माननीय प्रतिपक्ष की सरकार ने क्या किया, सवाल इस बात का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन्होंने हमें इलेक्ट करके, इस हाउस में लेकर आये हैं, उन 6.80 करोड़ लोगों को और पांच करोड़ पशुओं को पानी पिलाने की जिम्मेदारी हर सरकार की है, चाहे हमारी हो, चाहे प्रतिपक्ष की हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, lot of challenges are there. जैसे मैं नागौर का इन्चार्ज हूं, वहां एक बांग पट्टी है, वहां बांग पट्टी की प्रोब्लम क्या है, वहां फ्लोराइड है। फ्लोराइड में जो बोन्स हैं, वर्टिकल कालम हैं, वह बिलकुल स्टिफ हो जाता है Flexibility will not be there. बोन्स खराब हो जाती हैं। तो उसको वहां क्षेत्र में बांग पट्टी बोलते हैं, तो प्रोबेबली जब जापान की टीम आई, उन्होंने वह क्षेत्र देखा, तब उन्होंने 2,250 करोड़ रुपये हमें लोन के रूप में एग्री किया। It is a big challenge.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार अपनी व्यवस्थाएं करा रही है, वह हर क्षेत्र में करा रही है। पानी पिलाना कोई बात नहीं होती है, quality of water should be there. आप ड्रिंकिंग वाटर भी लो, क्वालिटी वाटर लो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे करीब 10,000 हैबिटेट्स हैं, उनमें 5,500 में हमने डि-फ्लोराइडेशन यूनिट लगा दी हैं, एक-एक 80,000 रुपये की आती है। 4,500 गांव बचे हुए हैं, इन 4,500 में भी 2,100 गांवों में हमने डि-फ्लोराइडेशन यूनिट लगा रखी हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने मुझे लिखकर दिया है कि हमारे फ्लोराइड है पानी में। बहुत से सदस्यों ने कहा कि उनके यहां फ्लोराइड अफेक्टेड जोन हैं, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, this is the work of my department also कि वे डिटेक्ट करें कि कहां-कहां फ्लोराइड है, अगर वे फील करते हैं कि वहां फ्लोराइड है तो मुझे सूची उपलब्ध करा दें, मैं

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इमिजिएटली डि-फ्लोराइडेशन यूनिट...। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी किसी सरकार की या किसी पार्टी की बात नहीं है; पानी है, वह खुदा की इनायत है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, ''हे अर्जुन, यह दुनिया अनन्त है क्योंकि इसके रक्षक सूर्य, वायु और जल हैं।'' उपाध्यक्ष महोदय, यह हर एक का राइट है, उसका अधिकार है कि उसको पीने का अच्छा पानी मिलना चाहिए और यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह व्यवस्था करायें। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि क्वालिटी इनफेक्टेड कोई भी उनके इस तरह के गांव हों, उनकी सूची मुझे उपलब्ध करा दें, मैं इनडिस्क्रिमिनेटली उनके यहां डि-फ्लोराइडेशन यूनिट लगा दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहनी है क्योंकि आलरैडी बहुत समय हो चुका है, मेरे कुछ साथियों ने प्रश्न किये थे, उनके अधिकतर के, सभी के रिप्लाई तैयार हैं, मैं व्यक्तिश: भेज दूंगा।

सिविल लाइन्स से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एम एन पी के अन्दर जो मनी है, उसका डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होता है? जो पैसा भारत सरकार से मिलता है, वह एन आर डी डब्ल्यू पी में मिलता है और 50 प्रतिशत शेयर उनका होता है, 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट का होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कैसा डिस्ट्रिब्यूशन आफ द मनी किया जाये, यह एक सिस्टम है। It is a difficult process. उसमें कहीं फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, कई इम्प्योरिटीज उसकी हैं, कहीं ग्राउण्ड वाटर नहीं है क्योंकि आलरैडी 238 में से हमारे 31 ब्लाक्स हैं।

माननीय खींवसर से आने वाले सदस्य ने भी कहा है कि उनके वाटर टेबल, बेटर हो गया है रेन्स से, उन्होंने मांग करी है कि उसकी पुन: जांच कराई जाय। आफ कोर्स, मैं मेरे अधिकारियों से कहूंगा, this is a matter of the Govt. of India कि कहां डार्क जोन होता है।

जैसा कि माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि फोर स्टेजेज में, अधिक दोहन, साधारण दोहन, अधिक दोहन और फिर उसके बाद में एक्सेस, वह उसमें डिवाइडेड है चार जोन में। तो भारत सरकार का अपना उसमें डिसिजन होता है कि वह किस तरह से करे। तो वह उन्होंने कहा है, मैं डेफिनेटली अधिकारियों से कहूंगा कि वे इसकी जांच करें, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं एक ही बात

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जिसका हम सभी को एडवांटेज लेना चाहिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीस हजार हैण्डपम्प्स के लिए कहा है। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं कि मुझे लिस्ट उपलब्ध करा दें, जहां-जहां आवश्यकता होगी, बिना किसी पार्शलिटी के I will distribute the hand-pumps and all that. मैं आपसे बताना चाहूंगा, सारे के सारे जो भी हैं, आप बतायें मुझे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी चिंता प्रकट की, सिविल लाइंस से आने वाले हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो सिस्टम है कंटिंजेंसी प्लान का, गर्मियों के वक्त तुरन्त हम दौड़ लगाते हैं कि पानी की व्यवस्था करें, वह तो इसी तरह से आ जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, जब आग लग गई तब कुआ, खोद रहे हैं। It is not possible. उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन हमने प्रोसेस शुरू कर दिया था जनवरी से, हमारे अधिकारियों की, सबकी मीटिंग ली गई और हमने कहा कि अभी हैण्डपम्प रिपेयर प्रोग्राम चालू करो, हैण्डपम्प रिपेयर किये। उसके बावजूद भी कई जगह बार-बार शिकायत आती है, पाइपलाइन चाहिए, कहीं यह होता है कि उनके फिटिंग्स चाहिए, कहीं यह होता है उसका ट्यूबवैल ड्राई हो गया। ये सारी प्रैक्टिकल प्रोब्लम्स देखते हुए, 250 करोड़ रुपये इसके लिए रख दिये गये हैं अलग से। जिस विधान सभा क्षेत्र में जो भी प्रोब्लम होगी, उसमें ये 250 करोड़ रुपये आपको पूरी हेल्प करेंगे। चाहे पाइपलाइन चाहिए, चाहे आपको कुछ भी चाहिए, आपके लिए यह व्यवस्था कर दी जायेगी 250 करोड़ रुपये की। वहां जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं वे सीधे इसके लिए एंटाइटल्ड हैं कि जिस विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवैल सूख गये हैं वे तुरन्त दूसरा मंजूर कर दें, even without wasting a single penny. यह सारी व्यवस्था कर दी है, उपाध्यक्ष महोदय, ताकि आज चैलेंज नहीं हो छोटी-छोटी बात के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफिसेज नहीं हैं हमारे पास। हमने बिजली में करीब एस ई, एक्स ईएन, जे ईएन, बहुत सारे आफिसेज खोले, बीस हजार की भर्ती की, टेक्निकल हेल्पर्स की, जे ईएन की लेकिन पानी के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सीधे, more than, बिजली में तो हमारे सिर्फ एक करोड़ उपभोक्ता ही हैं, लेकिन पानी में तो उपभोक्ता छह करोड़ अस्सी लाख प्लस चार करोड़ पशु भी, पूरे के पूरे सिस्टम को चाहिए आज पानी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें। तो मैंने अभी इसके लिए बात की

(डा. जितेन्द्र सिंह)

है मेरे अधिकारियों से और हम जहां-जहां महत्वपूर्ण हैं, वहां अलग से आफिसेज खोलेंगे और अधिकारियों की और कर्मचारियों की भर्ती करेंगे ताकि, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोब्लम उनके नहीं रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना के लिए बहुत परेशानी हुई, वह भी रही है। पहले, उपाध्यक्ष महोदय, सारा सिस्टम डिपार्टमेंट के पास था और डिपार्टमेंट चला रहा था लेकिन भारत सरकार के, हमारे मार्गदर्शन के अनुसार जो विभाग पांच ट्रांसफर किये गये हमारे पंचायती राज को, पंचायत में, माननीय मंत्री महोदय नहीं हैं यहां पर, लेकिन अब यह इम्पोर्टेंट इश्यू हुआ कि उनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाय, पंचायत वाले अधिकार मांगते हैं, हमें दो। सरकार ने फंड्स, फंक्शंस एण्ड फंक्शनरीज, हमने हमारा अपना फंड, हमारी जो कार्यशैली और हमारे अधिकारी पंचायतों को, समितियों को हैण्ड-ओवर कर दिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना में यह था कि जो साढ़े पांच, पांच हजार चार सौ जनता जल प्रोजेक्ट्स हैं, राजसमंद से आने वाली हमारी माननीय सदस्या ने यह चिंता प्रकट की, बाड़मेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने भी चिंता प्रकट की, जनता जल योजना में यह बहुत बड़ी समस्या है कि जनता जल योजना को प्रैक्टिकली ढंग से कैसे चलाया जाय। मैं जानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नया दे दिया गया है उनको, वे खुद कहते हैं कि यह हमारे वश का काम नहीं है। लेकिन सिस्टम में और रिलेक्स करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले जनता जल योजना में हजार रुपये मिलता था पम्प आपरेटर को, उनको बढ़ाकर हमने 83 रूपीज पर-डे, ढाई हजार रुपये कर दिया उसको ताकि जनता जल योजना वाले को उसमें मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावा, पर-होर्स पावर फोर हण्ड्रेड रूपीज हमने कर दिया है, उसका यीअरली जितना भी बिल बनेगा, उसका मैं आपको बताना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी चिंता का विषय था, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर एस टी, एस सी के कनेक्शन काट दिये गये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगल फेस कनेक्शन एस सी, एस टी, जिनके काटे गये हैं, उसका सारा पैसा राज्य सरकार देगी, वह किसी को नहीं देने पड़ेंगे।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय एम एल ए और एम पी लैड की जो भी मनी है, उसका भी पैसा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सारे का सारा पंचायत राज के माध्यम से जमा होगा, उसमें उनके लिए किसी को...।

माननीय हमारे मंत्री, सीकर से आने वालों ने चिंता प्रकट की थी कि जो कामन हैण्डपम्प्स सिंगल फेस हैं, क्योंकि हैण्डपम्प बहुत बड़ी संख्या में ड्राई हो गये, ग्राउंडवाटर टेबल नीचे चला गया, तो वह उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरपंच को भरना पड़ता है और वह सारा पैसा सरपंच के, हमारे दांतारामगढ़ से आने वाले माननदय सदस्य बिल दिखा रहे थे एक लाख अस्सी हजार का कि वह कहां से जमा करायें क्योंकि उसको अपना वह देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम उस पर चर्चा करेंगे अपने अधिकारियों से कि जो कामन हमारे हैं, बाकी के बचे हुए सिंगल फेस हैं, उसमें किस तरह से व्यवस्था की जाय कि उनके ऊपर भार नहीं पड़े, मैं इस पर चर्चा करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी मांग हमारे साथियों ने की, बाकी तो मैं भेज ही रहा हूं, नीमकाथाना से आने वाले सदस्य ने कहा कि नीमकाथाना का और यह सारा डार्क जोन में है, उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सीकर जिला आलमोस्ट डार्क जोन में है, अधिकतर सारे ब्लाक्स हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं नीमकाथाना के लिए जो सिटी की उनकी पी एच ई डी स्कीम है, उसको स्वीकृत करने के लिए घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा लालसोट से आने वाले माननीय मंत्रीजी के वहां पर खोरापाड़ा, यह स्कीम है, इसकी भी दौसा में, दौसा के हमारे माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, वहां बहुत बड़ी समस्या है ड्रिंकिंग वाटर की, तो खोरापाड़ा की जो स्कीम है, उसको भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकृत करता हूं।

इसके अलावा, हमारे मूण्डवा के लिए मैंने कह ही दिया, उसके रिसर्वे के लिए कहा है, जो डार्क जोन है।

जो नये आफिसेज खोलने के लिए मेरे पास लक्ष्मणगढ़, नावां और कई जगह से आया है, तो मैं रिस्ट्रक्चर करके उसको मैं पूरा प्रयास करूंगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, घोषणा ही कर दो एक्स ईएन आफिस की तो। प्रयास क्या? आपके लिए तो कोई छोटी सी बात है यह।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हेमारामजी चौधरी, राजस्व मंत्री। जल संसाधन मंत्री।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन, सिंचाई विभाग की मांग संख्या 46 पर 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर सदन में रखे। आपकी चिंता और मेरी चिंता एक ही है कि किस प्रकार से, कैसे हमारे किसानों को खेती के लिए हम पानी उपलब्ध करा सकें जिससे कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, आदि में कमी नहीं रहे।

कोई समय था, जब देश में अनाज की बहुत कमी थी, इस सदन के माननीय सदस्यों को, कइयों को, हो सकता है, जानकारी नहीं हो, एक छपनिया अकाल पड़ा था, जिसके बारे में मैंने भी सुना है, देखा नहीं है, अनुभव नहीं है मुझे, छपनिया अकाल में लोगों ने खेजड़ी के छोड़े खाकर के अपनी जिंदगी बचाई थी, जीवन बचाया था। सम्वत् 2026 का अकाल तो अभी पड़ा है, इसको कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, सम्वत् 2026 के अकाल में देश में अनाज की कमी पड़ गई, अमेरिका से ज्वार मंगाना पड़ा और वह ज्वार लोगों को खाने के लिए मुहैया कराया। अमेरिका के सामने भी, भारत सरकार को अमेरिका से निवेदन करना पड़ा और वह ज्वार खाने से लोगों को रात का, रतौंधी हो गया, रात को दिखता नहीं था क्योंकि वह पौष्टिक नहीं था। पशुओं के खाने में काम आने वाली थी लेकिन लोगों ने मजबूरी में ज्वार को खाया और अपने जीवन बचाया। यह मेरे खुद के अनुभव की बात कहता हूं।

अगर सरकार इस सिंचाई की सुविधा पर ध्यान नहीं देती तो सम्वत् 2026 से आज दिन तक, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी, इतनी जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी आज देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। अनाज के भण्डार भरे पड़े हैं, गोदामों में अनाज खराब हो रहा है, जैसा कि अपन कई बार सुनते हैं, आज दलहन, तिलहन, चाहे फल, सब्जी, किसी की भी कोई कमी नहीं है। तो यह सिंचाई सुविधाओं पर सरकार ने ध्यान दिया, उसी की वजह से यह सब हो रहा है, किसानों की मेहनत की वजह से भी।

आज इंदिरा गांधी नहर का पानी भाखरा-पोंग डैम से यहां बाड़मेर जिले तक पहुंच गया। कितने किलोमीटर दूर से यहां पर लाया गया है। क्या यह बिना प्रयास के यहां पहुंच गया? क्या सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? या फिर यह अपने आप यहां पर पहुंच गया?

तो सरकार ने सिंचाई की सुविधाओं पर ध्यान देने में कोई कमी नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

रखी है और सुविधाएं आज सिंचाई की बढ़ी हैं, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ी है। इसके बावजूद भी आज 70 परसेंट जनसंख्या खेती पर निर्भर है। हर काश्तकार यह चाहता है कि मुझे भी सिंचाई के लिए पानी मिले, तो मैं भी अपनी अच्छी फसल पैदा कर सकूं और मेरा जीवनयापन ठीक से कर सकूं। यह इच्छा हर किसान की रहती है। इसलिए आज हर जगह से किसानों की यह मांग आ रही है कि हमें भी सिंचाई का पानी दिया जाए।

आज जो वर्तमान में सिंचाई के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें आगे बढ़ाने की बात, उसमें और एरिया सम्मिलित करने की बात सदन के माननीय सदस्यों ने रखी है। नये प्रोजेक्ट्स की भी बात कही। तो यह बस मांग आ रही है। इसके लिए संसाधन की जरूरत है। संसाधन इतने तो नहीं हैं कि एक साल में या पांच साल में सिंचाई की सारी सुविधाओं की जो जरूरत है, वह सब हम पूरी कर देंगे, परन्तु प्रयास करने से धीरे-धीरे इसका विस्तार हुआ है।

वैसे राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के अन्दर सबसे बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और देश का जो क्षेत्रफल है, उसका 10.4 प्रतिशत इस राजस्थान का भू-भाग है; देश की जनसंख्या में राजस्थान प्रदेश 5.5 प्रतिशत है और जो सतही जल है, वह मात्र 1.6 है और दोहन योग्य भूजल, वह है 1.72 प्रतिशत। तो इस तरह से प्रदेश का भू-भाग देश के प्रदेशों से ज्यादा है, सतही और भू-जल दोनों की कमी है। इसके बावजूद प्रदेश में जो सिंचाई हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है, वह एक रिकार्ड उत्पादन है। पिछले वर्ष भी जो गेहूं का उत्पादन हुआ, लोगों को बेचने में मुसीबत आ गई थी; सरकार ने बोनस दिया, तब जाकर के किसानों ने बेचा। एफ सी आई के खरीदने में कई बार मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इतना उत्पादन हो रहा है, यह सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान दिए जाने की वजह से हुआ है।

आज राजस्थान में 248 ब्लाकों में से केवल 26 ब्लाकों में ही दोहन योग्य भू-जल रहा है, बाकी डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। नीचे का, जो जमीन का भू-जल है, वह तो दिनोंदिन कम होता जा रहा है। पानी गहरा होता जा रहा है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन सतही जल जो है, उसको किस प्रकार से, कैसे हम व्यर्थ नहीं बहने दें और किस प्रकार से उसका उपयोग करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम सिंचाई की सुविधा किसानों को मुहैया करा सकें, इसके लिए नई पद्धति अपनाने की जरूरत है। पहले फ़व्वारों से सिंचाई नहीं होती थी, ड्रिप से सिंचाई नहीं होती थी, अब फव्वारों से सिंचाई की पद्धति

(श्री हेमाराम चौधरी)

शुरू की है, ड्रिप से सिंचाई की पद्धति शुरू की है। इजरायली की जो सिंचाई पद्धति है, उसको अपने प्रदेश ने अपनाया है। बुरड़क साहब इजरायल जाकर आये और इन्होंने हमें बताया कि वहां किस प्रकार से कैसे खेती करते हैं, किस प्रकार से, कैसे पानी वे वह उपयोग में ले रहे हैं। वहां की समस्या अपने यहां से भी ज्यादा गम्भीर है। वहां पर वे जो खेती करते हैं, पौधे, वगैरह जो हैं, उनके नीचे प्लास्टिक लगा देते हैं और वह पानी फिर वापिस दुबारा काम में ले लेते हैं। अपने यहां भी पानी की पहले बहुत समस्या थी। अब आप समझते हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद भी वह समस्या नहीं रही है?

मुझे ध्यान है, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, पहले पानी गांव में था ही नहीं। जो लोग स्नान, वगैरह भी करते थे तो पानी जो शरीर का होता था, उसको भी वे वापस दुबारा काम में ले लेते थे, मवेशी को पिला देते थे या दूसरा जो गोबर, वगैरह, आंगन वगैरह बनाते-करते, उसमें काम लेते; किसी न किसी काम लेते थे और वह व्यर्थ में नहीं जाने देते थे। आज की जीवनशैली के हिसाब से पानी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। पानी का पहले पुराने बुजुर्ग कैसे, किस प्रकार से उपयोग करते थे और पानी को पूजते थे, सूर्य को चढ़ाते थे। लेकिन अब प्रवृत्ति पहले से भिन्न होने की वजह से पानी का दोहन भी अधिक हो रहा है, उपयोग भी अधिक हो रहा है।

पानी की स्थिति दिनोंदिन विकट न हो, इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास जल की उपलब्धता सीमित है, संसाधन भी हमारे सीमित हैं। सीमित जल और सीमित संसाधनों को देखते हुए हम किस प्रकार से, कैसे इसका उपयोग कर सकें, अगर यह सोचें कि अकेली सरकार ही यह सब कुछ करेगी, सरकार से यह पार पड़ने वाली नहीं है। किसी के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत आसान है लेकिन काम करना काफी कठिन है। ऐसा नहीं है, अभी चार साल हो गए हैं हमारी सरकार को बने हुए, पहले आप की भी सरकार रही, अगर आप सब कुछ ठीक कर जाते तो फिर आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। सब कुछ कोई नहीं कर सकता है। प्रयास आपने भी किया होगा, ऐसा नहीं है; कोई आपकी नीयत में खोट थी, ऐसा नहीं मानते हैं। कहने को कोई भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाये, आपने भी कोशिश करने में, मेरे ख्याल से, कोई कमी नहीं रखी है, हमने भी हमारी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है। उसके बावजूद भी सब कुछ कर देंगे, चुनावों से पहले-पहले, सारा, यह सम्भव नहीं हो पाएगा। अगर सब कुछ कर देंगे

(श्री हेमाराम चौधरी)

तो फिर आगे, अगले चुनावों के बाद फिर जब हमारी सरकार बनेगी, तब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आगे भी करने के लिए रहेगा। मेरे कहने का मतलब, कोशिश करने में हमने कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है।

जो माननीय सदस्यों ने इस चर्चा के दौरान अपने विचार रखे, अपनी समस्याएं रखीं, सुझाव प्रस्तुत किये, उन सब पर पूरी तरह से हम गौर करेंगे। अधिकारियों ने उन सब सुझावों को नोट किया है और मैंने भी सुना है, नोट किया है और अधिकारियों को मैं निर्देश दे रहा हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर व्यक्त किए हैं, उनको गम्भीरता से लें और उन सुझावों, उन समस्याओं के ऊपर जो भी अपन कर सकते हैं, जो भी यह सरकार कर सकती है और सरकार के सामर्थ्य में है, उसको करने में किसी प्रकार की वे कोताही नहीं बरतेंगे। यह हमारी भावना है और हमारी सोच है।

किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार हरसौली को उप-तहसील बनाने का मामला आया, तो मैंने इनको जवाब में कहा, आप उसको पढ़ ले, उसका मतलब ही यही था कि आपकी जो उप-तहसील है, उस पर हम गौर करेंगे, परीक्षण करेंगे, नार्म्स में नहीं आ रही है, जो मापदण्ड है, उसमें नहीं है; विचार करके, प्रदान करके, रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे। इतना कहने के बावजूद भी वे वेल में आ गये जैसे कोई वेल में आने से हो जाएगा, लेकिन आपको हमारी भावना समझनी चाहिए कि मेरे कहने की भावना क्या थी।

हम जो कुछ भी कहते हैं, वह इस तरह से हवा में बातें नहीं करते हैं। हमारी भी भावना वह ही है जो आपकी है। तो आपने देखा, मेरे कहने का मतलब, अब ये पवनजी दुग्गल कह रहे थे कि साहब, पानी बंद हो गया, ये हो गया, वह हो गया, तो मैंने इनको कहा था, कर देंगे, कल की ही बात है, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। अब आज इनको विश्वास हो गया, वह रेग्यूलेशन बढ़ा दिया। तो वह कल की बात थी और वह आपकी समस्या का समाधान हो गया।

मेरे कहने का मतलब, कोई भी पक्ष-विपक्ष का सवाल नहीं है, समस्या जनता की है। आपकी कोई समस्या नहीं है, न मेरी कोई समस्या है, समस्या तो जनता की है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आप भी यहां आये हैं और उनके समाधान के लिए हम भी यहां पर आये हैं। हम बहुमत में हैं इसलिए सत्ता में हैं, आप बहुमत में नहीं हैं इसलिए सत्ता में नहीं हैं। फर्क

(श्री हेमाराम चौधरी)

सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मुझे इस बात का कोई गुमान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, मंत्रीजी, इस सदन के सभी सदस्य आपकी सहृदयता की बड़ाई तो करते हैं, भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं सभी सदस्य। देख लीजिये, ताली बज गयी, टेबलें बज गईं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप शामिल हैं कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पारीक साहब की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इसमें नहीं हो, केवल मंत्रीजी की बात है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कम से कम मुझे तो इस बात की गलतफहमी नहीं है कि मैं आज सत्ता में हूं, इसलिए मैं आज कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं, मंत्री हो गया हूं। मंत्री तो विधायक ही बनता है। विधायक में और मंत्री में कोई फर्क नहीं होता है और मंत्री, विधायक और साधारण आदमी में भी कोई फर्क नहीं होता है। कभी हम विधायक होते हैं और कभी नहीं होते हैं। विधायक रहे भी, नहीं भी रहे। हमने तो सब अनुभव देखे हैं। विधायक नहीं भी रहे। टिकट मिली, नहीं भी मिली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका दार्शनिक भाषण हमने सुन लिया, अब घोषणाएं कर दो। आपका बहुत अच्छा सुन लिया हमने। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): राठौड़ साहब, आपने भी काफी देर तक भाषण दिया जल की महत्ता के बारे में। जल की महत्ता आप ही समझते हो क्या? जल की महत्ता के बारे में तो हर आदमी को जानकारी है, हर आदमी को, जल की महत्ता क्या है, जल ही जीवन है। लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, रहिमन पानी रखिये बिन पानी सब सून। तो इसलिए सबको पता है, महत्ता के बारे में। मेरे कहने का मतलब यह है, आपको अच्छी नहीं लग रही तो इसलिए कह रहे हैं कि घोषणा कर दो, घोषणा कर दो, घोषणा तो सारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कर दीं, बाकी क्या रही? बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। आप चाहो तो उन्हीं घोषणाओं को मैं वापस यहां पर आप कहो तो मैं एक-एक पढ़ने के लिए, बताने के लिए, तैयार हूं। तो घोषणाएं तो सारी मुख्य मंत्री जी ने कर दीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं। मंत्रीजी, आप कंटीन्यू करें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अगर आप चाहें तो वर्तमान सरकार की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पारीक साहब।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): राठौड़ साहब, एक मिनट। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे कहने का मतलब यह था कि मुझे इस बात का गुमान नहीं है कि मैं कोई मंत्री हूं, कि सत्ता में बैठा हूं। उधर भी नम्बर नहीं आए, इधर तो आ गया, ठीक है पर उधर भी आये कि नहीं आये, कोई जरूरी थोड़े ही है। मुझे ध्यान है, विधायक दल की बैठक होती थी तो कई बार सभी सदस्य, विधायक लोग कहते थे कि साहब, तनख्वाह बढ़ाओ, यह बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, सुख-सुविधाएं बढ़ाओ, तब मैं हमेशा कहता था कि यह वर्तमान की बात मत करो, पूर्व विधायकों की बात करो जो आगे जाकर के अपने काम आएगी। बात यों समझा करो। तो वह समझ में आती नहीं थी और फिर वे भूतपूर्व हो जाते ...

श्री उपाध्यक्ष: आप इन्डायरेक्ट मत कहिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): और फिर बाद में हमको कहते कि पूर्व विधायकों के लिए कुछ कर रहे हो क्या? तो मैं कहता हूं, उस समय मैं बहुत कहता था न, आपके समझ में नहीं आयी, अब पूर्व विधायकों के लिए कौन करे? तो यह बात तो समझ में आये, तब है। मेरे यह बात पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, समझ में आई हुई है। इसलिए यह नशा मेरे को नहीं, नशा आप लोगों को रहता है।

पिछली बार मैं उधर बैठता था, आपके सामने। मैं आपको हमेशा आगाह करता था कि आप सत्ता के नशे में मत रहो, यह सत्ता का कोई पता नहीं है, कब आये और कब जाये। जीवन का ही पता नहीं है, हम रहेंगे, कब चले जाएंगे, क्या पता। ये स्थायी कुछ नहीं होता, न सत्ता स्थायी है, न जीवन स्थायी है, परन्तु आपको नशा था, आप उस समय नशे में थे। मैं कहता था, चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपका नशा उतर जाना चाहिए, फिर भी आपका नशा नहीं उतरा। वह इसलिए नहीं उतरा क्योंकि आपने छाया मंत्रिमंडल बनाया। यह कैसा मंत्रिमंडल? क्योंकि आपके मंत्रिमंडल के बिना तो बैठता ही नहीं मामला, मंत्री तो रहना ही रहना है, चाहे छाया मंत्रिमंडल बनाओ। कोई बात नहीं, आप कैसा ही मंत्रिमंडल बनाओ, आपकी इच्छा हो वैसे बनाओ, तो आपने मंत्रिमंडल बनाया।

मुझे ध्यान है, मैं भी प्रतिपक्ष का नेता रहा। प्रतिपक्ष का नेता पद भी महत्वपूर्ण पद होता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) पुरानी बात याद नहीं दिलाऊंगा मैं आपको।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): लेकिन उस समय आपने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, वह भी मुझे पता है; राठौड़ साहब, मुझे वह भी पता है। आज आप और हम सब माननीय सदस्य जो भी यहां पर आये हैं न, वे जनता की पैरोकारी करने के लिए आये हैं और जनता की समस्याओं का रखने के लिए आये हैं। अगर वह जनता की पैरोकारी करे, जनता की समस्याएं यहां पर रखें और उनको रखने का अवसर भी नहीं दें, तो अच्छी बात है क्या? अब हो सकता है, कई बार आपको अवसर नहीं मिले, कोई इस तरह की बात हो पर वो समय हमने भी देखा है पिछली बार।

तो इसलिए, राठौड़ साहब, आपने कहा, भाषण, तो भाषण देने का मैं कोई शौकीन नहीं हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं सीधी-सीधी बात कहता हूं, आप हाथ से, यों इशारों से, इस तरह से बहुत करते हो, मैं देखता हूं, मेरी तो वह प्रैक्टिस नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय त्रिवेदीजी। ये शायद पहला मौका है, जब राठौड़ साहब शांति से सुन रहे हैं, पहला मौका है। धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी, आप कंटिन्यू कीजिये। हो गया, अब ये नहीं बोल पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मेरी तो वह प्रैक्टिस है नहीं। (व्यवधान) मेरी तो वह प्रैक्टिस है नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपने दे दिया कि सारा सदन आपकी सहृदयता पर द्रवित है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया, वरना कूद पड़ते मैदान में।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां और बजट घोषणाएं, आप कहो तो मैं पढ़ दूं?

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ दीजिये आप, पढ़ दीजिये, मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पिछले चार वर्ष के कार्यकाल में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं पर 2,630 करोड़ रुपये व्यय करके 1.86 लाख हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह लिखा हुआ पढ़ लिया हमने। कोई नयी बात हो तो बताओ। वरना क्या मतलब है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नयी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह तो पढ़ लिया न; बजट में जो बात मुख्य मंत्रीजी ने बोली, वह हमने अक्षरशः पढ़ ली। उसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ न कुछ नवीनता मिलेगी ही। बूंद-बूंद पानी का उपयोग तो मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अच्छा, नवीनता मिलेगी, तब फिर ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं आपको जो उपलब्धियां हैं हमारी, वह ही कहूंगा।(व्यवधान) लिखा हुआ कहने से आपको क्या तकलीफ है?

नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर का निर्माण, 1,300 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया जाकर गत तीन वर्षों में इस परियोजना के अन्तर्गत 1.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। ये फव्वारा पद्धति से नर्मदा नहर पर देश का पहला ही प्रोजेक्ट है। इस नर्मदा नहर से पहले 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित हो सकता था, जो नर्मदा नहर से हमें हमारे हिस्से का पानी मिला है उससे लेकिन बाद में, यह इस प्रोजेक्ट को चेंज किया और इसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई का प्रावधान किया। तब इसमें 1.26 लाख हैक्टेयर के स्थान पर 2.46 हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा बढ़ी।

इसी तरह से, इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर भी हमने फव्वारे का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया है और फव्वारे से सिंचाई शुरू हो गयी है। आने वाले समय में इन्दिरा गांधी नहर और दूसरे प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी फव्वारे से सिंचाई हो जिससे कि और सिंचाई का क्षेत्र बढ़े, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कुंभाराम कैनाल, तारानगर वाली की भी घोषणा कर दो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप कहो, वह ही बोलूं या मैं मेरे हिसाब से बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष: तारानगर में बहुत इच्छुक हो रहे हैं आजकल, क्या चक्कर है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपके हिसाब से बोलूं कि मेरे हिसाब से बोलूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दोनों के हिसाब से बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वर्ष 2013-14 में इस परियोजना के अन्तर्गत पचास हजार हैक्टेयर में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। 2013-14 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सी ए डी के अतिरिक्त 1,112 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है एवं 32,100 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक रिकार्ड है।

राज्य में अब तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 118 वृहद् एवं मध्यम तथा लगभग 9,440 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की जा चुकी हैं जिनसे अब तक लगभग 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

प्रदेश में फरवरी, 2010 में राज्य जल नीति लागू कर दी गई है। इस राज्य जल नीति लागू करने के पश्चात् इंटिग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं और वाटर यूजर्स एसोसिएशन के सहयोग से कृषकों की सहभागिता इसमें हम शामिल कर रहे हैं जिससे कि सिंचाई सुविधाओं को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग मिले, उसके प्रबंधन में सहयोग मिले।

राज्य जल नियामक अभिकरण, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, यह विधान सभा में पेश कर दिया। सलेक्ट कमेटी में रेफर करने का आप लोगों का ही सुझाव था, हमने आपकी बात मानी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): विरोध था हमारा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सलेक्ट कमेटी में भेजने का, यह तारानगर से आने वाले सदस्य का ही सुझाव था। (व्यवधान) आप तो कर रहे हो विरोध और ये कह रहे हैं कि जल्दी पास करो। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने...(व्यवधान) इसको जल्दी पास करो, आज ही इन्होंने कहा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अगर प्रयास करो तो गंगा-जमना का पानी लाने का प्रयास करो, घग्घर का पानी रोकने का करो, कालीसिंध के पानी को रोकने का करो, माही के पानी को रोकने का करो, यह मेरा निवेदन है। गंगा-जमना का पानी लाओ तो सात सौ कोस तक बहेगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय फूलचन्दजी भिण्डा और शंकर सिंहजी, ब्यावर वालों को माइक की जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पहले विधान सभा में जब यह बिल पेश हुआ था, तब सलेक्ट कमेटी भेजे जाने का सुझाव आपकी तरफ से ही आया था, विपक्ष की तरफ से। मैंने उसको स्वीकार किया और सलेक्ट कमेटी में भेजा और आप लोगों में से जो सिंचाई में रुचि रखते हैं, उन लोगों को सलेक्ट कमेटी में सदस्य रखा। (व्यवधान) यह कमी रह गई। यूं तो, काम करेंगे तो उसमें थोड़ी-बहुत तो कमी रह सकती है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ...(व्यवधान) विदेशी कम्पनी नहीं आएगी पानी पिलाने के लिए। इसका मैं आज भी विरोध करता हूं, कल भी विरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सिर्फ इतनी ही कमी रही कि उसमें आपको सदस्य नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आज आप ज्यादा आक्रामक हो रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आक्रामक नहीं।

वर्तमान प्रगतिरत योजनाएं-सतही जल के उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा वृहद योजनाएं, जिनमें राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (RWSRP) और नर्मदा नहर परियोजना, इनका कार्य अभी प्रगति पर है।

आधुनिकीकरण योजना में गंग कैनाल आधुनिकीकरण, पांच मध्यम योजनाएं, गरड़दा, तकली, पीपलाद, गागरीन एवं ल्हासी, इन पर काम चल रहा है; 45 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य भी प्रगति पर है।

ईसरदा बांध, बीसलपुर के डाउनस्ट्रीम में ईसरदा बांध के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे झालावाड़ एवं कोटा जिलों के 91 गांवों व 14 हजार 478 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

परवन परियोजना 2,360 करोड़ रुपए की है, इसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा। इस परियोजना से कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के 313 गांवों की 1.31 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी व 820 गांवों को

(श्री हेमाराम चौधरी)

पेयजल सुविधा प्रदान की जाएगी। इस परियोजना हेतु केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की फोरेस्ट एडवाइजरी कमेटी दिनांक 20 मार्च, 2013 को परियोजना क्षेत्र का दौरा करेगी।

माही परियोजना-बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना की हरिदेव जोशी नहर से वंचित क्षेत्र तथा पाटन क्षेत्र में 21 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण कार्य करवाना प्रस्तावित है।

नई प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाएं-वर्ष 2013-14 में 228 करोड़ रुपए की लागत से 14 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

नई महत्वाकांक्षी योजनाएं- राज्य के कुछ नदी बेसिनों में वर्षा के समय अतिरिक्त पानी बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। ऐसे बहकर जाने वाले पानी का राज्य में ही उपयोग करने की दृष्टि से कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके अन्तर्गत चम्बल से अलवर के जयसमंद बांध में, मेज नदी से जयपुर के रामगढ बांध में, माही से जयसमंद, राजसमंद एवं मेजा में पानी लाने हेतु केन्द्र के सहयोग से परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से रास्ते में आने वाले तालाबों में भी पानी दिया जाएगा। रामगढ़ सिंचाई परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 152 करोड़ रुपए है तथा सिंचित क्षेत्र 6,827 हैक्टेयर है, यह वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ की जाएगी जिसके लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर प्रणाली- हनुमानगढ़ की भाखड़ा नहर प्रणाली की इंदरगढ़ माइनर को पक्का करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा ताकि अंतिम छोर तक जल पहुंचाकर काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सके। सरहिंद फीडर के बैकफ्लो को रोकने हेतु 5 करोड़ रुपए की लागत से बुर्जी संख्या 441.5 पर क्रोस-रेग्यूलेटर का निर्माण करवाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (प्रथम चरण) तथा भाखड़ा परियोजना के 650 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जाएंगे।

यूरोपियन यूनियन की सहायता से प्राप्त ई यू एस पी पी कार्यक्रम-इसके तहत, 450 करोड़ की लागत से कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए कार्य हाथ में लिया गया है।

वाटर आडिटिंग एवं बेंचमार्किंग कार्यक्रम एवं स्काडा-स्काडा पद्धति

(श्री हेमाराम चौधरी)

लागू की गई जिससे कि पानी किसमें कितना जा रहा है, उसका पूरे तंत्र का मालूम पड़ सके। राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन की भी स्थापना की गई है। रिवर बेसिन प्लानिंग हेतु जल संसाधनों के समुचित प्रबन्धन के लिए रिवर बेसिन प्लानिंग के अध्ययन से जल की उपलब्धता, एग्रो क्लाइमेटिक जोन-वाइज भूगर्भीय जल की उपलब्धता, जिलेवार जल की मांग एवं आपूर्ति स्पष्ट हो सकेगी। इस हेतु सैटेलाइट के द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा रहा है।

विश्व बैंक पोषित राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (RWSRP)- 740 करोड़ रुपये की लागत की जो योजना थी, ...

श्री उपाध्यक्ष: त्रिवेदी जी, अभी तो 11 ही नहीं बजे। टार्गेट है, 12 बजाओगे आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जिसकी संशोधित लागत 970 करोड़ के तहत जीर्णोद्धार, बांध सुरक्षा, कृषि सहायता सेवा, संस्थागत सुधार एवं क्षमता विकास, आदि के कार्य हाथ में लिये जाएंगे। 'जायका' से वित्त पोषित लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के तहत 612.29 करोड की लागत से 20 जिलों में 332 लघु सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, जो जून, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा।

चम्बल परियोजना के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के लिए 1,274 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके लिए 939 करोड़ रुपए नाबार्ड से प्राप्त होंगे तथा 335 करोड़ रुपए के कार्य नरेगा से किये जाएंगे। वर्ष 2012-13 के लिए 150 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

सिंचाई मंत्रियों के राष्ट्रीय फोरम का गठन- देश में पहली बार पूरे देश के सिंचाई मंत्रियों का नेशनल फोरम का गठन किया गया जिसमें राजस्थान के सिंचाई मंत्री को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे कि इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स को हल करने में इस फोरम के माध्यम से मदद मिलेगी। (व्यवधान)

गंगानगर-हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो दूषित जल आने की बात कही गई है, यह बात सही है, इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने भी भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री को दखल देने के लिए 11.8.2010 पत्र लिखा है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ जुलाई 11 के प्रथम सप्ताह और 1 से 3 मई, 2012 के दौरान हरिके के ऊपर सतलज-व्यास नदियों के ऊपर

(श्री हेमाराम चौधरी)

(22.00 बजे)

गुणवत्ता का आकलन करवाया जा चुका है। इसमें अपशिष्ट पानी आ रहा है। उसके लिए पंजाब के मुख्य सचिव से भी वार्ता हो रही है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें भारत सरकार दखल दे और इसमें जो गंदा पानी आ रहा है, उसको रोके। फिर भी अगर नहीं रोकेंगे तो वर्तमान विद्यमान कानून है, उसके अन्तर्गत; नहीं तो फिर उनके खिलाफ हम कानूनन कार्यवाही करेंगे।

रावी-व्यास नदियों में से राजस्थान के हिस्से का 0.6 एम ए एफ पानी के बारे में आपने कहा, यह 0.6 एम ए एफ पानी की बात कोई आज की तो है नहीं। आपकी भी सरकार आई, हमारी भी आई। यह तो है नहीं कि हेमाराम आज चाहे तो पानी ले आवे। पानी लाना कठिन है, फिर भी हमारी सरकार की तरफ से इस पानी को प्राप्त करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उच्चतम न्यायालय को पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के संविधान-वैधता परीक्षण हेतु 22.7.04 को भिजवाया है, सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से यह मामला पेंडिंग है। मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रधान मंत्रीजी को भी 09.06.2009, 2.6.2010, 6.7.2012 को पानी उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखे गए हैं। कानून मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कानून मंत्री, भारत सरकार को भी 27.9.2012, 10.1.2013 को पत्र लिखे हैं। सरकार पानी को लेने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। हमारे मुख्य मंत्रीजी इसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है।

डाक्टर दिगम्बर सिंहजी चले गए, यमुना जल के बारे में, अगर यहां होते तो मैं जवाब देता लेकिन उसके लिए भी हमारी तरफ से पूरे प्रयास हैं कि यमुना का जल, जो हमारे हिस्से का है उसको हम लें, किसी प्रकार से छोड़े नहीं।

कोटा बैराज से व्यर्थ बहकर जो पानी जा रहा है, उसके हमने आंकड़े प्राप्त किए। आंकड़ों के आधार पर कोटा बैराज से ओवर-फ्लो होकर 11,128 एम यू एम पानी व्यर्थ बहकर चम्बल नदी के माध्यम से पड़ौस के राज्य में जा रहा है। उसके लिए सरकार ने ध्यान दिया है, वर्तमान सरकार ने ध्यान दिया है। राज्य की घोषित जल नीति के अनुसार इस जल को उपयोग में लेने हेतु चम्बल नदी से 107.22 एम सी एम जल लिफ्ट कर जयसमंद में लाने हेतु 565 करोड़ की योजना बनाई है, जिसके लिए डी पी आर बनाई जाएगी।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इस योजना की क्रियान्विति हेतु घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में कर दी है।

इंदिरा गांधी फीडर की रिअलाइनिंग का कार्य, इंदिरा गांधी फीडर की रिअलाइनिंग के कार्य के लिए 952 करोड़ रुपये भारत सरकार ने स्वीकृत किए। उसके लिए पंजाब सरकार से बात हो गई है, उन्होंने टेण्डर की प्रक्रिया आमंत्रित कर दी है है जल्दी ही टेण्डर एप्रूव हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। पंजाब के अधिकारियों से बात हो चुकी है।

इंदिरा गांधी नहर और पानी के बारे में कहा; चार साल के अन्दर इंदिरा गांधी नहर पर पानी की, चाहे फेस फर्स्ट हो या सैकण्ड हो, कभी भी कहीं पानी की कमी नहीं रही। जब से मुझे यह विभाग मिला है, मेरे पास तो किसी काश्तकार की, किसी जन-प्रतिनिधि की कभी कोई आई नहीं है। दुग्गल साहब के जाने क्या जंची कि ये धरने पर बैठ गए। बाद में अमरारामजी ने मेरे को फोन किया कि वे धरने पर बैठे हैं। मेरे से तो इन्होंने कभी कहा नहीं कि पानी नहीं आ रहा, पानी की कमी है, कोई बात करो, वगैरह। खैर, यह इनका अपना सोचना है, हमारा अपना सोचना है। ये धरने पर बैठ गए। फिर मैंने इनसे टेलीफोन से बात की। ये जयपुर आए; हमारे दूसरे साथी भी, सब मुख्य मंत्रीजी से मिले, फिर मुख्य मंत्रीजी ने बात करके इनका अनशन तुड़वा दिया और पानी नहर में पूरा चला दिया। आज दिन तक पानी की कोई कमी नहीं आई। आगे भी मैंने कह दिया कि इनको कभी न तो पानी की कमी आएगी, न इनको आंदोलन करने का हम कभी अवसर देंगे।

इन्होंने पानी मांगा, दिगम्बर सिंहजी चले गए, कह रहे थे पानी के बदले पानी दे दिया, पानी दिया कि नहीं दिया हमने तो, लेकिन घड़साना, सोहेला में पानी मांगा, तो उनको तो पानी के बदले कितने लोगों को पानी दिया, वह तो आप जानते हो, आपकी सरकार ने कितने लोगों को पानी दिया।

नर्मदा नहर, जिसके बारे में मैंने कहा, सिंचाई सुविधा हो रही है, इसके लिए नर्मदा नहर का और एरिया इसमें सिंचाई में शामिल किया जाए, जोड़ा जाए, उसके सर्वे के लिए आदेश देता हूं कि और कितना एरिया इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि पहले 1.26 लाख हैक्टेयर था, फिर बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टेयर हो गया, अब और कितना एरिया इसमें शामिल किया जा सकता है, इसके लिए सर्वे करवाएंगे, सर्वे का आदेश दे देंगे, सर्वे का टेण्डर करवा देंगे और उसके बाद, सर्वे के बाद पता लगेगा कि उसमें और कितना एरिया शामिल

(श्री हेमाराम चौधरी)

किया जा सकता है। तो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर और उसमें एरिया जोड़ने की कार्यवाही करेंगे।

चम्बल नदी का जल, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है, इसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदय ने 12.2.2013 को मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है कि हमारा आधा पानी है हिस्से का, वह हमें मिलते रहना चाहिए।

माही नदी, माही बांध से व्यर्थ बहकर जो पानी जा रहा है, माही से कड़ाना जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, उस पानी के लिए, अपने राजस्थान में ही काम आए, उसके लिए 265 एम सी एफ जल को लिफ्ट के माध्यम से, पहले आगे राजसमंद, फिर भीलवाड़ा बांध में डालने की योजना, यह दूसरा है, जयसमंद, उदयपुर, राजसमंद में, जहां भीलवाड़ा बांध में डालने की योजना, अनुमानित लागत दो हजार करोड़ की तैयार की गई है, कार्य आगामी 13-14 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

माही नदी के जल के बारे में, जीवारामजी चले गए, वे कह रहे थे कि 1966 में समझौता हुआ, उसमें राजस्थान का 0.37 एम ए एफ पानी और गुजरात को .92 एम ए एफ का एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था, जब सरदार सरोवर से नर्मदा का पानी है वह गुजरात को मिल जाएगा तो यह पानी वापस राजस्थान को मिल जाएगा, इस प्रकार का एग्रीमेंट 1966 में हुआ था लेकिन गुजरात सरकार उस एग्रीमेंट के मुताबिक...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ताली नहीं बजाएं, ताली बजाएंगे तो और घोषणाएं हो जाएंगी अभी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो हमारा .92 एम ए एफ है हम उस पानी को लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सरकार के ध्यान में है, सरकार उसके लिए कृत संकल्प है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्यों के 150 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन 150 कटौती प्रस्तावों के जवाब भी सब माननीय सदस्यों को भिजवा दिए जाएंगे।

उसके अलावा भी, आप कभी भी, मुझे कोई भी, किसी भी प्रकार की समस्या आप महसूस करते हैं, आप मुझे लिखित में, टेलीफोन पर या जैसे भी आप ठीक समझें, मुझे बताएंगे तो मेरे से जो भी हो सकेगा, बन पड़ेगा, करने की कोशिश करूंगा जिससे कि किसानों को सिंचाई सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। कोई यह नहीं है कि मुझे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा,

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है; हर एम एल ए की बात का महत्व है, उसी हिसाब से मैं उस पर विचार करूंगा। यह मैं आपको इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने जो भी सुझाव रखें, उन पर पूरी तरह से गौर करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप इस पर विचार करें, दक्षिणी राजस्थान में अभी भी सरप्लस वाटर है और वह बहकर साबरमती के माध्यम से समुद्र में जा रहा है। उसका कोई मास्टर प्लान बनाकर उस पानी का उपयोग हम राजस्थान के लिए कैसे कर सकते हैं, एक कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान पूरा बने तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान के जितने दक्षिणी जिले हैं, उनकी कम से कम पीने के पानी की आवश्यकता 50 तक भी पूरी की जा सकती है। एक।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि हम जगह-जगह नदियां बांध रहे हैं, या जो नदी के सोर्स बांध रहे हैं, उतना ही पानी बांधा जाए जितना पानी व्यर्थ होकर समुद्र में जा रहा है। बाकी आप, एक जगह का छीना-झपटी हो रही है और नीचे के लोग उससे परेशान हो रहे हैं। अब आगे भविष्य में वही प्रोजेक्ट किसी भी नदी या नाले पर बनाएं जिसका पानी इतना सरप्लस हो कि उसको रोकने के कारण से, नहीं तो क्या होता है कि पूरी की पूरी नीचे की बेल्ट में पानी के कारण से तबाही मच जाती है। केवल एक एरिया विशेष के, या मेरा विधान सभा क्षेत्र है, मेरी इर्रिगेशन होनी चाहिए; नीचे का है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपका सुझाव बिलकुल सही है, आपके सुझाव पर हम गौर करेंगे। पहले से ही यह हमारे ध्यान में है, यह पानी राजस्थान का बहकर के व्यर्थ बाहर नहीं जाए। उसके लिये तो पहले से अधिकारियों से बात हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, भिण्डाजी, बहुत ज्यादा हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपकी बात पर हम पूरा गौर फरमाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। आपके लीडर, नेता, प्रतिपक्ष ने पूछ लिया, और क्या है?

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मंत्रीजी, कहीं राइटिंग इधर हो गई, बेगूं के पास से ब्रह्माणी नदी को डाल रहे थे, बीसलपुर में, वह नहीं आया आपके इसमें। आइन्दा देखियेगा।

माननीय श्री बृजेन्द्रजी ओला, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जल संसाधन मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्दिरा गांधी नहर का भी ज्यादातर जवाब दे दिया है। जो 150 कटौती प्रस्ताव थे, उनमें हमारे भी 24 कटौती प्रस्ताव थे, उनका भी हम जवाब भिजवा देंगे। सदन का कोई भी माननीय सदस्य द्वितीय चरण के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब इन्दिरा गांधी नहर का कार्य संतोषप्रद है। हमने पानी अन्तिम छोर तक, मोहनगढ़ तक पहुंचा दिया, जिसके लिये पहले आन्दोलन होते थे, और होते थे।

माननीय जलदाय मंत्रीजी ने जो बताया है, इनकी सारी जो योजनाएं हैं, वे इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण पर आधारित हैं। उसमें भी हमने समुचित कोशिश की है कि पी.एच.ई.डी. को दिक्कत नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी, सुन लिया।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): हम सेना को पानी दे रहे हैं, हम उद्योगों को पानी दे रहे हैं, हम माइन्स को पानी दे रहे हैं। माननीय पारीक साहब के विभाग से, पेट्रोलियम विभाग के तत्वाधान में जो रिफाइनरी लगाई जा रही है, उसको भी 36 क्यूसेक्स पानी की सहमति हमने प्रदान की है।

पिछले सेशन में जो सुझाव आये थे, उनमें एक यह था कि इन्दिरा गांधी कैनाल की डिसिल्टिंग करवाई जाए, हमने 43 मशीनें खरीद कर पूरी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की सफाई करवा दी है। हालांकि नहर ऐसे जियोग्राफिकल एरिये में से जाती है कि उसमें वापस मिट्टी आ जाती है, तो उसके लिये हमने स्थायी व्यवस्था कर दी है। अब हमने उसकी वितरिकाओं की सफाई पर भी उन मशीनों को लगा रखा है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य फव्वारा पद्धति के बारे में जानना चाह रहे थे, यह उनके कार्यकाल में ही, 2007-08 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया और उनका ही यह निर्णय था कि भारत सरकार से

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

फण्डिंग कराई जाए। उसके लिये हमने प्रोजेक्ट बनाकर ए.आई.बी.पी. के तहत भारत सरकार को सब्मिट कर रखा है। हमको वहां से सकारात्मक निर्णय होने की आशा है। उसमें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का ज्ञापन बन गया है।

मुझे आज तो सुझाव नहीं आये, पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि द्वितीय चरण की मरम्मत कराई जाए, रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए; पम्प-स्टेशनों पर जो पम्प खराब हैं उनको ठीक कराया जाए; विद्युत की नई मोटरें लगवाई जाएं; कहीं कनेक्शन लिया जाए। 2013-14 के बजट में हमको पर्याप्त एलोकेशन हुआ है, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम उसमें भी प्रभावी कार्यवाही करेंगे और आज जो कट मोशंस के साथ माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं, निश्चित रूप से इन पर कार्यवाही करेंगे। जो भी माननीय सदस्य समय-समय पर हमको सुझाव देते रहते हैं, मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

मेरा सम्बोधन काफी लम्बा था परन्तु आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको टेबल कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कोई एतराज नहीं है, आसन को कोई एतराज नहीं है। सदस्य जाने वाले हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): सदस्यों का मूड नहीं है। अच्छा, मैं टेबल कर देता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल सकते हैं। कोई मनाही आसन की नहीं है।

मांग संख्या 27 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,28,63,51,000/- (इकतालीस अरब अट्ठाइस करोड़ तिरेसठ लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

आज तो उपस्थिति ठीक है। कोई डिविजन तो नहीं मांगना?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब मांगा तब तो दिया नहीं। आज क्या मतलब है?

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,97,42,37,000/- (सत्ताइस अरब सतानवे करोड़ बयालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22 बजकर 16 मिनट पर सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की स्थापना

290. मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विदेशों में रोजगार हेतु जाने वाले प्रदेश के श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की स्थापना की गई है? यदि हां, तो गत पांच वर्षो मे ब्यूरो द्वारा अलवर जिले के कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र से विदेशों में रोजगार हेतु जाने वाले श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं विदेशों में रोजगार को बढावा देने के लिए नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तत्वाधान में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की स्थापना की गई है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का पंजीयन प्रवासी भारतीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत अभिकर्ता (Registered Recruiting Agent) के रूप में पंजीयन क्रमांक B-476/COM/RAJ/1000+/5/8814/2012 दिनांक 30.04.2012 एवं संशोधन दिनांक 24.09.2012 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि हेतु किया गया है। ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो द्वारा सम्भावित प्रवासी श्रमिकों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु उचित मार्गदर्शन, आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

ओवरसीज प्लेमसमेंट ब्यूंरो द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी :

क. जागरूकता शिविर :

निगम द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, पिलानी, झुन्झुनूं, दौसा, कोटा, सीकर, जसवंतगढ़ में विदेश में रोजगार

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थानों के सहयोग से संलग्न विवरण Annexure 'A' के अनुसार किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य के 225 इच्छुक श्रमिकों एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए पात्रतानुसार पंजीयन कराया गया है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। पंजीयन हेतु वैध भारतीय नागरिक पासपोर्ट लाभार्थी के पास उपलब्ध होना अनिवार्य है।

नीमराना एवं भिवाड़ी (जिला अलवर) में क्रमश: 9 एवं 10 अप्रैल, 2013 को जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

ख. प्रचार प्रसार :

ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की गतिविधियों का प्रचार प्रसार जिला प्रशासन, प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

ग. रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये प्रयास :

सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को विदेशी नियोक्ताओं से प्रभावी सम्पर्क स्थापित किये जाने के लिये भारत में सम्मेलन हेतु अनुरोध किया गया है। निगम स्तर पर 11 प्रमुख भारतीय कम्पनियों (जिनके द्वारा विदेश में नये प्रोजेक्ट्स स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारतीय दूतावास (ओमान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मलेशिया एवं यू.ए.ई.), 50 से अधिक विदेशी नियोक्ताओं एवं सम्बन्धित संगठनों से निगम के स्ततर पर पत्राचार किया गया। भारतीय दूतावास, विदेशी नियोक्ताओं एवं संगठनों द्वारा निगम को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। निगम के अनुरोध पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान फाउण्डेशन जयपुर द्वारा ओवरसीज प्लेससमेंट ब्यूरों की जानकारी देश एवं विदेश के सभी राजस्थान फाउण्डेशन चैप्टर्स को दी गई।

यू.एस.ई. एवं यू.एस.ए. स्थित नियोक्ताओं द्वारा मांग पत्र निगम को प्रेषित किया है। भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही सम्पन्न किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

घ. दक्षता उन्नयन एवं पूर्व प्रस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम :

निगम द्वारा वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में क्रमश: 600 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को दक्षता उन्नयन एवं पूर्व प्रस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम से

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय स्तर के 5 प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन कर सुरक्षा, हास्पिटिलिटी, इन्जिनियरिंग, निर्माण एवं रिटेल क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 50 प्रतिशत सफल प्रशिक्षणार्थियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध हो।

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	स्थान	आबंटित पाठ्यक्रमों का विवरण
1.	ब्रिटी प्रोसेसिक्सन प्राइवेट लि. कोलकत्ता	जयपुर	हास्पिटिलिटी सैक्टर
2.	भास्कर फाउण्डेशन, नई दिल्ली	जयपुर	निर्माण क्षेत्र नेसन, प्लम्बर कम सेनेट्री हार्डवेयर फिटर
3.	प्रिमियर शील्ड प्रा. लि., नई दिल्ली	झुन्झुनूं	सुरक्षा गार्ड
4.	ट्रिपल ए सोल्यूशन्स प्रा. लि., अहमदाबाद	जयपुर	रिटेल, आटोमेटिव सेक्टर
5.	लारेस एडूटेक प्रा. लि., चेन्नई	अलवर	इलैक्ट्रिक ट्रेड, फिटर, डीजल मेकेनिक, पेन्टर, वेल्डर

ड. माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर

विदेश में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु भारतीय दूतावासों एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से सम्पर्क कर निगम प्रभावी भूमिका निभा रहा है। राज्य में माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर की स्थापना प्रोटेक्टर आफ ईमीग्रेन्टस कार्यालय, सीतापुरा जयपुर में किये जाने के लिए निगम स्तर पर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को पूर्व में सूचित किया जा चुका है। शीघ्र ही इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन फार माइग्रेशन नई दिल्ली द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है।

अन्य :

राजस्थान सरकार के प्रयासों के फलीभूत प्रवासी भारतीय कार्य

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रीको सी.एफ.सी. बिल्डिंग सीतापुरा में प्रोटेक्टर आफ इमीग्रेन्टस का कार्यालय स्थापित किया गया है।

भारत से प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक श्रमिक विदेश में रोजगार हेतु प्रस्थान करते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय श्रमिक GCC Countries (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Kingdom of Saudi Arbia, United Arab Emirates) रोजगार के लिये प्रस्थान करते हैं।

राजस्थान से गत 7 वर्षों में रोजगार के लिये विदेश प्रस्थान किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या का विवरण प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.moia.gov.in के अनुसार Annexure 'B' पर उपलब्ध है।

(2). राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम द्वारा ओवरसीज प्लेसमेंट की शाखा नीमराना में स्थापित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। स्थानीय आवश्यंकताओं के आंकलन के उपरान्त ही नीमराना में शाखा स्थापना का निर्णय लिया जा सकेगा।

निगम द्वारा नीमराना एवं भिवाड़ी (जिला अलवर) में रोजगार सहायता विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन क्रमश: 9 एवं 10 अप्रैल, 2013 को किये जायेंगे एवं आवश्यकताओं का आकलन किया जायेगा।

Annexure "A"

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा वर्ष 2012-13 में आयोजित जागरूकता शिविरों का विवरण

दिनांक	स्थान	जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4
06.07.2012	राजकीय आई.टी.आई. जयपुर	जयपुर	125
18.07.2012	राजकीय आर.सी. खेतान पोलोटेक्निक कालेज, जयपुर	जयपुर	60
22.09.2012	बिरला टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट पिलानी	झुन्झुनूं	400
27.09.2012	रोजगार मेला दौसा	दौसा	104
10.10.2012	रोजगार मेला अजमेर	अजमेर	108
12.10.2012	राजकीय आई.टी.आई. कोटा	कोटा	175

1	2	3	4
12.10.2012	रोजगार मेला जयपुर	जयपुर	155
21.11.2012	राजकीय आई.टी.आई. सीकर	सीकर	98
17.12.2012	राजकीय आई.टी.आई. जोधपुर	जोधपुर	187
29.12.2012	श्री सूरजमल तापडीया आई.टी.आई. जसवन्तगढ़	नागौर	95
12.01.2013	यूथ फेस्टिवल एस.एम.एस. स्टेडियम जयपुर	जयपुर	117
21.01.2013	रोजगार मेला राजस्थान कालेज, जयपुर	जयपुर	133
13.02.2013	राजकीय आई.टी.आई. झुन्झुनूं एवं ग्रास एकेडमी झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	109
20.02.2013	राजकीय आई.टी.आई. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	75
		कुल	**1941**

Annexure “B”

राजस्थान से गत 7 वर्षों में रोजगार के लिये विदेश प्रस्थान किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या का विवरण

Figures of workers granted Emigration Clearance/ECNR Endorsement During the Year 2005-2011		
वर्ष	**भारत**	**राजस्थान**
2005	5,48,853	21,899
2006	6,76,912	50,236
2007	8,09,453	70,896
2008	8,48,601	64,601
2009	6,10,272	44,744
2010	6,41,356	47,803
2011	6,26,565	42,239

Source: Annual Report 2010-2011 Government of India Ministry of Overseas Indian Affairs

प्रदेश में महिला अत्याचारों पर रोक हेतु कार्य योजना

291. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक दुष्कर्म, गैंगरैप, बलात्कार, छेडछाड व महिला अत्याचार के प्रकरणों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई व कितने प्रकरणो में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में उक्त प्रकरणों की रोकथाम एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से जनवरी 2013 तक बलात्कार (दुष्कर्म), गैंगरेप, छेड़छाड़ व महिला अत्याचार के प्रकरणों में आंशिक वृद्धि हुई है। उक्त अवधि में बलात्कार (दुष्कर्म) के 6967, गैंगरेप के 375, छेड़छाड़ के 10067, अन्य महिला अत्याचार के 65275 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिलेवार वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में 67230 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई व 44992 अभियोगों में न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 9 व 10 पर अंकित है।

(3) प्रदेश में महिला अत्याचार प्रकरणों की मानिटरिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स, राजस्थान, जयपुर का नया पद सृजित किया गया है एवं इनके अधीनस्थ महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार एवं पी.सी.आर., उप महानिरीक्षक पुलिस व पुलिस अधीक्षक, सिविल राइट्स, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य की समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में बलात्कार सम्बन्धी प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ

(गृह मंत्री)

त्वारित गति से निष्पादन हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्य योजना का परिपत्र क्रमांक 7801-50 दिनांक 28.12.2012 जारी किया गया है, जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) भारत सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन क्रिमीनल ला (संशोधन) आर्डिनेन्स 2013 के द्वारा कर दिये गये हैं।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

पर्यटन विकास निगम के होटलों की यात्रियों में बकाया राशि की वसूली

292. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में हाल ही आयोजित कांग्रेस चिन्तन शिविर के दौरान सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के तीन होटलों में ठहरने और खाने के बिलों का भुगतान अभी तक कांग्रेस मुख्यालय द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स में उक्त सेवा दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ठहराने के लिए वहां के कमरे अन्य व्यक्तियों के नाम से बुक करवाये गये थे? यदि हां, तो किस-किसके नाम से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बिलों का भुगतान कांग्रेस कमेटी द्वारा शीघ्र करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर में हाल ही आयोजित कांग्रेस चिन्तन शिविर के दौरान सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के तीन होटलों में ठहरने और खाने के बिलों का भुगतान कांग्रेस मुख्यालय द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम को प्राप्त हो गया है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त बिलों का भुगतान कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम को प्राप्त हो गया है।

माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु गठित समिति की अभिशंसाएं

293. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस पाठ्यक्रम को हटाया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पाठ्यक्रम लागू किये जाने से पूर्व कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो इसकी क्या अनुशंसा थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुरूप एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। शिक्षा सत्र 2010-11 से कक्षा 9 व 11 में तथा शिक्षा सत्र 2011-12 से कक्षा 10 व 12 में उक्त प्रकार का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

(2) वर्तमान में पाठ्यक्रम परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) इस सम्बन्ध में किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

विद्याधर नगर की क्षतिग्रस्त सडकें

294. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में नगर निगम क्षेत्र की श्रीरामनगर द्वितीय, विजयपथ, मूर्ति मोहल्ला, खिरणी फाटक रोड में प्लाट संख्या 1 से 26 तक के क्षेत्र में सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सभी तकनीकी सर्वे एवं तकमीना के प्रस्ताव बनने के बावजूद भी अभी तक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र की श्रीरामनगर द्वितीय, विजयपथ, मूर्ति मोहल्ला, खिरणी फाटक रोड में प्लाट संख्या 1 से 26 तक के क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य हेतु तकमीना बनाया गया है, जो निविदा आमन्त्रण की स्वीकृति की प्रक्रिया में है। तदानुसार स्वीकृति उपरान्त यह कार्य कराया जा सकेगा।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

जोधपुर जिले के सिहांदा खनन क्षेत्र में खनन लीज स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना

295. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2012 में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली-1986 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों की पालना में कुछ संशोधन किए हैं? यदि हां, तो संशोधन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनेश बोथरा बनाम सरकार जनहित याचिका में 19 अगस्त, 2011 को जोधपुर जिले के सिहांदा गांव में सेंडस्टोन की 1,117 क्वारी का आबंटन एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेने के बाद ही करने के आदेश देने के साथ भविष्य में भी इस उद्देश्य का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया था और इस आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गई एस.एल.पी. खारिज हो गई थी?

(3) माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनेश बोथरा बनाम सरकार जनहित याचिका के विरुद्ध की गई एस.एल.पी. खारिज होने के बाद क्या इस निर्णय की पालना करना सरकार के लिए बाध्यकारी है? यदि हां, तो इसकी पालना में सरकार ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेने के लिए क्या प्रयास किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस के बगैर ही सिहांदा में उक्त क्वारी खनन क्षेत्रों के कलस्टर्स बनाकर नए नियमों के तहत एनवायरमेंट मैनजमेंट प्लान बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका श्री दीपक कुमार बनाम हरियाणा सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 27.02.2012 की पालना में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 में संशोधन किये गये हैं। संशोधित नियमों का विवरण प्रति सहित परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की एस.एल.पी. खारिज कर दिये जाने से सिहांदा ग्राम में क्वारी लाइसेंस आबंटन की अग्रिम कार्यवाही रोकी हुई है तथा प्रकरण विधिक कार्यवाही के परीक्षणाधीन है। विधिक परीक्षणोपरांत तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सिहांदा क्षेत्र में तीन क्लस्टर्स बनाए गए हैं, परन्तु इसमें से दो क्लस्टरों के स्वीकृत क्वारीधारकों की एसोसियेशन द्वारा ही एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाये गये हैं, जिसमें उक्त 1117 क्वारी लाइसेंस डेलिनियेटेड प्लाट शामिल नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निगम बस सेवा का संचालन

296. श्री नगराज (धरियावद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद के बड़े कस्बों जैसे कूण, लसाडिया, सलूम्बर, झल्लारा, भबराना, धरियावद मुंगाना, पारसोला में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर निगम की कौन-कौन सी बसें संचालित की जा रही हैं तथा इनका मार्ग क्या है एवं प्रतिदिन कितनी बार आती-जाती हैं? मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर-लसाड़िया-धरियावद-पारसोला मार्ग एवं धरियावद-झल्लारा-सलूम्बर मार्ग पर प्रतिदिन हजारों यात्री एवं आदिवासी मजदूरों का आवागमन इस मार्ग पर रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्नगत स्थानों में से जिन-जिन कस्बों के लिए राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है उनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि प्रश्नगत मार्ग पर बड़ी संख्या में यात्रियों एवं मजदूरों का आवागमन रहता है। निगम द्वारा मार्गवार निम्नानुसार बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :-

<table>
<tr><th>मार्ग</th><th>प्रस्थान</th><th>पहुंच</th></tr>
<tr><td>उदयपुर-लसाड़िया-धरियावद</td><td>1600</td><td>1930</td></tr>
<tr><td>धरियावद-लसाड़िया-उदयपुर</td><td>0630</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="3">वाया पारसोला तथा वाया झल्लारा होकर संचालित निगम बसों का विवरण परिशिष्ट "1" में अंकित है।</td></tr>
<tr><td>उदयपुर-धरियावद-झल्लारा-सलूम्बर</td><td colspan="2">वर्तमान में धरियावद से झल्लारा-सलूम्बर प्रश्नगत मार्ग पर निगम की सीधी बस सेवा नहीं है। इस मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायतें माण्डली, कल्याणा, मातासूला, भबराना, लोहागढ़, देवला तथा पारेल को बजट घोषणा 2011-12 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को निगम की 'ग्रामीण परिवहन सेवा' से आगामी वर्षों में जोड़ा जा सकेगा।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र धरियावद में संचालित निगम वाहनों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक एकल परिचक्र	समय सारिणी	जुड़े हुए कस्बे
1.	धरियावद-उदयपुर	1	0600-1000	कूण लसाडिया धरियावद
	उदयपुर-धरियावद	1	1600-2000	—”—
	कानोड-मन्दसौर	1	0630-1030	—”—
2.	अहमदाबाद-मन्दसौर	1	1900-0500	धरियावद मुंगाणा पारसोला
	मन्दसौर-अहमदाबाद	1	0800-1745	—”—
3.	अहमदाबाद-धरियावद	1	2400-0730	पारसोला मुंगाणा धरियावद
	धरियावद-अहमदाबाद	1	0830-1630	—”—
4.	डूंगरपुर-जयपुर	1	1400-0500	धरियावद पारसोला मुंगाणा
	जयपुर-डूंगरपुर	1	1900-1000	—”—
5.	चित्तौड़गढ़-अहमदाबाद	1	0700-2145	मुंगाणा पारसोला
	अहमदाबाद-चित्तौड़गढ़	1	0715-2130	—”—
6.	उदयपुर-सलूम्बर-झल्लारा	प्रात: 0500 बजे से सायंकाल 1930 बजे तक 20-20 मिनट के अन्तराल पर बस सेवाऐं संचालित हैं।		

पंचायतों में अंशकालीन खेल प्रशिक्षक "क्रीड़ाश्री" की नियुक्ति

297. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन व संवर्धन हेतु खेल नीति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में खेल विभाग में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(3) क्या यह सही है कि राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत पंचायतों में खेल मैदान तैयार किए जाने थे? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 तक कितनी पंचायतों में खेल मैदान तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा लक्ष्यों की अनुपालना में कितनी पंचायतों में उक्त मैदान तैयार हो गए? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत पंचायतों में अंशकालीन खेल प्रशिक्षक क्रीडाश्री लगाए जाने थे? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 तक कितनी पंचायतों में अंशकालीन खेल प्रशिक्षक क्रीड़ाश्री लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया तथा लक्ष्यों की अनुपालना में कितनी पंचायतों में अंशकालीन खेल प्रशिक्षक क्रीड़ाश्री लगाए गए? जिलेवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में खेलों के उत्थान के लिए खेल नीति बनाई जा रही है जिसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

(2) युवा मामले एवं खेल विभाग के अन्तर्गत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक पायका योजना अन्तर्गत खेल मैदान विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

इन लक्ष्यों की अनुपालना में विकसित किये गये खेल मैदानों का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(4) जी हां। वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक वर्ष क्रीड़ाश्री लगाये जाने का लक्ष्य एवं इसकी अनुपालना में लगाये गये क्रीड़ाश्री का विवरण परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बालोतरा वृत्त में सिले हुए वस्त्रों की बिक्री से प्राप्त कर

298. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन प्रजापत)

वाणिज्य कर सर्किल बालोतरा द्वारा गत चार वर्षों में सिले हुए पेटीकोट उत्पाद से कितना कर प्राप्त हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वाणिज्यिक कर सर्किल बालोतरा द्वारा गत चार वर्षों में सिले हुए पेटीकोट उत्पाद से 5.36 लाख रुपये कर प्राप्त हुआ है जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	वर्ष	कर राशि (रुपये लाखों में)
1	2008-09	1.64
2	2009-10	2.32
3	2010-11	0.57
4	2011-12	0.83
	योग	**5.36**

सांभर (जयपुर) में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कार्ययोजना

299. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम के मध्य सांभर (जिला जयपुर) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई संयुक्त कार्य योजना (प्रारूप) तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या व कब? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावित कार्य योजना के तहत सांभर को विकसित करने की क्या योजना है और इसमें कितनी राशि का व्यय करने का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कार्य कब से शुरू किये जाने एवं कब तक पूर्ण करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्यटन विभाग एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम के मध्य सांभर (जिला जयपुर) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई संयुक्त कार्य योजना (प्रारूप) तैयार नहीं की गई है।

(पर्यटन मंत्री)

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर अनुसार।

प्रदेश के पुस्तकालय रहित विद्यालय

300. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान शिक्षा अधिकार कानून के तहत प्रत्येक सरकारी एवं निजी विद्यालय में पुस्तकालय एवं प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष का पदस्थापन अनिवार्य है? यदि हां, तो इस बाबत सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश राजकीय विद्यालयों में न तो पुस्तकालय है और ना ही पुस्तकालयाध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो क्यों? जिलेवार उक्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्यावार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के पुस्तकालय विहीन सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय स्वीकृत कर वहां पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में वर्णित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है, लेकिन इस अनुसूची में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदस्थापन का कोई उल्लेख नहीं हैं। अनुसूची संलग्न परिशिष्ट ''क'' पर है।

(2) जी नहीं। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य के 28331 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में व 23242 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की जा चुकी है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के 7 विशिष्ठ विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-III के 07 पद स्वीकृत हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय हैं लेकिन सभी विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद स्वीकृत नहीं हैं। पुस्तकालयाध्यक्षों के स्वीकृत पदों

(शिक्षा मंत्री)

का जिलेवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्यावार पृथक-पृथक विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 10 हजार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों हेतु स्वीकृति व अन्य वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सोजत में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत जारी पट्टे

301. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्टेट ग्राण्ट के पट्टे बनाने के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सोजत नगरपालिका में वर्ष 2012-13 में कितनी कालोनियों में स्टेट ग्रांट के तहत पट्टे दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सोजत नगरपालिका में पंचोला नाडी माता मंदिर के पास, बेरामगरीया, निम्बेली नाडी आवासीय कालोनी में वर्ष 2012-13 में कितने पट्टे स्टेट ग्राण्ट में दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सोजत नगरपालिका में कच्ची बस्तियां कितनी हैं और उन बस्तियों में कितने-कितने लोगों को कच्ची बस्ती के पट्टे दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी किये जाने के संदर्भ में नियम/परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सोजत नगरपालिका द्वारा वर्ष 2012-13 में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत जारी किये गये पट्टों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) उल्लिखित भूमि राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ.12( ) राज./12/4098 दिनांक 21.11.12 के द्वारा नगरपालिका सोजत को हाल ही में आबादी विस्तार हेतु आबंटित की गई है सोजत का मास्टर प्लान हाल ही में लागू हुआ है जिसमें उल्लिखित भूमि को परिधि नियन्त्रण पट्टी में दर्शाया गया है। प्रचलित प्रावधानों के अनुसार मास्टर प्लान लागू होने के दो वर्ष तक भू-उपयोग परिवर्तन निषेधित होने तथा भूमि के परिधि नियन्त्रण पट्टी में होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है।

(4) नगरपालिका सोजत में 3 कच्ची बस्तियां स्वीकृत हैं जिनमें अभियान के दौरान कुल 99 पट्टे जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर टैक्सटाइल पार्क की स्थापना

302. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में टैक्सटाइल पार्क खोले जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर टैक्सटाइल पार्क खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

टैक्सटाइल पार्क योजना भारत सरकार की योजना है एवं पार्क खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। श्रीगंगानगर मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा टैक्सटाइल पार्क खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धौलपुर शहर के बस स्टैण्डों पर आवश्यक सुविधाएं

303. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर-जयपुर मार्ग पर कितनी नई बसें चल रही हैं और उनके क्या-क्या समय हैं और धौलपुर से मध्य प्रदेश की और कहां तक कितनी बसें चल रही हैं और उनका क्या समय है तथा उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली बसों का मार्ग एवं समय क्या है और कहां तक जाती हैं?

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर शहर में प्राइवेट बसों के लिए भिन्न-भिन्न रूटों के लिए स्टैण्ड बने हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या यह सही है कि उन स्टैण्डों से व्यवहारिक रूप से बसें नहीं चलती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि चिन्हित बस स्टैण्डों पर कोई टीन शेड नहीं है और ना ही वहां बैठने व पीने के पानी की व्यवस्था है? क्या सरकार विधिवत तरीके से प्राइवेट स्टैण्ड कायम कर ट्रैफिक को उचित तरीके से रेग्यूलेट करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा धौलपुर-जयपुर मार्ग पर संचालित बस सेवाओं की मार्गवार समय सारिणी दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

धौलपुर से मध्य प्रदेश की ओर संचालित बसों की मार्गवार समय सारिणी दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

धौलपुर से उत्तर प्रदेश की ओर संचालित बसों की मार्गवार समय सारिणी दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(2) जी हां। धौलपुर शहर में प्राइवेट बसों हेतु निम्न स्टैण्ड हैं-

1. मुरैना ग्वालियर रोड के लिए—मेला ग्रांउड

2. बाडी रोड के लिए - 132 के.वी. के पास बाडी रोड

3. सैपउ रोड के लिए - महमदपुर

4. राजाखेडा के लिए - रेलवे ओवरब्रिज खतम होते ही राजाखेड़ा रोड

5. आगरा-जयपुर - बसई नबाब-खेरागढ़ के लिए एल.आई.सी. तिराहा औडेला रोड

(3) यह सही है कि चिन्हित बस स्टैण्डों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण चिन्हित निजी बस स्टैण्डों से बसें नहीं चलती हैं।

(4) धौलपुर में राजस्थान परिवहन निगम के मुख्य स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु शैड, पानी, इत्यादि उपलब्ध है। राजाखेड़ा हेतु चिन्हित बस स्टैण्ड पर स्थानीय निकाय द्वारा टिन शैड का निर्माण कराया गया है। शेष चिन्हित बस स्टैण्ड पर शैड निर्माण व अन्य सुविधाओं बाबत संसाधनों की उपलब्धता अनुरूप स्थानीय निकाय स्तर पर ही कार्यवाही अपेक्षित है।

परिशिष्ट-1

धौलपुर से जयपुर की ओर चलने वाली बस सेवाओं की सूची

आगार	मार्ग का नाम	समय	संचालित दैनिक एकल परिचक्र
धौलपुर	धौलपुर-जयपुर वाया रूपवास	0500 0730 0900	3
	धौलपुर-जयपुर वाया आगरा	0615 0715 1100 1200 1415 1500 1815 2130	8
	धौलपुर-जयपुर वाया गंगापुर	0430 0600 1100	3
	धौलपुर-जयपुर वाया बयाना	0615 1500	2
डीलक्स	ग्वालियर-जयपुर वाया धौलपुर (गांधी रथ ए.सी. सेवा)	2045	1
जयपुर	ग्वालियर-जयपुर वाया धौलपुर	0630	1
भरतपुर	धौलपुर-जयपुर वाया आगरा	1300	1

परिशिष्ट-2

धौलपुर से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली बस सेवाओं की सूची

आगार	मार्ग का नाम	समय	संचालित दैनिक एकल परिचक्र
1	2	3	4
धौलपुर	धौलपुर-ग्वालियर	0315 0430 0700 1115 1215 1500 1615	7

1	2	3	4
धौलपुर	धौलपुर-मुरैना	1045 1300 1345 1530 1600 1645	6
	धौलपुर-पोरसा	0945	1
डीलक्स	ग्वालियर-जयपुर	1930	1
भरतपुर	धौलपुर-ग्वालियर	1030	1

परिशिष्ट-3

धौलपुर से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली बस सेवाओं की सूची

आगार	मार्ग का नाम	समय	संचालित दैनिक एकल परिचक्र
1	2	3	4
धौलपुर	धौलपुर-सौरो	0500 1245	2
	धौलपुर-देहली	0515 0545 0630 0700 0800 0845 0900 0915 1015 1200 1215 1615 2300	13
	धौलपुर-कायमगंज	0530	1

1	2	3	4
	धौलपुर-आगरा	0600 0915 1000 1030 1045 1115 1130 1145 1230 1430 1630 1645	12
	धौलपुर-अलीगढ़	0730 1730	2
	धौलपुर-हरिद्वार	0745	1
	धौलपुर-ईटावा	0830	1
	धौलपुर-फर्रूखाबाद	1345	1
	धौलपुर-मथुरा	1430 1515	2
	धौलपुर-भरतपुर	1530 1600	2
	धौलपुर-नंगला कमाल	1610	1
डीलक्स	ग्वालियर-जयपुर	2045	1

सेदरिया (ब्यावर) में निर्माणाधीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम

304. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में सेदरिया में निर्माणाधीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम का निर्माण कार्य रूका हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या विधायक कोष से 10 प्रतिशत राशि स्वीकृत होने के बाद सरकार द्वारा शेष 90 प्रतिशत राशि उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री शंकर सिंह)

(3) क्या सरकार स्टेडियम का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्यावर में स्टेडियम निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि रुपये 30.00 लाख के निर्धारित कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं तथा इसके पश्चात दिनांक 27.12.2012 को राशि रुपये 30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) जी नहीं। युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा ब्यावर स्टेडियम हेतु प्राप्त तकमीना राशि रुपये 79.70 लाख के विरुद्ध 60.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) जी हां। ब्यावर में स्टेडियम निर्माण कार्य कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

परबतसर के पुलिस थानों में दर्ज महिला उत्पीड़न प्रकरण

305. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र के परबतसर, पीलवा व गच्छीपुरा पुलिस थानों में अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक महिला उत्पीडन के कई प्रकरण दर्ज हैं? यदि हां, तो उक्त थानों में कब-कब कौन-कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया और सरकार द्वारा उक्त, मुकदमे में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में किन-किन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में मंगलाणा ग्राम पंचायत की कलकलां की ढाणी में दिसम्बर, 2012 में हुए महिला उत्पीड़न प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे व लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परबतसर विधान सभा क्षेत्र के थाना परबतसर, पीलवा एवं गच्छीपुरा में अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक महिला उत्पीड़न के कुल 37 मामले दर्ज हुए हैं। उक्त थानों पर उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों का थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त प्रकरणों में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

(3) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में मंगलाणा ग्राम पंचायत की कलकलां की ढाणी में हुए महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 13/2013 दिनांक 19.1.2013 धारा 376/511, 341, 427, 323 भा.द.सं. व 3(i)(xii) एस सी/एस टी (पी.ओ.ए.) एक्ट थाना परबतसर पर माह जनवरी में मंगलाणा ग्राम पंचायत की कलकलां की ढाणी की पीड़िता सुश्री सम्पति पुत्री श्री चौथुराम मेघवाल ने प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम श्री मदनलाल पुत्र श्री मालुराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी तन मंगलाना के विरुद्ध अपराध धारा 354, 341, 323, 427 भा.द.सं. व धारा 3 (i) (xi) एस सी/एस टी (पी.ओ.ए.) एक्ट प्रमाणित मानते हुए धारा 376/511 भा.द.सं. व 3(i)(xii) एस सी/एस टी (पी.ओ.ए.) एक्ट का अपराध अप्रमाणित माना है। प्रकरण में मुलजिम को दिनांक 20.02.2013 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही नहीं पाई गई है और ना ही किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बायतू के क्रमोन्नत विद्यालय

306. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के तहत प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय क्रमोन्नत किये जा रहे हैं? यदि हां, तो बायतू विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक क्रमोन्नत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बायतू विधान सभा क्षेत्र के चिलानाडी (कानोड), जोगासर कुआ (छीतर का पार), सोहडा में माध्यमिक एवं कालेवा, कानोड,

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

पुनियों का तला, बालिका पाटोदी एवं नौसर को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बायतू विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक क्रमोन्नत किये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के विवरण का परिशिष्ट-''क'' संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों की क्रमोन्नति के प्रस्तावों की अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन करते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

जनवरी 2009 से दिसम्बर 2012 तक क्रमोन्नत की सूची

क्र. सं.	वर्ष	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1	2	3	4
1.	2009-10	1. रामावि डेलूओं की ढाणी 2. रामावि जाखड़ा 3. रामावि खारड़ा भारतसिंह 4. रामावि कुम्पलिया 5. रामावि चीबी 6. रामावि बायतू चिमन जी 7. रामावि पनावडा 8. रामावि चिड़िया 9. रामावि सिगोड़िया 10. रामावि खीपसर 11. रामावि बान्दरा 12. रामावि लूणाणा 13. रामावि कैसुम्बला भाटियान 14. रामावि शहर	शून्य

1	2	3	4
2.	2010-11	शून्य	शून्य
3.	2011-12	शून्य	शून्य
4.	2012-13	रामावि माडपुरा बरवाला	राउमावि गिड़ा
		15	01

जिला अधिकारी
माध्यमिक बाड़मेर

भीलवाड़ा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत कार्य

307. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले में दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 जनवरी, 2013 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्षवार कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य करवाये गये और कौन-कौन से स्वीकृत कार्य प्रक्रियाधीन हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कुल स्वीकृत 1067 कार्यों में से 626 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 441 कार्य निर्माणाधीन हैं। इन कार्यों का तहसीलवार व गतिविधिवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2012-13 (01.04.2012 से 31.01.2013) में भारत सरकार से अनुमोदित कुल 1385 कार्यों में से 703 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई हैं, परन्तु राशि के अभाव में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। तहसीलवार गतिविधिवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर (भरतपुर) में नगरपालिका द्वारा कराये गये विकास कार्य

308. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, नगर द्वारा गत चार वर्षों में गैर योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी नियमन शुदा कालोनियों में सडक, नाली, नाला आदि निर्माण के

(श्रीमती अनीता सिंह)

क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर शहर में ऐसी कौन-कौनसी कालोनी है, जहां सडक, पेयजल व बिजली व्यवस्था से वंचित है तथा इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका नगर द्वारा गत चार वर्षो में गैर योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी नियमन शुदा कालोनियों में सड़क, नाली, नाला आदि निर्माण कार्य कराये गये हैं। विकास कार्य पर व्यय की गई राशि वर्षवार व क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर शहर में वार्ड नम्बर 2, 5 व 20 सड़क, पेयजल व बिजली व्यवस्था से वंचित है। वंचित वार्डो में स्थित कालोनिया का प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत नियमन किया जा रहा है नियमन पश्चात नियमानुसार उक्त व्यवस्था की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक

309. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी मदिरा की बिक्री हुई? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश अपराध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन के कारण घटित होते हैं एवं राज्य में शराब की उत्तरोत्तर बढ़ती बिक्री के कारण अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है?

(3) क्या सरकार जनहित में राज्य में पूर्ण नशाबंदी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में माह जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विक्रय हुई देशी मदिरा एवं बीयर व भारत निर्मित विदेशी मदिरा का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट "ए" एवं "बी" पर उपलब्ध है।

(आबकारी मंत्री)

(2) इस तरह के आनुभविक आंकड़े (Empirical data) विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाना सम्भव नहीं है कि अधिकांश अपराध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन के कारण ही घटित होते हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए आबकारी एवं मद्यसंयम नीति दिनांक 08 फरवरी, 2012 को घोषित हो चुकी है। वर्तमान में राज्य में शराब बन्दी लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Annexure-A

Yearwise Lifting of C.L. (In Lacs. B.L.)

S. No.	Distt.	Year				
		2009	2010	2011	2012	2013 (Jan.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ajmer	58.16	76.79	101.30	111.95	9.46
2.	Alwar	46.43	48.39	64.28	71.30	6.12
3.	Banswara	3.97	5.85	6.91	7.76	0.67
4.	Baran	25.07	27.42	32.71	36.48	3.10
5.	Barmer	10.92	11.63	17.25	18.67	1.57
6.	Bharatpur	21.64	23.52	29.86	33.84	2.87
7.	Bhilwara	32.34	36.83	46.06	51.72	4.40
8.	Bikaner	29.09	33.22	45.12	47.97	4.15
9.	Bundi	19.73	22.18	27.31	31.16	2.64
10.	Chittorgarh	28.17	30.84	40.40	34.28	2.94
11.	Churu	21.24	23.79	28.23	31.58	2.68
12.	Dausa	14.36	15.31	19.18	22.20	1.90
13.	Dholpur	10.43	13.91	16.83	18.85	1.68
14.	Dungarpur	2.95	5.81	5.44	5.96	0.57

1	2	3	4	5	6	7
15.	Hanumangarh	32.54	44.09	58.56	72.49	6.51
16.	Jaipur	111.80	128.52	165.82	133.24	11.70
17.	Jaipur Rural	*	*	*	52.81	4.45
18.	Jaisalmer	5.67	6.55	9.54	11.19	0.99
19.	Jalore	14.24	16.66	21.90	24.52	2.08
20.	Jhalawar	22.43	25.05	32.77	37.05	3.20
21.	Jhunjhunu	36.56	39.76	49.65	56.09	4.76
22.	Jodhpur	38.87	46.08	68.04	71.48	5.94
23.	Karauli	12.08	13.05	17.11	18.90	1.54
24.	Kota	41.17	47.67	56.13	64.53	5.24
25.	Nagour	28.46	34.50	45.63	49.06	4.18
26.	Pali	30.63	36.98	47.44	52.50	4.51
27.	Pratapgarh	*	*	*	10.49	0.91
28.	Rajsamand	19.29	21.45	25.97	27.49	2.51
29.	S. Madhopur	13.54	15.19	18.76	20.96	1.79
30.	Sikar	41.87	45.56	57.51	64.84	5.52
31.	Sirohi	18.56	17.68	24.84	28.23	2.39
32.	Sriganganagar	48.07	60.94	78.14	92.73	8.66
33.	Tonk	18.02	20.29	24.61	27.96	2.38
34.	Udaipur	23.91	25.03	32.89	36.49	3.07
	Grand Total	**882.21**	**1020.84**	**1316.19**	**1476.77**	**127.08**

* वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के लिए जिला जयपुर ग्रामीण की देशी मदिरा उठाव की सूचना को जयपुर में एवं प्रतापगढ़ की देशी मदिरा उठाव की सूचना को चित्तौड़गढ़ में सम्मिलित किया हुआ है।

Annexure-B

Yearwise Lifting of IMFL & BEER (In Lacs. B.L.)

S. No.	DEO	BEER					IMFL				
		2009	2010	2011	2012	2013 (Jan.)	2009	2010	2011	2012	2013 (Jan.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ajmer	55.24	62.05	77.38	88.28	4.05	27.45	30.57	38.59	48.56	4.48
2.	Alwar	33.86	37.60	46.14	55.19	1.98	28.28	33.52	42.69	52.37	4.97
3.	Banswara	24.54	26.12	27.01	36.69	2.06	4.52	6.08	8.53	11.99	1.03
4.	Baran	6.71	7.50	9.33	12.41	0.54	5.92	6.68	8.79	10.67	1.02
5.	Barmer	24.49	31.49	42.42	49.52	2.63	8.47	10.26	15.70	18.50	1.69
6.	Bharatpur	18.27	20.15	23.16	25.68	0.56	13.27	14.96	19.26	25.57	2.39
7.	Bhilwara	25.95	30.09	36.12	44.29	2.26	10.23	11.00	16.15	21.57	2.08
8.	Bikaner	21.14	23.56	33.01	44.30	1.76	12.67	14.71	21.56	29.20	2.97
9.	Bundi	7.97	8.19	11.07	14.59	0.64	7.10	7.09	9.47	11.92	1.13
10.	Chittorgarh	26.05	23.69	26.45	32.74	1.85	8.74	9.22	12.68	16.12	1.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Churu	12.04	12.56	18.06	25.40	0.98	6.70	7.92	11.69	14.92	1.39
12.	Dausa	13.56	15.60	20.22	21.85	0.82	5.91	7.02	9.37	12.06	1.12
13.	Dholpur	8.51	9.73	9.98	12.10	0.31	5.04	5.83	8.11	10.61	0.98
14.	Dungarpur	28.66	35.58	39.27	47.01	3.39	4.47	6.03	7.47	11.10	0.98
15.	Hanumangarh	8.79	9.79	13.73	20.03	0.50	7.96	8.56	13.26	18.45	2.17
16.	Jaipur City	95.00	112.06	132.78	154.69	8.43	61.05	70.46	82.98	95.38	8.70
17.	Jaipur Rural	29.97	32.00	41.21	48.07	1.88	17.35	19.06	25.00	30.09	2.92
18.	Jaisalmer	13.39	15.20	20.55	27.83	1.77	4.41	5.17	7.74	10.96	1.24
19.	Jalore	26.32	29.13	40.49	43.84	2.46	10.36	12.01	17.75	21.59	1.96
20.	Jhalawar	9.33	9.10	10.65	13.82	0.70	6.44	6.69	8.47	11.26	0.99
21.	Jhunjhunu	18.97	22.17	26.50	29.96	1.21	13.64	18.22	24.72	28.46	2.71
22.	Jodhpur	67.64	73.00	96.62	121.11	7.21	20.50	24.41	38.73	47.55	4.70
23.	Karauli	8.61	10.85	12.54	14.59	0.43	4.14	5.27	6.66	8.56	0.81
24.	Kota	27.19	29.50	33.14	36.79	1.75	23.22	26.13	26.97	33.14	3.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Nagour	25.13	28.15	37.15	43.65	1.89	10.15	11.90	17.42	21.64	1.89
26.	Pali	26.02	32.95	38.21	48.99	2.86	10.76	13.78	20.55	26.74	2.57
27.	Pratapgarh	6.42	9.83	10.85	12.51	0.84	1.67	2.76	4.09	5.54	0.60
28.	Rajsamand	17.00	19.54	21.63	25.75	1.75	5.72	7.34	10.11	12.85	1.15
29.	Sawai Madhopur	9.20	11.07	14.19	17.08	0.70	4.93	6.15	8.46	10.69	0.97
30.	Sikar	25.51	27.26	35.19	42.28	1.62	16.20	20.37	26.95	31.82	3.03
31.	Sirohi	23.25	25.41	32.79	38.81	2.11	13.35	15.51	19.68	24.22	2.14
32.	Sriganganagar	10.79	11.23	15.16	20.87	0.37	14.56	15.29	22.33	30.36	3.50
33.	Tonk	9.55	10.81	15.27	18.74	0.64	6.49	6.73	9.92	13.06	1.15
34.	Udaipur	72.12	84.71	95.86	108.89	7.83	21.97	25.30	31.82	40.64	4.03
	Grand Total	**837.20**	**947.66**	**1164.11**	**1398.36**	**70.79**	**423.64**	**492.00**	**653.68**	**818.15**	**78.02**

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का निर्माणाधीन बस स्टैण्ड

310. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का बस स्टैण्ड काफी समय से निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर यहां से बस संचालन आरम्भ कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि बस स्टैण्ड के बिना कस्बे की सड़कों पर बसें बेतरतीब खड़ी की जा रही हैं तथा इस कारण जाम लगने से असुविधा हो रही है?

(3) क्या सरकार बस स्टैण्ड चालू कराने तक बसों को किसी उपयुक्त स्थान पर खड़े किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कौन-कौन से गांव व कस्बों में बस सेवा का संचालन किया जा रहा है? क्या सरकार राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के गांवों/कस्बों को शहरों से बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में बस स्टैण्ड की चारदीवारी एवं भरत हेतु विधायक कोष से वर्ष 2006-07 में वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 1310-25 दिनांक 18.10.2006 द्वारा राशि रुपये 5.00 लाख स्वीकृत हुई जिसका कार्य ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 15.02.2008 को पूर्ण करवा दिया गया।

इसी प्रकार आदेश क्रमांक 1724-29 दिनांक 24.07.2006 द्वारा उक्त बस स्टैण्ड के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी किन्तु माननीय विधायक महोदय के कोष में राशि का अभाव होने के कारण उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृत जारी किया जाना सम्भव नहीं हो सका। वर्तमान में इस बस स्टैण्ड हेतु कोई कार्य स्वीकृत नहीं है और न ही पंचायत द्वारा उक्त स्थान पर कोई कार्य कराया जाना है।

(2) जी नहीं। निगम वाहनें उपयुक्त स्थान गोल चक्कर तिराये पर खड़ी होती हैं। अत: राजस्थान परिवहन निगम की वाहनों के खड़ी रहने से किसी प्रकार के जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का बस स्टैण्ड राजस्थान परिवहन निगम के स्वामित्व का नहीं है। निगम बसों की संचालन व्यवस्था खण्ड "2" के अनुसार है।

(4) राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की जिन-जिन ग्राम पंचायतों में बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, उनकी मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने की योजना प्रगति पर है सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु प्राप्त राशि से लाभान्वित श्रमिक परिवार

311. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बिल्डर्स, श्रम ठेकेदारों, निर्माणी संस्थाओं से कर के रूप में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु आय का एक निश्चित हिस्सा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत यह योजना संचालित की जा रही है? योजना का नाम, योजना की मार्गदर्शिका एवं योजना से सम्बन्धित समस्त प्रावधानों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उपरोक्त योजना राज्य में कब से प्रारम्भ की गई? उक्त योजनान्तर्गत किन-किन को लाभार्थी की श्रेणी में माना गया है? लाभार्थियों को किस प्रकार लाभान्वित किया जाता है? कौन-कौनसी सुविधायें लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त योजनान्तर्गत कर की राशि किस प्रकार की श्रम संस्थाओं, ठेकेदारों, बिल्डर्स, निर्माण कम्पनियों पर लगाये जाने की व्यवस्था है? इन सबसे किस रूप में एवं किस प्रकार उक्त कर राशि वसूल किये जाने की व्यवस्था है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत योजना के लागू होने से वर्तमान तक कितनी कर राशि वसूल की गयी है? वसूल की गयी इस राशि से अब तक कितने

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है? उक्त योजना में कितने एवं कौन-कौन से श्रम संगठन विभाग में पंजीकृत हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानानुसार उपकर राशि प्राप्त की जा रही है। अधिनियम की प्रति अनुलग्नक "क" संलग्न है।

(2) निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 के तहत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान का गठन दिनांक 27.7.2009 से किया गया। अधिनियम के प्रावधानानुसार 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष से कम आयु के निर्माण श्रमिक जिन्होंने गत 12 माह में कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वे हिताधिकारी के रूप में मंडल से पंजीयन कराने के पात्र हैं। लाभार्थियों को मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण अनुलग्नक "ख" संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर सभी निर्माण कार्यों के नियोजकों से प्राप्त करने के लिए प्रावधान व व्यवस्था भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत बनाये गये केन्द्रीय नियमों 1998 में की गयी है। नियमों की प्रति अनुलग्नक "ग" संलग्न है।

(4) राज्य में उक्त अधिनियम लागू होने से जनवरी, 2013 तक उपकर के रूप में 317.89 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है तथा 115625 श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। विवरण अनुलग्नक "घ" पर संलग्न। उक्त योजना/अधिनियम के तहत किसी श्रम संगठन को पंजीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है। श्रम संगठनों का पंजीयन श्रम संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत किया जाता है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पैट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर "वैट" से प्राप्त राजस्व

360. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन पर वैट व बिक्री कर वसूला जा रहा है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक राज्य में पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के कब-कब दाम बढ़ाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के दाम बढ़ने से राज्य सरकार को कब-कब, कितना राजस्व प्राप्त हुआ? दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के दाम बढ़ने से प्राप्त राजस्व में प्रत्येक समय कितनी वृद्धि दर्ज की गई? उक्त अवधि में दाम बढ़ने के समय से वर्तमान तक प्राप्त राजस्व आय का वर्षवार मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश मे वर्तमान में पैट्रोल पर 26 प्रतिशत, डीजल पर 18 प्रतिशत वैट (54 पैसे छूट की राशि प्रति लीटर घटाकर) वसूल किया जा रहा है। घरेलू रसोई गैस पर दिनांक 06-09-2008 से व केरोसीन पर दिनांक 09-3-2011 से कर में छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में घरेलू रसोई गैस व केरोसीन पर कोई वैट वसूल नहीं किया जा रहा है।

(2) राज्य में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के मूल्यों में हुई वृद्धि/कमी का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) राज्य में पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के दाम बढ़ने/घटने से 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक प्राप्त राजस्व में हुई वृद्धि/कमी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन से 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक प्राप्त राजस्व आय का वर्षवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक पैट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि/कमी

पैट्रोल		डीजल		रसोई गैस		केरोसीन	
दिनांक	वृद्धि/ कमी रुपये प्रति लीटर	दिनांक	वृद्धि/ कमी रुपये प्रति लीटर	दिनांक	वृद्धि/ कमी रुपये प्रति सिलेण्डर	दिनांक	वृद्धि/ कमी रुपये प्रति लीटर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2.7.09	2.10	2.7.09	4.27	30.6.09	-24.00	26.6.10	2.85
27.10.09	0.04	27.10.09	0.07	15.11.09	1.40	1.7.10	0.02
27.2.10	2.68	27.2.10	2.90	24.6.11	35.00	16.1.11	0.03
16.6.10	0.21	16.6.10	0.28	30.6.11	50.00	25.6.11	2.00
26.6.10	1.97	26.6.10	3.74	31.10.11	-22.00	1.8.12	0.01
1.7.10	0.02	1.7.10	0.02	6.10.12	0.41		
8.9.10	0.09	8.9.10	0.10	31.10.12	11.42		
2.11.10	0.02	21.9.10	0.29				
16.1.11	0.19	17.10.10	0.76				
24.6.11	3.16	2.11.10	0.02				
14.9.12	5.00	9.10.10	0.35				
1.1.13	0.03	16.12.10	3.16				
18.1.13	0.51	16.1.11	2.87				
		1.4.11	0.02				
		15.5.11	5.29				
		1.7.11	0.28				
		22.7.11.	0.01				

1	2	3	4	5	6	7	8
		15.9.11	3.37				
		4.11.11	1.92				
		16.11.11	-2.37				
		1.12.11	-0.83				
		1.4.12	-1.06				
		24.5.12	7.92				
		3.6.12	-2.07				
		29.6.12	-3.10				
		24.7.12	0.88				
		1.8.12	0.02				
		9.10.12	-0.71				
		16.11.12	0.83				
		18.1.13	-0.29				

परिशिष्ट-2

राज्य में पैट्रोल एवं डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के दाम बढ़ने/घटने से 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक राजस्व में हुई वृद्धि/कमी

डीजल			पैट्रोल			केरोसीन		
दिनांक	वृद्धि/कमी रुपये प्रति लीटर	कीमत में बढ़ोत्तरी/कमी के पश्चात राजस्व आय में वृद्धि/कमी (करोड़ों में प्रतिमाह)	दिनांक	वृद्धि/कमी रुपये प्रति लीटर	कीमत में बढ़ोत्तरी/कमी के पश्चात राजस्व आय में वृद्धि/कमी (करोड़ों में प्रतिमाह)	दिनांक	वृद्धि/कमी रुपये प्रति लीटर	कीमत में बढ़ोत्तरी/कमी के पश्चात राजस्व आय में वृद्धि/कमी (करोड़ों में प्रतिमाह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2.7.09	2.10	10.50	2.7.09	4.27	6.55	26.6.10	2.85	0.20
27.10.09	0.04	0.20	27.10.09	0.07	0.11	1.7.10	0.02	0.01
27.2.10	2.68	13.41	27.2.10	2.90	4.45	16.1.11	0.03	0.01
16.6.10	0.21	1.14	16.6.10	0.28	0.48	25.6.11	2.00	NIL
26.6.10	1.97	10.70	26.6.10	3.74	6.40	1.8.12	0.01	NIL
1.7.10	0.02	0.11	1.7.10	0.02	0.03			
8.9.10	0.09	0.49	8.9.10	0.10	0.17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.10	0.02	0.11	21.9.10	0.29	0.50			
16.1.11	0.19	1.03	17.10.10	0.76	1.30			
24.6.11	3.16	दि. 24.6.11 को हुई वृद्धि पर राज्य सरकार द्वारा दि. 29.6.11 को अधिसूचना जारी कर 54 पैसे प्रतिलीटर वैट पर छूट प्रदान की गई है।	2.11.10	0.02	0.03			
			9.10.10	0.35	0.60			
			16.12.10	3.16	5.41			
			16.1.11	2.87	4.91			
			1.4.11	0.02	0.04			
			15.5.11	5.29	9.49			
			1.7.11	0.28	0.50			
			22.7.11.	0.01	0.02			
			15.9.11	3.37	6.05			
			4.11.11	1.92	3.45			
14.9.12	5.00	7.75	16.11.11	-2.37	-4.25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.13	0.03	0.18	1.12.11	-0.83	-1.49			
18.1.13	0.51	3.12	1.4.12	-1.06	-1.90			
			24.5.12	7.92	14.21			
			3.6.12	-2.07	-5.57			
			29.6.12	-3.10	-1.59			
			24.7.12	0.88	0.04			
			1.8.12	0.02	0.03			
			9.10.12	-0.71	-1.21			
			16.11.12	-0.83	-1.42			
			18.1.13	-0.29	-0.49			

परिशिष्ट-3

राज्य में पैट्रो-उत्पादों के दाम बढ़ने/घटने से 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक प्राप्त राजस्व (रुपये लाखों में)

	2008-09 (1 जनवरी 09 से 31 मार्च-09)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-12 से जनवरी-13)
पैट्रोल	18628.93	86768.69	148060.98	112127.50	131757.68
डीजल	44863.69	202921.02	247889.41	239441.03	283031.82
रसोई गैस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केरोसीन	591.22	2105.04	2951.74	शून्य	शून्य

प्रश्न संख्या-361

(स्थगित)

जैसलमेर जिले में लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतें

362. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किये गये हैं?

(2) कौन-कौन से विभाग तथा कौन-कौन से कार्य उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं? अधिनियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् जैसलमेर जिले में उसकी अवहेलना के कुल कितने प्रकरण सरकार के ध्यान में आये व दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस अधिनियम में नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं:-

1- निश्चित समय सीमा के भीतर अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार। (धारा-4)

(प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री)

2- निश्चित समयावधि में सेवा प्राप्त ना होने, आवेदन नामंजूर होने पर अपील का अधिकार। (धारा-6)

3- प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील का अधिकार। (धारा-6)

(2) इस अधिनियम के तहत 18 विभागों की 153 सेवाऐं सम्मिलित की गई हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अधिनियम राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया गया है तथा अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 651 श्री अब्दुल सगीर खां (7), माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा के संदर्भ में विधान सभा के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।

(3) उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात जैसलमेर जिले में अवहेलना का कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है। (परिशिष्ट 2)

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आशुलिपिकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया

363. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ स्टेनोग्राफर परीक्षा-2011 की भर्ती पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या उक्त परीक्षा में स्टेनोग्राफर के पदों में बढ़ोत्तरी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी, 2012 को आयोजित की गई थी? यदि हां, तो प्रथम चरण में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अब उक्त प्रतियोगी परीक्षा की द्वितीय चरण की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है? यदि हां, तो द्वितीय चरण की परीक्षा कब आयोजित की जायेगी व परिणाम कब तक घोषित किया जायेगा? द्वितीय चरण की परीक्षा का पाठ्यक्रम, आशुलिपि

(श्री हरिसिंह रावत)

अनुवाद जांचने की प्रक्रिया, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रतियोगी परीक्षा के द्वितीय चरण की परीक्षा में दोनों हिन्दी व अंग्रेजी आशुलिपि का टेस्ट लेगी या एक ही (हिन्दी व अंग्रेजी में से कोई एक) आशुलिपि का टेस्ट लेगी?

(5) उक्त स्टेनोग्राफर परीक्षा हेतु कम्प्यूटर योग्यता क्या रहेगी? क्या RS-CIT (RKCL) व PGDCA कोर्स को कम्प्यूटर योग्यता में शामिल किया जायेगा?

(6) क्या सरकार को उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश व निर्देश प्राप्त हुए हैं? क्या उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देश का प्रति उत्तर सरकार द्वारा दिया गया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यथाशीघ्र परीक्षा आयोजित कराने की संभावना है।

शासन सचिवालय में स्टेनोग्राफर के पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों हेतु स्टेनोग्राफर के 19 पदों की बढ़ोतरी की गई है।

शीघ्रलिपिक के पदों में 47 पदों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग में लम्बित है, जिस पर द्वितीय चरण की परीक्षा के समय विचार किया जा सकता है।

(2) जी हां। प्रथम चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1126 है जिनका वर्गानुसार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ग	**पुरुष**	**महिला**	**योग**
सामान्य	465	51	516
अनु. जाति	135	9	144
अनु. जनजाति	87	1	88
अन्य पिछड़ा वर्ग	332	26	358
विशेष पिछड़ा वर्ग	20	-	20
कुल योग	**1039**	**87**	**1126**

(कार्मिक मंत्री)

(3) जी हां। परीक्षा की तिथि एवं परिणाम की तिथि अभी तय नहीं हुई है।

द्वितीय चरण की परीक्षा का पाठ्यक्रम, आशुलिपि अनुवाद जांचने की प्रक्रिया, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आदि का नियमों में विहित प्रावधान अनुसार विज्ञापन में प्रकाशित विवरण निम्नानुसार है-

आशुलिपिक के पद के लिए द्वितीय चरण प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

फेज-।।

	प्रश्नपत्र	**अवधि**	**अंक**
1.	अंग्रेजी आशुलिपि (परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	50
	दिये गये श्रुतिलेख के लेखांश का कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण	60 मिनट	
2.	हिन्दी आशुलिपि (परीक्षण में 80 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	50
	दिये गये श्रुतिलेख के लेखांश का कम्प्यूटर पर हिन्दी में प्रतिलेखन और टंकण	70 मिनट	

स्पष्टीकरण :-

1. प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा का है परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग समय-समय पर विहित करे और उससे अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग उचित समझे।

2. प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में- फेज-। और फेज-।। में आयोजित की जायेगी। फेज-। के समस्त प्रश्न पत्र वतुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

3. विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अध्यधीन फेज-। में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज-।। में प्रवेश

(कार्मिक मंत्री)

दिया जायेगा किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जावेगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं।

4. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के फेज-। और फेज-।। में प्राप्त अंकों की गणना उनका अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए की जायेगी।

5. किसी अभ्यर्थी के लिए कम्प्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा और वह परीक्षा के लिए अपना स्वयं का कम्प्यूटर, पेन और पेन्सिल लायेगा।

यह एक संक्षिप्त व स्थूल प्रावधान है। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, आशुलिपि अनुवाद जांचने की प्रक्रिया तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक आदि द्वितीय चरण की परीक्षा कार्यक्रम के पश्चात तय की जावेंगे।

(4) विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण की परीक्षा में दोनों हिन्दी व अंग्रेजी आशुलिपि का टेस्ट लिया जावेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वितीय चरण की परीक्षा में सुविधानुसार दोनों आशुलिपि में से कोई एक भाषा की परीक्षा पहले आयोजित करा सकता है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही आवेदक की अन्य भाषा की आशुलिपि की परीक्षा ली जा सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी को दोनों भाषा की आशुलिपि में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना आवश्युक है।

(5) कम्प्यूटर योग्यता नियमानुसार होगी। विज्ञापन में कम्प्यूटर योग्यता निम्नानुसार है :-

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.आ.प्रो.स.)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

(कार्मिक मंत्री)

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

PGDCA कोर्स को कम्प्यूटर योग्यता के उक्त Diploma in Computer Science/Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government के अन्तर्गत /अध्यधीन मान्यता प्राप्त है, किन्तु RS-CIT (RKCL) कोर्स सर्टिफिकेट स्तर का है और इसको इस परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में कम्प्यूटर योग्यता हेतु विज्ञापित उक्त योग्यताओं के समकक्ष अभी तक घोषित नहीं किया गया है।

(6) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश/निर्देश दिनांक 29-5-2012 (परिशिष्ट "क") एवं 17-07-2012 (परिशिष्ट "ख") प्राप्ति हुए हैं जिनकी प्रति संलग्न है। इनके संदर्भ में सरकार द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संदर्भ में कुछ रिट याचिकाएं; एस.बी.सि.रि. संख्या 031/2012 दिनेश चन्द माली बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, एस.बी.सि.रि. संख्या 10463/2012 रेखा कुमारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, एस.बी.सि.रि. संख्या 11122/2012 हेमन्त कुमार सांवरिया व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्राप्त हुई हैं, जिनका जवाब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीगंगानगर जिले में जहरीली शराब सेवन से मृत व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा

364. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक अवैध शराब निर्माण का कार्य कहां-कहां पकड़ा गया एवं शराब की कितनी अवैध भट्टियां नष्ट की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जहरीली शराब के सेवन से श्रीगंगानगर जिले में मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की व उनके आश्रितों को कितना-कितना मुआवजा प्रदान किया गया?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक पकडे गये

(आबकारी मंत्री)

अवैध शराब निर्माण के स्थान एवं नष्ट की गई अवैध भट्टियों का आबकारी एवं पुलिस विभागवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट- '1' व '2' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। श्रीगंगानगर जिले में जहरीली शराब पीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत ऋण/अनुदान

365. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. योजना में कितनी राशि के ऋण (अनुदान सहित) स्वीकृत किये गये? उद्योगवार क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. योजना अन्तर्गत 37.40 लाख रुपये परियोजना लागत की 16 इकाइयों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। उद्योगवार क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के नगर निगमों का आय-व्यय

366. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के नगर निगमों में गत तीन वर्षों में किस-किस मद में कितनी-कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आय में से नगर निगमों द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? नगर निगमवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर निगमों द्वारा ऋण लिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना किस-किस कार्य हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के नगर निगमों में गत तीन वर्षों की मदवार आय का विवरण परिशिष्ट " अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) उक्त प्राप्त राशि में से नगर निगमों के मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नगर निगमों द्वारा कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य हेतु लिया गया है का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में निस्तारित प्रकरण

367. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत अलवर शहर में किस दिनांक को की गई? उक्त अभियान के अन्तर्गत किस-किस दिनांक को कहां-कहां शिविर लगाये गये? दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में अलवर शहर में किस-किस विभाग को कितने-कितने आवेदन, किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों का विभागवार, शिविरवार एवं दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिविरों में प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों का निपटारा शिविर स्थल पर ही किया गया व शेष आवेदनों में की जा रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट सहित शिविरवार, दिनांकवार व विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत अलवर शहर में दिनांक 21.11.2012 को की गई। उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत अलवर शहर में नगर परिषद्, अलवर द्वारा नगर परिषद्, कार्यालय में तथा नगर विकास न्यास अलवर द्वारा इनके नागरिक सेवा केन्द्र परिसर में शिविर लगाये गये। जिनकी दिनांकवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अभियान में अलवर शहर में नगर परिषद्, अलवर एवं नगर सुधार न्यास, अलवर को प्राप्त आवेदनों का कार्यवार एवं दिनांकवार विवरण सहित क्रमश: परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) नगर परिषद्, अलवर कार्यालय में लगाये गये शिविरों के दौरान कुल 819 में से 427 आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा शेष 392 प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगर सुधार न्यास, अलवर के नागरिक सेवा केन्द्र परिसर में लगाये गये शिविरों में प्राप्त हुए कुल 22778 आवेदनों में से 2444 आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा शेष 20,334 प्रकरणो के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट "द" एवं "य" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

घड़साना (श्रीगंगानगर) को नगरपालिका का दर्जा

368. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2008 के दौरान घड़साना को नगरपालिका बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या सरकार घड़साना को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008 में विभागीय अधिसूचना प.10( ) न.पा. (गठन) सीमा/डीएलबी/08/4820-5097 दिनांक 06.10.2008 जारी कर घड़साना को नगरपालिका चुतर्थ श्रेणी घोषित की गयी थी। किन्तु छोटी नगरपालिका होने एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रशासनिक रूप से घड़साना को नगर पालिका रखी जाना उपयुक्त नहीं था। साथ ही पंचायत से नगरपालिका बनने से ग्रामीण योजना में मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो सकते थे।

(2) जी नहीं।

बयाना (भरतपुर) में बस स्टैण्ड की स्थापना

369. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बयाना में बस स्टैण्ड निजी भूमि में चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए अन्यत्र

(श्री ग्यारसाराम कोली)

भूमि आबंटित करवाकर स्थायी बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। किन्तु वर्तमान में बस स्टैण्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नगरपालिका के समक्ष विचाराधीन नही है।

बाड़मेर शहर में आर यू आई डी पी द्वारा स्वीकृत कार्य

370. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा बाड़मेर शहर में क्या-क्या कार्य स्वीकृत है एवं प्रत्येक कार्य की कितनी-कितनी लागत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा स्वीकृत कार्यों की क्या प्रगति है एवं कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा बाड़मेर शहर में स्वीकृत कार्यों एवं लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

1. सीवरेज लाइन तथा 10 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट सहित कार्य की लागत राशि रु. 2896.39 लाख है।

2. बाड़मेर शहर में जलप्रदाय योजना के तहत् 9 उच्च जलाशय, 01 भूतल जलाशय, 01 स्वच्छ जलाशय, 02 पम्प हाउस एवं 140 कि.मी. पाइप लाइन बिछाने के कार्य की लागत राशि रु. 3000 लाख है।

3. बाड़मेर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित समपार संख्या 323-ए पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण की लागत राशि रु. 2000 लाख है।

4. बाड़मेर शहर में उत्तरलाई तक सडक निर्माण के कार्य की लागत राशि रु. 850 लाख है।

(2) वर्तमान में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

1. बाड़मेर शहर में सीवरेज के तहत् 4.78 कि.मी. का सीवर कार्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पूर्ण हो चुका है शेष 65 कि.मी. सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है। अब तक राशि रु. 148.84 लाख व्यय हो चुके हैं।

2. 10 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में लगभग 78.75 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका है।

3. बाड़मेर शहर में जलप्रदाय योजना के तहत् 9 उच्च जलाशय में से 05 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अन्य प्रगति पर हैं। 01 भूतल जलाशय, 01 स्वच्छ जलाशय एवं 02 पम्प हाउस के कार्य प्रगति पर हैं। कुल डी.आई. पाइप 27.51 कि.मी. में से 25.51 कि.मी. में से 25.87 कि.मी. तथा यूपीवीसी पाइप लाइन 112.80 कि.मी. में से 88.71 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 2168 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका है।

4. बाड़मेर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित समपार संख्या 323-ए पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 1689 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका है।

5. बाड़मेर शहर में उत्तरलाई तक सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 69.39 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका है। अभी तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

अरबन रिन्युअल मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव

371. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शहरों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन का गठन किया गया है? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त योजनान्तर्गत गत 4 वर्षों में कितने प्रोजेक्ट प्रेषित किये गये? उनमें से कितने पास हुए व कितने पूर्ण हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस मिशन के अन्तर्गत गत 4 वर्ष (जनवरी, 2009 से) अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर एण्ड गवर्नेंस (यूआईजी) घटक के अन्तर्गत 2 परियोजनाओं की डीपीआर भारत सरकार को भेजी गई, जिन्हें भारत सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत शासन मंत्री)

जेएनएनयूआरएम के बी.एस.यू.पी. घटक के अन्तर्गत गत 4 वर्षो (जनवरी, 2009 से) में 3 परियोजनाओं की डी.पी.आर. भारत सरकार को भेजी गई, जिनमें से 2 परियोजनाओं को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जेएनएनयूआरएम के आई.एच.एस.डी.पी. घटक के अन्तर्गत गत 4 वर्षो (जनवरी, 2009 से) में 35 परियोजनाओं की डीपीआर भारत सरकार को भेजी गई, जिनमें से 34 परियोजनाओं को भारत सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

भादरा फेज-II को भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

जेएनएनयूआरएम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. घटक के अन्तर्गत गत 4 वर्षो में अर्थात् 13.02.2009 के बाद राजस्थान राज्य को इस योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि शेष नहीं होने के कारण कोई भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नही हुए है। हालांकि नवलगढ़ की सीवरेज योजना स्वीकृति हेतु अपराइजल रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई थी जो स्वीकृत नहीं हुई है। अब योजना का कार्य माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार स्वीकृत हो गया है।

परिशिष्ट-अ

Amount In Cr.
Position Ending 7.03.2013

S. No.	Name of Project	Project Cost / Sanctioned Date	Remarks/Progress
1	**2**	**3**	**4**
	UIG		
1	BRTS, Ph-I, Pkg.-IIIA & IIIB, Jaipur	260.36 14.01.2009	The revised DPR submitted to MoUD, GoI vide letter no. JDA/EE (Project-I) 2012-13/D-290 dated 30.05.2012. Approval is awaited.
2	Revitalization of walled city, Jaipur	27.61 27.11.2011 (Revised)	Work in progress.

1	2	3	4
		BSUP	
1	Redevelopment of Sanjay Nagar Bhatta Basti, Jaipur	235.34 22.02.2011 (Revised)	The work has been de-sanctioned on 12.09.2011 on request of GoR.
2	Relocation of 17 Slums under JDA, Jaipur	94.00 23.09.2010	Work in progress.
3	Relocation of 14 Slums under JDA, Jaipur	87.50 29.09.2010	
		Buses	
1	Procurement of Buses, Jaipur	142.82 21.02.2009	Purchased 300 buses out of 400 buses.
2	Procurement of Buses, Ajmer	8.65 21.02.2009	Purchased 35 buses as per revised approval.
3	Procurement of Buses, Ph-II, Ajmer	11.57 —	DPR submitted to OSD, (MRTS), MoUD, Gol vide this office letter no. 3055 dated 9.06.2011. But approval is still awaited.

परिशिष्ट-ब

IHSDP **31.1.2013**

S. No.	Yearwise no of Project	Project Name	Date of Sanction Project	Project Cost In Rs. lacs
1	2	3	4	5
2009-10				
1	4	Bhinmal	27.01.10	1059.18
2		Phalodi	15.07.09	2326.51
3		Pokran	15.07.09	2183.16
4		Takhatgarh	15.07.09	1669.30
			Total	**7238.15**
2010-11				
	19	Anoopgarh	05.08.10	1639.30
5		Banswara	05.08.10	422.73
6		Chittorgarh-II	05.08.10	1093.48
7		Jaisalmer Ph-II	26.09.10	3280.91
8		Kaithoon	26.08.10	506.01
9		Kekri	14.12.10	1859.82
10		Nimbahera	05.08.10	1105.60
11		Pilibanga	29.09.10	641.46
12		Pindwara	29.09.10	1325.78
13		Rawatsar	26.08.10	3069.07
14		Rawatbhata	14.12.10	3654.84
15		Sanchor	27.01.10	947.34
16		Sangod	14.12.10	901.40
17		Sumerpur	26.08.10	1035.68

1	2	3	4	5
2010-11				
18	19	Tonk-II	14.12.10	945.43
19		Bhadra	17.01.11	3768.99
20		Bilara	17.01.11	1396.38
21		Chotti Sadri	17.01.11	922.49
22		Kota-II	09.02.11	2858.45
			Total	**31375.16**
2011-12				
23	13	Anta	28.02.12	2762.44
24		Begun	28.02.12	2270.76
25		Deshnok	28.02.12	1620.06
26		Jodhpur-III	28.02.12	1258.28
27		Kota-I	20.01.12	1049.67
28		Kota-III	20.01.12	3391.07
29		Mangrol	02.03.12	2339.74
30		Phalodi-II	28.02.12	2544.80
31		Piipar City	28.02.12	2476.18
32		Ramganj Mandi	02.03.12	268.80
33		Sardarshahar	02.03.12	4943.69
34		Shahpura	02.03.12	1116.22
35		Sheoganj	28.02.12	1602.85
			Total	**27644.56**
	35		**Grand Total**	**66257.87**

महल ग्राम (जगतपुरा) तहसील सांगानेर की शान्ति विहार योजना का नियमन

372. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 नियमन शिविर के आयोजन के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के जोन-9 के अन्तर्गत ग्राम महल (जगतपुरा) तहसील सांगानेर, जयपुर की शान्ति विहार, शान्ति विहार बी, अरिहन्त विहार एवं श्याम विहार के भूखण्डधारियों से भूखण्डों के नियमन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कितने-कितने?

(2) क्या उक्त भूखण्डों का नियमन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस-किस दर से? नियमित किए गये भूखण्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इनका नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस दर से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :-

शान्ति विहार - 190

शान्ति विहार बी - 82

अरिहन्त विहार - 11

श्याम विहार - 120

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उक्त कालोनियों की भूमि रीको द्वारा अवाप्ताधीन होने के कारण नियमन नहीं किया गया है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चांदपोल-झोटवाड़ा रोड (जयपुर) पर निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक काम्प्लैक्स

373. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाइस गोदाम एवं चांदपोल झोटवाड़ा रोड पर के.के. टावर नामक आवासीय/व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया

(श्री केसाराम चौधरी)

गया है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब-कब एवं कहां-कहां तथा कितनी-कितनी भूमि पर? निर्माणकर्ता व्यक्ति/फर्म/सहकारी समिति/निजी उद्यमी आदि के नाम एवं पते व सहकारी समिति के सदस्यों की सूची निजी/उद्यमी आदि के नाम एवं पते सहकारी समिति के सदस्यों की सूची/निजी उद्यमी के निदेशकों/प्रवर्तकों/निदेशकों के चुनाव आदि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य मैसर्स जीतिश प्रोपर्टीज कम्पनी प्राइवेट लि. ई-100 अंबाबाड़ी जयपुर द्वारा करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त निजी कंपनी का पंजीयन कब एवं कहां करवाया गया एवं उक्त कंपनी का कार्य क्षेत्र कहां-कहां है एवं उसके प्रवर्तक/निदेशक/पदाधिकारी कौन-कौन है तथा उनका चुनाव किस प्रकार किया गया और उक्त निजी कम्पनी के बायलाज क्या है? क्या उक्त कम्पनी का आडिट भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त का आडिट करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माण कर्ता द्वारा कब-कब कितनी-कितनी भूमि किस-किस से कितनी-कितनी राशि में खरीदी और कितनी-कितनी राशि भू-रूपान्तरण के रूप में जमा कराई? भूमि के क्रय एवं भू-रूपान्तरण जमा कराने के दस्ता वेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवासीय/व्यावसायिक परिसर में निर्मित आवास/व्यावसायिक फ्लेट्स/गोदाम कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि के किस-किस को कितनी-कितनी राशि में विक्रय किये गये? क्रेता के नाम, पता एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा उक्त निर्माण के अतिरिक्त अन्यत्र भी आवासीय एवं व्यावसायिक काम्प्लेक्सों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कहां एवं कितनी-कितनी राशि से? करवाये गये निर्माण कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। चांदपोल-झोटवाड़ा रोड पर काम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है, लेकिन बाइस गोदाम पर के.के. टावर नामक आवासीय/व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण नहीं है। चांदपोल-झोटवाड़ा रोड पर भू.सं. 3 डाक्टर्स बंगलो निर्माण मार्ग जयपुर पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु श्री अरूण गुप्ता, निदेशक फर जितिश प्रोपर्टीज प्रा.लि. 101, कृष्ण कृपा सुभाष

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नगर जयपुर ने दिनांक 27.09.2005 को निर्माण स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त की थी। आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल 4751.65 वर्गमीटर है, जिसमें सड़क में आने वाली 450 वर्गमीटर भू-पट्टी कम करने पर 4301.65 वर्गमीटर पर निर्माण स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई है। जितिश प्रोपर्टीज प्रा.लि. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार इस कम्पनी के निदेशक श्री कुलदीप एस. बिन्द्रा पुत्र श्री आई.एस. बिन्द्रा एवं श्री हरविन्दर सिंह गुजराल पुत्र श्री कृपाल सिंह गुजराल है। जिनका पता ई-34 जी.के. द्वितीय, नई दिल्ली-48 है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कम्पनी के निदेशकों आदि के चुनाव सम्बन्धी विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) जी हां। निर्माण स्वीकृति श्री अरूण गुप्ता निदेशक फार जितिश प्रोपर्टीज प्रा.लि., 101, कृष्ण कृपा, सुभाष नगर जयपुर के नाम जारी की गई थी। कम्पनी की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा दिनांक 02.06.1994 को किया गया है। जिसका पंजीयन संख्या 55-59387 है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अंसल टावर चतुर्थ तल, सूट नम्बर 1407 से 1412, 38, नेहरू पैलेस न्यू दिल्ली-110019 है। कम्पनी के कार्य आदि के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत मेमोरेण्डोम आफ आर्टिकल्स की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कम्पनी का आडिट राज्य सरकार द्वारा नहीं करवाया जाता है।

(3) कम्पनी द्वारा उक्त भूखण्ड' नीलामी द्वारा जिसका क्षेत्रफल 4751.65 वर्गमीटर है। जिसकी राशि 4,77,18,470.00 रुपये में क्रय किया गया था। नीलामी के समय राशि 1,18,79,125.00 रुपये जमा कराये गये। शेष राशि दिनांक 03.01.1997 को चैक द्वारा राशि 3,58,39,345.00 रुपये जमा कराये गये। आबंटन की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है व चालान की प्रतियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में सूचना संधारित नहीं है।

(5) उक्त कम्पनी के द्वारा अन्य कोई आवासीय/व्यावसायिक भवन निर्माण किये जाने की जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण में संधारित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, जयपुर की योजना विजयबाड़ी का नियमन प्रकरण

374. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोन 6 में शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की योजना विजयबाड़ी का नियमन हो चुका है? यदि हां, तो उक्त योजना में अनअप्रूड क्षेत्रफल कितना है, उसकी लम्बाई चौड़ाई कितनी है तथा अनअप्रूव्ड क्षेत्र किसके स्वामित्व में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जोन बी 3 के निर्णय दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 ग्राम बीड सरकारी खसरा नं. 110 से लगायत 121 कुल 21 बीघा 11 बिस्वा के खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर इसे राज्य हित में पुनग्रहित करने के आदेश को संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 9 नवम्बर, 2009 को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो खातेदारों को खातेदारी अधिकार पुन: बहाल कब तक कर दिया जायेगा तथा खातेदारी की भूमि में अनुमोदित भूखण्डों का नियमन निरस्त करने बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना में अनअप्रूव्ड क्षेत्रफल 6 बीघा है। जिसकी लम्बाई चौड़ाई लगभग 375X440 फीट है। उक्त सम्पूर्ण भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

(2) जी हां। पत्रावली इस आशय के साथ पुन: लौटाई गई है, कि सभी खातेदारों को पुन: सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: निर्णय पारित करें। इस सम्बन्ध में सभी खातेदारान को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। उनकी सुनवाई की तिथि 20.03.2013 को रखी हुई है अर्थात प्रकरण विचाराधीन है। 90-बी की कार्यवाही के निर्णय के पश्चात तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा चुकी है।

विश्वैश्वरिया नगर, जयपुर में निर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर

375. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्वैश्वरिया नगर (अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति), त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर में 30 फीट सड़क पर फ्लैट/बहुमंजिला आवासीय परिसर के निर्माण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इनमें से

(श्री बंशीधर खण्डेला)

कितनों को स्वीकृति दी जा चुकी है और कितने लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों में कितना सैट बैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है तथा इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्या मानदण्ड हैं? मानचित्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विश्वैश्वरिया नगर (अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति) के भूखण्ड संख्या 10 से 18 में से किस-किस भूखण्ड पर बहुमंजिला आवासीय परिसर के निर्माण की स्वीकृति कब व किस अधिकारी द्वारा जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बहुमंजिला आवासीय परिसर निर्माण में मानदण्डों का पालन न करने वाले निर्माणकर्ता तथा निर्माण के विरुद्ध नियमों में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

(3) भूखण्ड संख्या 10 से 18 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई बहुमंजिला आवासीय परिसर के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(4) बहुमंजिला आवासीय परिसर निर्माण में मानदण्डों का पालन न करने वाले निर्माणकर्ता को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत अभियोजन किये जाने का प्रावधान है तथा निर्माण के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-32, 33 एवं 34(क) के अन्तर्गत निर्माण रूकवाने, ध्वस्त करने एवं सील करने का प्रावधान है। उक्त धाराओं के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की छाया प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में प्राप्त खेल सुविधाएं

376. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में खेल एवं युवा मामलों के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) उक्त जिले में खेल अधिकारी कार्यालय से वर्तमान में कितने खिलाड़ियों को विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अलवर जिले में विभिन्न खेल सुविधाओं का अभाव है? वर्तमान में अलवर जिले के स्टेडियम में कौन-कौनसी खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कौन-कौनसी सुविधाओं का अभाव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में खेलों के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना चलाई जा रही है।
2. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण।
3. 200.00 लाख रुपये की लागत से खेल संकुल का निर्माण कार्य।

(2) अलवर जिले में एथलेटिक्स, बाक्सिंग, फुटबाल, बास्केटबाल, वालीबाल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो खेल के कुल 485 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) अलवर जिले में एथलेटिक्स, हाकी, बाक्सिंग, फुटबाल, बास्केटबाल, वालीबाल, कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो की खेल सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

बजट भाषण वर्ष 2012-13 के बिन्दु संख्या 147 (i) के अनुसार अलवर में 2.00 करोड़ रुपये की लागत से खेल संकुल का निर्माण किये जाने हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग के पत्रांक प.10(19)खेल/2012 दिनांक 23.11.2012 द्वारा रुपये 2.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा। खेल संकुल में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. 400 मीटर एथलेटिक ट्रेक 2. फुटबाल व हाकी मैदान मय हाइड्रेन्ट 3. दो बालीबाल मैदान 4. बास्केटबाल कोर्ट 5. दर्शक दीर्घा 6. कबड्डी एवं खो-खो मैदान 7. मल्टीजिम हाल का निर्माण 8. दो टायलेट ब्लाक 9. शेडेड प्लेटफार्म।

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की USIS योजनान्तर्गत अलवर में इन्डोर खेलों हेतु मल्टीपरपज इन्डोर हाल निर्माण का प्रस्ताव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया है।

बाड़मेर जिले में लिग्नाइट खनन प्रकरण

377. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा लिग्नाइट का खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में बाड़मेर जिले में स्थित खानों से कितने लिग्नाइट का दोहन किया जा चुका है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में जिस फार्मेशन में लिग्नाइट निकाला जा रहा है? उसकी ऊपरी परत में बेंटोनाइट की मौजूदगी रहती है, जिसे फिलहाल ओवर बर्डन के रूप में जमा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आर.एस.एम.एम.एल. को कभी लिग्नाइट उत्खनन से पहले निकलने वाले बेंटोनाइट की खरीद सम्बन्धी निजी प्रस्ताव प्राप्त हुए? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और उपक्रम में जीरो मिनरल वेस्ट पालिसी के तहत खनिजों के अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्षों में बाड़मेर जिले में स्थित खानों से निकाले गये लिग्नाइट का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले में जिस फोरमेशन में लिग्नाइट का खनन किया जा रहा है, उसके साथ निम्न श्रेणी के बेन्टोनाइट की परत भी पाई जाती है। खनन के दौरान हटाये गये बेन्टोनाइट खनिज को लिग्नाइट खनन के पश्चात् उसके स्थान पर पुनर्भरण (बैक फिलिंग) किया जाता है अथवा अलग से स्टाक किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि जब कभी बेन्टोनाइट की खरीद हेतु मांग प्राप्त हो, इसकी आपूर्ति की जा सकें।

(3) जी हां। मै. मारूति मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर द्वारा दिनांक 13.04.2011 को एक लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हुए बेन्टोनाइट

(खनिज मंत्री)

की आपूर्ति का आग्रह किया था, जिस पर मै. आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा विक्रय दर निर्धारित कर उक्त क्रेता को लिखा गया व स्मरण पत्र भी भेजे गये, परन्तु क्रेता द्वारा सहमत न होने से पेशगी राशि लौटाई गई। आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा जीरो मिनरल वेस्ट पालिसी के तहत खनन के दौरान हटाये गये बेन्टोनाइट खनिज को लिग्नाइट खनन के पश्चात् उसके स्थान पर पुनर्भरण किया जाता है अथवा अलग से स्टाक किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि जब कभी बेन्टोनाइट की खरीद हेतु मांग प्राप्त हो, इसकी आपूर्ति की जा सके।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग बाड़मेर

विगत तीन वर्षों में खनिज लिग्नाइट निर्गमन की सूचना

क्रम संख्या	पट्टेधारी का नाम	क्षेत्र	वर्षवार निर्गमन (मै. टनों में)		
			2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी तक)
1.	मैसर्स आर.एस.एम.एम. लि.	गिरल	882536.75	964461.93	799054.98
2.	मैसर्स आर.एस.एम.एम. लि.	सोनड़ी	—	—	121939.52
3.	मैसर्स बाड़मेर लिग्नाईट माइंड कम्पनी लिमिटेड	कपूरडी	—	1670840.16	3067552.37

सहायक खनि अभियन्ता

खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाड़मेर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अनियमितताओं के दर्ज प्रकरण

378. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग, रिश्वत के कितने प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये? वर्षवार, प्रकरणवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, रिश्वत के कुल 1862 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों का विवरण			कुल
		ट्रेप	पद का दुरुपयोग	आय से अधिक सम्पत्ति	
1	2009	228	86	21	335
2	2010	225	162	20	407
3	2011	258	225	33	516
4	2012	307	226	34	567
5	जनवरी 2013	26	09	02	37

आलोच्य अवधि के दर्ज प्रकरणों की सूची वर्षवार, प्रकरणवार परिशिष्ट "क" संलग्न है। सूची के कालम 3 में जिले का नाम अंकित है व अन्तिम कालम में अंकित अक्षर का शाब्दिक अर्थ निम्नानुसार है।

T= ट्रेप

M= पद का दुरुपयोग

D= आय से अधिक सम्पत्ति

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले के श्रम कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

379. श्री पेमाराम (धोद) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त का पदस्थापन स्थाई रूप से कब से नहीं है? क्या सरकार उक्त पद पर स्थायी रूप से पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सीकर स्थित उक्त कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं?

(श्री पेमाराम)

(3) भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत कार्य सम्पादन हेतु सीकर स्थित उक्त कार्यालय हेतु कितने कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने कार्मिक कार्यरत हैं व रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे?

(4) कार्मिक नहीं रखने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है? सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त का पद स्थाई रूप से दिनांक 12.5.2010 से रिक्त है। अधिकारियों की पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 2.3.2013 को किया जा चुका है तथा पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सीकर स्थित कार्यालय में मंत्रालयिक वर्ग का एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक कनिष्ठ लिपिक का पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में वरिष्ठ लिपिक का पद दिनांक 31.5.2011 से रिक्त है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत कार्य सम्पादन हेतु सीकर स्थित कार्यालय में पृथक से कोई नियमित पद स्वीकृत नहीं है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही उक्त कार्य किया जाता है। अस्थाई रूप से मण्डल का कार्य करने के लिये तीन मशीन विद मैन आउटसोर्स करने की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत तीन मशीन विद मैन अस्थाई रूप से रखे गये हैं।

(4) बिन्दु-3 के जवाब के अनुसार अस्थाई कार्मिक रख लिये गये हैं। अत: कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

जोधपुर जिले के राजकीय विद्यालयों हेतु आबंटित कम्प्यूटरों का अन्यत्र उपयोग

380. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कल्प योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आबंटित कम्प्यूटर मय प्रिन्टर का उपयोग जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा उपयोग किया गया है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों से कितने-कितने कम्प्यूटर का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) क्या उक्त योजना के तहत राजकीय विद्यालयों हेतु आबंटित कम्प्यूटर मय प्रिन्टर को सम्बन्धित विद्यालयों में पुन: हस्तांतरित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कार्यालय जोधपुर में विभागीय कार्यों के लिये बजट आबंटित कर कम्प्यूटर मय साजो-सामान स्थापित कर दिया गया है अथवा स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेजीडेन्सी, जोधपुर के तीन कम्प्यूटर मय प्रिन्टर का उपयोग जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर कार्यालय द्वारा किया गया।

(2) जी हां। कम्प्यूटर मय प्रिन्टर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेजीडेन्सी, जोधपुर को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 116 दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से भिजवाया गया, जिन्हें सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 15.01.2013 को प्राप्त कर लिया गया है।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय जोधपुर में विभागीय कार्यों के लिए बजट उपलब्ध होने पर कम्प्यूटर मय साजो-सामान स्थापित किये जा सकेंगे।

हनुमानगढ़ जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय

381. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006 से 15 जनवरी, 2013 तक उक्त विद्यालयों में कितनी अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाएं लाभान्वित हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में सामान व खाद्य सामग्री व अन्य पर स्वीकृत राशि व व्यय राशि का वर्षवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, टिब्बी में संचालित है।

(2) वर्ष 2006 से 15 जनवरी, 2013 तक उक्त विद्यालय में लाभान्वित अनुसूचित जाति व जनजाति बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2006 से वर्षवार व विद्यालयवार सामान व खाद्य सामग्री व अन्य पर स्वीकृत राशि व व्यय राशि का वर्षवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

वर्षवार लाभान्वित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की सूचना

क्र. सं.	वर्ष	केजीबीवी की सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	2006-07	विद्यालय का संचालन सत्र 2007-2008 में प्रारम्भ हुआ		
2.	2007-08	1	17	0
3.	2008-09	1	42	0
4.	2009-10	1	66	0
5.	2010-11	1	63	0
6.	2011-12	1	117	0
7.	2012-13 Jan. 2013	1	100	0

परिशिष्ट "ख"

सामान, खाद्य सामग्री व अन्य बाबत
Budget & Expenditure

(Amount in lacs)

S. No.	Name of Distt.	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		Sanction/ Available Budget	Total Exp. 2007-08	Sanction/ Available Budget	Total Exp. 2008-09	Sanction/ Available Budget	Total Exp. 2009-10	Sanction/ Available Budget	Total Exp. 2010-11	Sanction/ Available Budget	Total Exp. 2011-12	Sanction/ Available Budget	Total Exp. 2012-13 upto Jan.
1.	Hanumangarh	0.00	0.00	38.52	30.04	25.47	14.68	28.52	21.47	67.12	39.71	56.09	23.56

अलवर जिले में टीचर लर्निंग मटीयल के तहत प्राप्त राशि

382. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में सर्व-शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2010 से 15 जनवरी, 2013 तक किन-किन विद्यालयों में मरम्मत, नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य करवाये गये हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व-शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीचर लर्निंग मटीयल के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय व सामान्य शौचालय का निर्माण करवाया गया? उक्त निर्मित शौचालय में से वर्तमान में कितने शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं? जिलेवार, विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अप्रैल, 2010 से 15 जनवरी, 2013 तक 229 मेजर रिपेयर कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 196 पूर्ण, 30 अपूर्ण व 3 अप्रारम्भ हैं एवं 822 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 675 पूर्ण, 133 अपूर्ण व 14 अप्रारम्भ हैं। विद्यालयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत अलवर जिले में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च' प्राथमिक विद्यालयों में टीचर लर्निंग मैटेरियल के तहत सत्र 2010-11 में राशि 64.695 लाख रुपये, सत्र 2011-12 में 67.86 लाख रुपये व 2012-13 में 67.99 लाख रुपये वितरित किये गये हैं।

(3) उक्त समयावधि में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 164 बालिका शौचालय स्वीकृत किये गये जिनमें से 159 पूर्ण, 2 अपूर्ण व 3 अप्रारम्भ एवं 44 सामान्य शौचालय स्वीकृत किये गये जिनमें से 33 पूर्ण, 09 अपूर्ण व 2 अप्रारम्भ हैं। उक्त 192 पूर्ण निर्मित शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सराड़ा में आयोजित जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

383. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2012 तक माध्यमिक शिक्षा विभाग की कौन-कौनसी जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं किस-किस विद्यालय में किस-किस तिथि को आयोजित की गई?

(2) उक्त प्रतियोगिताओं में कौन-कौनसी टीम प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही? परिणामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आयोजक विद्यालयों एवं आयोजन तिथि का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ।

(2) माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का परिणाम परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

384. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में बालिकाओं के विद्यालयों में बालक भी पढ रहे हैं? यदि हां, तो किस अधिकारी व किस संस्था की अनुमति से पढ़ रहे हैं और कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

(2) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि बालक-बालिकाओं के अलग-अलग शौचालय नहीं हैं तथा कामन शौचालय होने के कारण बालिकाओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन कुल 22 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जिनमें से 15 विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक सह-शिक्षण व्यवस्था चल रही है। सम्बन्धित संस्था प्रधानों ने सहशिक्षण व्यवस्था का निर्णय आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर लिया है। बालिका विद्यालयों में सहशिक्षण व्यवस्था के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) तथ्यों का परीक्षण करवाकर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(3) धौलपुर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन 205 विद्यालयों के अलावा सभी में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध है। शेष 205 विद्यालयों में शौचालय निर्माण मार्च, 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। ऐसा कहना उचित नहीं है कि बालिकाओं के लिये पृथक से शौचालय न होने के कारण उन्होंने विद्यालय जाना बन्द कर दिया है।

बाड़मेर तहसील में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

385. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा स्तर को सुधारने हेतु नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बाड़मेर तहसील में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा सत्र 2012-13 में 850 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। बजट 2013-14 में 1000 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है।

(2) जी हां। बाड़मेर तहसील में 05 विद्यालय खोले गये हैं। स्थानीय मांग व आवश्यकता एवं बजट प्रावधान के अनुसार गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक विद्यालय और खोले जा सकेंगे।

बीकानेर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन प्रकरण

386. **सुश्री सिद्धीकुमारी** (बीकानेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, पैराटीचर्स सहित अन्य कार्मिक कार्यरत हैं? ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत अध्यापकों सहित समस्त कार्मिकों को वेतन समय पर दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों एवं यदि हां, तो गत एक वर्ष में समय पर दिए गए वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की भविष्य में उक्त अध्यापकों सहित समस्त कार्मिकों को वेतन समय पर देने की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, पैराटीचर्स सहित अन्य कार्यरत कार्मिकों का ब्लाकवार विवरण परिशिष्ट "क" तथा "क-2" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक वेतन हेतु राशि 65 प्रतिशत केन्द्रांश से एवं 35 प्रतिशत राज्यांश से प्राप्त होती है। केन्द्रांश समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण वेतन वितरण में विलम्ब होता है। विगत एक वर्ष में दिये गये वेतन का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) प्रश्नोत्तर बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाजूवाला में प्रस्तावित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

387. **डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के खाजूवाला एवं छतरगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना प्रस्तावित है? यदि

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थानों के लिए भूमि आरक्षित कर ली गई है? यदि हां, तो कब और कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान के लिये भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहूल्य क्षेत्र छत्तरगढ़- (बीकानेर) एवं खाजूवाला (बीकानेर) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सम्बन्धित जिला कलक्टर को भूमि आबंटन हेतु पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। जिला कलक्टर द्वारा भूमि आबंटन की कार्यवाही जारी है।

(3) भूमि आबंटन के पश्चात भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्राचीन स्थापत्य कला के कारीगरों का सर्वे एवं संरक्षण

388. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में प्राचीन स्थापत्य कला के भवन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण पर्यटन आकर्षण के केन्द्र हैं? यदि हां, तो प्राचीन स्थापत्य कला के पर्यटन आकर्षण केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थापत्य कला के कारीगरों को चिन्हित कर संरक्षण की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या एवं इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा राजस्थान के विभिन्न अंचलों में 328 स्मारक व 47 पुरास्थल संरक्षित घोषित है तथा 18 राजकीय संग्रहालय एवं 2 कला दीर्घा संचालित है। सूची परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है ।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) पुरातत्व विभाग एवं इंस्टीट्यूट आफ म्यूजियम एण्ड हैरिटेज स्टेडीज में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

हाड़ी रानी का कुण्ड (टोंक) के पर्यटकीय विकास हेतु कार्य योजना

389. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध तथा टोडारायसिंह कस्बे में स्थित हाडीरानी का कुण्ड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल हेतु चिन्हित किये गये हैं? यदि हां, तो इन पर्यटक स्थलों के विकास हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल हेतु चिन्हित नहीं किया जाता है, पर्यटकों की आवाजाही से स्थल स्वत: पर्यटन स्थल बन जाता है।

बीसलपुर बांध तथा टोडारायसिंह कस्बे में स्थित हाडीरानी का कुण्ड का विकास हेतु पर्यटन विभाग में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राजसमन्द जिले के प्रमुख पर्यटन/धार्मिक स्थलों के विकास पर व्यय राशि

390. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं?

(2) वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षो में जिले में पर्यटन विकास के क्या-क्या कार्य करवाए गए एवं उन पर कितना व्यय किया गया?

(3) उक्त अवधि में जिले में महाराणा प्रताप संकुल योजना में क्या-क्या कार्य किए गए एवं उन पर कितना व्यय किया गया?

(4) धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चारभुजा, गढबोर, रूपनारायण सेवंत्री, द्वारकाधीश कांकरोली एवं श्रीनाथजी नाथद्वारा के विकास के लिए क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल निम्नानुसार हैं :-

कुम्भलगढ़ दुर्ग, चेतक स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक (प्रताप मेमोरियल) हल्दीघाटी, रक्त तलाई, शाही बाग, राजसमन्द झील नौचौकी, दिवेर-छापली, मचीन्द राणा पूंजा स्मारक, श्रीनाथजी, श्री द्वारकाधीशजी, श्रीचारभुजाजी, श्री परशुराम महादेव आदि।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षो में राजसमन्द जिले में करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा उक्त अवधि में महाराणा प्रताप संकुल योजना में कोई कार्य नहीं करवाया गया एवं व्यय भी नहीं किया गया।

(4) चारभुजा गढबोर, रूपनारायण सेवंत्री, द्वारकाधीश कांकरोली एवं श्रीनाथजी नाथद्वारा के विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है।

धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चारभुजा-गढबोर की दीर्घकालीन योजना माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के सहयोग से देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा बनाई गई थी। योजना को राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जा चुका था। वर्ष 2007-08 में राशि रु. 20.00 लाख के बजट प्राप्त पर पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बाइपास चारभुजा सड़क का निर्माण किया गया।

परिशिष्ट-अ

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षों में राजसमन्द जिले में करवाये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृति वर्ष	बजट मद	व्यय राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	लाखेला तालाब में बोटिंग फेसिलिटी, पार्किंग, कैफेटेरिया आदि कार्य	2011-12	राज्य योजना	16.00	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
2.	बादल महल, कुम्भलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रेकिंग पाथ निर्माण कार्य	2011-12	राज्य योजना	50.00	कार्य पूर्ण
3.	इको टूरिज्म प्रोजेक्ट कुम्भलगढ़-टाडगढ़-रावली-रणकपुर डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट अन्तर्गत कुम्भलगढ़ में विकास कार्य	2010-11	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	64.40	कार्य प्रगति पर
4.	इको टूरिज्म प्रोजेक्ट कुम्भलगढ़-टाडगढ़-रावली-रणकपुर डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट अन्तर्गत दिवेर में विकास कार्य	2010-11	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	26.78	कार्य प्रगति पर

भीलवाड़ा जिले के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

391. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2013 को भीलवाड़ा जिले में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा इनमें से कितने केन्द्रों के लिये राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है? भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी 2013 को भीलवाड़ा जिले में 1945 आंगनबाड़ी एवं 240 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इनमें से 466 केन्द्रों के लिए राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में स्वीकृत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

392. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बहरोड़ में कुल 323 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 319 केन्द्र संचालित हैं। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बहरोड़ में 102 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये। जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

393. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले व तारानगर विधान सभा क्षेत्र में महिला बाल पोषाहार के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के कुल कितने स्वीकृत पद हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं एवं वर्तमान में तारानगर में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) का पद कब से रिक्त है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तारानगर में आशा सहयोगिनियों, कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मई, 2012 से मानदेय बकाया है? यदि हां, तो क्यों एवं बकाया मानदेय के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के अन्तर्गत कितने स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हैं तथा इन स्वयं सहायता समूहों को कितनी-कितनी राशि जनवरी, 2013 तक देय थी एवं कितनी राशि कब से बकाया है?

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश सहित चूरू जिले व तारानगर में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के अन्तर्गत एल.एस., कनिष्ठ/

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वरिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्तमान में कुल 9 पद सीडीपीओ के स्वीकृत हैं। जिनमें से 5 पद रिक्त हैं तथा तारानगर परियोजना में सीडीपीओ का पद दिनांक 17.05.2011 से रिक्त है।

(2) जी नहीं। परियोजना तारानगर में आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय भुगतान माह जनवरी 2013 तक का भुगतान किया जा चुका है। माह फरवरी 2013 के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) तारानगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 188 स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हैं तथा इन स्वयं सहायता समूह का माह जनवरी 2013 तक 1 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि देय थी। 1 करोड 05 लाख का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 40 लाख रुपये का भुगतान बकाया है जो प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। प्रदेश सहित चूरू जिले एवं तारानगर में एलएस व कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। एलएस के पद भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा कनिष्ठ लिपिक के पदों को भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर नहीं भरा जाना है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना ग्राम पंचायत मुख्यालयों हेतु निगम बस सेवा

394. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ने ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की है? यदि हां, तो डेगाना विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को इस योजना के अन्तर्गत जोड़ा जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत डेगाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगामी वर्षों में जोड़ी जाने वाली ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत डेगाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोड़ी जाने वाली ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	जोड़ी जाने वाली ग्राम पंचायतें
1.	तिलनिस
2.	ईडवा
3.	बंवरला
4.	आंतरोली कला
5.	मोगास
6.	बच्छवारी
7.	निम्बडी चांदावत
8.	जालसू खुर्द
9.	जालसू कला
10.	निम्बोला कला
11.	डेगाना गांव
12.	पुन्दलोता
13.	निम्बली कला
14.	माडल जोधा
15.	पालड़ी कला
16.	झगडवास
17.	चूई
18.	बरना
19.	खेरवा
20.	खुडी कला
21.	चोलियावास
22.	राजोद

सीकर शहर में नगरीय वाहन सेवा हेतु जारी अनुज्ञा पत्र

395. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरीय क्षेत्र में संचालित यात्री वाहनों के अनुज्ञा पत्र स्वीकृति एवं नवीनीकरण करने के क्या मानदण्ड हैं तथा वाहन के माडल आदि की क्या शर्तें हैं?

(2) विगत दो वर्षों में सीकर शहर में नगरीय यात्री वाहनों के अनुज्ञापत्र हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा किस-किस वाहन को किस आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किये गये तथा कितने आवेदन शेष हैं?

(3) क्या यह सही है कि सीकर शहर में इस श्रेणी के वाहनों के अनुज्ञा पत्र जारी करने में अनियमितता बरती गयी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरीय क्षेत्र में संचालित यात्री वाहनों के अनुज्ञापत्र स्वीकृति के मानदण्ड एवं प्रक्रिया मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 70 से 72 में निर्धारित है, जिनकी प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार, राजस्थान के प्रस्ताव (Resolution) संख्या 13/2004 दिनांक 22.09.2004 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में स्टेज कैरीज यात्री वाहनों हेतु 10 वर्ष तक पुराने माडल के वाहनों को नये परमिट स्वीकृत करने एवं 15 वर्ष तक पुराने माडल के वाहनों के परमिट नवीनीकरण करने की शर्त है। प्रस्ताव की छाया प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) विगत दो वर्षों में सीकर शहर में नगरीय यात्री वाहनों हेतु 91 आवेदन प्राप्त हुए। सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार सीकर द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत निर्धारित अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुनवाई कर 89 आवेदकों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत एवं जारी किये गये। सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

उपरोक्त आवेदनों में से एक आवेदक श्री भगवान सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, वार्ड नं. 18, सीकर का आवेदन विचाराधीन है जबकि एक अन्य आवेदक श्री सागरमल पुत्र श्री गिरधारी लाल, सूल्यावास, सीकर का वाहन संख्या आर.जे. 23 पीए-5337 (माडल 2001) निर्धारित माडल का न होने से अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया।

(यातायात राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। बिन्दु संख्या 2 में वर्णित 89 प्रकरणों में से 12 आवेदकों द्वारा सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की सुनवाई के दौरान दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation) के माध्यम से निर्धारित माडल के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवा लिये गये थे। विभाग की जानकारी में यह बात आने पर उक्त अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 (1) (डी) की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व ही ऐसे आवेदकों द्वारा उन्हें जारी अनुज्ञापत्रों को स्वैच्छा से समर्पित (सरैण्डर) कर दिया गया। सूची परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(प्रति व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

धौलपुर जिले में प्रस्तावित निगम आगार

396. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर के ग्रामीण अंचलों में राजकीय परिवहन निगम की बसों के संचालन हेतु गत चार वर्षो में क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये क्या सरकार धौलपुर जिले में नये डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) धौलपुर जिले में रोडवेज का बेड़ा कितनी बसों का है एवं किस माडल की कितनी बस हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को पीपीपी मोड पर ग्रामीण परिवहन सेवाओं से जोड़ने की घोषणा के क्रम में धौलपुर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को जोड़ने की दृष्टि से दिनांक 17.11.2012 को निविदाएं आमंत्रित की गई। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.01.2013 थी लेकिन कोई निविदादाता नहीं आने के कारण पुन: दिनांक 14.02.2013 को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिसकी अन्तिम तिथि 30.4.2013 है। निविदा प्राप्त होने एवं अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों अर्थात ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जा सकेगा।

(यातायात राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में जिला मुख्यालय धौलपुर में पूर्व से ही आगार स्थापित है तथा निगम मण्डल के निर्णय संख्या 44/2009 के अनुसार जिन जिला मुख्यालयों पर आगार स्थापित नहीं है, उन जिला मुख्यालयों पर ही आगार स्थापित किये जाने की नीति निर्धारित की हुई हैं।

(3) राजस्थान परिवहन निगम के धौलपुर आगार में वर्तमान में माडलवार 83 वाहनों का बेड़ा निम्नानुसार है :-

क्र.सं	माडल वर्ष	संख्या
1	2003	1
2	2004	3
3	2005	12
4	2006	5
5	2008	10
6	2009	15
7	2010	22
8	2011	02
9	2012	13

पाली शहर के किसान भवन के संधारण हेतु व्यय राशि

397. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली शहर स्थित किसान भवन के निर्माण के बाद इससे कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) गत तीन वर्षों में इस भवन के रखरखाव, बिजली-पानी एवं कर्मचारियों के वेतन पर किस-किस वर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा संचालित किसान भवन के निर्माण के बाद वर्ष 2011-12 में 27500/- रुपये एवं 2012-13 (जनवरी 13 तक) 34810/-रुपये आय हुई है।

(2) उक्त किसान भवन के रखरखाव, बिजली, पानी एवं कर्मचारियों के वेतन पर निम्नानुसार राशि व्यय हुई है-

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(राशि रुपयों में)

वर्ष	बिजली व पानी पर व्यय	अनुबंधित कर्मचारी चौकीदारी व्यवस्था पर व्यय	मण्डी समिति के सफाई कर्मचारी पर व्यय	योग
2011-12	23721	55800	344236	423757
2012-13	23795	199950	215310	439055

चांदपोल (जयपुर) गौण मण्डी के विकास हेतु अवाप्त भूमि

398. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति अनाज जयपुर द्वारा गौण मण्डी यार्ड चांदपोल के लिये सीकर रोड पर कूकर खेड़ा में विकास कार्यों हेतु विभिन्न खसराओं की भूमि अवाप्ति की गई थी? यदि हां, तो किन-किन खसराओं की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई? अवाप्त भूमि से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर की पुराना खसरा नं. 405 जिसका कुल रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा में से मण्डी समिति द्वारा 21 बीघा 27 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई? यदि हां, तो अवाप्ति की गई भूमि से सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नं. 405 की उक्त 21 बीघा 17 बिस्वा के अतिरिक्त शेष भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है? यदि हां, तो अवाप्त से मुक्ति सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खसरा नं. 405 की शेष भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का प्रकरण मंत्री मण्डलीय उप समिति के विचाराधीन भी रहा है? यदि हां, तो कब एवं मंत्री मण्डलीय उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा गौणमण्डी प्रांगण चांदपोल के लिए सीकर रोड पर ग्राम कूकरखेड़ा उर्फ महापुरा के खसरा नं 1/1,

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

1/2, 1/3, 1/4, 12, 2, 4, 25, 13, 24 एवं ग्राम माचड़ा तहसील आमेर के खसरा नं 332, 334, 405, 333, 330 की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी। अवाप्त की गई भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट 'ब', 'स', 'द', 'य', 'र', 'ल' एवं 'व' पर संलग्न है।

(2) ग्राम माचड़ा तहसील आमेर के खसरा नं. 405 की 46 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी। विज्ञप्ति 3 फरवरी, 1997 एवं विज्ञप्ति दिनांक 10 अगस्त, 1998 की प्रति परिशिष्ट 'द' एवं 'य' पर संलग्न है।

(3) ग्राम माचड़ा तहसील आमेर के खसरा नं. 405 की 46 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि के अतिरिक्त भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा गौणमण्डी प्रांगण चांदपोल के लिए सीकर रोड पर ग्राम कूकरखेड़ा उर्फ महापुरा एवं ग्राम माचडा तहसील आमेर की भूमि अवाप्ति का प्रकरण मंत्री मण्डलीय उप समिति के समक्ष दिनांक 25.09.2008 को विचारार्थ रखा गया था। मंत्री मण्डलीय उप समिति के द्वारा इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि ''कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के ग्राम माचड़ा तहसील आमेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 21.17 बीघा अवाप्ताधीन भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का प्रकरण समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं पाया गया।''

निर्णय की प्रति परिशिष्ट 'श' सलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान नालेज कारपोरेशन लि. द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति

399. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गत दो वर्ष में कितने व्यक्तियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की तथा आर.के.सी.एल. द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कितनी-कितनी राशि शुल्क के रूप में प्रदेश के छात्रों से प्राप्त की व कितना-कितना अनुदान/सहायता राज्य सरकार अथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(2) आर.के.सी.एल. के माध्यम से राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किन- किन योजनाओं में कितने-कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया? योजनावार लाभान्वितों की जिलेवार सूची मय नाम पता टेलीफोन नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि में से कितनी राशि का भुगतान महराष्ट्र नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड को किया गया? किये गये भुगतान का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड में कम्प्यूटर साक्षरता के लिये प्रोग्राम सपोर्ट एजेन्सी एवं जिला समन्वय केन्द्र स्थापित किये जाते हैं? यदि हां, तो उसके लिये क्या योग्यता व प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2013 में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम चलाने के लिये बिना सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये सीधे ही प्रोग्राम सपोर्ट एजेन्सी एवं जिला समन्वय केन्द्र बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि कुछ फर्मों के पास दो या अधिक जिलों के जिला समन्वय केन्द्र हैं? यदि हां, तो फर्मों का नाम पता टेलीफोन नं. मुख्य जिला व अतिरिक्त प्रभार जिला सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आरकेसीएल ने गत 2 वर्षों में कुल 627286 व्यक्तियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया है। विवरण अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विद्यार्थियों से कुल 911611577 रुपये प्राप्त हुए। विवरण अनुलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रायोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 208658185 रुपये प्राप्त/देय हुए। विवरण अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध है।

(2) आरकेसीएल के माध्यम से विभिन्न राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय पोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 144527 है। विवरण अनुलग्नक-4 पर उपलब्ध है।

(सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री)

लाभान्वितों की सूची मय नाम, पता, टेलीफोन नम्बर के साथ अनुलग्नक-5 पर उपलब्ध है।

(3) महाराष्ट्र नालेज कारपोरेशन लिमिटेड को किये गये मदवार भुगतान का विवरण अनुलग्नक-6 पर उपलब्ध है।

(4) हां। आरकेसीएल ने प्रोग्राम सपोर्ट एजेन्सियों की नियुक्ति वर्ष 2008 में एवं जिला समन्वयक केन्द्रों की नियुक्ति वर्ष 2010 में इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किया एवं योग्य आवेदकों का एवं जिला स्तर पर व्यक्तिगत इन्टरव्यू लिया गया। प्रोग्राम सपोर्ट एजेन्सी के लिये रही निर्धारित योग्यता की प्रति अनुलग्नक-7 पर उपलब्ध है।

(5) वर्ष 2013 में कोई भी प्रोग्राम सपोर्ट एजेन्सी की नियुक्ति नहीं की गई। वर्ष 2013 में उन जिलों के लिये जिला समन्वयक केन्द्र नियुक्त किये गये, जहां जिला समन्वयक केन्द्रों के लिये हुए करार की अवधि 31.12.2012 को समाप्त हुई। इस हेतु रही निर्धारित योग्यता की प्रति अनुलग्नक-8 पर उपलब्ध है।

(6) हां। सूची अनुलग्नक-9 पर उपलब्ध है।

(विवरण, सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 285 के विवरण व सूची)

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत समिति	आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन		स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त पद		
			आंगन बाड़ी केन्द्र	मिनी आंगन बाड़ी केन्द्र	आंगन बाड़ी कार्य कर्ता	सहायिका	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगन बाड़ी कार्य कर्ता	सहायिका	मिनी आंगन बाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सहायिका	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	बडागांव	बडागांव	121	18	121	121	18	110	114	18	7	4	2
2	भीण्डर	भीण्डर	256	41	256	256	41	255	255	39	0	1	2
3	लसाडिया	लसाडिया	108	9	108	108	9	99	100	8	9	8	0
4	गिर्वा	गिर्वा	241	25	241	241	25	230	229	21	4	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	गोगुन्दा	गोगुन्दा	197	53	197	197	53	187	105	49	10	2	2
6	झाडोल	झाडोल	262	45	262	262	45	246	255	43	11	3	0
7	खैरवाड़ा I	खैरवाड़ा	249	43	249	249	43	241	244	36	4	4	2
8	खैरवाड़ा II		138	31	138	138	31	129	129	27	4	5	1
9	कोटड़ा	कोटड़ा	229	35	229	229	35	199	197	20	30	32	15
10	मावली	मावली	175	3	175	175	3	172	172	3	2	3	0
11	सलूम्बर I	सलूम्बर	185	22	185	185	22	163	166	14	22	19	6
12	सलूम्बर II		177	9	177	177	9	156	151	9	21	26	0
13	सराड़ा	सराड़ा	294	24	294	294	24	291	291	24	0	0	0
14	उदयपुर शहर		138	12	138	138	12	137	136	11	2	2	2
कुल योग			**2770**	**370**	**2770**	**2770**	**370**	**2615**	**2634**	**320**	**126**	**121**	**35**

29-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 15-सहायिका एवं 15 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन होने से उक्त सूची के रिक्त पदों में शामिल नहीं किया गया है।

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
उदयपुर

परिशिष्ट-ब

उदयपुर जिले में निरीक्षण हेतु स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की परियोजनावार सूचना

क्र. सं.	नाम परियोजना	बा.वि.प. अधि.			सहा.बा.वि.प. अधिकारी			महिला पर्यवेक्षक		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बडगांव	1	1	0	0	0	0	5	5	0
2	भींडर	1	0	1	1	0	1	10	7	3
3	गिर्वा	1	1	0	0	0	0	11	11	0
4	गोगुन्दा	1	1	0	0	0	0	8	5	3
5	झाडोल	1	0	1	1	0	1	12	5	7
6	खैरवाड़ा	1	1	0	1	0	1	12	5	7
7	खैरवाड़ा दि. ऋषभदेव	1	1	0	0	0	0	7	2	5
8	कोटडा	1	1	0	1	0	1	11	5	6
9	लसाड़िया (धरियावद द्वि.)	1	1	0	0	0	0	5	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	मावली	1	1	0	0	0	0	7	7	0
11	सलूम्बर	1	0	1	1	0	1	9	4	5
12	सलूम्बर दि. झल्लारा	1	1	0	0	0	0	8	4	4
13	सराडा	1	1	0	1	0	1	14	6	8
14	उदयपुर सिटी	1	1	0	0	0	0	4	3	1
	योग	**14**	**11**	**3**	**6**	**0**	**6**	**123**	**73**	**50**

महिला पर्यवेक्षक के स्वीकृत पदों में वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक के पद भी सम्मिलित हैं।

भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न अनुसार प्रत्येक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी या एक सहायक बाल विकास परियोजना अधिकरी रखे जाने के निर्देश हैं।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड शेरगढ़ में खुले कुएं (ओपन वैल) पर सिंगल फेज पावर पम्प लगाकर चालू करने व नलकूपों के पास भू-तल जलाशय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. उपखण्ड शेरगढ़ की वृहद जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया-54 मील-चौरडिया-शेरगढ़-चाबा की 264 गांवों में आमजन को मीठा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये योजना की तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करवाने एवं योजना में देवानिया-बावकान तालाब से रायसर-भूंगरा-गजेसिंहनगर-सुवालिया-चाबा पैकेज को प्राथमिकता से पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में नकारा नलकूप/ओपनवैल के स्थान पर गुणवत्ता वाले पेयजल व अत्यधिक पेयजल उपलब्धता वाले भूजल के स्थानों पर नवीन नलकूप खुदवाने एवं नकारा हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प खुदवाकर क्षेत्रवासियों को पेयजल से लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश में जनता जल योजना का मानदेय 3500/- रुपये, मरम्मत राशि रु. 1500/- प्रति हार्सपावर करने व योजना के विद्युत बिल जलप्रदाय विभाग के माध्यम से ही जमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी.-134-देवानिया-नाथडाऊ-कानोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा के अन्तर्गत A.C. (सीमेंट) पाइप के स्थान पर UPVC/DI पाइप जनहित में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

6. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों में

पेयजल उपलब्ध करवाने से जन.स्वा.अभि. विभाग द्वारा मना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमू) :

7. चौमूं कस्बा में पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था करवाने हेतु रेनवालरोड, तोवड़ा की ढाणी, मगधबिहार, सामोद रोड व दुल्हेसिंह की ढाणी में नई टंकिया निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. चौमूं कस्बे को बीसलपुर जल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

9. जोधपुर जिले में जनता जल योजनान्तर्गत संचालित पंचायतों में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिये पुन: जनता जल योजना को विभाग को हस्तान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में फ्लोराइडयुक्त पानी के लिये आर.ओ./डी-फ्लोरीडेशन यूनिट की स्थापना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पूर्व निर्मित एवं क्षतिग्रस्त पानी के ओवरहैड टैंक को गिराये जाने के बाद नये ओवरहैड टैंक के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 308 करोड़ रुपये की स्वीकृत पेयजल योजना माणकलाव-दांतीवाड़ा से बिलाड़ा एवं पीपाड़शहर नगरपालिका क्षेत्र व 119 गावों को पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना जो मंद गति से चल रही है को तीव्र गति से प्रारम्भ कर शीघ्र पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

13. सीकर जिले की बस्तियों में N.R.D.W.P. योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ वृहत पेयजल परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. जिला सीकर में स्वीकृत सिंगल फेस ट्यूबवैल को चालू करने तथा नये स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

16. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम उण्ड-नवालजा, उण्डू-साईयों की ढाणी की पाइप लाइन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम उण्डू-हीरा की ढाणी, उण्डू-नवातला एवं रामासरिया-साईयों की ढाणी की पाइप लाइन पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करवाकर नियमित पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बायतू में क्षतिग्रस्त पानी की होदियों की मरम्मत करने एवं नकारा टंकियों को ध्वस्त कर नई टंकियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र बायतू में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु श्रमिक एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र बायतू में चिह्नित एवं अचिन्हित ढाणियों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

21. प्रदेश की जनता जल योजना को ग्राम पंचायतों से हटाकर पुन: P.H.E.D. को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के फ्लोराइडयुक्त गावों को पीने के लिये नर्मदा नहर का मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पीने के पानी के लिये नये ओपनवैल/ट्यूबवैल स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में हैल्पर, कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

25. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 200 नये हैण्डपम्प एवं 10 नये ट्यूबवैल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. प्रदेश की जनता जल योजना को वापिस पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर के मीठे पानी को शीघ्रता से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पी.एच.ई.डी. में लम्बे समय से रिक्त पड़े हैल्पर, फीटरों के पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

29. विधान सभा क्षेत्र भीम में फ्लोराइडयुक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

30. विधान सभा क्षेत्र नोहर में आपणी योजना के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

31. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 116 गांवों को जवाई बांध पाली परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

32. जवाई प्रोजेक्ट मण्डली से सोजत सिटी में पेयजल की पाइप लाइन के कार्य में बरती जा रही ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. सोजत सिटी को आर.यू.डी.पी. के तहत पेयजल वितरण एवं फ्लोराइडयुक्त पेयजल से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सोजत के 18 गांव के पेयजल के लिये कलस्टर योजना में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र सोजत में P.H.E.D. विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

36. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पेयजल हेतु बूंगी राजगढ़ योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

37. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बी.ए.डी. के तहत जी.एल.आर. को चालू करने में ठेकेदारों द्वारा आज दिनांक तक पेयजल पाइप को नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बन्द पड़े जी.एल.आर. को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पेयजल की डिग्गियों की सफाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना-रावला में अतिरिक्त ओवरहैड टैंक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना, रावला क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

42. नीमकाथाना शहर में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

43. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में रींगस नगरपालिका व खण्डेला नगर पालिका में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

44. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर, भुसावर तहसील में चम्बल का पानी पीने के लिये उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

45. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में धापी पेयजल परियोजना से बकानी क्षेत्र के वंचित गावों/मौहल्लों में पेयजल हेतु धापी पेयजल परियोजना द्वितीय फेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में साटोला पेयजल योजना की रोकी गई वित्तीय स्वीकृति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. खानपुर कस्बे की बोहरा कालोनी, झालावाड़ रोड, पैट्रोल पम्प महावीर कालोनी एवं बाइपास क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. खानपुर तहसील के पनवाड़, खानपुर, खेड़ा की क्षतिग्रस्त पेयजल टंकियों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. खानपुर तहसील में शून्य लेवल में गये गावों में थ्री-फेस पावर नलकूप ड्रिलिंग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

50. विधायक कोष से स्वीकृत हैंडपम्प एवं पनघर में स्वीकृत की जाने वाली राशि बदलने से होने वाली परेशानी को देखते हुये 1 वर्ष में एक बार खुदाई की राशि तय करने एवं सरकारी मशीन एवं प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा खोदे जाने वाले हैंडपम्प की राशि के अन्तर को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

51. नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा खुदाये गये 10 ट्यूबवैल के कनेक्शन मैन लाइन से जोड़ने एवं उनके बिजली के बिल जन.स्वा.अभि. विभाग द्वारा भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधायक मद से खोदे जाने वाले पनघरों के बिजली के बिल विभाग द्वारा ही जमा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में विगत 4 वर्षो में स्वीकृत (विधायक मद से) सारे हैंडपम्प, पनघर एवं ट्यूबवैल का संचालन सुचारु रूप से कराकर पेयजल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

54. विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वीकृत सिंगल फेस नलकूप की खुदाई व बिजली कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र धोद की ग्राम पंचायत जाना भीमा, सामी, शेषम, खूड़, मुकन्दपुरा, भड़कासली, माण्डोता आदि ग्रामों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम दीपपुरा चारणान, अनोखू शाहपुरा, मोरडूंगा, भाण्डोली में फ्लोराइड रहित पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वीकृत जी.एल.आर. का अविलम्ब निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम रायपुरा में पीने के पानी के लिये नई जी.एल.आर. का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

59. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्विति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र की स्वजलधारा, जनता जल योजना के बिजली के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम अमानीपुरा, भगवानपुरा, खोरा, रेवासा, सपेरों की ढाणी एवं अन्य ग्राम और ढाणियों में पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

62. कोटा नगर निगम सीमा में जुड़े नये ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में जल वितरण व्यवस्था का प्रबंध चम्बल नदी के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. कोटा जिले की पेयजल समस्या से ग्रस्त तहसीलों, गावों में चम्बल का पानी पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में प्राप्त राशि निर्धारित अवधि में उपयोग कर योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. राज्य में भू-जल के गिरते स्तर को दृष्टिगत रखते हुए जलनीति के अनुरूप पेयजल हेतु सतही जल स्त्रोतों व वर्षा जल का चयन करके उनसे फिल्टर जल को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जाने की योजना को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. कोटा शहर में समस्त इलाकों में चम्बल का फिल्टर किया हुआ पानी पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने व पेयजल आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

67. विधान सभा क्षेत्र नगर के गुलपाड़ा पंचायत के पुनाय गांव में पीने का पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र नगर के गांवों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अजयसिंह (डेगाना) :

69. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के क्षतिग्रस्त जलाशयों के स्थान पर नये जलाशयों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सांजू-डेगाना की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को शीघ्र बदलकर डेगाना मुख्यालय पर पीने के पानी की आपूर्ति को बहाल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

71. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नर्बदा केनाल से जुड़ने वाले प्रस्तावित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभिन्न योजना अन्तर्गत निर्मित जी.एल.आर. को पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पारम्परिक पेयजल के स्त्रोत सार्वजनिक पेच के/बावड़ियों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की क्षतिग्रस्त पेयजल टंकी/जी.एल.आर. की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में समदड़ी से करमावास तक 3 कि.मी. पाइप लाइन डालकर करमावास की वर्तमान जल वितरिका को उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप जलप्रदाय योजना से जोड़कर क्षेत्र में जल सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

76. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम चैनपुर, खूण्डा-खनपुरा-केशपुरा, आनन्द-दहमोली, खेड़ा-जमालपुर-कांचरौली के लिये पेयजल योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र करौली में भू-जल स्तर के घटने से गांवों में पेयजल समस्या उत्पन्न होने के कारण पेयजल योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

78. चम्बल नदी मुख्य पेयजल स्त्रोत को लेकर स्वीकृत की गई चम्बल–सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद परियोजना में करौली एवं सवाई माधोपुर जिले में 1200 से अधिक गावों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी)

79. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के फ्लोराइड़युक्त गावों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजयसिंह (डेगाना) :

80. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम झगड़वास, गरिडीचांचा, हरसौर, थांवला, भैरूदा, आलनियावास, सथानाकलां में अल्पसंख्यक समुदाय के मोहल्लों में सिंगल फेज नलकूप निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम मोरियाना, रेवंत, खुदीखुर्द, खुडीकलां, नथावड़ा, नथावड़ी, सांजू, निम्बड़ी चान्दावता, ढाढरियाकलां, मांझी में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सिंगल फेज नलकूप निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

82. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के राजाखेड़ा कस्बा एवं बीच में आने वाले गांव को 7-8 कि.मी. दूरी पर बहने वाली चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में 500 हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

84. विधान सभा क्षेत्र बाली के अणेवा गांव के गोड़ादाड़ा बांध से हो रही पेयजल सप्लाई में फिल्टर प्लांट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम चामुण्डेरी मेड़तियान, कागड़ी, बिलिया, फतापुरा, बिरोलिया, जोबा, सुथारों का गुढा, काना की हैण्डपम्प स्कीम को जनता जल योजना में तब्दील किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बाली के बाली, फालना व सादड़ी नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित पुरानी पेयजल स्कीमों को वर्तमान आबादी के अनुरूप नवीनीकरण एवं विस्तृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र बाली के बाली, रानी व देसूरी पंचायत समितियों के 265 गांवों को जवाई पाइप लाइन पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

88. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में स्वीकृत पेयजल योजनाओं में घटिया सामग्री के कारण बार-बार पानी लीक होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी क्षेत्र के सभी मोहल्लों एवं गांव-ढाणियों में पेयजल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के विशेष पिछड़ा वर्ग की आबादी में पेयजल व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प या सिंगल फेज न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

93. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम पंचायत मण्डार में पेयजल योजना सुचारु करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड शहर में व ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई रूप से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में हैण्डपम्पों के मिस्त्री नहीं होने से पेयजल व्यवस्था की बिगड़ी हालत को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

96. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में स्वीकृत सिंगल फेज कनेक्शन व हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन के द्वारा स्वीकृत हैण्डपम्प व सिंगल फेज कनेक्शन चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में विधायक कोष से पेयजल हेतु स्वीकृत राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

99. नावां के 72 गांवों हेतु स्वीकृत बीसलपुर पेयजल का कार्य तीव्र गति से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. नावां क्षेत्र में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं में पेयजल स्कीमों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. नावां उपखण्ड मुख्यालय पर जलदाय विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

102. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की स्वीकृत बोरीमादा पेयजल योजना पूर्ण करने एवं देरी के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

103. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के विभाग में कार्यरत राज्य सेवा के अभियन्ताओं को समयबद्ध पदोन्नति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

104. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में फ्लोराइड़युक्त पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. जिला सीकर के खण्डेला में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. सरगोठ में स्थित श्री खाटूश्यामजी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों द्वारा अनाधिकृत पेयजल का दोहन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

107. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के नगरपालिका क्षेत्र केशोरायपाटन में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

108. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में डांग क्षेत्र के लिये पानी की टंकी, नलकूप, हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पेयजल के लिये चम्बल लिफ्ट योजना-राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी बसेड़ी के लिये स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्राम नादनपुर में पानी की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के 82 ग्रामों के लिये डांग जलप्रदाय योजना सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर के निर्माण कार्य में की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं ठेकेदार द्वारा राजकीय सम्पत्ति को नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

112. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में सरकार द्वारा स्वीकृत नलकूप एवं हैण्डपम्पों को लगाने हेतु समय सीमा तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पेयजल स्कीम में आबादी की सीमा 2000 से घटाकर 1000 पर स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

114. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के नगरीय क्षेत्र के लिये जलप्रदाय योजना को वापिस विभाग को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

115. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्रामीण इलाकों में स्थापित वाटरवर्क्स की चारदीवारी और जर्जर अवस्था में हो चुके भवनों के पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई हेतु वाटरवर्क्स को फिल्टर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के शहरी इलाके में वर्षों पुरानी भूमिगत जर्जर हो चुकी पाइप लाइन को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय पर स्थापित पानी की डिग्गियों और ओवरहैड टैंक की सफाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

119. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के बस्सी व कसारवाड़ी में जनता जल योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पानी की पूर्ण व्यवस्था करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के दूरदराज इलाके में हैण्डपम्प व कुएं खोद कर ग्रामीणों को पेयजल की व्यवस्था करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ कस्बे में पोर नदी पर एनिकट का निर्माण कर पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की नगरपालिका कुशलगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

124. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के अकेलगढ़, नयागांव, बोराबास, मण्डाना को पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के गांधीसागर, रामगंजमण्डी, पचपहाड़ व रावतभाटा, रामगंजमण्डी पेयजल योजना से आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के समस्त राजकीय ट्यूबवैल, हैण्डपम्पों आदि की समय पर मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के आवलीरोजड़ी, नयागांव व अन्य गावों तथा ढाणियों में टैंकरों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

129. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के गांव बालिया, आकोदा, सानीया, लोरोली, कलवानी एवं पालोट में जल वितरण हेतु उच्च जलाशय निर्माण व पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के पुराने हैण्डपम्पों में सिंगल फेज मोटर लगाकर पेयजल सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की जनता जल योजना की पेयजल स्कीमों का संचालन जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में इन्दिरा गांधी पेयजल योजना द्वितीय फेज की निविदा सूचना वर्ष 2012-13 निविदा संख्या 01/2012-13 के कार्य को रूकवाकर नागौर लिफ्ट कैनाल-फेज द्वितीय के स्वीकृत प्लान के अनुसार सर्वप्रथम मुख्य पम्प हाउस बनाकर मुख्य पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 20 से 30 वर्ष पूर्व डाली गई पेयजल वितरण पाइप लाइन एवं उच्च जलाशयों के रिनोवेशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

134. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम काकरा पंचायत-बर्डोद एवं मालपुर

गांव को योजना के पाइप से जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम मुकन्दसिंहपुरा, अखलीमपुर, नारेड़ा को पेयजल योजना से जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सिंगल फेज एवं थर्ड फेज ट्यूबवैल का बिजली कनेक्शन चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम पोरूला, कायसा, लस्सीवास, बालपुरा में थर्ड फेज बोरिंग बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम कायसा, डूमरोली, हमीदपुर, बूढवाल, कल्याणपुरा में उच्च जलाशय टंकी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) :

139. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में पेयजल से वंचित ढाणियों में पानी नहीं पहुंचने तथा फ्लोराइडयुक्त पानी से गम्भीर बीमारियां फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

140. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के फ्लोराइडयुक्त गांवों के लिये प्रस्तावित धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की अपूर्ण पेयजल योजनायें संवर्द्धित टीकड़ पाइप्ड स्कीम एवं हनुमान नगर पेयजल योजना को पूर्ण कर शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की संचालित जामोली एवं अमरवासी स्कीम को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में संचालित पेयजल योजनाओं के लिये पृथक विद्युत फीडर स्थापित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की बन्द पड़ी हुई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं को चालू कर योजना में सम्मिलित सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

145. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्डपम्प सिंगल फेज एवं ट्यूबवैल लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम फेज में चिह्नित शहर एवं विभिन्न ग्रामों में पाइप लाइन एवं टंकी निर्माण में हो रही देरी से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

147. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव चीताहेरी, ऐंचेरा, बरौलीदार, बधामदी एवं उसेर के लिये पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में बन्द ट्यूबवैल के स्थान पर नये ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के सेवर क्षेत्र में पेयजल अभाव वाले गावों हबीवपुर, सुखावली, कसौदा, छापरकलां, छापरखुर्द, छापर मन्दिर, न.समन्या, दर्यापुरा एवं एक्टा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के रूपवास क्षेत्र के गांव न.चक बीजा, रहीमपुर, मामटोली, बहरारेखपुरा, पना, गहलऊ एवं बुराना में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये डीप बोर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र नदबई के खारे पानी की समस्या से ग्रस्त गांव जो कुम्हेर एवं सेवर की सीमा से लगे हुए हैं को चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

152. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के शहरी क्षेत्र में पुरानी सड़ी-गली पाइप लाइन को बदलकर नई लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

153. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में फ्लोराइडयुक्त गांवों में शुद्ध पानी पिलाने की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बंद पड़ी जनता जल योजना को पुन: सुचारु रूप से चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में स्वीकृत सिंगल फेज बोरिंग व हैण्डपम्प लगाने में देरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

156. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ऊंचाई वाले क्षेत्र एवं पहाड़ी आवासीय कालोनियों में कम दबाव की समस्या के निदान के लिये 40 हैण्डपम्प खुदवाकर कम्प्रेशर/पावर पम्प की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. ए.एफ.डी. प्रोजेक्ट जोधपुर में स्वीकृति की प्रक्रिया में हुए विलम्ब से कार्य लागत बढ़ने से योजना के क्रियान्वयन पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. जोधपुर में पेयजल वितरण हेतु राजीव गांधी लिफ्ट केनाल पर प्रथम चरण में स्थापित पम्पों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल वितरण में कम दबाव की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. प्रदेश में विभाग द्वारा स्वीकृत मूल कार्यादेश राशि के विरुद्ध बिना सक्षम अनुमति के कई गुना अधिक की राशि के कार्य करवाने में हुई अनियमितताओं की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

161. राजसमन्द मुख्यालय की नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की पाइप लाइन का विस्तार एवं आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कराये गये पेयजल के कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. राजसमन्द नगर परिषद क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. राजसमन्द जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिये निर्धारित बी.एस.आर. दर में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम पंचायत आत्मा के पोदावली ग्राम, ग्राम पंचायत भाणा, पड़ासली, खटामला, बडारडा में पेयजल योजना स्वीकृत करने एवं राजसमन्द को डार्क जोन से बाहर कर हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

165. विधान सभा क्षेत्र डीग कुम्हेर कस्बों में पेयजल की गम्भीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु विशेष योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

166. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ढाणियों में पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़) :

167. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ शहर में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

168. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में नया जलाशय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

169. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल वितरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के ग्रामीण क्षेत्र की जल योजनाओं में फिल्टर रेज्यूनेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गंगानगर शहर के लगते हुए ग्रामीण क्षेत्र को गंगानगर से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

172. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में दांतीवाड़ा से बिलाड़ा-पीपाड़शहर एवं 119 गांवों को जोड़ने वाली पेयजल पाइप लाइन से वंचित ग्राम वीरावास, सोवणिया, रायपुरिया एवं भागासनी को जोड़ने एवं खारियामोठापुर में ओएचएसआर निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

173. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में स्थित सभी पेयजल डिग्गियों की मरम्मत एवं सफाई करवाने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

174. प्रदेश में घटते जल स्तर व अमानक गुणवत्ता के पेयजल से निजात दिलाने के निमित्त कोटा बैराज के अधिशेष जल को बीसलपुर डैम में डाले जाने तथा हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गावों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

175. आगरा रोड के बांयी ओर की कालोनियों में बीसलपुर पेयजल योजना से जलापूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. आदर्श नगर, जवाहर नगर, सेठी कालोनी, बर्मीज कालोनी, जनता कालोनी एवं आसपास की कालोनियों में क्षतिग्रस्त/जर्जर पाइप लाइनों को बदलने एवं आदर्श नगर में ओवरहैड टेंक निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. जयपुर शहर में गंदे पानी की समस्या की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में विशेषकर आगरा रोड के खराब पड़े ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. आगरा रोड के बायीं तरफ जामडोली क्षेत्र की कालोनियों में पेयजल आपूर्ति हेतु नई टंकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

180. चौमूं कस्बे के लिये जल योजना बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. चौमूं कस्बे के बदनपुरा में पानी की टंकी निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

182. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में पूरे शहर को 24 घंटे पानी सप्लाई की घोषणा को सभी जोन में लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर की पानी की टंकियों चामुण्डा माता, विढरपुहिल टाउन, कालू की ढाणी, आन्तेड़ आदि को पाइप लाइन से जोड़कर जनता को पानी वितरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में पेरीफेरी गांवों अजयगर, खरेखड़ी को बीसलपुर पीसागन फ्लोराइडमुक्त योजना से जोड़ने तथा हाथीखेड़ा, माकड़वाली व लोहागल गांवों में बीसलपुर का पानी घर-घर पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. पेयजल हेतु चम्बल का पानी अजमेर तक लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के शहर में छोटी पाइप लाइन को बड़ी पाइप लाइन में बदलने तथा सौदागर मौहल्ले, शिवनगर कालोनी जैसे क्षेत्र में अधिक दबाव से पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

187. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में फिल्टर मीडिया एवं फिल्टरों की मरम्मत कराकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्री विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र में नवीन वाटरवर्क्स का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):

189. अलवर जिले में पीने के पानी की पूर्ति हेतु यमुना नदी का पानी अलवर जिले में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

190. हनुमानगढ़ जिले की आपणी योजना से जुड़े गावों के लिये अधिशासी अधिकारी का पद नोहर मुख्यालय पर सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

191. विधान सभा क्षेत्र बयाना की महावर कालोनी में अनुसूचित जाति के निवासियों को हैण्डपम्प मय सबमर्सिबल मोटर एवं टंकी बनाकर शुद्ध पानी पिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र बयाना में दस गहरे हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र बयाना की भीमनगर, महावर कालोनी की पहाड़ी पर पानी की टंकी निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. बयाना कस्बा की पुरानी पेयजल लाइनों के पाइप बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास में पेयजल की व्यवस्था सुधरवाने एवं नई कालोनियों में नई पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

196. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम आऊवा में पर्याप्त सप्लाई के लिये ओवरहैड टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बोलागुडा, गुडामेघसिंह, सावलतागुडा एवं भीमसिंह में फ्लोराइडयुक्त गांवों में जवाई परियोजना से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की रानी एवं रानी तहसील के ग्रामों को जवाई पेयजल योजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा) :

199. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम अठारवा एवं उजाड़ा में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

200. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के नलकूपों हेतु विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के सभी शहरों एवं गांवों में पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण अन्य योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के शहर पिलानी में ऊंची टंकी बनाकर पेयजल समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अधिकांश गांवों में बसे अनुसूचित जाति

के घरों से दूर कुएं होने से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हो रही समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के काश्तकार जो खेतों में घर बनाकर रह रहे हैं, उन कृषकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

205. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील पीलीबंगा एवं रावतसर के सभी गांवों में डिग्गी बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम थालउके से चाईयां को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु छह इंच की पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

207. जैसलमेर जिले के सोठाण व बछीया क्षेत्र को आई.जी.एन.पी. नहर से पाइप लाइन लगवाकर पेयजल से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. की मरम्मत कराने एवं दूर के गांवों को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. नहरी क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले गांव को पाइप लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. नहरी क्षेत्र से पाइप लाइन लाकर ग्राम पंचायत दामोदर, डेठा, बीदा एवं खुहडी को जोड़कर फ्लोराइडयुक्त पेयजल से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. ग्राम पंचायत अमरसागर में नया ट्यूबवैल खोदकर ओवरहैड टैंक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

212. जयपुर शहर की कई कालोनियों में आ रहे फ्लोराइडयुक्त जल के कारण हो रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर की कालोनियों को जलदाय विभाग की पेयजल लाइन डालकर जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. जयपुर शहर में खराब पड़े एवं जिन हैंडपम्पों में पानी की कमी हो जाने के कारण बंद पड़े हैं, उनको चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र में जर्जर पेयजल लाइनें बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. जयपुर शहर में बनी हुई पानी की टंकियों (उच्च जलाशय) की समयबद्ध रूप से सफाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

217. जयपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र की गलियों में पुरानी प्लास्टिक की पाइप लाइनों के स्थान पर डी.आई. पाइप की लाइनें डाले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. जयपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु उच्च जलाशय के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. जयपुर के न्यू कालोनी सिंहद्वार पर बने हुये उच्च जलाशय को प्रारम्भ कर पेयजल लाइन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. जयपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में पेयजल के साथ आ रही मिट्टी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

221. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद के ग्राम शाहपुर झंडाखेड़ी, लानखेड़ा एवं टीकरी में सिंगल फेज स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्राम पंचायत में सड़ावत के ग्राम बछेड़ी, ग्राम सेमली दिलावर में सिंगल फेज टंकी सहित पाइप लाइन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम दोंगड़ी, दोगड़ी का बास, झारेड़ा, डाबरी में सिंगल फेज स्वीकृत कर टंकी पाइप लाइन सहित स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम नीकच, नाखनोल, गड़ी, धनेटा, खोर, नगली (ग्रा.पं. हाजीपुर), बटेसरा, खो (ग्रा. पं. खो. वारिसपुर)

एवं बांधोली में सिंगल फेज टंकी सहित पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम सम्मनपुर, गूजरपुरा (ग्रा. पं. गढ़ी) धनेटा, ग्राम रघुनाथपुर में हरिजनबास, ग्राम पंचायत नसवारी में ग्राम गुरमेजसिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत ईन्दपुर में सिंगल फेज मय पाइप लाइन टंकी सहित स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

226. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फ्लोराइडयुक्त गावों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में डार्क जोन में शामिल गावों के लिये विशेष पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में मेज नदी से पानी लिफ्ट करके पेयजल हेतु जमवारामगढ़ बांध में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

229. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में पी.एच.ई.डी. के सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

230. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये हैंडपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल में 24 घंटे जलापूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई पेयजल योजनायें शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

234. डीग और कुम्हेर तहसील मुख्यालय एवं गांवों के लिये चम्बल परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

235. कुम्हेर तहसील के ग्राम गुनसारा में विभागीय नार्म्स के अनुसार पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण नलकूप योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

236. कुम्हेर तहसील के ग्राम अजान में उच्च जलाशय (ओवर हैड टैंक) के प्रयोगात्मक नलकूप योजना को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

237. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अभियन्ता का नवीन पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र मकराना में जर्जर हुई एस.आर. टंकियों को गिराकर नवीन टंकियां स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पाइप की कमी दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र मकराना में 100 की आबादी वाली ढाणियों को सिंगल फेज नलकूपों से पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

241. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में आमजन से प्राप्त शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. जयपुर शहर को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. राज्य में पेयजल संरक्षण के उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

244. जयपुर शहर को बीसलपुर बांध से पानी उपलब्ध कराने वाली परियोजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

245. जयपुर शहर के भूमिगत जल में मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मौजूद खतरनाक तत्वों के शुद्धिकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

246. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में क्षेत्रीय पेयजल योजना के अन्तर्गत 5

नलकूप गम्भीर नदी में करने के उपरान्त भी चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम सावेटा तहसील नादौती में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. जिला करौली के नादौती तहसील के गांव तेसगांव के खराब बोरिंगों को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

2. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद का राजोला बांध व मोरीजा बांध निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

3. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध, चौपड़ा फीडर व जालीवाड़ा बांध से निकलने वाली नहरों पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त पुलियाओं (culverts) की मरम्मत नहीं होने से बढ़ रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नाकाफी प्रयासों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में लूनी नदी, बाणगंगा व मीठडी नदी एवं चौपड़ा फीडर को आपस में जोड़ने हेतु स्वीकृती जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित जसवंत सागर बांध से कमाण्ड क्षेत्र में जाने वाली नहरों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

6. प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त वितरिकाओं/नहर प्रणाली की मरम्मत एवं पानी की सुचारु सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

8. विधान सभा क्षेत्र नगर के हथिन बैराज से यमुना जल से डीग के जलमहल तक भरने वाली नहर में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी डाइवर्सन बांध के जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

10. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सिंचित क्षेत्र में नर्मदा नहर का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

11. विधान सभा क्षेत्र भीम के रणजीत सागर, भोपाल सागर एवं अन्य बांधों एवं नहरों को जापानी इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) के माध्यम से कराए गये कार्य एवं शेष बचे बांधों एवं नहरों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

12. विधान सभा क्षेत्र नोहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. नोहर-भादरा तहसीलों की नोहर-फीडर अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख योजना की सिल्ट की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

14 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में क्षतिग्रस्त ढारिया बांध का पुर्न: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

15. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर सिंद्ध-मुख नहर के पक्के खालों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

16. रायपुर तहसील के झिलमिल बांध का क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

17. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब के हिस्से वाले क्षेत्र से

अपशिष्ट पदार्थ/केमिकल्सयुक्त पदार्थ डालने से होने वाले दुष्परिणामों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. मुख्य अभियन्ता सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना), हनुमान के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रिक्त पड़े सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

22. भुदोली बांध में अनावश्यक एनीकट हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

23. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के करलगांव-रिझोन, बासखोदय एवं बरखेड़ा एनीकट निर्माण हेतु रोकी गई स्वीकृति को पुन: स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में भीमसागर सिंचाई परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. खानपुर तहसील क्षेत्र में बहने वाली उजाड़ नदी व छावी नदी को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गोरधनपुरा तहसील झालरापाटन के तालाब की पाल की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) :

27. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में अमरपुरा गोगला, वागदा कोचला, सुलतान जी का खैरवाड़ा, हरणा नाका गरवारू पर एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

28. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में मेजा बांध की मुख्य नहर को जिन्दल शॉ लिमिटेड को नियम विरुद्ध देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

29. विधान सभा क्षेत्र धोद में कुम्भाराम आर्य नहर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. सीकर जिले में सिंचाई के लिए नहर लाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

31. चम्बल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में जल प्रबन्ध समितियों के माध्यम से किसानों की सहभागिता बढ़ाने व प्रबन्ध समितियों को सिंचाई शुल्क में मिलने वाला हिस्सा बढ़ाये जाने तथा अधिक स्वायत्तता व अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. चम्बल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली में जल प्रबन्ध समिति के द्वारा प्रबन्धन में सहभागिता बढ़ाने व उन्हें अधिक स्वायत्तता देने व सिंचाई शुल्क, कर वसूली में उनका हिस्सा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. चम्बल सिंचित क्षेत्र के 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मेक्रोड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं है, वहां समयबद्ध मेक्रोड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सी.ए.डी. चम्बल की दांयी तथा बांयी मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण की घोषित परियोजना के सुव्यवस्थित व समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. चंबल की दांयी व बांयी मुख्य नहरों में पानी कम प्रवाहित करने के कार्यक्रम का प्रकाशन, प्रवाहित की जाने की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व घोषित करने व पानी की उपलब्धता के अनुसार किसानों को फसल बोने की सलाह बुवाई से पूर्व वृहत स्तर पर सूचना व प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

36. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लूनी नदी के किनारे बसें गांवों में तटबन्दी निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की मरू गंगा लूनी नदी में पास के कुओं में जलस्तर बढ़ाने हेतु नदी में बेस फ्लो एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की मरू गंगा लूनी की मुख्य नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से बहती है उसमें व सहायक नदियों में पानी के बहाव को रोकने के लिए, किये गये अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पहाड़ी क्षेत्र में बरसात के समय पहाड़ों से व्यर्थ बहने वाले पानी के संरक्षण के लिए छोटे–छोटे चेक डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

41. चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थित क्षतिग्रस्त जगर बांध की मरम्मत एवं भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) :

43. तहसील गंगधार जिला झालावाड़ की घाटी, किशन नगर लघु सिंचाई परियोजना के सर्वे की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ की पीपलाज व गागरीन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के मकानों का मुआवजा स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. तहसील पचपहाड़ की सिंचाई परियोजना भीमनी की पक्की नहर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

46. विधान सभा क्षेत्र सिरोही की नर्मदा डी.आर. वृहद परियोजना में अभाव ग्रस्त गांवों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

47. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के लतारिया (गरड़दा) बांध का पुनर्निर्माण शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

48. धौलपुर राजाखेड़ा तहसील को सिंचाई हेतु चम्बल नदी पर बैराज बनाकर लिफ्ट इर्रिगेशन केनाल द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के गांव नागर एवं नादूली में पारवती नदी पर एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की दिहोली, दुल्हारा, जलालपुर, महदपुरा, सामोद, कराशपुरा खुडिला समौना एवं देवखेड़ा पंचायत में बांध एवं ओवर हैड टैंक बनाकर सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

51. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर से चम्बल लिफ्ट सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

52. विधान सभा क्षेत्र नावां के बड़े-बड़े तालाबों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र नावां के पुराने बांधों बावड़ी बाटलिया, बरजम की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. नागौर-नावां क्षेत्र में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर का कार्य शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र नावां में नये एनीकटों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

56. इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप गड़रा रोड तक नहीं जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. माही परियोजना की प्रस्तावित योजनानुसार निर्धारित समय में नहरें न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत एवं सफाई न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के छितोली बांध के भराव क्षेत्र में फसल बुआई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के बुचारा बांध से पावटा के लिए निकलने वाली नहर की सफाई न होने तथा कूनेड गांव में पंचायत भवन पर जाने के लिए पुलिया न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

61. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई बांध के लिए चम्बल लिफ्ट योजना स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई नहर की वितरिकाओं को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की औगई मुख्य नहर से धौई ग्राम के लिए वितरिका स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई बांध की मुख्य नहर से सलेमपुर माइनर का विस्तार एवं ममौचन के लिए अतिरिक्त माइनर स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बजट भाषण 2012-13 में स्वीकृत किए गए पार्वती नदी पर 4 एनीकटों के लिए बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

66. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में निर्माणाधीन तांकली बांध का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के रामसागर बांध, गिरधरपुरा बोराबाम तालाब की मरम्मत कर रिसाव रोककर कृषि भूमि को सिंचित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नहरी पानी हेतु कोई योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के अनेक रियासतकालीन तालाबों की मरम्मत कराकर उनसे कृषि भूमि सिंचाई नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. कोटा, बूंदी व बारां जिलों में दोप व बोय नहरों से टेल पर सिंचाई हेतु पानी समय पर नहीं पहुंचने से फसलों को नुकसान होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

71. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अजबगढ़ बांध की नहर का पानी सिंचाई के लिए देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में मंगलसर एवं मानसरोवर बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

73. श्रीगंगानगर में नहरों की बिना बंदी लिये डायवर्सन के जरिये निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. श्रीगंगानगर के मध्य से निकलती ए-माइनर को प्रदूषण मुक्त करने तथा ढकने के निर्माण कार्य में गति लाने एवं माइनर के दोनों तरफ पौधरोपण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. पंजाब राज्य के सिंचाई अधिकारियों से प्रभावी वार्ता कर राजस्थान के हक का पानी लेने तथा पंजाब में नहरों से हो रही चोरी ओर छीजत रोकने के लिए नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. श्रीगंगानगर में काश्तकारों को रोटेशन के हिसाब से सात रोजा बारी पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में सिंचाई विभाग में मेट एवं बेलदारों के पद पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

78. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ सीमोला, पाली बड़ी आमली पाड़ा नालों पर नये तालाबों का सर्वे कर नई परियोजना स्वीकृत करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के घोड़ा दरा, झखरीया, नवागांव के पुराने तालाबों के सिपेज को ठीक करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पुराने तालाब खेड़पुर, नागदा बड़ी में अन्दर की मिट्टी निकालने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के वियापाड़ा, सोनारीया, चकरा खुरा टाडी बड़ी, गोपालपुरा एवं हिम्मगढ़ के तालाबों की पुरानी नहरों की मरम्मत करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की अनास नदी व हिरन नदी पर एनिकट बनाकर काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

83. अलवर में जयसमंद बांध की छंटाई व अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. बहरोड़ में डार्क जोन होने के कारण ग्राम पंचायत काठवास के ग्राम मंगलपुर एवं ग्राम पंचायत खोर के पहाड़ के पास नाले पर बांध बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. बहरोड़ में डार्क जोन होने के कारण चम्बल का पानी सिंचाई के लिए लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम जादोज एवं तसिंग ग्राम के बीच में बांध बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. सिलिसेढ़ बांध से कम्पनी बाग अलवर में आने वाली नहर को बहरोड़ क्षेत्र में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

88. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित बावड़ी तस्वारिया, भीलड़ी-टीटड़ी तालाबों की इन्टरलिंकिंग की योजना स्वीकृत कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में से निकल रही बनास नदी में ग्राम धागूदार के पास एवं ग्राम ओडियाखेड़ा के पास जीरो लेवल एनिकट के निर्माण की स्वीकृति जारी कर क्षेत्र का भू-जल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर बरदपुरा तालाब की आवक बढ़ाने के लिए फीडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नवरतन सागर की नहरों एवं वितरिकाओं को पक्की कराकर पानी के अपव्यय को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के गन्धेर तालाब की ऊंचाई बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

93. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पांचना बांध से गम्भीर नदी द्वारा विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार में पानी छोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में टूटे पड़े चिकसाना बांध की मरम्मत हेतु राशि आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

95. विधान सभा क्षेत्र नदबई के भरतपुर सेवर क्षेत्र के धनागढ़ चैनल की टूटी पुलिया का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र नदबई के भरतपुर बहुआ बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र नदबई के भरतपुर शाहपुर बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. भरतपुर बाण गंगा से निकली पथैना कनाल की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. भरतपुर में अजान बांध सिस्टम की मरम्मत (सड़क पक्के स्ट्रैक्चर, जंगल कटाई, मिट्टी) कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

100. कंटालीया नदी पर मुसलिया में बने एनिकट की मिट्टी की साइड पाल को पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

101. प्रदेश में विभागीय कार्यादेश की मूल राशि के विरुद्ध बिना सक्षम अनुमति के कई गुना अधिक की राशि के कार्य करवाने की अनियमितताओं की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. प्रदेश में खनन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एकत्र होने वाले वर्षा जल को सिंचाई के रूप में काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. पड़ौसी राज्यों से हुए समझौतों के अनुसार प्रदेश की हिस्सेदारी का पूर्ण मात्रा में पानी लेने के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर की चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

105. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में माइनिंग क्षेत्र में भरे हुये पानी को राजसमन्द झील तक पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. राजसमन्द जिले के रेलमगरा तहसील के अन्तर्गत एनिकटों के अधूरे निर्माण कार्य को तुरन्त पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. सिंचाई हेतु राजसमन्द झील में देवास परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ फेज से जल लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. बीसलपुर परियोजना के नाम पर मेवाड़ आंचल की कई नदियों पर बांध निर्माण की स्वीकृतियां रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की खारी फीडर का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

110. भोपालगढ़ क्षेत्र को इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़) :

111. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की अनूपगढ़ शाखा (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

112. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की इन्दिरा गांधी कैनाल की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

113. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) इन्दिरा गांधी नहर के कई खण्ड तोड़कर बीकानेर से अन्यत्र शिफ्ट करने के उपरान्त भी रख-रखाब नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

114. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की नहरों को पक्का करके भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. गंगनहर की लिंक चैनल में पानी प्रवाहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. बी.बी.एम.बी. में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

117. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जोजरी नदी के किनारों पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

118. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में अन्तिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की के.जे.डी., बी.डी., बी.जे.एम. माइनर नहरों के बैड लेवल को ठीक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पूगल, दन्तौर, अनूपगढ़ शाखा की मरम्मत एवं पट्टडा निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

121. प्रदेश की काली सिंध-पार्वती, चम्बल नदी को इंटरलिंकिंग किए जाने वाली परियोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

122. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद में राजोला बांध व मोरीजा के टोड़ी बांध का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में एनिकट के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

124. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्यामगढ़ माइनर, भोमपुरा माइनर, पी.एस. माइनर के असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र से विकास करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के नानूराम खाटा माइनर का सर्वे करवाकर असिंचित क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के डाबला हैड़ पर ग्राम पंचायत 15 एन.आर.डी. से डाबला की जोड़ने वाली सड़क मार्ग हेतु मुख्य नहर पर पुल निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

127. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सिंचाई सुविधा से वंचित गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र नोहर के अधूरे पड़े लेघा व मायला माइनर को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र नोहर के नोहर, पल्लू, लूणकरणसर, सरदारशहर आदि क्षेत्रों को सिंचित करने वाली सुई ब्रांच के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

130. विधान सभा क्षेत्र बयाना में सिंचाई के लिए पांचना बांध से बयाना-रूपवास के लिए पानी गम्भीर नदी में छोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र बयाना की गम्भीर नदी में गहरे कूप लगाकर तहसील बयाना एवं रूपवास में सिंचाई का पानी मुफ्त दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. बयाना तहसील एवं रूपवास में कृषकों के लिए सिंचाई के बोर लगाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में नयागांव मैरया एवं मिलसवां में एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बांध बारैठा में सिंचाई हेतु चम्बल का पानी लिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा) :

135. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सुल्तानपुर ब्लाक में ख्यावदा वगावदा व इटावा ब्लाक में नौनेशा एवं चम्बल ढिपरी से लिफ्ट सिंचाई चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

136. रावतसर ब्रांच की सफाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

137. राज्य में बड़े बांधों के स्थान पर छोटे-छोटे बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. विभाग में कम पद रिक्त होने के बाबजूद सहायक अभियन्ताओं की अधिक नियुक्ति किये जाने से राजकोष पर पड़ रहे भार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. जयपुर के रामगढ़ बांध में हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. जयपुर के कानोता बांध में गंदा पानी आने से रोकने के उपाय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब से आ रहे दूषित पानी के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

142. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्राम पंचायत के अधीन बांधों को पुन: सिंचाई विभाग में लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. सम्पूर्ण अलवर जिले के बांधों से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. अलवर जिले में बांधों से हो रही सिंचाई एवं उनसे सम्बन्धित नहरों की पुन: मरम्मत कर सिंचाई के लायक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. सिंचाई हेतु सिलीसेढ़ एवं जयसमन्द बांध से निकलने वाली नहरों द्वारा विधिवत सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

146. समझौते के तहत यमुना जल का पानी भरतपुर जिले को शीघ्र उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. डीग एस्केप का रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन कराने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. कुम्हेर तहसील के ग्राम करऊंआ एवं बौरई की नवीन पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. भरतपुर की डिस्ट्रीब्युटरी के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. गुडगांवा मैन कैनाल (घाटा पोर्सन) का रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

151. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

152. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ड्रीप से सिंचाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. नागौर जिले को सिंचाई के लिए इन्दिरा गांधी नहर से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

154. कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र होते हुए भी रेगुलेशन की बैठक में चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के लिए बजट का प्रावधान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के सिंचित क्षेत्र में चक बंदी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. साहवा लिफ्ट कैनाल के शेष रही लिफ्ट पर समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. साहवा सिंचाई उपखण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।